शिक्षा में सुधार

1. सरकार को बजट की क्यो आवश्यकता है? बजट में करों की चर्चा क्यों होती है? (AS_1)
2. आय कर एवं उत्पाद कर मे क्या अंतर है?(AS_1)
3. आपको इस्पात,दियासलाई, घड़ियाँ, कपड़े, लोहे, आदि पर कर चुकाना पड़ता है। इनमें से किसी पर भी करो में वृद्धि का प्रभाव अन्य उपभोक्त वस्तुओं पर होता है - क्यों ?(AS_1)
4. साधारण भोज्य पदार्थ, जैसे धान, दाले, तेल आदि का उपयोग सभी करते है। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि इन पर लगाया जाने वाला कर गरीबों को अधिक प्रभावित करता है। (AS_4)
5. आय पर कर या वस्तुओं पर कर। दोनों में से कौन सा कर धनी लोगों को और कौन सा गरीब लोगों को अधिक प्रभावित करता है। कारण बताइए। (AS_1)
6. वस्तुओं पर लगने वाले करों की चोरी को वैट कैसे कम करता है? (AS_1)
7. उत्पाद कर और आयात कर में क्या अंतर होता है? (AS_1)
8. बसों के किराए में वृद्धि के कारणों का पता लगाइए। (AS_4)
9. प्रत्यक्ष कर का गद्यांश पढिए (आय कर केवल उन्हीं पर लगाया जाता है......) और उत्तर दीजिए : उच्च आय वाले अधिक कर का भुगतान क्यों करें ? (AS_2)
10. हमारी अर्थ व्यवस्था पर काले धन का क्या प्रभाव पड़ता है? (AS_6)

परियोजना

कुछ साबुन, पेस्ट, दवाइयों की पन्नियाँ या दैनिक उपयोग वस्तुओं की पन्नियाँ जमा कीजिए। जिन पर एमआरपी लिखा हो। उस पर लिखे दाम और बेची जाने वाली कीमत पर चर्चा कीजिए। फुटकर व्यापारी के लाभ पर बातचीत कीजिए ।

SCERT TELANGANA

यूरोप में बदलती सांस्कृतिक परंपराएँ 1300-1800

अध्याय 12

आपने VII कक्षा में यूरोप के बारे में पढ़ा है। यूरोप के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को याद करे का प्रयत्न कीजिए। यूरोप का मानचित्र देखिए और उसमें तुर्क, ग्रीस, इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, हालैण्ड, ब्रिटेन आदि दर्शाइए।

इस अध्याय में हम महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे जो चौदहवीं और सोलहवीं शताब्दी के बीच यूरोप में ही नहीं बल्कि संसार के अन्य भागों जैसे तुर्क, ईरान, भारत और उत्तरी आफ्रीका में हुए थे। 'संस्कृति' शब्द साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्रकारी, शिल्पकला, वास्तुकला, धार्मिक विश्वासों और साथ ही विज्ञान जैसी मानव क्रियाओं के पहलुओं से संबंधित है।

- सिनेमा, इमारतों, धार्मिक विश्वासों, संगीत आदि कुछ पहलुओं में होने वाले परिवर्तनों के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। आप अपने चारों ओर क्या परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं? इन परिवर्तनों के क्या कारण हैं?

सभी कालों में संस्कृति निरंतर बदलती आ रही है। आज भी, आप हमारे सांस्कृतिक जीवन में तीव्र बदलाव का अनुभव कर सकते हैं।

ऊपर बताये अनुसार संस्कृति निरंतर परिवर्तित हो रही है। फिर भी चौदहवीं और सोलहवीं शताब्दी, अर्थात 1300 और 1600 CE के बीच होने वाले परिवर्तनों में कुछ विशेषताएँ है। सबसे पहले विभिन्न देशों के लोग अन्य देशों के लोगों से सीखने के लिए आतुर थे। दूसरे वे उस प्राचीन साहित्य की ओर वापस जाने लगे जिसे नयी बातें सीखने के चक्कर में लोग भूल रहे थे। साथ ही, वे यह समझ गये थे कि प्रत्येक मनुष्य खास और महत्वपूर्ण है और विश्व में उसका अपना तरीका है। कला के क्षेत्र में चित्रकारी और शिल्पकला के नये तरीके का विकास हुआ जो लोगों के क्षणिक मिज़ाज और भावनाओं को आकर्षित कर लोग, प्रकृति और आस-पास के वास्तविक वातावरण का विस्तारपूर्वक वर्णन करने का प्रयत्न किया। ये उस समय होने वाले कुछ नये विकास थे। ये परिवर्तन महत्वपूर्ण थे क्योंकि नयी संस्कृति ने लोगों को नये प्रकार से सोचने का विश्वास दिलाया जिसे हम आधुनिक सोच कहते हैं।

यूरोपीय इतिहास के काल

400 CE तक	-	प्राचीन काल
400 CE से 1300 CE	-	मध्य काल
1300 से 1800 CE	-	पूर्व आधुनिक काल
1800 से आज तक	-	आधुनिक काल

ऊपर दर्शाये गये वर्ष करीब-करीब है। विभिन्न इतिहासज्ञ, विभिन्न वर्गीकरणों का उपयोग कर सकते हैं।

प्राचीन और मध्यकाल में यूरोप

लगभग 400 CE के प्राचीन काल तक यूरोप पर रोम साम्राज्य का नियंत्रण था। यूरोप के अधिक भाग तुर्क और मिश्र पर लंबे समय तक रोमन साम्राज्य का नियंत्रण था। इस काल में वहाँ रोम और अलेग्जेंडरिया जैसे कई बड़े शहर थे। युनान के द्वारा

SCERT TELANGANA

जो संस्कृति विकसित हुई उन्होंने उसे आगे बढ़ाया। चित्रकला, मूर्तिकला,भवन निर्माण के साथ साहित्य, दर्शन और युनान और रोम के विज्ञान असाधारण रूप से समृद्ध थे। आपने महान विचारक सोक्रेट, प्लेटो और अरस्तू और ग्रीक के गणितज्ञ यूक्लिड और पैथोगोरस के बारे में सुना होगा। उन्होंने अपने चारों ओर के मनुष्यों, समाज और विश्व के बारे में सावधानीपूर्वक अध्ययन किया और उसे और अधिक समझने का प्रयत्न किया।

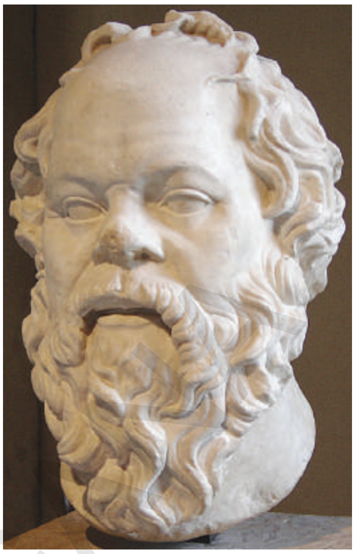

Socrates Marble Roman artwork 1st century – A great Greek thinker who encouraged the youth to question everything and examine everything logically.

रोमनों ने भारत जैसे सुदूर देशों के साथ व्यापार किया। वास्तव में हमे भारत के प्राचीन शहरों में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अधिक स्तर तक हमारी कला को भी प्रभावित किया है, विशेषतः उत्तर पूर्वी भारत में ग्रीक और रोमन समाज गुलामों - ऐसे लोग जिन्हें युद्ध के पकड़ा जाता था और खरीददार को बेचा जाता था, के शोषण पर आधारित था। वे खेतों, खानों और घरों में कार्य करते थे। रोमन साम्राज्य के स्वतंत्र नागरिक जिनके पास पर्याप्त अधिकार थे सीनेट के चुनाव में वोट देते थे।

फिर भी, 400 CE के पश्चात रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। 400 CE से 1300 CE के बीच का काल मध्य काल कहलाता है। इस काल में पश्चिमी यूरोप में कोई बड़े साम्राज्य नहीं थे। बड़े शहरों का भी पतन हो गया था और अधिकांश लोग गाँवों में रहने लगे थे। वाणिज्य के दशा भी दयनीय थी। संपूर्ण व्यवस्था में राजनैतिक अधिकार बड़े जमींदारों (जो युद्ध - भूपति) के हाथ में होती थी, जो गाँव वालों और किसानों पर अधिकार चलाते थे। सामंतवाद में किसानों का दर्जा सबसे नीचा था। उन्हें सर्फ (Serfs) कहा जाता था जिसका अर्थ है खेतिहर मजदूर । ये अपने अधिपति के बंधक होते थे, उनकी भूमि पर खेती करते थे, उनकी कार्यशाला में काम करते थे, साथ ही उनकी ओर से युद्ध भी करते थे। उनके अपने खेत भी होते थे, जिसमें भी वे काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे । शासक निरंतर एक दूसरे के साथ युद्ध में रत रहते थे। इसके कारण किसानों में असुरक्षा की भावना होती थी और वे संरक्षण के लिए भूपतियों पर निर्भर रहते थे। छोटे शासक बड़े शासकों को अपनी सेवाएँ प्रदान करते थे जो उन्हें संकट के समय संरक्षण का अश्वासन देते थे। इस प्रकार निर्भरता और अधिकार के बंधन द्वारा सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे।

Coat of arms/emblem of the Pope which was dominant during medival period

लगभग 100 CE के समय - प्रथम शताब्दी में ईसाई धर्म ऊभर कर आया। रोमन साम्राज्य द्वारा अपनाये गये प्राचीन धर्म का स्थान हडप कर यूरोप का प्रभावशाली धर्म बन गया। रोमन कैथोलिक चर्च लोगों के धर्म और संस्कृति पर काबू करने लगा था और लोगों को रोम साम्राज्य की संस्कृति से दूर करने का प्रयत्न कर रहा था। चर्च लोगों को स्वयं के बारे में सोचने के लिए निरुत्साहित कर रहा था और उन्हें

SCERT TELANGANA

- सुकरात, अरस्तू, पैथोगोरस आदि यूनान के कुछ महान विचारकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। आपके विचार में चर्च ऐसा क्यों चाहते थे कि लोग अपने बारे में न जान पायें?
- मध्यकाल में गुलामी में गिरावट आ गयी थी किंतु फिर भी लोगों को अपनी पसंद का कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं थी .... क्या आप इसका कारण बता सकते हैं?
- आपने कक्षा VIII में जमींदारी प्रथा और हैदराबाद राज्य की वेट्टी (Vetti) के बारे में पढ़ा है। इसकी तुलना युरोप में 'दासवृत्ति' (Serfdom) से कीजिए।

पादरी की बातों पर विश्वास करने पर ज़ोर दे रहा था। यूरोप में जैसे-जैसे सामंतवाद बलशाली बनता गया, प्राचीनकाल की महान सांस्कृतिक उपलब्धियाँ धीरे-धीरे धूमिल पड़ गयी और फिर विलीन हो गयी। बगैर कोई प्रश्न उठाये लोग इसाई मान्यताओं को अपनाने लगे। चर्च उन्हें भौतिक संस्कार और मानव के बारे में सोचने के लिए निरूत्साहित कर रहे थे। इसके बदले वे इन्हें स्वर्ग, महात्माओं और भगवान के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे।

मध्यकालीन एशिया

मज़े की बात है कि, अधिकतर एशिया में सब कुछ भिन्न था। अरेबिया, पर्शिया, इराक और उत्तरी अफ्रीका में इस्लाम धर्म फैल रहा था और नयी राजनैतिक शक्तियाँ दिखलायी दी। भारत में अनेक शहरों के साथ-साथ कई छोटे साम्राज्य प्रकट हुए थे। तेरहवीं शताब्दी के आरंभ में उत्तरी भारत में तुर्की शासन की स्थापना हुई। इन सब का अर्थ यह है कि शासक, सैनिक, व्यापारी, विद्वान, धार्मिक लोग, कलाकार, शिल्पी, आदि नयी चीजों को सीखने और नयी चीजों बनाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे। वास्तव में यह एशिया का सीखने और सृजनात्मकता का महाकाल था।

अरबों ने अपने साम्राज्य की स्थापना ऐसे क्षेत्र में की थी जो चीन, भारत, ईरान, आफ्रीका और यूरोप जैसे कई महान संस्कृतियों का विच्छेदन था। वे इन सभी स्थानों से पुस्तकें और विचार लेकर आये और फिर उनका अनुवाद अरबी भाषा में किया तथा उसमें नये अंश जोड़े। उन्होंने अत्यंत दूरस्थ देशों जैसे इटली, भारत और चीन के साथ व्यापार किया। उन्होंने महाद्वीपों में निरंतर सामान भेजने की प्रणाली का विकास किया। उन्होंने बड़े क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और केन्द्रीय राजनैतिक व प्रशासनिक प्रणाली का विकास किया। उनके विद्वानों ने भारत, चीन और यूरोप की प्राचीन पुस्तकों का उपयोग कर विज्ञान, दर्शन, गणित और धर्म का अध्ययन किया।

1550 में तुर्क, ईरान एवं भारत में तीन महान साम्राज्य उभरे-तुर्क में ओटोमान, ईरान में सफ़ाविद तथा भारत में मुगल। इसी पृष्ठ भूमि में सांस्कृतिक बदलाव भी यूरोप में शुरु हुआ ।

प्रारंभिक आधुनिक काल

1300 ई.पू. के पश्चात यूरोप में स्थितियों में बदलाव आना आरंभ हो गया। किसानों ने दासवृत्ति, जमींदारों के आधिपत्य और चर्च के वर्चस्व का विरोध करना और उसके विरुद्ध संघर्ष करना आरंभ कर दिया। उदाहरण के लिए 1381 में इंग्लैण्ड में किसानों की बड़ी क्रांति हुई जिसने किसानों के दासत्व को समाप्त कर दिया। ऐसे ही आंदोलन अन्य देशों में भी होने लगे। शासकों और चर्च का लोगों पर नियंत्रण धीरे-धीरे कम होने लगा और लोग स्वतंत्रता का आनंद उठाने लगे। यूरोपीय देशों और चीन, अरब, भारत और मिश्र के बीच दूरस्थ व्यापार फिर से आरंभ होने लगे।

यूरोपीय देशों में इटली प्रथम था जिसे शहरीकरण और व्यापार से लाभ हुआ था। कई नए शहरों व नगरों का उदय हुआ जहाँ व्यापारी और शिल्पकार रहते थे। इनमें से कई नगर राजनैतिक रूप से स्वतंत्र

थे और नगरपालिकाओं द्वारा शासित थे। इनमें से दो - फ्लोरेंस और विनस गणराज्य (रिपब्लिक) थे तथा कई अन्य नगर पर राजकुमारों का शासन था।

वेनिस इटली के शानदार शहरों में से एक था और दूसरा था जिनेवा। ये यूरोप के दूसरे भागों से भिन्न थे क्योंकि चर्च और शक्तिशाली सामंतवादी शासक यहाँ राजनैतिक रूप से प्रभावशाली नहीं थे। धनी व्यापारियों और महाजनों ने भी शहर का शासन चलाने में सक्रिय रूप से भाग लिया और इससे नागरिकता की भावना का निर्माण हुआ। लोगों को इस प्रकार के शहर के नागरिक होने में गर्व महसूस हुआ।

बड़ी संख्या में विद्वान, कलाकार और शिल्पकार इन नये उभरते नगरों से रोजगार और संरक्षण की खोज में आये। इन शहरों के नये अमीर लोग कला और निर्माण के संरक्षक के रूप में नाम कमाना चाहते थे। एक बात यह भी थी कि, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण संरक्षक चर्च के शक्तिशाली सदस्य जैसे- पोप, कार्डिनल और बिशप थे।

व्यापारी, शिल्पकारों, विद्वानों और कलाकारों ने दूर-दूर तक यात्रा की ओर उनमें से कई दूरस्थ स्थानों जैसे मिश्र, तुर्क और पर्शिया में रहे। उन्होंने वस्तुओं और विचारों का आदान-प्रदान किया और वहाँ की संस्कृति से बहुत कुछ सीखा। इस प्रकार, सभी देशों में नये विचार लाने में सफल हुए।

- आपके विचार में व्यापारी शहरों के विकास में किस प्रकार सहायक हुए?
- क्या आपके विचार में गाँवों की अपेक्षा शहरों में अधिक, जानकारी प्राप्त करने और नये प्रयत्न करने की संभावना अधिक है?
- क्या आपने दूरस्थ प्रदेश के लोगों को अपने आस-पास के स्थानों में रहते देखा है? वे किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान विचारों को पहुँचाने में सहायक होते है? चर्चा करते हुए उदाहरण दीजिए।

मानवतावाद

1300 के आस-पास या उससे भी पहले यूरोप के विद्वानों में प्राचीन लैटिन और यूनानी साहित्य पढ़ने के लिए एक नया आंदोलन आरंभ हो गया था। ये विज्ञान, व्यापार, नगरीकरण और नये राज्यों के उद्भव व रोजगार के लिए नये अवसरों के कारण उत्पन्न नयी चुनौतियों से प्रेरित थे। इन्होंने प्राचीन लैटिन साहित्य का अध्ययन किया और अनुभव किया कि इससे लोगो को सही और प्रभावपूर्ण भाषा का उपयोग करने और व्यवस्थित ढंग से सोचने में मदद मिलेगी। यूनानी या रोमन साहित्य तथा कला से संबंधित किताबों, मुख्य रूप से व्याकरण, तार्किक, काव्य, दर्शन और इतिहास से संबंधित किताबों का अध्ययन 'मानवतावाद' या 'मानवदावादी अध्ययन' कहलाता था। पैट्रार्च को इटली का आरंभिक मानवतावादी माना जाता है। वह अपने देश के लोगों की त्रुटिपूर्ण भाषा से असंतुष्ट था और उसने लिखने के सही ढंग का पता लगाने के लिए रोमन साहित्य तथा कला से संबंधित प्राचीन किताबों का अध्ययन आरंभ कर दिया। धीरे-धीरे उसे विश्वास होने लगा कि ये पुस्तकें केवल भाषा के सही उपयोग को जानने के लिए ही नहीं बल्कि संसार को समझने व सोचने के लिए, मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। 1453 CE में ओटोमन सुल्तान मेहमद II ने कॉसटेंटीनोपल शहर पर विजय प्राप्त की। इस शहर में बड़ी संख्या में प्राचीन ग्रीक पुस्तकें और उनका अध्ययन करने वाले विद्वान मौजुद थे। तुर्कों ने उनका अनुवाद अरबी और तुर्की भाषा में करवाया। इनमें से कई लोग पुस्तकों के साथ इटली चले गये।

SCERT TELANGANA

प्लूटो, अरस्तू, आदि की प्राचीन ग्रीक पुस्तकों का अध्ययन अब मानवतावादी अध्ययन का महत्पूर्ण अंग बन गया है।

मानवतावादी समझ गये थे कि इस प्रकार का अध्ययन युवाओं को वैचारिक क्षमता और अनुवाद पत्र लेखन, भाषण तैयार करना, न्यायालय में केस की सुनवायी, व्यापार में सौदा करने, कूटनीति जैसे व्यावहारिक कौशलों दोनों में सक्षम बनाता है। शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मुद्रण की नयी तकनीकी का प्रकाशन एवं प्राचीन पुस्तकों की उपलब्ध करवाया। गौर करने वाली बात यह है कि मानवतावादियों ने प्राचीन शास्त्रीय भाषा जैसे ग्रीक या लैटिन में लेखन को बढ़ावा न देकर इटली, अंग्रेजी और फ्लेमीश आदि आम लोगों दूवारा बोली जाने वाली भाषा में ही लिखा। मानवतावादी अध्ययन प्राचीन काल के अध्ययन से किस प्रकार भिन्न था। प्राचीन काल मे अध्यापन अधिकतर धार्मिक बातों पर महत्व देता था और विदूवान चर्च के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त करने से डरते थे। अब अध्यापन मानव से संबंधित बातों, उनके जीवन और प्रेम, उनके विचारों, उनकी राजनैतिक प्रणाली और आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालता है। प्राथः विद्वान, यहाँ तक कि वे विद्वान भी जो चर्च पर निर्भर थे, चर्च के विरुद्ध लिखने लगे। उदाहरण के लिए वेल्ला नामक एक लैटिन विद्वान ने चर्च के कुछ दस्तावेजों को पढ़ा जो कॉंस्टेटाइन के शासक दूवारा कुछ शक्तियाँ प्रदान करने का दावा करते थे। उसने यह साबित कर दिया कि चर्च ने अपना स्तर बढ़ाने के लिए जालसाज़ी की है। नैदरलैण्ड के एक मानवतावादी इरासमस ने मूल ग्रीक भाषा की बाईबल के नयी घोषणा जैसे प्राचीन ग्रीक इकाईयों के लेखों का अध्ययन किया और चर्च दूवारा बाईबल के अनुवाद में की गयी त्रुटियों की ओर संकेत किया। उसने चर्च की कुछ मान्यताओं की आलोचना की तथा कहा कि ये अंधविश्वासों पर आधारित हैं।

एक अन्य विदूवान मैचिवेली, जिसकी पुस्तक ‘द प्रिंस’ (1513CE) ने उस समय की यथार्थ राजनीति का अध्ययन किया और आचार या नैतिकता से बिना किस प्रकार संपूर्ण शक्ति प्राप्त की जाय इसकी सलाह शासकों को दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा और विचारों को अधिक प्रभावशील और सुसंस्कृत बनाने के लिए प्राचीन साहित्य के अध्ययन के साथ मानवतावाद का आरंभ हुआ लेकिन धीरे-धीरे यह मानव के वास्तविक संसार के अध्ययन की ओर मुड़ गया और चर्च का विरोध करने लगा। इसका अंतिम प्रभाव न केवल उदारवादी शिक्षा को बढ़ावा देना था बल्कि विदूवानों और बुद्धिजीवियों को स्वायत्तता भी प्रदान करना था।

- मानवतावादी कौन थे और वे क्या सीखाते थे?

कलाकार और वास्तविकतावाद

मानवतावाद का प्रभाव कला और स्थापत्य पर भी पड़ा। दृश्य कलाओं और चित्रकला और शिल्पकला के क्षेत्र में कलाकारों ने प्राचीन ग्रीक और रोमन कला और स्थापत्य का अध्ययन किया और उनसे प्रेरणा प्राप्त की। उन्होंने कई शताब्दियों पूर्व पुरुषो और महिलाओ के ‘एकदम सही’ आकार वाली मूर्तियों की प्रशंसा की। इटली के मूर्तिकार इस परंपरा को चालू रखना चाहते थे। उन्होंने ईरानी और चीनी कला और शैली का भी अध्ययन किया। वे उनके दूवारा उपयोग में लाये गये रंगों की शोभा से अत्यंत प्रभावित हुए और वे उस रंग बनाने के सामान का आयात करने के लिए आतुर थे। उन्हें अपने आसपास की प्रकृति, लोगों और स्थानों का अवलोकन करने और उसे यथार्थ रूप में अपनी चित्रकारी और मूर्तिकला में दर्शाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके लिए उन्होंने वैज्ञानिकों के कार्यों की सहायता ली। हड्डियों की संरचना का अध्ययन करने के लिए कलाकार चिकित्सा विद्यालय की प्रयोगशाला गये।

पडुआ विश्वविद्यालय में चिकित्सा का एक बेल्जियम प्रोफेसर, एंड्रिस वैसिलियस (1514-64) मानव शरीर की चीर फाड़ करने वाला प्रथम व्यक्ति था। यह आधुनिक शरीर विज्ञान का आरंभिक काल था। लियोनार्डो दा विंस जैसे कई कलाकारों ने मानव शरीर रचनाशास्त्र का अध्ययन किया ताकि वे चित्रों और मूर्तियों को वास्तविक रूप दे सकें।

"कला" तो प्रकृति के अंदर छुपी है, जो इसे बाहर निकाल सकता है, उसी के पास यह होती है.............आपकी कला का रूप जीवन से जितनी अच्छी तरह से जुड़ा होगा, उतनी ही बेहतर यह दिखाई देगा। कोई भी मनुष्य केवल अपनी कल्पना से सुंदर चित्र नहीं बना सकता, जब तक वह जीवन में उसका प्रतिरूप ग्रहण करके उसे अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह से बैठा नहीं लेता **--अल्ब्रेक्ट ड्यूरर** (1471-1528)

ड्यूरेर द्वारा बनाया गया यह चित्र (जुडे हुए हाथ) हमें सोलहवीं शताब्दी का ज्ञान कराता हैं। वे लोग पक्के धार्मिक थे, पर साथ ही उनमें मनुष्य की योग्यता पर विश्वास था कि वह पूर्णता को प्राप्त कर सकता है और संसार और ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल सकता है।

चित्रकारों को यह समझ में आया कि रेखागणित के ज्ञान से परिप्रेक्ष्य को समझने में उन्हें सहायता मिलती है। उन्हें यह भी समझ में आ गया कि प्रकाश के परिवर्तन की प्रकृति को समझ कर, उनके चित्रों ने त्रि-आयामी रूप प्राप्त किया है।

चित्रकारी के लिए ऑयल पेंट के उपयोग ने चित्रकारी में रंगों को शोभा प्रदान की। कई चित्रों में वेशभूषा के रंग और ड़िजाइन में चीन और ईरानी कला के प्रभाव के प्रमाण दिखायी पड़े हैं। इस प्रकार नये विषय जैसे शरीर विज्ञान, रेखागणित, भौतिक शास्त्र साथ ही सुंदरता को पहचानने का ज्ञान आदि की सहायता से 'वास्तविकता वाद' नामक एक नये प्रकार की इटालियन कला का विकास हुआ। वास्तविकतावाद उन्नीसवीं शताब्दी तक चलता रहा।

चित्र. *12. 1: माइकिल एंजिलों द्वारा बनाई गई मूर्ति द पीटा मे मेरी द्वारा ईसा के शरीर को अपने गोद में लिया हुआ दर्शाता*

इस प्रकार पुनर्जागरण कला सामंतवादी समय में चर्च के द्वारा प्रचारित धार्मिक कला से अत्यधिक भिन्न थी। धार्मिक कला धार्मिक विषयों पर बल देती

परिप्रेक्ष्य : एक चित्र पर विभिन्न वस्तुओं को प्रदर्शित करने का तरीका जिससे व्यक्ति चित्र की गहराई को महसूस कर सके। ऐसा आगे की वस्तुओं को बड़ा और पीछे की वस्तुओं को छोटा दर्शा कर किया जाता है।

लियोनार्डो दि विन्सी (1452-1519) की वनस्पति शास्त्र और शरीर विज्ञानसे लेकर गणित और कला सभी में बहुमुखी रूचियाँ थी। उसने मोनालिसा और द लास्टसपर की चित्रकारी। उसका सपना था कि वह पक्षियों की तरह उड़ सके। उसने अपने जीवन के अनेक वर्ष उड़ते हुए पक्षियों का निरीक्षण करने में बिताए और एक उड़ने वाली मशीन का नमूना तैयार किया। वह अपने हस्ताक्षर 'लियोनार्डो द विंसी, प्रयोग का शिष्य' के नाम से करता था।

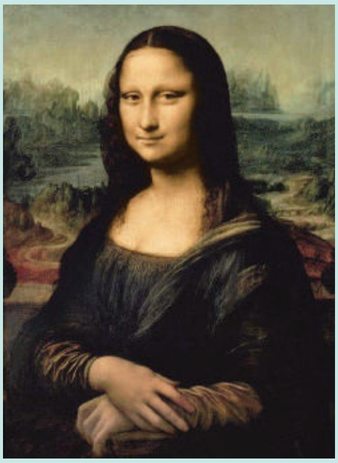

मोनालिसा

थी और अपने कुछ आदर्शों के अनुसार लोगों और वस्तुओं को चित्रित करता था। कला को आसपास की वास्तविकता की अपेक्षा काल्पनिकता को प्रदर्शित करना पड़ता था। प्रदर्शित करना पड़ता था। अब पुनर्जागरण के कलाकारों ने अपने आसपास के विषयों, ग्रीक और रोमन साहित्य से, अनुभवों का प्रदर्शन, मानव के अधिकार और बल को चित्रित करना आरंभ किया। अचरज की बात यह थी कि चर्च ने भी इस नयी कला को प्रोत्साहित किया। पोंप और चर्च के दूसरे अधिकारियों ने अपने लिए चित्र बनवाने के लिए चर्च का नक्शा और विशाल विद्यालय बनवाने के लिए माइकेल एंजिलो और रफेल जैसे महान कलाकारों को बुलवाया। कलाकारों ने पोप और बिशप के लिए चर्च और स्मारक भी बनाये और मख्य गिरजाघर और चर्चों का नमूना भी तैयार किया तथा उनकी दीवारों को चित्रकारी से भर दिया जो आज उत्तम चित्रकारी में से एक मानी जाती है।

लेकिन पुनर्जागरण काल के कलाकारों ने गरीबों के जीवन और उनके दुःखों के प्रति कम रूचि दिखायी। दूसरी ओर वे अमीर, शक्तिशाली और सफल लोगों की अपनी कला दुवारा दर्शाने में रुचि रखते थे।

- कलाकारों के लिए वस्तु को उसी प्रकार चित्रित करना आवश्यक है, जैसी वे हैं। अर्थात असलियत में कारण बताइए।

  क्या आपने किसी प्रसिद्ध कलाकार की चित्रकारी देखी है? यदि हाँ, तो इसके बारे में अपने सहपाठियों से बातचीत कीजिए। वास्तविकता क्या थी? इससे आपके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ा?
- आप ऐसा क्यों सोचते है कि पोप और पादरियों ने नई कला को प्रोत्साहित किया?

वास्तुकला

हमने पहले पढ़ा है कि यूरोप की समृद्ध संस्कृति और कला सामंतवाद के विकास के साथ धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही थी। लेकिन पंद्रहवीं शताब्दी में रोम शहर को एक शानदार नवजीवन मिला। पोप ने रोम के इतिहास का अध्ययन करने के लिए लोगों को सक्रिय प्रोत्साहन दिया गया। भवन निर्माताओं ने पुरानी रोमन इमारतों के खंडहरों का अध्यनन किया ताकि प्राचीन रोमन शैली को पुनर्जीवित कर सके। प्राचीन रोमन वास्तुकला मे भवनों मे ऊँचे स्तंभों, मेहराबों और गुंबदों का उपयोग होता था। इससे वास्तुकला में एक नयी शैली का पुनर्जन्म हुआ। पोप, धनी व्यापारियों और शिष्टजनों ने ऐसे शिल्पकारों को जो शास्त्रीय वास्तुकला (classical architecture) से परिचित थे, नियुक्त किया। कलाकारों और शिल्पकारों को इमारतों को चित्रकारी, शिल्प और नक्काशी से सजाने के लिए भी कहा गया। एक और स्मरणीय परिवर्तन यह आया कि कलाकारों को उनके व्यक्तिगत नामों से जाना जाने लगा न कि किसी समूह या समाज के सदस्यों के रूप में, जैसा कि पहले होता था।

कुछ व्यक्ति वास्तुकला, चित्रकाल और शिल्पकला में समान रूप से निपुण थे। सबसे प्रभावशाली उदाहरण माइकल एंजिलों (1475-1564) है। उसकी सबसे प्रशंसनीय कृति पोप के लिए सिस्टीन चैपल

चित्र. 12.2: रोम का सेंटपीटर स्क्येर और सभागृह । इस चर्च और उसके सामने के दरबार हाल का नमूने को कलाकारों ने तैयार किया जिनमें माइकल अंजोलो और बर्नीनी शामिल है । इसमें प्राचीन रोम के कई वास्तुकला संबंधित विचारों का उपयोग हुआ है।

(sistinechapel) की छत पर बनायी गयी चित्रकारी और 'द पीटा' नाम की मूर्ति तथा सेंट पीटर्स चर्च का गुम्बद इसकी अमर कृतियाँ हैं। ये सभी रोम में हैं।

- सोलहवीं शताब्दी के इटली के कलाकारों की कला में व्याप्त विभिन्न वैज्ञानिक तथ्यों का वर्णन करो।
- अपनी चित्रकारी और मूर्तिकला में वास्तविकता लाने के लिए कलाकार क्या प्रयत्न करते थे?

छापाखाना

यदि दूसरे देश के लोग महान कलाकारों की चित्रकारी, मूर्तियाँ या भवनों को देखना चाहते थे तो उन्हें इटली की यात्रा करनी पड़ती थी। पर जहाँ तक लिखित कार्य का प्रश्न है, इटली में जो कुछ भी इटली में लिखा गया वह दूसरे देशों में पहुँचा। सोलहवीं शताब्दी की महानतम क्रांति - छपाई की तकनीक में प्रवीणता के कारण हुई।

जोहेन्सवर्ग गुटनवर्ग

पहले लेख और पुस्तकें केवल कुछ हस्तलिखित प्रतियों के रूप में ही पायी जाती थीं। सर्वप्रथम चीन के लोगों ने कागज बनाने और ठप्पे से छापने की तकनीक को विकसित किया। 1455 में, जर्मनी के जोहेन्स गुटन बर्ग (1400-1458) ने चलायमान छापाखाना बनाया। जितने समय में केवल एक प्रतिलिपि लिखी जा सकती थी उतने समय में उसने बाईबल की १५० प्रतियाँ छापी। इन नई तकनीक ने बुद्धिजीवियों के संसार को परिवर्तित कर दिया। छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने के कारण उन्हें खीरदना संभव हो गया। छात्रों को शिक्षकों के व्याख्यापनों पर ही निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रही। पहले से अधिक तेजी से विचार, आशय और सूचनाएँ पहुँचने लगी। नये विचारों का प्रवर्तन करने वाली पुस्तकें शीघ्रता से सैकड़ों पाठकों के पास पहुँच गयी। अपने लिए स्वयं की पुस्तक खरीदना संभव होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति के लिए पुस्तके पढ़ना संभव हो गया। इससे लोगों में पढ़ने की आदत का

- लगभग इस समय तक भारत में छापाखाना नही था। कल्पना कीजिए कि कृष्णदेव राय ने एक पुस्तक लिखी। आपके विचार से यह भारत के विभिन्न भागों के विद्वानों तक किस रुप में पहुँची होगी ?
- आपके अनुसार छापने की तकनीक और छापेखाने के निर्माण की राजाओं और पुजारियों पर क्या प्रतिक्रिया हुई होगी ? क्या उन्होंने इसका स्वागत किया होगा या वे इसको लेकर चिंतित हो गये ?

SCERT TELANGANA

- पुनर्जागरण को एक नया युग माना गया, क्योंकि लोगों से लगा कि सुख-सुविधाएँ जमा करना और आनंद उठाना तो कोई अनुचित नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए कुछ करना उचित है। यह धार्मिक शिक्षाओं के विरुद्ध था। जिसमें यह बताया जाता था कि मनुष्य को निस्वार्थी होना चाहिए और धन तथा सुविधाओं से दूर रहना चाहिए।

विकास हुआ। छपी हुई पुस्तकों के कारण इटली की मानवतावादी संस्कृति पंद्रहवीं शती के अंत तक उत्तरी और पश्चिमी यूरोप में फैल गयी।

स्त्रियों की लालसा

वैयक्तिकता और नागरिकता के नये आदर्श स्त्रियों से अछूते रहे। सार्वजनिक जीवन पर शिष्ट परिवारों के पुरुषों का ही अधिकार था अपने परिवार में वे निर्णायक थे । वे अपने लड़कों को इसलिए पढाते थे ताकि आगे चलकर परिवार के व्यापार या सार्वजनिक जीवन में उनका स्थान लेंगे । कभी-कभी वे अपने छोटे बेटों को चर्च भेज देते थे। यद्यपि स्त्रियों को दहेज मे मिला रुपया घर के व्यापार में लगाया जाता था लेकिन स्त्रियों को पति के व्यापार में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। अक्सर शादियाँ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ही की जाती थी । यदि कन्याओं के लिए पर्याप्त दहेज की व्यवस्था न हो पाये तो उन्हें धार्मिक संस्था भेज दिया जाता था ताकि वे वहाँ नन (तपस्विनी) के समान जीवन जी सकें । स्पष्ट है कि स्त्रियों की सार्वजनिक भूमिका सीमित थी। उनका कार्य घर की देखभाल करना ही था।

इसाबेल्ला द इस्टे

व्यापारियों के परिवार में स्त्रियों का दर्जा कुछ भिन्न था । दुकान चलाने के लिए दुकानदार अक्सर अपनी पत्नियों की सहायता लेते थे । व्यापारियों और महाजनों के परिवार में स्त्रियाँ घर के पुरुषों की अनुपस्थिति में व्यापार का काम संभालती थी । किसी व्यापारी की असामयिक मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी को सार्वजनिक जीवन में भाग लेना पड़ता था, जबकि शिष्ट परिवार में ऐसी प्रथा नही थी ।

कुछ स्त्रियाँ बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक थी और मानवतावादी शिक्षा के महत्व को समझती थीं। विनेटियन लेखिका कसान्द्रा फेडेल (1464-1558) ने लिखा था ''साहित्य का अध्ययन न तो किसी स्त्री को पुरस्कार का आश्वासन देता है और न ही किसी को सम्मान का वचन । फिर भी हर स्त्री को इसे (साहित्य की शिक्षा को) अपनाना होगा ।'' वह उन मुट्ठी भर स्त्रियों में से एक थी जिसने इस बात पर प्रश्न चिह्न लगाया कि स्त्रियों में मानवतावादी विद्वान के गुणों को प्राप्त करने की क्षमता नहीं होती। फेडेल ने ग्रीक और लेटिन भाषा में प्रवीणता प्राप्त की थी और उन्हें पेडुआ विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था ।

फेडेल के लेखों से हमें उस समय की शिक्षा की सामान्य मान्यताओं का पता चलता है। वह वेनेटा की उन अनेक लेखिकाओं में से एक थी, जिन्होंने ऐसे प्रजातंत्र की आलोचना की - जिसमें स्वतंत्रता की परिभाषा बहुत सीमित अर्थ में है जो स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की आकांक्षाओं का पक्ष लेती थी।

दूसरी स्मरणीय महिला मार्चेसा ऑफ मान्टुआ कि इसाबेल्ला डी इस्ते (1474-1539) थी। उसने अपने पति की अनुपस्थिति में एक छोटे राज्य, मांटुआ पर शासन किया था। उसका दरबार बौद्धिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। स्त्रियों द्वारा लिखे गये लेखों से उनके विश्वासों का पता चला कि यदि पुरुष प्रधान जगत में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं तो उनके पास आर्थिक शक्ति, संपत्ति और शिक्षा का होना नितांत आवश्यक है।

- आपके विचार में ग्रीक और रोमन पुस्तकें पढ़ने से उस समय की महिलाओं को किस प्रकार लाभ पहुँचा?

ईसाई धर्म में वाद विवाद (सुधार)

आप पहले पढ चुके हैं कि मध्यकाल में लोगों के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पर कैथोलिक चर्च के प्रभुत्व था। चर्च चाहते थे कि सभी ईसाई उनके सदस्य रहें, उसकी सहायता करें और उसके आदेशों को मानें। यह इस्लाम और हिन्दू जैसे अन्य धर्मों से भिन्न था जहाँ ऐसा कोई औपचारिक संगठन नहीं था। यह विश्वास किया जाता था कि सभी शासक चर्च के अधीन रहें और उसके आदेशों को कार्यान्वित करें। इस प्रकार लोगों को अपने स्वयं के धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता या यहाँ तक कि ईसाई धर्म को अपने तरीके से मानने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। यह आदेश भी दिया गया कि सभी ईसाईयों को सात महत्वपूर्ण धर्मकार्य या परम संस्कार क्रियान्वित करना आवश्यक है और यह केवल चर्च के पादरी के दूवारा ही किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में पादरी की मध्यस्थता के बिना कोई भी धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था।

हाल्विन इरासमस

पंद्रहवीं शताब्दी और सोलहवीं शताब्दी के आरंभ में उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालयों में अनेक विद्वानो और चर्च के सदस्य भी मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित हुए। इरासमस जैसे मानवतावादियों ने ईसाईयों को धर्म का पालन उसी प्रकार करने के लिए कहा जैसे उनके धर्म के प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया था। उन्होंने लोगों को अनावश्यक क्रियाकलापों को रोकने के लिए कहा जो उनकी आलोचना के अनुसार सरल धर्म में बाद में जोड़े गये हैं। मनुष्य के प्रति उनका स्वतंत्र और मौलिक दृष्टिकोण था जो स्वयं सोच विचार कर सकते थे। तत्पश्चात दार्शनिक भी पुनः इसी तथ्य से प्रेरित हुए कि मनुष्य को ईश्वर ने बताया है और साथ ही उस 'यहाँ और अभी' से प्रेरित होकर अपनी इच्छानुसार जीवन जीने की पूर्ण स्वतंत्रता दी है। इंग्लैण्ड के ईसाई मानवतावादी थॉमस मोरे (1478-1535) और हालैंड के इरासमस (1466-1536) ने यह जान लिया था कि चर्च धनलोलुपता का केन्द्र बन चुका है। मानवतावादियों ने स्थानीय भाषाओं में बाईबल का अनुवाद किया और उन्हें बड़ी संख्या में छपवाया ताकि अधिक से अधिक लोग इसे पढ़ सकें और यह जान लें कि चर्च के कई दावे बाईबल पर आधारित नहीं हैं।

मानवतावादियों के दूवारा चर्च की इस आलोचना को सामान्य लोगों और यहाँ तक कि राजा का भी समर्थन प्राप्त हुआ। सामान्य लोग धर्म के नाम पर चर्च की बलपूर्वक वसूली से बोझ का अनुभव कर रहे थे। अधिकतर देशों में, लोगों को अपनी आय का दसवाँ भाग टीथ (tithe) या योगदान के रूप में चर्च को देना पड़ता था। साथ ही विभिन्न देशों के राजाओं को धन की बड़ी राशि पोप को भेजनी पड़ती थी।

SCERT TELANGANA

पादरियों ने लोगों से 'क्षमापत्रों' को बेचकर धन प्राप्त करने का नया तरीका निकाल लिया था। क्षमापत्र वे दस्तावेज है जो खरीददार को उसके दूवारा किये गये पापों के बोझ से मुक्त करता है।

आरंभिक कालों में भी चर्च के अधिकारियों और उनसे घनिष्ट संबंध रखने वाले सामंतवादी शासकों के विरुद्ध कई विद्रोह किये गये। उन्होंने पूजा के सरल तरीके और पादरियों और सामंतवादी शासकों को हटाने की माँग की। ये आंदोलन तो समाप्त हो गये, लेकिन उनका प्रभाव लोगों पर बना रहा।

शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करने वाले नये राजाओं ने भी बिशप के राजनैतिक हस्तक्षेप और पोप के नियंत्रण पर नाराजगी जतानी आरंभ कर दी।

1517CE में एक युवा जर्मन सन्यासी मार्टिन लूथर (1483-1546 CE) ने कैथलिक चर्च के विरोध में एक अभियान शुरु किया। उसने इस विचार का भी विरोध किया कि चर्च के दूवारा बेचे जाने वाले 'क्षमापत्रों' को खरीदने से मनुष्य पापों से छुटकारा पा सकता है। उसने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि व्यक्ति को ईश्वर से संपर्क स्थापित करने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। उसने अपने अनुयायियों से ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने के लिए कहा। उसने सिखाया कि मनुष्य को पापों से छुटकारा बाहरी पूजा-पाठ से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से आंतरिक शुद्धि के दूवारा मिलता है। उसने यह भी सिखाया कि ईश्वर में विश्वास संसार में सही जीवन व्यतीत करने और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन कर सकता है। छापाखानों के दूवारा वह अधिक लोगों तक पहुँच सका। प्रतिक्रिया में पोप ने 1520 CE में लूथर को चर्च से बाहर निकाल दिया। लेकिन कई जर्मनी के कई राजकुमारों ने लूथर का समर्थन किया और उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

16 वीं और 17 वीं शती - महत्वपूर्ण रचनाएँ / घटनाएँ

थामस मूर के यूरोपिया का प्रकाशन	1516
मार्टिन लूथर ने 95 शोध ग्रंथ लिखे	1517
लूथर ने बाईबिल का जर्मनी में अनुवाद किया	1522
कृषकों का उत्थान	1525
एंड्रियस वेसालियस की शरीर रचना पर पुस्तक	1543
ईग्लेंड में आंग्ल चर्च की स्थापनी जिसके प्रमुख राजा या महारानी होते थे ।	1559
गेरहर मरकेटर ने पृथ्वी का बेलनाकार नक्शा बनाया	1569
पोप ग्रेगरी XIII ने ग्रेगेरियन कलेंडर प्रारंभ किया ।	1582
विलियन ने रक्त परिवहन में हृदय को महत्व बताया ।	1628
पेरिस विज्ञान अकादमी की स्थापनी हुई ।	1673
आईजक न्यूटन ने गणित के सिद्धांत प्रकाशित किय ।	1687

चर्च के विरुद्ध आंदोलन होने के कारण यह प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन कहलाया। जर्मनी और स्वीट्जरलैंड के चर्चों ने पोप और कैथोलिक चर्च के अपने संबंध तोड़ दिये। स्वीट्जरलैण्ड में अल्रिच विंगली (1484-1531 CE) ने और तत्पश्चात जॉन काल्विन ने लूथर के विचारों को लोकप्रिय किया। धर्म सुधारक नगरों में बड़े लोकप्रिय थे। नगरों के व्यापारियों ने भी इनका समर्थन किया।

जर्मनी के अन्य सुधार आंदोलन जैसे अनाबेपटिस्ट और भी महत्वपूर्ण थे। उन्होंने मोक्ष और अन्य सभी सामाजिक उत्पीड़न के अंत दोनों को मिलाया। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने सभी को समान बनाया है। इसीलिए लोगों को कर चुकाना की आवश्यकता नहीं है और अपने पादरी चुनने का अधिकार है। यह बात सामंतवाद से पीड़ित किसानों को जाँच गई। इन्होंने यह भी तर्क रखा कि वयस्क होने पर लोगों को अपनी मर्जी से चर्च में भर्ती होने की स्वतंत्रता हो और बच्चों को उनके माता-पिता

SCERT TELANGANA

के धर्म को मानने के लिए ज़बरदस्ती न की जाय। उन्होंने विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के लिए सहिष्णुता और लोगों को अपने मनपसंद धर्म को चुनने की स्वतंत्रता की माँग की। उस समय के शासक यह सहन नहीं कर सके और उन्होंने बड़ी निर्दयता से अनाबेपटिस्ट का दमन किया। पावन रोमन साम्राज्य के चार्ल्स V ने 30 हजार अनाबेपटिस्ट को जीवित जला दिया।

सुधारकों की सबसे बडी उपलब्धि बाईबल का लोगों की प्रचलित भाषाओं में अनुवाद करवाया। उन्होंने बडी संख्या में बाईबल छपवाई और सभी लोगों के लिए उपलब्ध करवाना था । प्रारंभ में बाईबल केवल लेटिन भाषा मे ही उपलब्ध थी, जिसे सामान्य लोग नहीं समझ सकते थे ।

सुधारवादी विचार जर्मनी, हालैंड, फ्रांस और इंग्लैंड में भी प्रसिद्ध हुआ। इन सभी देशों में विभिन्न आस्था या इसाई धर्म की नयी आस्था के साथ लोग अग्रसर हुए। इस प्रकार कैथलिक चर्च का एकाधिकार एकदम समाप्त हो गया।

कैथोलिक चर्च पर भी इन विचारों का प्रभाव पड़ा। उसने स्वयं को अंदर से सुधारना आरंभ किया। स्पेन और इटली में चर्च के अधिकारियों ने सरल जीवन और गरीबों की सेवा पर बल दिया। स्पेन में इग्नेश्स लोयोला ने कैथोलिकवाद को सुधारने और प्रोटेस्टवाद के विरोध में 1540 CE में एक संस्था 'सोसाइटी ऑफ जीसस' की स्थापना की। इसके अनुयायी जूसेट कहलाते थे, जिनका कार्य गरीबों की सेवा करना और अन्य संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान का विस्तार करना था।

- वे कौन सी बातें थी, जिनके बल पर प्रोटेस्टेंट लोगों ने कैथोलिक चर्च की स्थापना की ?
- क्या आपको भारत के भक्ति आंदोलन और प्रोटेस्टेंट आंदोलन में कोई समानता दिखाई देती है? क्या आपको दोनों मे कोई विभिन्नता दिखाई देती है?
- क्या आपके विचार में धार्मिक विषय वस्तु केवल सामान्य लोगों को समझ में आने वाली भाषा में ही होनी चाहिए? अपना तर्क प्रस्तुत कीजिए।

आधुनिक विज्ञान का प्रारंभ

मध्ययुग में लोगों ने पुरानी पीढ़ी से मिले ज्ञान को बिना कोई प्रश्न किये आदेश के रूप में स्वीकार कर लिया। कई लोग जो संसार में जी रहे हैं उसके बारे में खोजबीन करने में रुचि नहीं रखते थे। कुछ जो रूचि रखते थे उन्होंने जादू और अंधविश्वास के अजीव मिश्रण का उपयोग किया। किंतु रोजन बेकन सत्य का गंभीर खोजी था। उसने धातु और रसायनों से कई प्रयोग किये और शायद उसके पास एक अपरिष्कृत सूक्ष्मदर्शी भी था। उसने उस सिद्धांतों की ओर काम किया जो उस समय हुई खोजों की प्रायोगिक उपयोगिता की ओर संकेत करते थे। जिसमें वाष्पचालित पोत, स्वचलित वाहन और हवाईजहाज शामिल है। बैकन के प्रयत्नों के बावजूद भी वास्तविक वैज्ञानिक प्रवृत्ति पुनर्जागरण के काफी समय बाद भी विकसित नहीं हुई थी।

माईकल एंजिलो के द्वारा बनायी गयी डेविड की मूर्ति इस प्रकार की मूर्ति का नमूना बनाने के लिए मानव शरीर का विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है।

चित्र. 12.3: टेलिस्कोप की सहायता से अपने ब्रह्माण्ड के सिद्धांत की व्याख्या करता गेलिलियों

रोजर बेकन के काफी साल बाद पोलेंड के ज्योतिषी, निकोलस कोपरर्निकस (1473-1543), ने वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया। उसने एक वेधशाला बनायी जहाँ से वह धैर्य के साथ तारों और ग्रहों की गतिविधि का अध्यापन करता था। उसने निष्कर्ष निकाला कि मिश्र के भूगोलशास्त्री टालेमी द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मांड का प्राचीन सिद्धांत गलत है। टालेमी के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का केन्द्र है और तारे, सूर्य और ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। चर्च ने भी टालेमी के दृष्टिकोण को अपनाया क्योंकि उसका विश्वास था कि ब्रह्माण्ड की रचना ईश्वर ने मनुष्य के लिए की है। इसीलिए पृथ्वी ब्रह्माण्ड का केंद्र है। कोपरनिकस का सिद्धांत इस विचार के विरुद्ध था। उसने तर्क रखा कि सूर्य केन्द्र में है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। यह चर्च की शिक्षाओं के विरूद्ध था। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य से उसकी गरिमा छीन ली गयी थी क्योंकि अब वह ब्रह्माण्ड के केन्द्र में नहीं था जो उसके लिए बनाया गया था।

इटली के एक प्रतिभवान वैज्ञानिक गैलिलियो (1562-1642 CE) ने एक दूरदर्शी यंत्र का निर्माण किया, जिससे उसके लिए पचास मील दूर जहाज को इतना स्पष्ट देखना संभव हो गया मानो वह केवल पाँच मील दूर हो। इस यंत्र से खगोलशास्त्र के अध्ययन में भी सहायता मिली। गैलिलियों एक लोकप्रिय प्रतिभावान व्याख्याता तथा लेखक था। कोपर्निकस के सिद्धांतों की चर्चा करते हुए उसने श्रोताओं से कहा कि कैसे उसने स्वयं बृहस्पति के चंद्रमाओं और ग्रहों को अपने अक्ष पर घूमते हुए देखा है। उसे चर्च के दरबार में उपस्थित होने का आदेश मिला जहाँ उसे अपनी सारी शिक्षाओं को वापस लेने के लिए बाध्य किया गया। ऐसा न करने पर उसे लंबे समय तक जेल की यातना सहनी पड़ती थी। यह कहा जाता है कि जब गैलिलियों कोर्ट से बाहर आया तो वह बड़बड़ा रहा था 'लेकिन पृथ्वी तो घूम रही है।' गैलिलियों ने पेंडुलम के कुछ नियम भी खोजे जिनसे अधिक परिशुद्ध घड़ियाँ बनाना संभव हो सके। पीसा की झुकी हुई मीनार (Leaning Tower of Pisa) का प्रयोग करके उसने सिद्ध किया कि भारी और हल्की वस्तुएँ समान गति से पृथ्वी पर गिरती हैं।

- पुनर्जागरण काल के वैज्ञानिक कौन थे, और उनमें से प्रत्येक की विज्ञान को क्या देन है?

समुद्री मार्गो की खोज

इसी काल में यूरोपीय लोगों ने भूगोल के अपने सीमित ज्ञान का विस्तार किया। इसके कई कारण थे। चुंबकीय कम्पास और एस्ट्रोलेब का आविष्कार हो चुका था। ये यंत्र नाविकों को यह बताने में सहायक थे कि वे कहाँ और किस दिशा में जा रहे हैं? समुद्र के अधिक अनुकूल बनाने के लिए जहाजों में सुधार

किया गया। अधिक विचारशील नाविकों को यह संदेह हुआ कि यदि वे समुद्र में अधिक दूरी तक गये तो पृथ्वी के छोर से नीचे गिर जायेंगे। उनके मार्गदर्शख के लिए अच्छे नक्शे भी बनाये गये। 1453 में कांसटैंटीनोपल तुर्कों के हाथ में चला गया और ओटोमन राजाओं ने पश्चिम और पूर्व के बीच व्यापार पर नये कर लगाये। भारत जैसे पूर्वी देशों के पहुँचाने के लिए यूरोपीय व्यापारियों ने नये मार्गों की खोज करनी आरंभ कर दी। इन परिस्थितियों ने नये समुद्री मार्ग की खोज के लिए भूगोल के प्रति रुचि, उत्सुकता को भी उत्तेजित किया।

स्पेन और पुर्तगाल के कुशल नाविकों ने भौगोलिक खोजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुर्तगाल के एक नाविक हेनरी ने अफ्रीका के पश्चिमी तट तक एक समुद्री मार्ग की खोज की। अंत में पुर्तगाल के एक सुयोग्य नाविक बारथो लोम्यू डियाज़, समुद्री यात्रा करता हुआ सुदुर अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु उत्तमासा अंतरीप (Cape of Good Hope) तक पहुँच गया। 1498 ई. में वास्को-डि-गामा अफ्रीका से होता हुआ कालीकट पहुँचा। विशाल अफ्रीकी महाद्वीप के चारों ओर यात्रा करने के पश्चात अंत में भारत पहुँच ही गया।

क्रिस्टोफर कोलम्बस ने पूर्व की ओर नये मार्ग की खोज करने का निश्चय किया। उसका विश्वास था कि एशिया का पूर्वी किनारा अन्ध महासागर (Atlantic) की ओर है, इसीलिए वह अपने तीन जहाजों के साथ निकल पड़ा। एक लंबी खतरनाक समुद्री यात्रा के बाद 12 अक्तूबर 1492 CE को कोलंबस एक द्वीप पर पहुँचा। उसने सोचा कि वह पूर्वी भारत पहुँच गया है इसीलिए उसने वहाँ के निवासियों को भारतीय कहा। इटली के एक नाविक अमेरिगो वेस्पुसी ने कोलंबस का अनुसरण किया। उसने प्रमाणित किया कि कोलंबस के द्वारा खोजा गया स्थान एशिया नहीं बल्कि एक नया महाद्वीप है, जो अमेरिगो के नाम पर अमेरिका पुकारा जाने लगा।

स्पेन के एक नाविक फर्डिनेंड मैगलेन ने स्पेन के राजा चालर्स-I द्वारा दी गयी आर्थिक सहायता से पूरे संसार का चक्कर लगाया। उसने अन्ध महासागर पार किया, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर का चक्कर लगाया और जलडमरूमध्य (Straits) से होता हुआ प्रशांत महासागर पहुँचा और पिलीपिंस द्वीप समूह पर उतर गया। यह यात्रा समुद्री मार्गों की खोज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी।

भारत और पुनर्जागरण

जब पुनर्जागरण, मानवतावाद और सुधार आंदोलन सारे यूरोप में व्यापक रूप से फैले थे, भारत में भी अत्यधिक सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे थे। यह मुगलों, विजयनगर और बहमनी राजाओं के शासन का काल था। जैसे कि विजयनगर की मुगल लघु चित्रकारी और दीवार चित्रकारी में देखा गया है। यह चित्रकारी की शैली के सुधार का काल था। महत्वाकांक्षी जन वस्तुकला के इस काल में, राजाओं ने विशाल मंदिर, मस्जिद, किले और महलों आदि का निर्माण करवाया। विभिन्न स्रोतों से कलाकारों ने कला सीखी। उदाहरण के लिए भारतीय कलाकारों ने अधिकतर चित्रकारी ईरानी

- दिये गये मानचित्र-2 का अध्ययन कीजिए और समुद्री मार्गों के खोजों की सूची बनाइए।

SCERT TELANGANA

Map 1: Geographical explorations.

चित्रकारों से सीखी और पुनर्जागरण के कलाकारों से भी, जिनकी चित्रकारी की प्रतियाँ भारत पहुँची। साथ ही उन्होंने प्राचीन भारतीय चित्रकारों के द्वारा की जाने वाली परंपरागत ताड़ के पत्तों पर चित्रकारी, चमकीलें रंग के उपयोग द्वारा लिखी गयी। पांडुलिपियों का प्रचार भी किया। इसी प्रकार वास्तुकला में हम विजयनगर और मुगल इमारतों दोनों में मिश्रित शैली को देखते हैं। धार्मिक रूप से भी यह कबीर, रैदास, तुकाराम, मीरा आदि महान सुधारकों का समय था। वे न केवल रूढ़िवादी विचारों के विरोध में थे बल्कि भक्ति एवं सेवा द्वारा सीधे ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग बताये। उन्होंने अपने कार्यों को प्रसिद्ध भाषाओं में लिखा। जबकि भारत ने छापे खाने का उपयोग नहीं किया और वैज्ञानिक आन्दोलन नही देखा गया। क्या आप समझते है कि यह अन्तर भारत में भविष्य विकास निर्माण के लिए आवस्यक हैं।

मुख्य शब्द

1. सामंतवाद
2. बंधुआ मजदूर
3. पुनर्जागरण
4. मानवतावाद
5. वास्तविकतावाद
6. धर्म सुधार
7. प्रोटेस्टैण्ड

शिक्षा में सुधार

1. नीचे दी गई सूची के अनुसार पुनर्जागरण के समय हुए परिवर्तनों के लिए एक वाक्य या वाक्यांश लिखिए। (AS_1)
   a. मानवतावादी ____________ से____________ तक
   b. पुस्तकें ______________ से____________ तक
   c. चित्रकला_____________ से________________ तक
   d. मनुष्य _____________ से _________________ तक
   e. महिलाएँ _______________ से_____________ तक
2. बाईबल के छपने से परमेश्वर और चर्च संबंधी विचार किस प्रकार प्रभावित हुए? (AS_1)
3. रोमन और यूनानी संस्कृति के किन तथ्यों का चौंदहवीं और पंद्रहवी शताब्दी में पुनरूत्थान किया गया? (AS_1)
4. इटली के शहर मानवतावाद का अनुभव करने वाले प्रथम शहर क्यों माने जाते हैं? (AS_1)
5. मानवतावादी विचारधारा की क्या विशेषताएँ थीं? (AS_1)
6. 'मुद्रित पुस्तकें हमारे जीवन पर हावी हो रही हैं।' क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण बताइए।(AS_4)
7. सत्रहवी शताब्दी के यूरोपियों को संसार किस प्रकार भिन्न दिखायी देता था? (AS_1)
8. पुनर्जागरण वास्तुकला की अद्भूत विशेषताएँ बताइए और कारण बताइए। (AS_6)
9. पृष्ठ संख्या 157 पर दिये गये मानचित्र-2 का अवलोकन कीजिए और संसार के बाह्य मानचित्र (outline map) पर भौगोलिक खोजें दर्शाइए। (AS_5)

SCERT TELANGANA

10. निम्न लिखित स्तंभ आरेख पुस्तकों के उत्पादन में वृद्धि दर्शाता है। आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं? (AS_3)

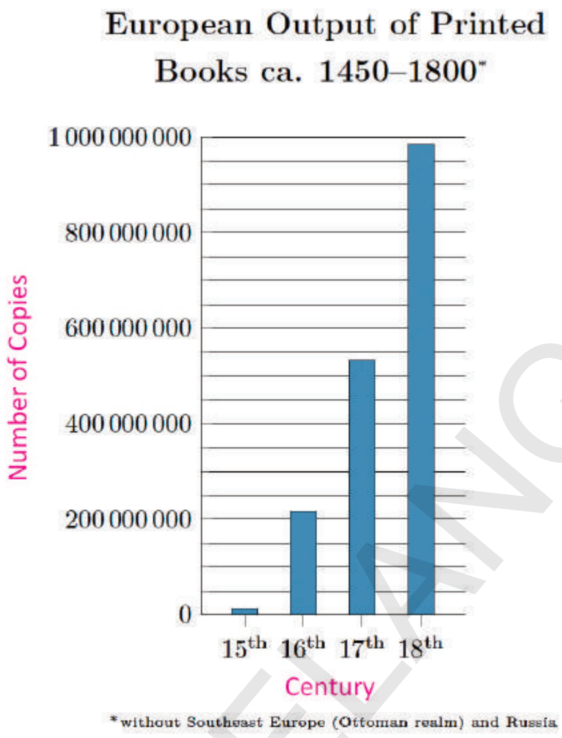

परियोजना कार्य

1. गेलिलियों और पादरी (जो यह नहीं मानता था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर धूम रही है) के बीच वादविवाद पर एक नाटक तैयार कीजिए।
2. छापेखानों में तैयार की गयी वस्तुओं का विभिन्न प्रकार से किस प्रकार उपयोग किस जाता है, इसका अध्ययन कर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाइए।

अध्याय 13

17वीं, 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में प्रजातांत्रिक व राष्ट्रवादी क्रांतियाँ

आज हम प्रजातांत्रिक सरकार के विचार के आदी हो गये हैं, जिसमें सभी व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्राप्त है तथा न्याय के समक्ष सभी समान है। किन्तु, आरंभिक कालों में इस प्रकार का प्रजातंत्र नहीं था। राजाओं और सामंतों के द्वारा देशों पर शासन किया जाता था जो अपनी इच्छा से कानून बनाते थे और समाज उच्च और निम्न वर्ग में बँटा हुआ था, प्रत्येक के अपने अधिकार और दायित्व थे। इन अध्याय में हम पढ़ेंगे की प्रजातांत्रिक राजनैतिक प्रणाली का निर्माण करने और सामाजिक समानता को पाने के लिए किस प्रकार लोगों ने संघर्ष किया।

- यदि हम राजाओं के द्वारा शासित किये जाते तो हमारा जीवन किस प्रकार भिन्न होता?
- यदि सभी लोग कानून के समक्ष एक समान नहीं होते तो क्या होता - और किसी को विशेष अधिकार दिया जाता जैसे अन्य लोगों की हत्या करने का?

17 वीं शताबब्दी के प्रारंभ में यूरोप के अन्य देशों के समान इंग्लैंड टूडर वंश द्वारा शासित था। उस समय रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप होते थे। परन्तु टूडर शासकों ने पोप की सत्ता को स्वीकार करने से मना कर दिया। वे सोचते है कि इंग्लेण्ड़ पोप और रोमन कैथेलिक चर्च से स्वतन्त्र रहे। पोप और रोमन कैथोलिक चर्च से शीघ्र ही संसद और राजा के मध्य मतभेद सामने आने लगे कि राज्य में कौन सर्वोच्च शक्ति रखता है। अब हम यह देखेंगे कि किस प्रकार इस टकराव ने ब्रिटेन में लोकतांत्रिक शासन का मार्ग प्रशस्त किया ।

इंगलैण्ड - गृह युद्ध और यशस्वी क्रांति

टूडर वंश के अंतिम रानी की मृत्योपरांत 1603 में स्टूवर्ड राजवंश के जेम्स प्रथम इंग्लैण्ड़ राजा बना। राजा को नए कर लगाने के लिए या नये कानून बनाने के लिये संसद की अनुमति लेना अनिवार्य था। वह संसद के किये गये प्रश्नों को स्वीकार नहीं करता था। उसका विश्वास था कि राजा को पूर्ण शक्ति ईश्वर द्वारा प्राप्त है तथा राजा दैविय अधिकारों द्वारा शासित है इसलिए राजा संसद द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।

चार्ल्स -I

उसके पश्चात चार्ल्स प्रथम राजपद पर आसीन हुआ जिसने संसद भंग कर दी थी और 11 वर्षों तक संसद के बिना शासन किया । 1640 में युद्ध लड़ने के लिए विशेष अनुदान प्राप्त करने के लिए उसे ससंद को बुलाना पड़ा । यह संसद जो लंबे समय तक 20 वर्ष अर्थात 1640 से 1660 तक सत्र में रही (और जिसे लॉग पार्लियामेंट कहा गया) ने राजा और उसके मंत्रियों की स्वेच्छाचारिता को नियंत्रिण करने का निश्चय किया। दीर्घ संसद

ने चार्ल्स प्रथम के मंत्रियो और अधिकारियों को दंडित किया। इसने राजा द्वारा गठित विशेष न्यायालयों को समाप्त कर दिया। चार्ल्स प्रथम ने संसद के मध्य चल रहे मतभेदों का लाभ उठाया और अपने विरोधियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। संसदीय दल और राजा के दल के समर्थकां के मध्य गृह युद्ध छिड गया, जो जॉ 5 वर्षों तक चला। अंततः चार्ल्स प्रथम पराजित हो गया और 1649 में उसे दंड दिया गया तथा इंग्लैंड में गणतंत्र की स्थापना हुई।

गणतंत्रीय शासन का यह अनुभव अधिक समय तक स्थिर नही रह सका और 1688 में संसद द्वारा ऑरेंज के विलियम तथा उसकी पत्नी मेरि (चार्ल्स प्रथम की पोती) को इंग्लैंड की सत्ता संभालने के लिए आमंत्रित किया गया। नयी व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रियों को संसद के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया और राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। इस प्रकार संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गयी और लोकतंत्र के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया। नये घटनाक्रम के साथ राजा की शक्ति दैवीय अधिकार के स्थान पर संसद द्वारा सुनिश्चित की थी। सर्वोच्च शक्ति संसद को हस्तांतरित कर दी गयी। रक्त की एक भी बूंद बहाये बिना और पिस्तौल की एक भी गोली चलाये बिना परिवर्तन कर दिया गया। यही कारण है कि इस नवीन परिवर्तन को गौरवपूर्ण अथवा रक्त विहीन क्रांति (Bloodless Revolution) के रुप में जाना जाता है।

क्रान्ति के पश्चाद संसद के चुनावों में केवल वही लोग मतदान कर सकते थे जिनके पास भूमि और संपत्ति थी। धीरे-धीरे जनसंख्या के विभिन्न वर्गों तक मताधिकार का विस्तार किया गया और 1928 तक सभी व्यवस्कों को यह अधिकार प्रदान किया गया। इंग्लैंड में इस प्रकार विभिन्न चरणों में संसदात्मक व्यवस्था का विकास हुआ।

अमेरिका की स्वतंत्रता (1774-1789)

1492 CE में कोलम्बस द्वारा अमेरिका की खोज के पश्चात् उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर इंग्लैंड एवं अन्य यूरोपीय देशों ने 18 शताब्दी के मध्य तक अपने उपनिवेश स्थापित कर लिये। तेरह (13) राज्य इंग्लैंड के उपनिवेश बन गये इन पर अधिकतर उन लोगों का राज्य था जो इंग्लैंड से मुक्त होना चाहते थे। वे अमेरिका में बस गये जहाँ उन्होंने कृषि कार्य, लघु उद्योग आरंभ किये। अंग्रेजी संसद ने अमेरिकी उपनिवेशी राज्यों के लिए कानून बना कर उन पर बल प्रयोग किया। परंतु उस राज्य के लोगों ने संसद के लिये मतदान नहीं किया।

1750 तक अमेरीकी उपनिवेशों में छोटे और मध्यम वर्ग के किसान निवास करते थे। जो भूमि के मालिक थे और उस पर खेती भी करते थे। यहाँ पर बड़ी संख्या में शिल्पी और व्यापारी भी थे। किन्तु इन उपनिवेशों में यूरोप और भारत के समान कोई शक्तिशाली जमींदार या राजकुमार नहीं थे। इसीलिए लोगों में एक प्रकार की समानता थी। साथ ही इन उपनिवेशों में एक भी विशिष्ट धर्म नहीं था। हालाँकि अधिकतर लोग ईसाई थे, किंतु वे भिन्न संप्रदाय से संबंधित थे और प्रत्येक संप्रदाय का अपना चर्च था। अर्थात पादरी को यूरोप की तरह अधिकार और सामाजिक पद प्राप्त नहीं था। कई विशिष्ट अमेरीकी लोगों ने सामाजिक समानता से प्रेरित होकर अमेरिका में इसे प्रबल किया। टॉम पैन और थॉमस जेफ्परसन जैसे लोगों ने राजनैतिक समानता और सभी लोगों के विचारों की स्वतंत्रता के प्रचार में सक्रिय रूप से भाग लिया।

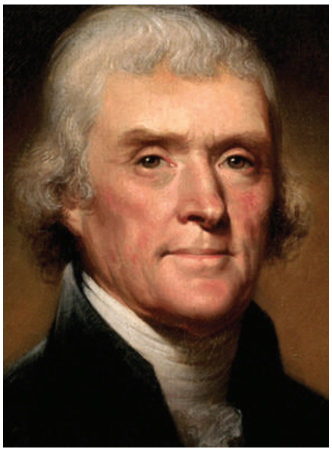

थॉमस जैफर्सन

ब्रिटिश संसद प्रायः अंग्रेज व्यापारियों और फैक्ट्री के पक्ष में कानून पारित करती थी। अमेरिकी उपनिवेशों ने नारा चलाया कि बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नही । 1774, में जियोर्जिया को छोड़ कर सभी उपनिवेशों ने विरोध स्वरुप फिलोडोल्फिया में कांग्रेस की बैठक रखी थी । राजा जोर्ज तृतीय से उन्होंने अनुरोध किया कि उपनिवेशों को उनके अधिकार वापस लौटाये जाये । राजा द्वारा उपनिवेशों का शोषण किये जाने के विरोध के फलस्वरुप ब्रिटेन और अमेरिका के सैनिकों के मध्य सैन्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी ।

द्वितीय कांग्रेस ने भी शांतिपूर्ण ढंग से विवाद को सुलझाने का प्रयास जा किया। उन्होंने राजा से अपील की कि उनकी अनुमति के बिना उपनिवेशों पर कर नहीं लगाये जाये। उन्होंने जार्ज वाशिंगटन को उपनिवेशीय सेना के सेनापति के रूप में नियुक्त किया । राजा ने इसे विद्रोह माना और अप्रैल 1775 में युद्ध की घोषणा कर दी। अंततः अक्तूबर 1781 में फ्रांस से प्राप्त सैन्य सहायता के बल पर अमेरिका वासियों ने युद्ध में विजय प्राप्त की। फ्रान्स ने अमेरिका की सहायता अपने उपनिवेशीय विरोधी इंग्लैण्ड की शत्रुता के कारण की। स्वतंत्रता के लिए युद्ध का अंत 1783 की पैरिस संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुआ। इस संधि में ब्रिटेन ने इन (13) उपनिवेशो की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दी थी ।

अमेरिका की स्वतन्त्रता की घोषणा

फिलेडोल्फिया में तीसरी कांग्रेस ने 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा को स्वीकृति प्रदान की । घोषणा के लेखक थोमस जेफर्सन थे। स्वतंत्रता की उद्घोषणा नें यह घोषित किया गया कि सभी मनुष्य समान है और सृष्टिकर्ता ने जन्म से ही उन्हें कुछ निश्चित अधिकार प्रदान किये हैं जिन्हें छीना नहीं जा सकता। इनमें जीवन, मुक्ति और आनंद के लिए प्रयास सम्मिलित है। 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सरकार ने गणतंत्र संविधान को अंगीकार किया। संयुक्त राज्य अमेरिका पर राजाओं का नहीं बल्कि लोगों के दूवारा चुने गये प्रतिनिधियों का शासन रहेगा।

गणराज्य : जहाँ राज्य का अध्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। सम्राट नही होता।
कांग्रेस : प्रतिनिधियों या समूह के सदस्यों के बीच चर्चा के लिए एक औपचारिक सभा या सभाओं की श्रृँखला।

- अंग्रेजी और अमेरिकी क्रान्ति के परिणामों की तुलना कीजिए ।
- आपको लगता है कि थॉमस जेफरसन दूवारा प्रस्तावित अधिकार वर्तमान पीढ़ी के लिए आवश्यक है? चर्चा कीजिए।

फ्रांस की क्रांति

1774 CE में लूईस XVI ने फ्रांस की राजगद्दी. पर आसीन हुआ था । नये राजा के रुप में राज्यारोहण के साथ उसे ज्ञात हुआ कि कोष खाली है। लंबे समय तक चले युद्ध नें फ्रांस के वित्तीय स्रोतों को बहा दिया था। वर्साइल्स के विशालतम महल के भीतर खर्चीले न्यायालय के रखरखाव ने व्यय भार को और अधिक बढा दिया था।लूईस XVI के शासन काल में फ्रांस ने सामान्य शत्रु ब्रिटेन से तेरह उपनिवेशों को स्वतंत्रता दिलाने में अमेरिका को सहायता प्रदान की थी। युद्ध ने वित्तीय संकट में वृद्धि

SCERT TELANGANA

कर दी थी। सेना का रखरखाव, सरकारी कार्यालयों और विश्वविद्यालयों के संचालन जैसे दिन-प्रतिदिन के खर्चों को पूर्ण करने के लिए राजा को करों में वृद्धि करनी पडी थी । वित्त स्थिति को मजबूत करने के लिए ये माध्यम पर्याप्त नही थे ।

सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियाँ

अठारहवीं शताब्दी में फ्रांस का समाज तीन आर्थिक वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग पादरियों का था। दूसरा सामंत वर्ग और तीसरे वर्ग में व्यापारी, वकील, किसान, श्रमिक और नौकरों आदि समाज के शेष विभाग के सभी लोग सम्मिलित थे।

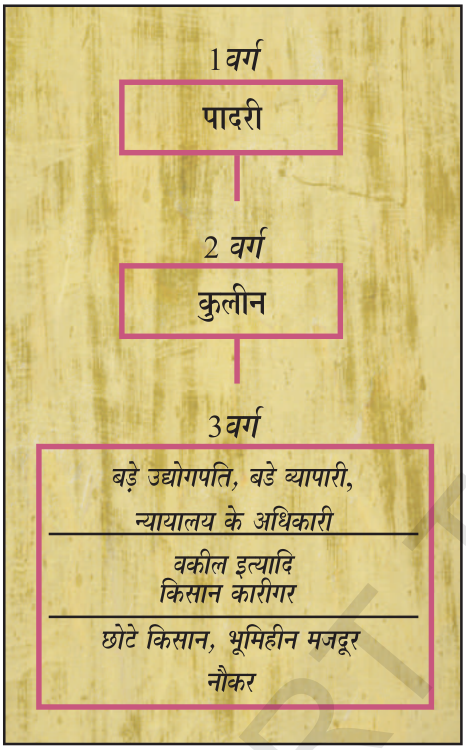

राज्यों की संस्था ध्यान रहे कि तीसरे वर्ग में कुछ अधिक धनी और कुछ बहुत गरीब हैं।

संपूर्ण जनसंख्या के 90 प्रतिशत लोग किसान या जिनमें से बहुत कम के पास खेती लायक भूमि थी। 60 भूमि के मालिक कुलीन जन चर्च और तृतीय वर्ग के धनिक सदस्य थे । प्रथम दो वर्गों के सदस्य पादरी और कुलीन जन्म से विशेष सुविधाओं का लाभ उठाते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राज्यों को कर न देने की छूट थी। संभ्रांत लोग सामंती विशेषाधिकार का लाभ प्राप्त कर रहे थे। इसमें सामन्तीय शुल्क या जिसे वे किसानों से खींचते थे। शुल्क अदा न करने की स्थिति में किसानों से मालिकों के घर में, खेतों में, सेना में और सड़क निर्माण में कार्य लिया जाता था और उन्हें सेवा कार्य के लिए बाध्य किया जाता था ।

चर्च द्वारा भी खेतीहर मजदूर और किसानों से कृषि उत्पादन का दशवांश धर्मशुल्क के रुप में वसूल किया जाता था जिसे थाइथस कहा गया है। तृतीय वर्ग के सभी सदस्यों को राज्य को कर देना अनिवार्य था। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार के कर थे। प्रत्यक्ष कर टैली कहलाये जाते थे और अप्रत्यक्ष कर नमक अथवा तंबाकू आदि प्रतिदिन उपयोग में लायी जाने वाली वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता था। राज्य की वित्तीय गतिविधियों का भार कर के माध्यम से तीसरे वर्ग द्वारा वहन किया जाता था । इसके साथ ही, उन वर्षों में अच्छी फसल न होने की स्थिति में गरीबों की समस्याएँ दुगनी हो जाती थी।

लीवर्स (Livres) - फ्रांस की मुद्रा की इकाई, 1794 में बंद हो गयी।
पादरीवर्ग (Clergy) - चर्च में विशेष कार्य के लिए रखे गये लोगों का समूह।
सामंतवर्ग (Nobility) - कुलीन और दफ्तरशाही वर्ग
थाइथस (Tithes) - चर्च के दुवारा लगाया गया एक कर, जिसमें कृषि उत्पाद का 1/10 भाग सम्मिलित था।
टैली *(Taille)* - राज्य को प्रत्यक्ष रूप से चुकाया जाने वाला कर

SCERT TELANGANA

उभरता मध्यम वर्ग - विशेष सुविधाओं का अंत की संभावना पर विचार

अठारहवीं शताब्दी नये उभरते सामाजिक वर्ग का साक्षी या जिसे सामूहिक रुप से मध्यमवर्ग कहा गया। समुद्र पार व्यापार द्वारा साधनों के विस्तार वस्तुओं के उत्पादन जैसे ऊनी और रेशमी वस्त्रों के निर्माण द्वारा उन्होने संपत्ति अर्जित की। तृतीय आर्थिक वर्ग के व्यापारी और उत्पादको के साथ-साथ अधिवक्ता अथवा प्रशासनिक अधिकारी गण भी सम्मिलित थे। जान लॉक, जीन जेक्यूस और रुसों जैसे दार्शनिकों ने एक समाज की कल्पना की का चित्र खींचा जो स्वतंत्रता समान कानून और सभी के समान अवसर पर आधारित हो। अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नें लॉक ने राजा के दैवीय और असीम अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया। रुसों ने इसी विचार का प्रचार करते हुए ऐसी शासन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जो जनता और उसके प्रतिनिधियों के मध्य सामाजिक समझौते पर आधारित हो। स्पिरिट ऑफ लॉ में माण्टेस्क्यू ने सरकार के भीतर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता की घोषणा के पश्चात यूएसए में इसी पद्धति पर आधारित सरकार का निर्माण किया गया। तेरह उपनिवेषों द्वारा ब्रिटेन से अमेरिका का संविधान तथा इसमें सुनिश्चित व्यक्ति के अधिकार फ्रांस में राजनीतिक चिंतकों के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण रहा।

चित्र 13.1: 5 मई 1789 का वर्सलीज के स्टेट जनरल का प्रारंभ महोत्सव

क्रांति का उद्घोष

5 मई 1789 को लुईस XVI ने नये करां के प्रस्ताव का पारित कराने के लिए एक साथ साधारण समूह की सभा को बुलवाया था। प्रथम और द्वितीय प्रत्येक समूहों द्वारा क्रमशः 300 प्रतिनिधियाँ भेजे गए। जो दोनों ओर एक दूसरे के आमने सामने पंक्तिबद्ध बैठे। तीसरे समूह के 600 सदस्यों को पीछे खड़े रहना पडा था। तीसरे समूह का प्रतिनिधित्व वे लोग कर रहे थे जो अधिक संपन्न और शिक्षित थे। किसान मिस्त्री और महिलाओं को सभा (एसेम्बली) मे आने की अनुमति नही थी। तथापि उनकी समस्याओं, शिकायतो और मांगों को 40,000 पत्रों में सूचीबद्ध किया गया था, जिन्हें प्रतिनिधि अपने साथ ले गये थे।

पूर्व में इस्टेट जनरल में मतदान व्यवस्था का संचालन इस सिद्ांत पर आधारित था कि प्रत्येक समूह इस्टेट को एक मत देने का अधिकार होगा। इस बार भी लुईस XVI इसी पद्धति को जारी

SCERT TELANGANA

रखने के लिए अपने निश्चय पर डटा हुआ था। परन्तु तृतीय समूह के सदस्यों नें मांग रखी कि एसेंबली द्वारा एकीकृत रुप से मतदान कराये जायेंगे, जहँ प्रत्येक सदस्य को एक मत प्राप्त होगा। यह उन लोकतांत्रिक सिद्धांतों में से था जिसका उल्लेख रुसो जैसे दार्शनिक ने अपनी पुस्तक 'द सोशल कॉन्ट्रेक्ट' में किया था। राजा द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार किये जाने पर तृतीय समूह के सदस्य विरोध स्वरुप एसेम्बली से बाहर चले गये ।

टेनिस कोर्ट की प्रतिज्ञा

तृतीय समूह के प्रतिनिधि स्वयं को संपूर्ण फ्रांसिसी राष्ट्र के प्रवक्ता के रुप में देख रहे थे । 20 जून को वे वार्सी के मैदान में स्थित भीतरी टेनिस कोर्ट के हाल में एकत्रित हुए। उन्होंने स्वयं को राष्ट्र सभा घोषित किया और प्रतिज्ञा ली कि वे तब तक अलग नही होंगे जब तक फ्रांस के लिए ऐसे संविधान का प्रारुप तैयार नही कर लेते, जो राजा की शक्तियों को सीमित करता हो ।

चित्र. 13.2: टेनीस कोर्ट शपथ

यह जेकब लुईस डेविड ने बनाया जिसे वहाँ की राष्ट्रीय सभा में लटकाया गया है।

राष्ट्रीय सभा जहाँ वर्साय में संविधान का प्रारुप तैयार करने में जुटी हुई थी वहाँ शेष फ्रांस क्षोभ से उबल रहा था। कड़ी सर्दी का अर्थ था खराब खेती । ब्रेड के दाम बढ गये थे। रोटी सेकने वालो ने स्थिति का लाभ उठाते हुए जमाखोरी करते हुए आपूर्ति रोक दी । बेकरी के समय लंबी पंक्ति में घंटों ठहरे रहने के कारण महिलाओं का सब्र टूट गया । और उन्होंने दुकानों पर धावा बोल दिया । इसी समय राजा ने सैनिक टुकड़ियों को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया । 14 जुलाई को विद्रोही भीड़ ने बेसिल पर धावा बोल दिया और उसे नष्ट कर दिया । जिसे घृणास्पद जेलखाने के रुप में देखा जाता था जो निरंकुश राजतंत्र का प्रतिनिधित्व करता था। उस दिन को फ्रान्स का राष्ट्रीय दिवस माना गया।

विद्रोही प्रजा की शक्ति देखते हुई लुईस XVI ने राष्ट्रीय सभा को मान्यता प्रदान कर दी थी । उसने संविधान द्वारा नियंत्रित शक्ति के सिद्धांत को स्वीकार किया । 4 अगस्त 1789 की रात्रि सभा ने यह पारित आज्ञा पत्र जारी किया कि कर संबंधी सामंति व्यवस्था का अंत किया जाता है। धर्म समुदाय के सदस्यों पर भी दबाव डाला गया कि वे विशेषाधिकार का लाभ नही उठायेंगे । धार्मिक शुल्क थाइथस समाप्त कर दिया गया और चर्च भूमि को नियंत्रण में ले लिया गया ।

फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र

1791 में राष्ट्रीय सभा ने संविधान का प्रारुप तैयार कर लिया था। इसका उद्येश्य राजा की शक्तियों को सीमित करना था। शक्तियों के एक व्यक्ति के हाथ में केन्द्रित करने के स्थान पर उन्हें विभिन्न संस्थाओं के मध्य विभाजित कर दिया गया था। ये संस्थाएँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका थी। इस व्यवस्था ने फ्रांस को संवैधानिक राजतंत्र का स्वरुप प्रदान कर दिया था। लेकिन सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार नहीं था। केवल सक्रीय नागरिक ही मत दे सकते थे। 25 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष जो 3 दिवसीय मजदूरी के बराबर कर देते थे। सक्रीय नागरिक ने उन प्रतिनिधियो के लिए मत दिया जो सभा के सदस्यों का चुनाव करते थे।

सर्वप्रथम मतदाता और उसके पश्चात सभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य यही थी पुरुष करदाता को सर्वोच्च खांचे अथवा श्रेणी मे आता हो। संविधान का प्रारंभ व्यक्ति और नागरिक के अधिकारों की घोषणा से किया गया है। जीवन का अधिकार, भाषण का स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता जैसे अधिकारों को प्राकृतिक और अहरणीय अधिकार के रुप में स्थापित किया गया। इसका तात्पर्य यह था कि ये मनुष्य के जन्मसिद्ध अधिकार है और इन्हें छीना नही जा सकता है। राज्य का दायित्व है कि वह नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे।

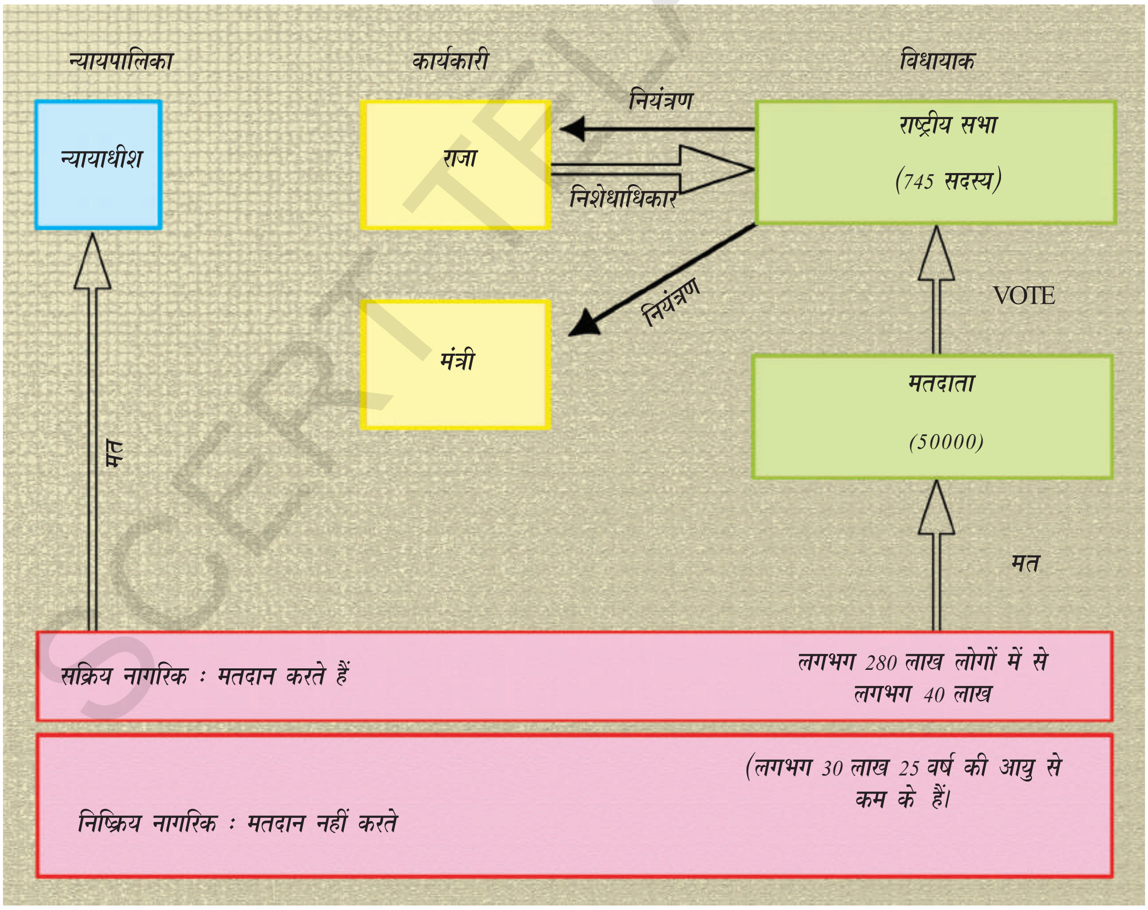

पुरूष और नागरिक के अधिकार संबंधी योजना

1. प्रत्येक व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र है और समान अधिकार रखता है।
2. प्रत्येक राजनीतिक संस्था का लक्ष्य है कि वह व्यक्ति के प्राकृतिक और अहरणीय (जिन्हें छीना नही जा सकता)अधिकारों की रक्षा करें।
3. सम्प्रभुता के सभी स्रोत राष्ट्र मे निहित है। कोई समूह अथवा व्यक्ति ऐसी सत्ता का उपयोग नही कर सकता जो जनता से प्राप्त न हुई हो ।
4. स्वतंत्रता कुछ भी कर सकने की शक्ति से युक्त है इस शर्त पर कि इससे किसी को कष्ट न पहुँचे ।
5. कानून को उन गतिविधियों का निषेध करने का अधिकार है जो समाज के लिए हानिकारक है।
6. कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों कठो इसके निर्माण में व्यक्तिगत रुप से अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है. सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है।
7. किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नही माना जा सकता, बंदी अथवा रोका नही जा सकता जब तक कानून के समक्ष अपराध सिद्ध न हुआ हो ।
8. प्रत्येक नागरिक को बोलने,लिखने और प्रकाशन का अधिकार है। कानून के समक्ष स्वतंत्रताओं का दूरुपयोग को दोषी पयो जाने पर उसे अपने कृत्य का उत्तरदायित्व लेना पडेगा ।
9. जन बल और प्रशासनिक व्यय को पूर्ण करने के लिए सामान्य कर अनिवार्य है। नागरिकों के साधनों के अनुपात में सभी पर समान रुप से मूल्य निर्धारित किया जायेगा ।
10. संपत्ति क्योंकि पवित्र और अनुलंघनीय अधिकार है इससे तब तक किसी को भी वंचित नही किया जा सकता जब तक कानून के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए नियंत्रण में लेना अनिवार्य न हो, ऐसी स्थिति में अग्रिम रुप से हानि की उचित पूर्ति की जानी चाहिए ।

(सूचना : महत्वपूर्ण अधिकारों का उल्लेख किया गया है।)

विद्रोह का क्रम

राष्ट्रीय सभा द्वारा किए गए परिवर्तन से विद्रोहीयों को सन्तोष नहीं था। वे राष्ट्रीय सभा का विरोध करना चाहते थे। लोग राजनैतिक क्लब में एकत्रित होने लगे तथा सरकारी योजनाएँ एवं कार्यो पर अपनी प्रतिक्रिया पर चर्चा करने लगे। इन क्लबों में सबसे सफल था जेकोबिन्स जिसका नाम पेरिस के सेंटजेकोब कान्वेन्ट पर रखा गया था । समाज के कम धनिक वर्ग के लोग जेकोबिन क्लब के सदस्य थे । छोटे दुकानदार, भवन निर्माता, मोची, पेस्ट्री बनाने वाला, घडी साज, छपाई करने वाला, इनके साथ-साथ नौकर, दिहाडी पर काम करने वाले मजदूर भी इसके सदस्य थे ।

1792 के ग्रीष्म काल में जेकोबिन ने बडी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों के लिए बडी संख्या में बीमा योजना बनायी जो महंगी होती खाद्य वस्तुओं और अनावश्यक वस्तु की आपूर्ति घटाने के कारण

SCERT TELANGANA

आक्रोश से भरे हुए थे। 10 अगस्त की सुबह प्रातःउन्होने ट्यूलेरीज के महल पर धावा बोल दिया। राजा के अंग रक्षकों को निर्मम ढंग से कुचल दिया। राजा को कई घंटों तक बंधक बना कर रखा इसके पश्चात परिषद ने शाही परिवार को कारागार में डालने संबंधी प्रस्ताव पर मतदान किया। इसी दौरान चुनाव हुए और उसी समय से संपत्ति की शर्त को हटाते हुए 21 वर्ष और उससे अधिक की आयु के सभी पुरुषों के लिए मताधिकार की घोषणा कर दी गयी। नव निर्वाचित परिषद का नाम कान्वेन्शन रखा गया। 21 सितम्बर 1792 को राजशाही का अंत हो गया तथा फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। 1793 में लुईस तथा रानी मेरी एन्टोनिटि को देश के साथ विश्वासघात करने के आरोप में न्यायालय (कोर्ट) द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया।

आतंक का शासन

1793 से1794 तक का काल आतंक के शासन का काल माना जाता है। रोबेसपाइटे ने कठोर नियंत्रण और दंड की नीति अपनाई। उन्हें बंदी बना कर कारागार में डाल देता था और क्रांतिकारी ड्रिब्यूनल के माध्यम से उन पर मुकदमा चलाता था। वे संभ्रात एवं कार्यकारी, अन्य राजनैतिक दलों के सदस्य, स्वयं के दल के सदस्यों के लिए भी यही दंड़ निर्धारित था। यदि न्यायालय उन्हें अपराधी मानते तो उन्हें ग्लूयोटीन कहाँ जाता था। रोनेसपाइरे सरकार ने दैनिक वेतन और मूल्य पर अधिकतम कटौती अंकुश सबंधी कानून जारी किया मीट और ब्रेड पर सीमा लगा दी। किसानों पर दबाव डाला गया कि वे सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर अनाज शहरों में ले जाकर बेचें। सर्वाधिक महंगे सफेद आटे के प्रयोग पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों को अनिवार्य रुप से भूसा युक्त ब्रेड का सेवन करना पड़ता था जो कष्टप्रद था। सभी चर्च बंद कर दिये गये। और उनके भवनो को बेरेक्स या कार्यालयों में बदल दिया गया। अंततः जुलाई 1794 मे न्यायालय के समक्ष उसे अपराधी घोषित किया गया। उसे बंदी बना लिया गया तथा दूसरे दिन उसे ग्लूयोटीन यंत्र के पास भेज दिया गया।

चित्र. 13.3: ग्लूयोटीन

महिलाएँ और फ्रांसीसी क्रांति

फ्रांस के समाज में जितने भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आये उनसे जुडी सभी गतिविधियों में महिलाएँ प्रारंभ से ही सक्रीय रुप से भाग लेती आई थी। अपने हितों पर चर्चा करने और आवाज उठाने के उद्देश्य से महिलाओं ने अपना पृथक राजनीतिक क्लब और समाचार पत्र प्रारंभ किया। उनकी प्रमुख मांगों में से एक पुरुषों के समान महिलाओं को राजनीतिक अधिकार था। 1791 के संविधान से महिलाएं निराश थी जिसमें उनकी स्थिति कमतर आंकी गई थी। उन्हें निष्क्रीय नागरिक माना जाता था।

SCERT TELANGANA

फ्रान्स की क्रान्ति की रूपरेखा

घटना	वर्ष
फ्रान्स ने अमेरिकी उपनिवेशों की सहायता ब्रिटेन के विरुद्ध की	1781
एस्टेट्स जनरल की नए करो के लागू के लिए की गई सभा	1789
मानव अधिकारों की घोषणा	1791
आतंक का शासन	1793-94
नेपोलियन का मंत्री रूप में शासन	1799-1805
नेपोलियन एक शासक के रूप में	1806-1815
वियाना कांग्रेस (सम्मेलन)	1815
फ्रांस एक गणतंत्र	1871
जर्मनी का एकीकरण	1871
इटली का एकीकरण	1871

विश्व के कई देशों ने मत देने के अधिकार एवं समान वेतन के लिए महिलाओं द्वारा किया गया विद्रोह लगभग 200 वर्षों तक शताब्दी के अन्त तक मत के अधिकार की माँग अर्न्तराष्ट्रीय मंच तक पहुंच गई। फ्रान्स की महिलाओं की राजनैतिक गतिविधियों ने विश्व की अन्य कई महिलाओं को प्रभावित किया। 1946 में महिलाओं को अन्त में मत देने का अधिकार प्राप्त किया।

SCERT TELANGANA

तानाशाही शासन - नेपोलियन की सत्ता

राष्ट्रीय कान्वेशन ने संविधान के प्रारूप को रूप दिया । जिसने तानाशाही को रास्ता दिया, पाँच सदस्य वाली विधान परिषद् को शासन अधिकार प्राप्त हुये जो आयोग्य, भ्रष्ट और एकता विहिन थे इसने जनता में अपनी लोकप्रियता देश का राजकोष रिक्त हुआ मुद्रा का मूल्य पूर्णतः अवमूल्यित हुआ बेरोजगारी में वृद्धि हुयी जनता विभिन्न राजनीतिक विचारों में भ्रमित हुयी वो ऐसे नेता की तलाश में थी। जो क्रांति की रक्षा व देश का नेतृत्व करे। उनकी आशाएँ नेपोलियन बनापार्ट में नज़र आयी। जो फ्रांस की जीत की श्रृंखला का नेता था। अततः नेपोलियन ने एबीसियस के मदद से सत्ता शक्ति को प्राप्त

किया। उसने सरकार की रचना की और पाँच वर्ष 1799-1804 तक प्रथम कौंसिल शासन किया तत्पश्चात् उसने स्वयं को फ्रांस का शासक घोषित किया व अगले दस वर्ष (1805-1815) तक शासन किया।

फ्रांस क्रांति के कारण जो राजनीतिक व संवैधानिक परिवर्तन आये तथा शासन जो राजतंत्र से फ्रांस जनता तक गया वह दुबारा नेपोलियन के शासन के रूप में तानाशाही में बदल गया। जब नेपोलियन 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। पुनः शासनतंत्र का परिशीलन हुआ इन शासन विधियों के मध्य जनता में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के भाव प्रेरित होते रहे और यह आदर्श फ्रांस के राजनीतिक आंदोलन तथा यूरोपीय देशों को प्रेरणा देते रहे।

चित्र. 13.4: नेपोलियन बोनापार्ट

फ्रांस साम्राज्य ने नेपोलियन के शासन में ऊँचाई को छुआ उसने आस्ट्रीया, प्रशिया को पराजित किया तथा स्पेन व पुर्तगाल पर भी कब्ज़ा किया इन विजयों ने नेपोलियन को एक सम्राट के रूप में 1810 तक स्थापित कर दिया। इंग्लैंड और तुर्की साम्राज्य को छोड़कर लगभग संपूर्ण यूरोप पर नेपोलियन का नियंत्रण स्थापित हुआ। समस्त साम्राज्यवादी शक्तियाँ इंग्लैंड के नेतृत्व में नेपोलियन के विरुद्ध एकत्र हुयी और कई प्रयासों के पश्चात यह मित्र समूह 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को परास्त कर पाये।

उसी वर्ष वियानी कांग्रेस ने यूरोप के राजनीतिक रूप को आस्ट्रीया के प्रधानमंत्री के चेयरमेनशीप में बदल दिया। राजतंत्र कई राज्यों में पुनःस्थापित हुआ। लुईस (18) XVIII फ्रांस के राजा बने उसके बाद चार्ल्स X ने कुलीन व विशिष्ट वर्ग को विशेष अधिकार प्रदान किये उसने प्रेस की स्वतंत्रता और जनता साधारण सभा की स्वतंत्रता और अधिकार छीन लिये जिसने 1830 के विद्रोह को हवा दी तथा लुईस फिलिप जो चार्ल्स X का करीबी रश्तेदार था उसे राजा घोषित किया गया पर वह जनूमत के अनुसार परिवर्तन लाने में असफल रहा षडयंत्रकारियों के वश में वह जनता का साथ न दे पाया और विरोध हिंसात्मक बन गया।1848 में हुये विद्रोह के कारण लुईस फिलिप फ्रांस चले गये और विद्रोहियों ने दुबारा फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा की। परंतु 1848 में पुनः नेपोलियन III ने राजतंत्र की स्थापना की। अंततः 1871 में लियोन गम्बाटे के नेतृत्व में फ्रांस ने तीसरी बार पुनः गणतंत्र का रूप पाया ।

Map 1: Europe after the Congress of Vianna - 1815.

जर्मनी का एकीकरण

19 वीं शताब्दी तक जर्मनी कई छोटे 2 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था जो कभी पवित्र रोमन साम्राज्य का अंग था। 1606 में नेपोलियन बोनापार्ट ने 39 राज्यों को मिलाकर रिआन संघ का निर्माम किया तथा पहली बार इतने राज्य एक सिंहासन के अंतर्गत आये जिससे राष्ट्रवादी विचारों ने जर्मन में विस्तार पाया। उदारवादीयों, व्यापारियों तथा राष्ट्रवादियों ने एक राष्ट्रीयता को जाना उन्होंने एक देश का स्वप्न देखा परंतु वियाना कांग्रेस तथा नेपोलियन के पतन के पश्चात् यह राज्य पुनः विघटित हो गये परंतु व्यापारी संघ जो लो विरियन ने ऐसे व्यापारिक नियम बनाये जिसने जर्मन में एकता की भावना बढ़ाई। इन आर्थिक संगठनों ने राजनीतिक एकता व जर्मनी एकीकरण के लिये प्रथम सोपान का कार्य किया।

- आपके विचार में क्या नेपोलियन की विजयों ने इन राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में सहयोग दिया?

SCERT TELANGANA

प्रशिया जर्मन साम्राज्य का बडा हिस्सा था। उस समय राजा विलियम प्रथम तथा कुलपति बिस्मार्क ने मिलकर जर्मन के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी विस्मार्क लोहा और रक्त की नीति को मानता था। उसने अनिवार्य सैनिक शिक्षा को लागू किया। तीन युद्धों में विषय के उपरांत आस्ट्रीया अकेला पड गया। फ्रांस तथा हालैंड ने मिलकर उसे परास्त किया।

चित्र. 13.5: बिस्मार्क

डेनमार्क के साथ युद्ध

बिस्मार्क ने डेनमार्क से युद्ध का प्रथम अवसर तब पाया जब उसने हाल्स्टिन और शोल्मविंग के रूप में प्रशियन जनता में राष्ट्रवाद को विकसित किया जर्मन जनता इन पूर्वी राज्यों को अपने देश में शामिल करना चाहती थी। फिर भी वे राज्य 400 साल तक अपनी स्वतंत्रता कायम रखने में सक्षम रहे ।

बिस्मार्क ने आस्ट्रीया व प्रशिया के सहयोग से डेनमार्क को पराजित किया तथा अगस्त 1865 में आस्ट्रीया पर अधिकार हाल्स्टिन को व प्रशिया पर अधिकार शेल्जविग को दिया गया ।

आस्ट्रीया प्रशिया युद्ध

बिस्मार्क ने अब कुशलता पूर्वक आस्ट्रीया व प्रशिया के मध्य युद्ध के लिये कार्य किया । वह पर्शिया को युद्ध में विजय दिलाना चाहता था ताकि वह आस्ट्रीया को अकेला कर सके । उसने इस लिये रूस से दोस्ती की तथा फ्रांस (नेपोलियन) को प्रशिया व आस्ट्रीया युद्ध में निष्पक्ष रहने का निवेदन किया तथा उसे फ्रांस का रियान तक विस्तार करने के लिए सहायता का वादा किया । बिस्मार्क, युद्ध में यदि पर्शिया विजयी होता है तो वेनिका को इटली को प्रदान करने का वादा करते हुए इटली का सहयोग भी प्राप्त किया ।

आस्ट्रीया ने जब जर्मन समझौता के आदार पर शेल्जविग और हालस्टिन का प्रश्न उठाया तो बिस्मार्क ने इसे विश्वास तोडने के समान माना और प्रशिया की सेना ने हालस्टिन की ओर कूच किया।

SCERT TELANGANA

Map 2: Unification of Germany (1866-1871)

आस्ट्रीया ने इसे प्रशिया को आक्रमक रूप माना तथा संघीय शक्तियों को प्रशिया के विरोध में सेना भेजने को कहा 3 जुलाई 1866 CE में आस्ट्रीया प्रशिया के द्वारा परास्त हुआ। आस्ट्रीया पीछे हटा, आस्ट्रीया ने 150,000 के करीब सैनिक ईटली के निकट वेनिका में भोजे सेना के विभाजन के कारण आस्ट्रीया सडोवा (Sadova) में परास्त हुआ प्रशियन सेना ने वियाना की ओर कूच किया। हालस्टिन, शेल्जविग, हेनओवर, हेंस केसल, हेंस डॉम स्ट्रे और फ्रेकफूट शहर प्रशिया द्वारा संयोजित हुए ये यह सब उत्तर जर्मन संघ के भाग थे।

दक्षिण राज्य बावेरिया, बडन, वर्टबर्ग, हँसी-डर्म स्ट्रेट अपनी स्वतंत्रता बनाये रखे। यह राज्य नेपोलियन III फ्रांस से भयभीत थे जो रियान पर कब्जा चाहता था।

फ्रांस प्रशियन युद्ध

फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतिय ने अपनी स्थिति को कमजोर पाया वह आस्ट्रीया व प्रशिया के युद्ध का लाभ न उठा सका। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिये नेपोलियन ने बिस्मार्क से आस्ट्रीया-प्रशिया युद्ध के समय अपनी निष्पक्षता के लिये क्षतिपूर्ति की माँग की। बिस्मार्क रियान पर नेपोलियन-III के विस्तार पर सहायता के पक्ष में था परंतु क्षतिपूर्ति देने के पक्ष में न था। नेपोलियन तृतिय के पास युद्ध के अतिरिक्त और चारा न था। बिस्मार्क भी फ्रांस से युद्ध चाहता था। क्योंकि उसे लगता था कि फ्रांस

SCERT TELANGANA

जर्मन के एकीकरण को स्वीकार नहीं कर पा रहा है । अतः दोनो फ्रांस और जर्मन युद्ध के लिये तैयार थे युद्ध का तत्कालिन कारण बना स्पेन का उत्तराधिकार ।

1863 में स्पेन की जनता अपने शासक इस्बेला से परेशान होकर उन्होंने राज्य का सिंहासन लियोपोल्ड को पेश किया, जो प्रशिया के राजा के रिश्तेदार थे। फ्रांस ने इसका विरोध किया तब लियोपोल्ड ने सिंहासन को अस्वीकारा । किंतु नेपोलियन-III इससे संतुष्ट न हुआ, और उसने प्रशिया के राजा, से यह आशावादन चाहा, कि वह स्पेन के उत्तराधिकार मामले में निष्पक्ष रहे, परंतु प्रशियन राजा ने इस मत को नहीं स्वीकारा और यह सारी वार्ता बिस्मार्क को तार द्वारा प्रेषित कर दी। बिस्मार्क जो उस समय बर्लिन में था उसने वार के संदेश को ऐसे भ्रमित रूप में पेश किया जिससे फ्रांस व प्रशिया में युद्ध अनिवार्य हो गया। यह युद्ध लगातार छः माह तक चला, प्रशिया ने फ्रांस के नेपोलियन तृतिय को बुरी तरह से पराजित किया, लगभग एक लाख सैनिकों सहित उसे आत्म सर्मपण करना पड़ा।

विजेता प्रशिया ने फ्रांस की राजधानी पेरिस तक सेना सहित मार्च किया और संयुक्त जर्मनी के शासक के रूप में विलियम प्रथम को आरुढ़ किया। फ्रांकफुट संधि द्वारा युद्ध का अंत हुआ, और संयुक्त जर्मनी को 1871 में इसके द्वारा मान्यता प्राप्त हुयी ।

- बिस्मार्क ने किस कूट नीति का पालन किया उसमें क्या वह विजयी हुआ?

इटली का एकीकरण

जर्मनी की तरह ही इटली भी राजनैतिक रुप से अनेक भागों में बटा हुआ था। इटली वासी कई राज्य वंशों में एवं बहु राष्ट्रीय हेब्सबर्ग में फैले हुए थे। 19वीं शताब्दी के मध्य तक इटली सात राज्यों में विभाजित था। जिनमें से केवल एक राज्य सार्डिनिया - पेडमंट इटली के राज्यवंशियों द्वारा शासित था।

उत्तरी भाग आस्ट्रियन - हेब्सबर्ग के अधीन था। केन्द्र पोप के अधीन एवं दक्षिण क्षेत्र स्पेन के बोर्बन राजाओं के अधीन था। इटली भाषा भी प्रचलित नहीं थी।

1830 के समय जोसेफ मेजिनी ने इटली को गणतंत्र बनाने का प्रयास किया। उन्होंने एक गुप्त संगठन ''यंग इटली'' बनाया। 1831 और 1848 कि क्रांतियों की असफलता के कारण सारा भार सार्डिनिया - पेडमंट के शासक विक्टर इमान्युवल द्वितीय पर आ गिरा। यह एकीकरण केवल युद्ध द्वारा संभव था। इन क्षेत्रों के शासक को इटली एकीकरण में राजनैतिक एवं आर्थिक प्रगति दिखाई दी।

प्रधानमंत्री कवूर (Cavour) जिन्होंने इटली के भागों को एकीकृत करने के लिए आंदोलन किये थे, वे न क्रांतिकारी थे और न ही एक प्रजातांत्रिक। उन्होंने इटली के संगठन में अपना योगदान दिया। दूसरे धनि एवं शिक्षित बुद्धिजीवी इटालियनों कि तरह इटली से अधिक फ्रेंच भाषा बोलते थे।

SCERT TELANGANA

Map 3: Italitan States before Unification 1858 CE.

कवूर के प्रयत्नों से सार्डिनिया - पेडमंट ने 1859 में आस्ट्रिया की सेना को पराजित करदिया। इस युद्ध में सैनिकों के अतिरिक्त गारीबल्डी के नेतृत्व में हथियारों से युक्त कई युवा शामिल हुए। जो लालशर्ट (Redshirts) कहलाये। 1860 में उन्होंने दक्षिण इटली और दो सिसिलयों के साम्राज्य में प्रवेशकर किसानों का समर्थन प्राप्त किया और वहाँ के स्पेनिश राजाओं को भगा दिया। 1870 के प्रॉको-प्रशिया युद्ध में रोम से फ्रॉन्स ने अपने सैनिकों को हटाया, विक्टर इमान्युयल-II ने रोम पर कब्जा करके इटली का एकीकरण किया। 1871 में विक्टर-इमान्युयल ने अपने आप को एकीकृत इटली का शासक घोषित किया।

SCERT TELANGANA

मुख्य शब्द

1. गौरवपूर्ण क्रांति	2. दैवीय अधिकार	3. उदारतावाद
4. राजतंत्र	5. राष्ट्रवाद	6. भाई चारा
7. तानाशाही	8. प्राकृतवाद (Romanticism)	9. निर्देशिका

शिक्षा में सुधार

1. देश का नाम कथन के संदर्भ के अनुसार पहचानिए। (इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस) (AS_1)
    - क्रांति जहाँ संसद की स्थापना हुई
    - जहाँ राजा के कुछ अधिकार क्रांति के बाद भी बने रहे
    - वह देश जो लोकतंत्र के लिये एक दूसरे से युद्ध करते रहे
    - अधिकार बिल अपनाया गया
    - राजाओं के अधिकार में किसानों द्वारा कटौती
    - आदमी और नागरिक के अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया ।
2. सामाजिक चिंतकों के प्रमुख विचारों को बताइए जो नयी सरकार की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण थे। उन्हें किस प्रकार प्रसिद्धि मिली? (AS_1)
3. फ्रांस की क्रांति के बारे में बताइए। उसके क्या कारण थे? (AS_1)
4. क्या आप मानते हैं की विश्व अधिकार का संदेश विरोधों से घिरा हुआ था? समझाइए। (AS_2)
5. अमेरिकी उपनिवेशों में यह नारा क्यों बुलंद हुआ? - बिना प्रतिनिधि, कोई कर नहीं (No Taxation without Representation) (AS_1)
6. फ्रांस की क्रांति में महिलाओं की भूमिका से आप क्या समझते है? (AS_6)
7. पृष्ठ संख्या 168 पर 'आतंक का शासन' शीर्षक के अंतर्गत दिया गया अनुच्छेद पढ़िए और टिप्पणी लिखिए। (AS_2)
8. जर्मनी के एकीकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। (AS_2)
9. यूरोप के मानचित्र में इंग्लैंड, फ्रांस, प्रशिया, स्पेन, ऑस्ट्रिया आदि देशों को पहचानिए। (AS_5)

परियोजना कार्य

उन लोगों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए जिन्होंने अमेरिका और फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उनमें से आप किससे अधिक प्रभावित हुये क्यों? एक अनुच्छेद लिखिए ।

SCERT TELANGANA

अध्याय 14

औद्योगीकरण और सामाजिक परिवर्तन

1780 और 1850 के बीच ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और उद्योग में बहुत परिवर्तन हुए। यह चरण 'प्रथम औद्योगिक क्रांति' के रूप में जाना जाता है। 'औद्योगिक क्रांति' - इस पद का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों, जार्ज माइकेलेट ने फ्रांस और फ्रेडरिक एंजेल्स ने जर्मनी में किया था। इस पद का प्रयोग सबसे पहली बार अंग्रेजी में, दार्शनिक और अर्थशास्त्री, अर्नाल्ड टॉयन्बी (१८५२-८३) ने १७६० से १८२० के बीच, ब्रिटिश औद्योगिक विकास में होने वाले परिवर्तनों के वर्णन के लिए किया था। ब्रिटेन में इस क्रांति का व्यापक प्रभाव पड़ा। तत्पश्चात् ऐसी ही अन्य क्रांतियाँ यूरोपीय देशों और यु.यस.ए. में हुई। इन परिवर्तनों का बहुत बड़ा प्रभाव इन देशों के समाज और अर्थव्यवस्था के साथ-साथ शेष विश्व पर भी पड़ने वाला था। देश की ऐतिहासिक सामाजिक और भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर विभिन्न देशों के औद्योगीकरण, एक दूसरे से अलग थे। यह अध्याय ब्रिटेन की कपास और लोहा उद्योग के कुछ प्रमुख परिवर्तनों को दर्शाता हैं।

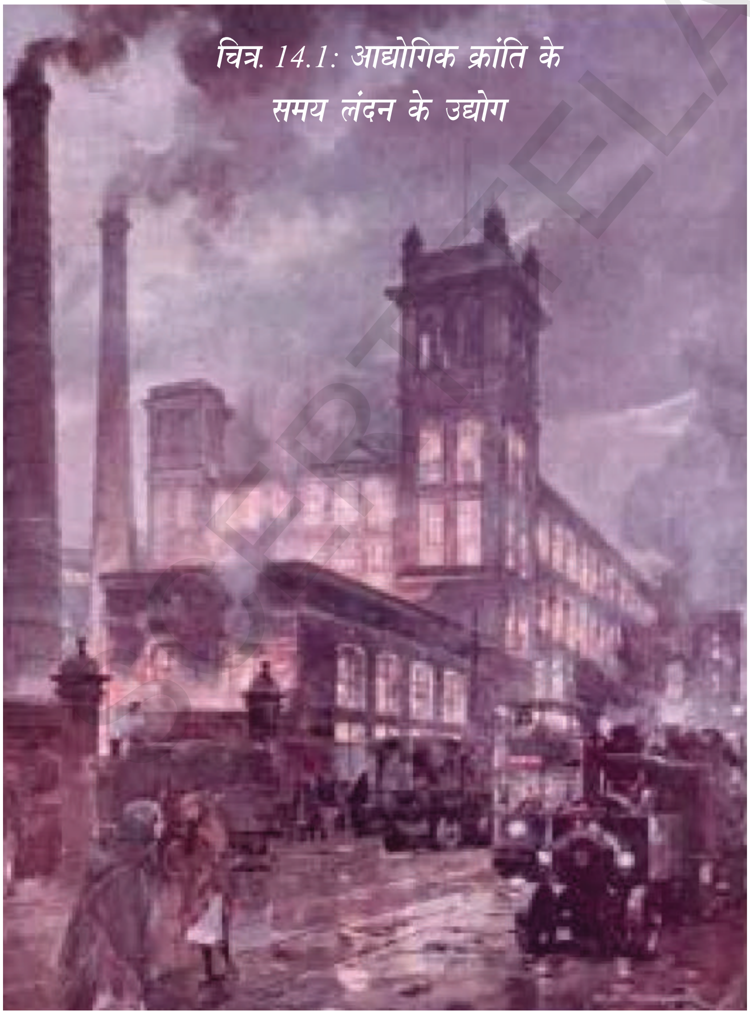

चित्र. 14.1: आद्योगिक क्रांति के समय लंदन के उद्योग

ब्रिटेन में औद्योगिक विकास के प्रारंभिक चरण में नई मशीनरी और प्रोद्योगिकी की खोज हुई। हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों की तुलना में माल का उत्पादन बडे स्तर पर संभव हुआ । ब्रिटेन के उद्योगों में भाप का एक नई शक्ति के स्रोत का उपयोग किया जाने लगा । भाप की शक्ति के उपयोग ने ज़हाज और रेल जैसे परिवहन के माध्यमों को तेज़ बना दिया। बहुत से अन्वेषकों ने और व्यापारियों जिन्होंने इन परिवर्तनों को लाया न तो वे व्यक्तिगत रुप से अमीर थे और न ही भौतिकी या रसायन विज्ञान जैसे बुनियादी विज्ञान में शिक्षित थे ।

औद्योगिकरण से कुछ लोगों को अधिक से अधिक समृद्धि प्राप्त हुई । लेकिन प्रारंभिक चरणों में यह गरीब और काम करने वाले लाखों लोगों से जुडा हुआ था जिसमें महिलाएँ और बच्चे भी शामिल थे । कई विरोधों के पश्चात सरकार को काम की स्थिति में सुधार लाने के लिए कानून बनाने के लिए मजबूर किया गया था ।

- औद्योगिक क्रांति के समय महिलाओं और बच्चों को किन कठिनाईयों का सामना करना पडा?

ब्रिटेन क्यों ?

आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव करने में ब्रिटेन सबसे पहला देश है, क्योंकि सत्रहवीं सदी से यह राजनीति में स्थिर था। इंगलैण्ड, वेलस और स्कॉटलैण्ड, राजतंत्र के अधीन एकीकृत थे। अनुकूल परिस्थितियों और पूर्व आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धियों के कारण इंग्लैंड में उद्योगों की स्थापना का उत्कर्ष हुआ । यह बदलाव अन्य देशों में बाद में अनुभव किया गया।

मानचित्र 1: ब्रिटेन इंग्लैंड लोहा इंड्रस्ट्री

ब्रिटेन में सामान्य वातावरण रहने के कारण जो कपास उद्योग के लिए अनुकूल है यहाँ था । यहाँ पानी और विद्युत का अभाव नहीं था । इंग्लैंड में कच्चे माल की कमी नही थी। कोयला और लौहा बहुतायत में आस-पास में उपलब्ध थे। अन्य युरोपियन देशों की तुलना में कोयला क्षेत्र बड़े और महत्वपूर्ण बंदरगाह के पास थे। इसलिए जल मार्ग से यातायात करने के लिए सुविधाजनक था।

फिशर तारीफ करता है कि “लोहा, कोयला और वस्त्रों के आधार पर ब्रिटेन ने एक प्रकार की सभ्यता बनाई जिसकी पूरी दुनिया ने नकल की”।

इंगलैण्ड में धन अधिक था और कई उद्योगों के लिए उसे पूँजी जुटाने की समस्या भी नहीं थी। सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ से ब्रिटेन अपने व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अन्य देशों में जाना जाता था और दूसरे देशों से व्यापार में उसने भारी मुनाफा अर्जित किया ।

लेकिन धन के मात्र उपलब्धता का कोई फायदा नही है। जब तक कि इसे सही तरीके से निवेश न किया जाय। बैंक आफ इग्लैंड ने पूँजी के उपयोग में तीव्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लंदन मनी मार्केट, जाईंट स्टॉक बैंक, ज्वाईंट स्टॉक कार्पोरेशन से आर्थिक उन्नति सहज और सरल बनी ।

नवस्थापित कारखानों और उद्योगों में बडे पैमाने पर उत्पादन बाहर ले जाने के लिए बडी संख्या में विभिन्न स्रोतों से मजदूर लंदन में उपलब्ध थे। ब्रिटेन की आबादी भी बढ रही थी। कृषि की पुरानी और

SCERT TELANGANA

लाभहीन प्रणाली उन्नत विधियों अर्थात् वैज्ञानिक चक्र से कृषि को बदल दिया। इससे भोजन की आपूर्ति में वृद्धि हुई और फलस्वरुप जनसंख्या में भी अठारहवीं शताब्दी में कुछ यूरोपीयन महाद्वीप के श्रमजीवी इंग्लैंड में आ बसे। क्रांतिकारी आंदोलन के कारण पुरानी कृषि पद्धति समाप्त हो गयी। लोग जो पहले किसान थे अब वे उद्योगों में काम कर रहे थे।

अठारहवीं शताब्दी में समुद्री व्यापार के लिए ब्रिटेन तैयार था। बंदरगाह अच्छी संख्या में उपलब्ध थे। सड़को और नहरों के निर्माण से अंतर्देशीय यातायात में सुधार और आधुनिकीकरण किया गया।

यह उल्लेखनीय है कि कुछ स्काटलैण्ड् और अंग्रेजी लोगों ने उत्पादन प्रतिक्रिया में काम में आनेवाली मशीनों की खोज की और इस प्रकार देश का आर्थिक जीवन बदलने लगा। उपर्युक्त सभी कारणों से इंग्लैण्ड औद्योगिक उत्पादन में अग्रणी बन गया। इंग्लैण्ड को अब 'विश्व की कार्यशाला' (Workshop of the World) के रूप में देखा जाने लगा।

- अठारहवीं सदी में ब्रिटेन और दुनिया के अन्य भागों में विकास के बारे में चर्चा करे जिसने ब्रिटिश औद्योगिकरण को प्रोत्साहित किया ।

कोयला और लोहा

मशीनीकरण के लिए प्रमुख सामग्री कोयला और लोहा की पर्याप्त उपलब्धि से इंग्लैंड भाग्यशाली था। वैसे ही अन्य खनिज ताँबा, शीसा और टीन भी उद्योग मे उपयोग होने वाले अन्य खनिज भी सरलता से उपलब्ध थे । हालांकि अठारहवीं सदी के पहले लौहे का उपयोग आसानी से प्राप्त नहीं था। गलाने की प्रक्रिया द्वारा लौह अयस्क से लोहा शुद्ध तरल धातु के रुप में प्राप्त किया जाता था। सदियों से कोयला (जली हुई लकड़ी से बना) इस प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल किया गया था। उसमें कई समस्याएँ थी : क्योंकि भंगुर (दुर्बल) होने के कारण कोयले का परिवहन लंबी दूरी तक नहीं किया जा सकता था। दूसराः इसकी अशुद्धता के कारण कम गुणवत्ता वाले लोहे का उत्पादन हुआ। तीसरा : कोयले की आपूर्ति कम थी क्योंकि लकड़ी के लिए वनों को काटा जाता था। जो उच्च तापमान उत्पन्न नहीं कर सकते थे।

Fig. 14.2: The Cast Iron Bridge near Coalbrookdale, designed by the third Darby.

इस समस्या का समाधान लौहविद परिवार के प्रापस्फायर के डरबिज ने किया। जिन्हें परिवार के तीन पीढ़ियों में दादा, पिता और पुत्र, इब्राहिम डरबी कहा जाता है ने धातु कर्म उद्योग में क्रांति उत्पन्न कर दी। इब्राहिम डर्बी द्वारा (1677-

1717) द्वारा 1709 में एक अविष्कार किया गया। कोक जो कोयले से सल्फर और अशुद्धियों के दूर करने के द्वारा प्राप्त किया था उसका उपयोग लोहा पिघलने वाली भट्टी में किया । कोक उच्च तापमान उत्पन्न कर सकता है। इस अविष्कार के कारण अब भट्टियों को लकड़ी से बने कोयलो पर निर्भर नही रहना पड़ा। इस लोह भट्टी में पिघला हुआ लोहा पहले की तुलना में बेहतर और विशाल ढलाई के काम का था।

कई खोजों दूवारा इस प्रक्रिया को परिष्कृत किया गया। दूसरे डर्बी (1711-68) ने कच्चे लोहे से अच्छा लोहा (जो कम भंगुर था) तैयार किया। हेनरी कोर्ट (1740-1823) ने एक - भट्टी (जिसमें पिघले लोहे की अशुदूधि को दूर किया जाता था) और रोलिंग मील (Rolling Mill) को तैयार किया। जिसका उपयोग शुद्ध लोहे को सलाखे बनाने में करते थे। इससे कई प्रकार के लौह उत्पाद का उत्पादन संभव हुआ। लोहा टिकाऊ होता है, इसीलिए मशीनों और रोजमर्रा की चीज़ों के लिए यह लकड़ी से अच्छा था। लकड़ी जल जाती है या टूट जाती है, इसीलिए इस की तुलना में लोहे के भौतिक और रासायनिक गुणों को नियंत्रित किया गया। उत्कृष्ट कुकिंग कोयला और उच्च स्तर के लौह अयस्क के एक ही जगह होने के कारण ब्रिटेन भाग्यशाली था तथा यह जगह बंदरगाह के करीब थी। पाँच कोयला क्षेत्र तटीय क्षेत्र में थे जो सीधे अपने उत्पाद को जहाज से पहुँचा सकते थे । इसके परिणाम स्वरूप जहाज निर्माण और शीपिंग व्यापार में वृद्धि हुई ।

ब्रिटेन लौह उद्योग में उत्पादन क्षमता 1800-1830 के बीच में चार गुना बढी और इसके उत्पाद यूरोप में सबसे सस्ते थे। 1820 मे एक टन लोहा गलाने के लिए 8 टन कोयले की आवश्यकता थी लेकिन 1850 से केवल 2 टन का उपयोग कर उत्पादन किया जा सकता था। 1848 में दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में ब्रिटेन लोहा ज्यादा गला रहा था ।

- उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात और लोहा औद्योगिकरण के लिए आवश्यक क्यों है? कक्षा में चर्चा कीजिए।
- आपको क्यों लगता है कि लौह अयस्क और कोयले के खनन को समान महत्व दिया गया है?
- आपको क्यों लगता है कि पहले औद्योगिक केंद्र लोहा और कोयले के खानों के पास ही स्थित होते थे?

कपास कताई और बुनाई

ब्रिटेन में हमेशा ऊन और सन से (लिनेन) कपड़ा बुनते थे। सत्रहवीं सदी से भारत देश से बडी कीमत देकर सूती कपड़ों की गाँठों का आयात किया गया । ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कुछ हिस्सों में राजनैतिक नियंत्रण स्थापित किया ने कपड़े के साथ कच्चे कपास का आयात शुरू किया। इंगलैण्ड में ही इस कच्चे कपास से कताई और बुनाई दूवारा कपड़ा बनाया जाता था।

अठारहवीं सदी तक कताई इतनी धीमी और श्रमसाध्य थी कि एक यार्न की आपूर्ति करने के लिए 10 बुनकरो को व्यस्त रखने की आवश्यकता थी । इसलिए बुनकरों को यार्न प्राप्त करने के लिए इंतजार करना पडता था। जब कि स्पीनरों को दिन भर काम करना पड़ता था। लेकिन तकनीकी अविष्कारों की सफलतापूर्वक श्रृंखला से कच्चे कपास की कताई इससे

- वस्त्र उद्योगों की क्रांति मे कौन से दो अविष्कार हैं, लिखिए ।

मानचित्र 2: ब्रिटेन में कपास उद्योग

धागा बनाने और यार्न से कपड़ा बुनने के समय में कमी आई। ये उद्योग कारखानों की महिलाओं और बच्चों पर निर्भर थे। इसीलिए इसे यह और भी अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से उत्पादन को धीरे-धीरे स्पीनरों और बुनकरों के घरों से कारखानों में स्थानांतरित कर दिया गया।

कई मायनो में 1780 से कपास उद्योग ब्रिटेन औद्योगिकरण का प्रतीक बना। इस उद्योग की दो विशेषताएँ भी जो अन्य उद्योगों में भी देखी गयी थी। कच्चे कपास को आयात किया जाता था और तैयार कपडे को निर्यात किया जाता था। ब्रिटेन का कच्चे कपास के स्त्रोतों के साथ-साथ, जहाँ वे कपड़ा बेचते थे, उन बाज़ारों पर नियंत्रण था। इससे उपनिवेशों पर नियंत्रण करने में मदद मिली।

वाष्प शक्ति

वाष्प शक्ति प्रथम खनन उद्योगों में इस्तेमाल की गयी था। कोयला और धातु की मांग के बढने के कारण उन्हें प्राप्त करने का प्रयास खानों में गहरी खुदाई तेज हो गयी। खानों में बाढ एक गंभीर समस्या थी और वाष्प ईंजन का उपयोग खानों से पानी निकालने के लिए किया गया। लेकिन तकनीकी अभी भी बड़े पैमाने के लिए उपयोगी नहीं थी।

(1736-1819), जेम्स वॉट ने नये वाष्प इंजन का आविष्कार किया। इस खोज ने वाष्प ईंजन को मात्र पंप से 'प्रमुख यंत्र' में बदल दिया। इसने कारखानों में उर्जा प्रदान करने के लिए वाष्प ईंजन को सक्षम बनाया। जिसे मैथ्यु बोल्टन, जो (1728- 1809) अमीर निर्माता थे, उनकी मदद से वैट ने 1775 बर्मिंग हेम में सोरो फँउंड्री बनाई । इस ढलाई घर से वैट के वाष्प ईंजन के अधिक संख्या में उत्पादन किया । अठारहवीं शताब्दी के अंत तक वैट्स के वाष्प ईंजन ने हैड्रोलिक बिजली की जगह लेना शुरु किया । 1840 में सभी ब्रिटीश वाष्प ईंजन से सभी यूरोपीय उर्जाओं से 70 प्रतिशत से अधिक शक्ति उत्पन्न होती थी ।

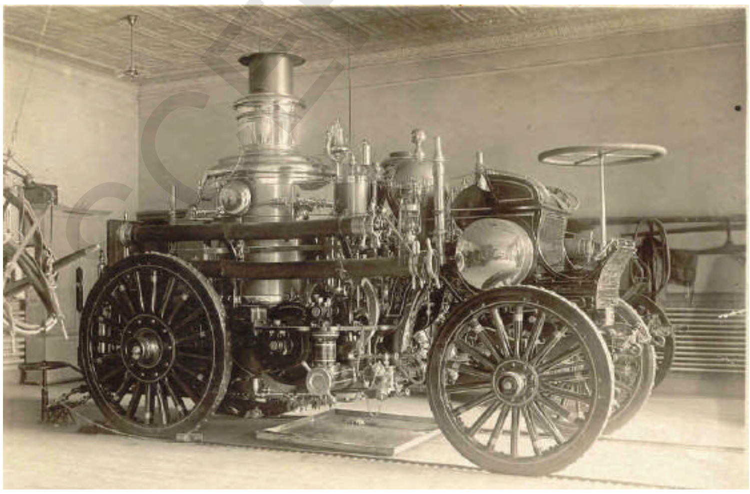

Fig. 14.3: James Watt Steam Engine.

यातायात परिवहन

औद्योगीकरण में विकास के कारण कच्ची सामग्री और निर्मित उत्पादों के लिए परिवहन की आवश्यकता हुई। इसीलिए इंग्लैण्ड में सड़कों में सुधार किया गया और नहरें खुदवाई गई। मैकएडम ने पक्की या पक्की सड़क बनाने की विधि बतलायी ।

शहरों में कोयला परिवहन के लिए शुरु में नहरे बनायी गयी । कोयले की भारी माँग और वजन से सड़क परिवहन से नहरों द्वारा तुलना में अधिक धीमा और महंगा था। औद्योगिक ऊर्जा तथा शहरों के घरों में प्रकाश व्यवस्था यंत्र के उपयोग के लिए कोयले की मांग में लगातार वृद्धि हुई । जेम्स ब्रिन्डले (1716-72) ने इंग्लैंड की पहली नहर वोर्सलो नहर (1761) का निर्माण किया। इस नहर का वोर्सलो (मैनचेस्टर के निकट) के कोयले के भंडार से कोयला शहर ले जाना ही प्रमुख उद्देश्य था। नहर पूरी होने के बाद कोयले की कीमत आधी हो गयी । 1830 सदी तक हजारों किलोमीटर के नहरें बनायी गयी और इसका वस्तुओं के सस्ते परिवहन के लिए इस्तेमाल किया गया । ये ज्यादातर जमीन मालिकों द्वारा उनकी संपत्तियों के मूल्य बढाने के लिए बनायी गयी।

1814 में स्टीफेनसन राकेट, पहला भाप इंजन बनाया गया । रेलवे परिवहन का यह एक नया साधन उभर कर आया था जो सामग्री और यात्रियों को पूरे वर्ष भर सस्ते और तेजी से ले जाने के लिए उपलब्ध था । 1760 के दशक के साथ दो अविष्कार हुए जिसमें लकड़ी की पटरी की जगह लोहे की पटरी का इस्तेमाल शुरु हुआ और भाप इंजन की उर्जा ।

रेलवे के अविष्कार ने औद्योगिकरण की प्रक्रिया को दूसरे चरण पहुँचाया । पहली रेल लाईन 1825 में स्टाकटान और डार्लिंगटन ये दो शहरों से जोडी गई जिसने 9 कि.मी. की दूरी को दो घंटों में 5 मीटर प्रति घंटा (15 मील प्रति घंटा) की गति से पूरा किया । 1830 में अगली रेलवे लाईन से लिवरपुल और मैनचेस्टर को जोड़ा गया । बीस साल के भीतर रेल की आम गति 30 से 50 मील प्रति घंटे की हो गयी।

1830 में नहर के उपयोग में कई समस्याएँ आयी । बड़े जहाजों के कारण नहरों पर गति धीमी हो गयी थी। दूसरा ठंड, बाढ और सूखे की वजह से नहरों का उपयोग सीमित हो गया था।

अन्वेषक कौन थे ?

जिन व्यक्तियों के द्वारा ये परिवर्तन हुए उनके बारे में पढ़ना बहुत दिलचस्प है। उनमें से कुछ प्रशिक्षित वैज्ञानिक थे। उन्नीसवीं सदी और यहाँ तक कि ऊपरलिखित प्रायोगिक आविष्कारों के समय तक भी मूल विज्ञानशास्त्र जैसे भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र की शिक्षा बहुत सीमित थी। क्योंकि इन खोजों के लिए भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के नियमों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए ये बुद्धिमान सहज विचारकों और प्रयोगकर्ताओं द्वारा ही किये गये। उन्हें इंग्लैण्ड की कुछ विशेषताओं से मदद मिली। ये विशेषताएँ अन्य देशों में नहीं थी। 1760 से 1800 के बीच इंग्लैण्ड में वैज्ञानिक समाज पत्रिका दर्जनों वैज्ञानिक पत्रिकाएँ और पत्र प्रकाशित हुए। छोटे शहरों में भी ज्ञान पिपासा व्यापक रूप से बड़ रही थी। यह पिपासा जो अठारहवीं सदी तक कई गुना बढ़ गयी, को कला समाज (1754 में स्थापित) की गतिविधियों, यात्रा व्याख्यानों और कॉफी हाउसों के माध्यम से पूरा किया गया था।

SCERT TELANGANA

अधिकांश अविष्कार दृढ़ संकल्प, रुचि, जिज्ञासा, भाग्य से हुए न कि वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग से। कपास उद्योग में कुछ अन्वेषक जैसे जॉन के और जेम्स हरग्रीव्स बुनाई और बढईगिरी से परिचित थे। तथापि रिचर्ड आर्कराईट एक नाई और विग निर्माता थे। सम्युअल क्राम्पटन, तकनीकी रुप से कुशल नहीं था। एडमंड कार्टराईट ने साहित्य, औषधि और कृषि का अध्ययन किया था और यांत्रिकी के बारे में कम जानता था। क्योंकि प्रारंभ से एक पादरी बनना चाहता था।

इसके विपरीत भाप इंजन के क्षेत्र में थॉमस सावरी एक सेनाधिकारी, थॉमस न्यूकोमेन-एक लुहार और ताला साज और जेम्स वैट इन सभी का यांत्रिकी झुकाव के कारण अपनी खोजों के प्रति कुछ ज्ञान था। सड़क बनाने वाला जॉन मेटकाफ जिसने सड़कों का व्यक्तिगत रुप से सर्वेक्षण किया और योजनाएँ बनायी, वह अंधा था। नहर खुदाई करने वाला जेम्स ब्राईडले लगभग अनपढ़ था। अपनी कमजोर वर्तनी के कारण वह नेविगेशन शब्द कभी लिख नहीं पाया। लेकिन जबरदस्त सारण शक्ति, कल्पना और एकाग्रता की शक्तियाँ थी।

परिवर्तित जीवन

इन वर्षों में प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए विज्ञान और प्राद्योगिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना संभव था । इसी तरह अमीर लोग जो जोखिम लेना चाहते थे और मुनाफा कमाना चाहते थे ने उद्योगों में पैसा निवेश किया । ज्यादातार मामलों में पैसा दुगुना हुआ । वस्तु, आय, सेवाएँ, ज्ञान और उत्पादन क्षमता की धन के रूप में आश्चर्यकारक वृद्धि हुई । इसी समय वहाँ बडे पैमाने पर नकारात्मक मानव लागत थी। परिवार टूट रहे थे, शहरों में जीवन स्तर गिर रहा था और कारखानों में लोगों को भयावट परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा था।

1750 में, इंग्लैण्ड में केवल दो शहर थे जिनकी जनसंख्या 50,000 से अधिक थी। किंतु 1850 तक 50,000 से अधिक आबादी वाले ऐसे 29 शहर हो गये थे। तेजी से बढ़ती शहरी आबादी के लिए पर्याप्त आवास, स्वच्छता या साफ पानी का पर्याप्त प्रबंध नहीं था। नये लोगों को मलिन भीड-भाड़ की

चित्र. 14.4: (A) कोल ब्रुकडेल, बढईयों की कतार 1783 में कंपनी द्वारा बनाये गए मजदूरों के घर (B) डर्विस के घर 1835 विलियम वेस्टवूड ने बनाया चित्रकारी

बस्तियों में कारखानों के करीब शहरी केंद्रीय क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर किया गया। उपनगरों में जहाँ हवा शुद्ध थी और पीने के लिए स्वच्छ पानी था वहाँ अपने अमीर लोग घरों का स्थानांतरण कर इस स्थिति से भाग निकले ।

श्रमिक वर्ग

1842 में एक सर्वेक्षण से पता चला है कि श्रमिको की औसत आयु शहर में किसी भी अन्य सामाजिक समूह की तुलना में कम थी । यह बार्मिंघन में 15, मैनचेस्टर में 17 और डर्बी में 21 साल की थी। गाँव की तुलना में नए औद्योगिक शहरों में अधिक लोग मारे गये वो भी कम उम्र के थे, गाँवों की तुलना में आधे बच्चे पाँच साल की उम्र से ज्यादा जीवित रहने में विफल रहें । शहर में आबादी बढने का कारण, न तो परिवार में बच्चों के जन्म दर में वृदि्ध था और न ही वहाँ पर पहले से रहने वाले परिवार थे, बल्कि इसका कारण आप्रवासन था।

मुख्य रुप से मृत्यु का कारण प्रदूषित पानी के द्वारा उत्पन्न हुए हैजा, टाईफायड, कॉलरा या प्रदूषित हवा की वजह में उत्पन्न तपेदिक था । 31,000 से अधिक लोगों की मृत्यु 1832 में हैजा के प्रकोप से हुई । उन्नीसवीं सदी के अंत तक जीवन के इस खतरनाक परिस्थितियों के विषय में नगर निगम अधिकारी लापरवाह थे। इन बीमारियों को समझना और निवारण करने का औषधीय ज्ञान लोगों के पास नहीं था।

महिलाएँ, बच्चे और औद्योगीकरण

औद्योगिक क्रांति ने बच्चो और महिलाओं के काम में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये । ग्रामीण क्षेत्र में, बच्चे घर या खेत में काम, माता-पिता या रिश्तेदार की देखरेख में करते थे ।वे नौकरियाँ दिन के दौरान या मौसम के बीच बदल लेते थे। इसी तरह गाँवों में महिलाएँ कृषि कार्य में सक्रिय रुप से शामिल थी। वे पशुपालन करती थी, ज्वलन लकड़ी एकत्रित करती थी और अपने घरों में चरखों पर कताई करती थी ।

कारखानों में उन्हें बिना विराम के कई घण्टों तक काम करना पड़ता था। सख्त अनुशासन और दंड के अंतर्गत उन्हें एक ही प्रकार का काम करना पड़ता था। स्त्रियों और बच्चों को कमाना पुरुषों के कम वेतन के पूरक के लिए आवश्यक था । मशीनरी के प्रसार से मजदूरों की आवश्यकता कम हुई । उद्‌योगपति महिला और बच्चों को पुरूष मजदूरों की तुलना में अधिक प्रधानता देते थे क्योंकि वे आसानी से असुविधा जनक स्थिति और पुरुषों की तुलना में काम वेतन केलिए काम करने सहमत हो जाते हैं ।

लंकाशायर और यार्कशायर के सूती उद्योगों में बडी संख्या में महिलाएँ एवं बच्चे कार्यरत थे। महिलाएँ रेशम, दुर्बल फीता बनाने और बुनाई उद्योगों में मुख्य श्रमिक थी और बच्चों के साथ बर्मिंघन धातु उद्योगों में काम करती थी। कपास कताई जेनी की मशीनरी का ढाँचा बाल श्रमिकों के छोटे हाथ और कद को ध्यान में रखते हुए बनाया गया । बच्चे अक्सर कपड़ा कारखानों में कार्यरत थे क्योंकि वे

SCERT TELANGANA

चित्र 14.5 : बीरमीन्घम की गिल्ट बटन फैक्ट्री में महिला। 1850 में मज़दूरों का 2/3 भाग महिलाओं और बच्चों का था। काम के बराबर घंटों के लिए हुए पुरुषों को 25 शिलिंग, प्रत्येक महिला को 7 शिलिंग और प्रत्येक बच्चे को एक शिलिंग दिये जाते थे।

मशीनरी के छोटी सी छोटी सी जगह के बीच से आना-जाना कर सकते थे। काम के लंबे घंटों, रविवार को मशीन की सफाई के कारण उनको ताजी हवा, नहज्ञीं मिलती थी। व्यायाम की अनुमति नहीं थी। इस काम से बच्चों के बाल या हाथ मशीनों में आ जाते थे। कुछ बच्चों की मृत्यु थकावट के कारण मशीनों पर गिरने से हुई।

कोयला खानों में काम करना भी खतरनाक था जैसे कि छत गिरना, विस्फोट होना और जख्मी होना यह सब आम बाते थी। कोयला खानों के मालिक बच्चों का इस्तेमाल गहरे और संकीर्ण मार्ग जहाँ वयस्क नहीं जा सकते वहाँ से कोयला निकालने के लिए करते थे । छोटे बच्चे गाड़ियों के लिए दरवाजा खोलने और बंद करने का काम करते थे। कोयला वाहक का काम भारी वजन पीठ पर लेकर जाना था।

भविष्य में कारखानों के काम के लिए बाल श्रमिकों का महत्वपूर्ण प्रशिक्षण हो ऐसा कारखानों के प्रबंधकों ने माना । ब्रिटिश कारखानों के रिकार्ड से यह पता चलता है कि आधे से ज्यादा फैक्टरी कर्मचारियों ने अपना काम दस वर्ष की आयु से कम उम्र में शुरु किया और 28 प्रतिशत ने तब शुरू किया जब वे 14 वर्ष के थे ।

महिलाओं को अपनी नौकरी में आत्मसम्मान और वित्तीय स्वतंत्रता मिली । लेकिन उन्हें काम के संदर्भ में अपमान भी सहना पड़ा। बच्चों को जन्म से पहले और बचपन में खो देना और औद्योगिक क्षेत्र के काम के लिए शहरी मलिन बस्तियों में रहना पड़ता था ।

- महिला और बच्चों के जीवन में औद्योगीकरण के दो प्रमुख प्रभावों का उल्लेख कीजिए।.

जर्मनी और फ्रांस में औद्योगीकरण

हालांकि अठारहवीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में औद्योगिकरण शुरु हुआ किंतु फिर भी जर्मनी और फ्रांस में औद्योगिक उत्पादन 1850 और 1870 तक मुख्य नहीं था । आपको याद होगा कि जर्मनी का एकीकरण 1870 तक नहीं हुआ था और फ्रांस क्रांति और युद्धों के उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। ब्रिटेन की जो व्यापक कालोनियाँ थी उसके विपरीत जर्मनी और फ्रांस में उपनिवेशों और औपनिवेशिक संसाधनों का अभाव था । उन्हें इन त्रुटियों की भरपाई करनी थी।

दोनों देशों में रेलवे की शुरुआत से 1830 में औद्योगीकरण को बढावा मिला। रेलवे ने व्यापार संचार और आर्थिक विकास को प्रेरित किया। 1850 से जर्मनी के विभिन्न राज्यों ने रेलों का निर्माण ब्रिटेन से आधा और फ्रांस से दुगुना किया ।

- ब्रिटिश कस्बों और गाँवों पर प्रारंभिक औद्योगीकरण के प्रभाव की स्थिति की चर्चा करें और भारत में ऐसी स्थिति की तुलना कीजिए ।

विकसित इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए प्रशिया ने अपने समृद्ध कोयला क्षेत्रों (सिलेसिया और रिनलैंड-रूर) तथा लौह भंडारों (बोहेमिया) को नष्ट उठाया। अल्फ्रैड क्रप्प ने 1810 में एस्सन में लघु लौह ढलाई कारखाने की स्थापना की। 1870 ई. तक क्रप्प ऑफ एस्सन अपने रेल इंजनों और आयुध उत्पादनों के कारण विशाल कंपनी में बदल गया। हज़ारों श्रमिकों को रोज़गार देकर उसने क्रप्प परिवार को सौभाग्यशाली बनाया। 1866 ई. में वर्नर सिमन्स ने इलेक्ट्रो डायनेमो का आविष्कार किया। उसके इस आविष्कार ने नये विद्युत उद्योग की नींव डाली। जर्मनी विश्व में इसका नेतृत्व कर रहा था। 1870 में फ्रांस की हार और 1871 में जर्मनी एकीकरण ने औद्योगीकरण को और आगे बढ़ाया। राजनैतिक तौर पर नव एकीकृत जर्मनी अब फ्रांस से हथियाये गये लोरेन के समृद्ध लौह-क्षेत्रों का शोषण कर सकता था।

बाल श्रमिकों की स्थिति

बाल श्रमिकों की भयानक स्थिति के बारे में 1816 में ब्रिटिश संसद की एक समिति द्वारा एकत्रित किये गये साक्षी के रुप में कहा गया । निम्नलिखित जानकारी कपास मिल में प्रशिक्षिकों के समय के एक मास्टर से एकत्रित की गयी थी। उसे अपने कारखानों मे बाल श्रमिकों की स्थिति पर समिति दूवारा सवाल पूछा गया ।

'किस उम्र में उन्हें लिया जाता था?'

'लंदन से आने वाले 8 या 10 से 15 साल के थे.'

'प्रशिक्षार्थी की अवधि क्या थी ?'

'एक- और २०.'

'काम के घंटे क्या थे?'

'सुबह पाँच बजे से रात के आठ बजे तक.'

'दिन में पन्द्रह घंटे नियमित काम के घंटे थे?'

'हाँ.'

'जब मिल की मरम्मत या कपास की कमी से काम बंद होता था तो बाद में बच्चों से क्या उस समय का काम पुनः करवाया जाता था?'

'हाँ.'

'बच्चे बैठकर या खड़े होकर काम करते थे?

'खड़े होकर.'

'पूरे समय तक?'

'हाँ'

'क्या मिल में बैठने का स्थान था?'

'नहीं, मैं ने उन्हें मिल के फर्श पर बैठते पाया उसके बाद वे बिस्तर में होते थे.'

'मशीन की वजह से क्या कोई बच्चे घायल हुए?'

'बहुत बार.'

SCERT TELANGANA

जर्मन सरकार ने सडकों और रेलवे के निर्माण और खानों के विकास उद्योगों के लिए बाज़ारों की स्थापना कर ज़र्मनी में औद्योगीकरण को प्रोत्साहित किया। जर्मन सेना को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारुद की आवश्यकता थी और बहुत से अग्रणी उद्योगपतियों ने आयुध उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया। सरकार ने भी श्रमिक वर्ग आंदोलन पर नियंत्रण किया और कर्मचारियों के लिए सामाजिक लाभ और बीमा प्रदान किया। इससे कारखानों के मालिक और मजदूरों पर नियंत्रण करने और कम भुगतान करने के लिए सक्षम हो गये ।

- जर्मनी और फ्रांस के औद्योगिकरण की तुलना कीजिए। उनमें समानताओं और विषमताओं को पहचानिए ।
- फ्रांस औद्योगिक विकास में पिछड़ा क्यों था?
- इंग्लैण्ड और फ्रांस को औद्योगीकरण में पछाड़ने में जर्मनी को किन कारकों ने सहयोग दिया?

ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा हासिल की गयी तकनीकी लाभस्थिति जर्मन उद्योग को भी सीधी मिली जो अन्य देशों ने एक लंबे समय के साथ विकसित की थी । इसके लिए उन्हें भारी पूँजी के निवेश की आवश्यकता थी जो उन्हें बडे बैंकों से प्राप्त हुई। इस प्रकार जर्मन उद्योग केंद्रीय ईकाई के रुप में विकसित हुआ। यहाँ तक कि आकार और क्षेत्र में ब्रिटिश उद्योगों को इसने पार किया ।

प्रांरभ में कई प्रमुख क्षेत्रों में जर्मन उद्योग को ब्रिटेन के नेतृत्व के साथ चलना पड़ा । जैसे सूती वस्त्र और मशीन निर्माण आदि में । जल्द ही जर्मनी ने लोहा, इस्पात, रासायनिक और बिजली के उद्योग में नयी पीढी के उद्योग विकसित किये और ब्रिटेन को इन क्षेत्रों में पछाड़ दिया। बीसवीं सदी के प्रारंभ में जर्मनी ने शक्तिशाली औद्योगिक आधार तैयार किया और ब्रिटेन की औद्योगिक शक्ति को चुनौती दी। ब्रिटेन अभी भी अधिक कोयले का उत्पादन करता था। लेकिन जर्मनी इस्पात का उत्पादन अधिक करता था। जर्मनी की इस स्थिति से ब्रिटेन और फ्रांस को चिंता हुई । क्योंकि इस उत्पादन का जर्मनी सैन्य और नव सेना शक्ति का निर्माण करने के लिए उपयोग कर रहा था।

क्रूप परिवार

क्रूप परिवार ने जो स्थापित किया उससे दुनिया में सबसे बडा शस्त्र कारखाना बन गया । पहले कारखाने क्षेत्र को बंदूक निर्माण मे विशेषता प्राप्त थी और 1887 में यहाँ से छियालिस अलग-अलग देशों को हथियारों की आपूर्ति की ।

क्रूप कारखानों मे प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मन सैनिकों के लिए बंदूके बनायी ।

क्रूप्पस ने जर्मन के 1933 आम चुनाव में हिटलर का समर्थन किया । नाज़ियों ने जर्मनी के पडोसी देशों पर कब्जा कर लिया । अल्फ्रेड क्रूप को अधिक कारखाने बनाने के लिए नयी जमीन प्राप्त हुई । इन कारखानों में नाजी बंदी शिविरों से गुलाम श्रमिकों का इस्तेमाल किया गया।

इसके विपरित फ्रांस में औद्योगीकरण धीमी गति से हुआ । यहाँ तक कि उन्नीसवीं सदी तक बहुतांश लोग छोटे-छोटे भूखंडों पर खेती करते थे । उन्हें उद्योगों की शहरों में स्थापना करने के बजाय वो काम मजदूरों को उनके घर पर देने से लाभ अधिक मिलता था। इस तरह ग्रामीण घरेलु उत्पादन में 1850 के बाद गिरावट आई, जिसके परिमाणस्वरुप लोगों के आर्थिक स्थिति में पतन हुआ।

SCERT TELANGANA

मुख्य शब्द

1. औद्योगीकरण
2. औद्योगिक क्रान्ति
3. भाप शक्ति
4. जल शक्ति

शिक्षा में सुधार

1. औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में इनके बारे में दो-दो वाक्य लिखिए। (AS_1)
   a) प्रौद्योगिकी (तकनीकी)
   b) वित्तपोषण और धन (वित्तियता और धन)
   c) कृषि क्रांति
   d) यातायात व्यवस्था
2. औद्योगिक क्रांति के समय आविष्कारों के योगदान के बारे में आप क्या विशेष बता सकते हैं? (AS_1)
3. विविध वर्ग की ब्रिटिश महिलाओं पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? (AS_1)
4. नहर और रेल यातायात संबंधी उपयोगिता के बारे में बताइए। (AS_1)
5. उन स्थानों को मानचित्र में अंकित कीजिए जहाँ पर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के समय कपड़ा और इस्पात के कारखाने थे। (AS_5)
6. ओद्योगिक क्रांति के समय आविष्कारों की सूची तैयार करो। (AS_3)
7. 'श्रमिक' नामक शीर्षक वाला अंश पढ़कर, टिप्पणी कीजिए। (AS_2)

परियोजना

आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? इस पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और अपनी कक्षा में प्रदर्शित कीजिए।

SCERT TELANGANA

अध्याय
15

सामाजिक विद्रोह आंदोलन

आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों के उदय और औद्योगीकरण ने मानव जीवन में परिवर्तन लाया। इस परिवर्तन ने मनुष्य को दो मूल रूपों में प्रभावित किया जैसे- एक तो मनुष्य अपनी आवश्यकताएँ, मान या गौरव तथा अधिकारों के प्रति जागरुक बने, दूसरी तरफ उन्होंने उत्पादन, कार्य, परिवार, आस-पड़ोसी और वातावरण को पहचाना। अधिकांश व्यक्ति विशेष रूप से जो गरीब, कलाकार, किसान या उद्योग धंधों में कार्य करने वाले थे, उनका उद्देश्य सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवनयापन करना था। ऐसे कई हजार मजदूरों को कारखानों अपने उच्च अधिकारियों के दयाहीन तथा अमानवीय व्यवहार को सहन कर-कर काम करना पड़ता था। ऐसे मजदूरों को यह भी जानकारी नहीं थी कि वे किन शर्तों के अधीन कार्य कर रहे हैं? या वे किस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं? इसके अलावा उन्हें इतनी कम मजदूरी मिलता था जिसके कारण सभी काम करने वाले लोगों में असंतोष उत्पन्न हो रहा था। यह असंतोष की परिस्थितियाँ उस समय और भी असहनीय हो गई जब कारखाने के मालिकों ने उनके वेतन में कटौती कर दी तथा श्रमिकों को काम से निकाल दिया, या श्रमिकों पर काम का बोझ अधिक कर दिया।

चित्र 15.1: लंदन के गरीबों के मकानों की गली

औद्योगीकरण के प्रारंभिक काल में नये राजनीतिक विचार और विचारधाराएँ भी विकसित हो रही थीं, जो इस प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावित कर रही थीं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ''फ्रांस की राज्य क्रांति (1789-94)'' जिसने पूरे विश्व में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे (आपसी बंधुत्व) की भावनाओं को विकसित किया। फ्रांस में 1790 में फ्रेंच संसदीय सभाओं का गठन किया गया, जिसने युद्ध से उत्पन्न हुई सभी कठिनाइयों का समाधान ढूँढ़ने की कोशिश की, कीमतों को नियंत्रित किया जिससे रोटी की समस्या का समाधान हो सका।

औद्योगीकरण की प्रक्रिया ने कलाकार तथा बौद्धिक वर्ग को अत्यधिक प्रभावित किया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण जीवन मूल्य जो कृषि, हस्तशिल्प और सामुदायिक जीवन से संबंधित थे, वे खो गये। मानवीय भावनाओं की अपेक्षा 'विज्ञान और तकनीकी' क्षेत्र पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया गया। औद्योगीकरण की प्रक्रिया का पर ऐसा लोगों के मस्तिष्क जो गहरा था। इनमें से कुछ मनुष्यों ने सामाजिक इतिहास और अर्थशास्त्र को पढ़ना और समझना प्रारंभ किया, ताकि वे 'औद्योगीकरण की चुनौतियाँ' का सामना करने में सक्षम हो सके। कुछ लोगों ने अपने आपको अन्य माध्यमों की तरफ प्रेरित किया, जो कला साहित्य की प्रगति से संबंधित थे।

औद्योगीकरण ने कई ऐसे सामाजिकवर्गों को लगातार विकसित किया, जो 'समाज विकास' में महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका निभाना चाहते थे। इन प्रक्रियाओं ने जहाँ एक तरफ औद्योगीक 'पूँजीपति वर्ग' और 'जमींदार' या भूमि मालिकों के प्रभाव को अधिक बढ़ाया, वहीं दूसरी तरफ 'कार्यकारी वर्गों' को संगठित कर आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। इन सभी वर्गों ने आपस में मिलकर यह महसूस किया कि यदि वे सब एकता के आधार पर संगठित होकर कार्य करेंगे तो पूरे देश की 'आर्थिक व्यवस्था' में वांछित परिवर्तन लाने में सफल हो सकेंगे। सभी वर्ग 'फ्रांस की राज्य क्रांति' एवं समाजवाद से अत्यधिक प्रभावित थे। इसी प्रकार अभी तक महिलाएँ जिनकी दिनचर्या केवल घर की चारदीवारी तक सीमित थी अब वे भी अपने-अपने घरों से बाहर निकलकर 'समान जीवन स्तर' की मांग करने लगी। वे भी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सांस्कृतिक जीवन में समान अवसर चाहती थी। अब महिलाओं ने भी समान स्तर पाने अनेक सामाजिक आंदोलनों में भाग लिया जैसे समाजवाद, प्रजातांत्रिक राष्ट्रवाद।

इस अध्याय में हमने यह देखा कि विकास के इन कार्यक्रमों ने आधुनिक विश्व और विशेषकर भारत जैसे देश को कहाँ तक प्रभावित किया है।

- आप यह कैसे कह सकते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व' के विचारों ने आंदोलन और विद्रोह को प्रेरित किया?
- क्या आप यह सोचते हैं कि 21वीं शताब्दी के मनुष्यों ने इन तीनों आदर्शों को प्राप्त किया है?
- क्या आपके आसपास ऐसे सामाजिक आंदोलन होते रहते हैं जो क्रांति के आदर्शों से प्रभावित होते हों।

इंग्लैंड में मज़दूरों का प्रारंभिक आंदोलन

इंग्लैंड के कारखानों में मजदूरों के काम करने की परिस्थितियाँ दिन-प्रतिदिन असहनीय होती जा रही थीं। मजदूरवर्ग ने 'मत देने को अधिकार' की माँग की। सरकार ने इसे दबाने की कोशिश की। उन्होंने नए कानून बनाकर विद्रोह करने का अधिकार छीन लिया।

1792 से 1815 तक फ्रांस, इंग्लैंड से युद्ध में रत रहा। इंग्लैंड और यूरोप की व्यापारिक परिस्थितियाँ बिगड़ चुकी। कारखाने बंद हो गए। जैसे- बेरोजगारी, खाद्य पदार्थ, रोटी की कीमत बड गई। मजदूरों के वेतन में कटौती था। 1795 में ब्रिटेन की संसद ने 'दो संयुक्त अधिनियम' पारित किये जो नाजायज थे जिसके अनुसार 'यदि इंग्लैंड के लोग भाषण, लेख, के द्वारा राजा के विरोध में संविधान और सरकार का उल्लंघन माना। 'सरकार ने उन सभी सार्वजनिक बैठकों पर भी रोक लगा दी जिसमें 50 या उससे अधिक संख्या में लोग एकत्रित होंगे।' फिर भी बहुत समय से चले आ रहे भ्रष्टाचार के प्रति आंदोलन होते रहे। सरकार ने एक नये नियम की शुरुआत की जिसे 'राजतंत्र और संसद के विशेष मताधिकार' का नाम दिया गया। इसमें संसद सदस्य, भूमालिक (जमींदार), उत्पादककर्ता और व्यवसायिकवर्गो को सम्मिलित किया गया। इन सबने मिलकर 'मजदूर और कामकाजी वर्ग' को मताधिकार दिये जाने का विरोध किया।

- आप क्यों समझते हैं कि भूपतियों कार्ननियामों की समर्थन किया और मजदूरों के विरोधी थे? अब भारत में भी कृषकों द्वारा उत्पादित किये जाने वाले सस्ते व्यवसायिक पदार्थों के कारण सस्ते कृषि उत्पादों का आयात बंद हो गया रहे हैं, क्या आप को लगता है कि इस प्रकार यह आयात भारत में गरीब लोगों के लिए उपयोगी साबित हुए?

SCERT TELANGANA

इन सब वर्गों ने मिलकर गुस्से और तनाव में शहरों एवं कारखानों में पहुँचे । 1790 के लगभग पूरे देश में खाद्य पदार्थों और ब्रेड के लिए आंदोलन विकसित हो चुके थे। ब्रेड यहाँ के निवासियों की मूल खाद्य वस्तु थी। इसकी कीमतों ने आगे जाकर लोगों के जीवन स्तर पर नियंत्रण किया । युद्ध के समय सर्वाधिक दयनीय वर्ष के रूप में 1795 को देखा गया। रोटी के लिए लोगों में बार-बार गडबडी मचती रही। यह स्थिति वर्ष 1840 तक चली।

एक और प्रक्रिया 'घेराबंदी' के कारण भी लोगों को कष्ट उठाना पडा। 1770 से छोटे किसानों को अपनी भूमि को शक्तिशाली जमींदारों के अधीन मिला देना पडा। इस कारण गरीब किसानों को अपनी आजीविका चलाने के लिए उद्योगों में काम करना पडा । उन सूती कपड़ा मिलों में यंत्रों का उपयोग होने के कारण श्रामिकों को काम से निकाल दिया गया और वे गरीब हो गये।

1790 से बुनाई वाले श्रामिक, कानूनन निर्धारित वेतन की माँग करने लगे। इस माँग को संसद ने अस्वीकार किया। जब श्रामिक हडताल पर उतरे तो, उन पर बल प्रयोग किया गया । विवश होकर, अपनी आजीविका खोने के कारण लंकाश्येर में सारे यंत्रों को ध्वंस कर दिया । यार्कशयर में मजदूर लोग भेडों की ऊन को हाथो से काटते थे, उसके स्थान पर यंत्रों का प्रयोग होने लगा तो, उन यंत्रों को ध्वंस कर दिया और भूसे से दान को अलग करने के यंत्रों के आगमन के कारण श्रामिक किसानों ने उन यंत्रों को तोड दिया और गडबड मचाने लगे। इनमें में नौ लोगों को फ्राँसी भेज दिया और 450 लोगों को अपराधी मानकर आस्ट्रेलिया भेज दिया ।

- यंत्रों को तोड़ने से मजदूरों को कहाँ तक सहायता मिली?
- सरकार ने यंत्रों को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए बड़ी सजाओं का प्रावधान किया। क्या आपको यह न्यायसंगत लगता है?
- कारखानों में नये यंत्रों के आने से कई कंपनियों में मजदूर बेरोजगार हो गये। आप को क्या लगता है कि यह क्यों हुआ होगा? क्या बिना बेरोजगारी के तकनीकी में सुधार लाकर मजदूरों की इस समस्या का हल किया जा सकता है?

लुड्डीवाद (लाडवाद)

जनरल नेडलुद्द, एक जनाकर्षक नेता था, जिस के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ। इसीलिए इस आंदोलन को "लाडवाद" (1811-17) कहा गया। लाडवाद आंदोलन कर्ताओं की माँगे ये थी कि, निर्धारित वेतन, महिलाओं व बच्चों के लिए कम कार्य भार यंत्रों के द्वारा आजिविका खोने वाले श्रामिकों को नौकरी की माँग, अपनी माँगें पूरी करने के लिए श्रामिक संघों का गठन, अपने अधिकारों के लिए लडने वाले शक्तिशाली संघ के न होने के कारण मालिकों के यंत्रों, उत्पादित वस्तुओं के रखाव पर कूच करके अपनी माँगें पूरी करने का प्रयत्न किये। कई बार मालिक और श्रामिकों के बीच समझौता हुआ । उन्होंने काम के लिए बेहतर कार्य स्थिति देनी चाहा । कर्मचारी एवं कई मध्य वर्गीय व्यक्तियों जैसे दुकानदार और कलाकार को लगा कि मशीने अनावश्यक है। उन्हें लगने लगा कि मशीनों का उपयोग उनकी जीविका को छीन रहा है। उन्हें समाज का सहयोग प्राप्त था। कई स्थानों में जनरल लुद्द के नाम पर लगातार कर्मचारी कार्य करते थे और अन्य स्थानों पर गुप्त संस्थाएं योजनात्मक एवं सहकारी रूप से कार्य कर रही थी।

SCERT TELANGANA

समाजवाद

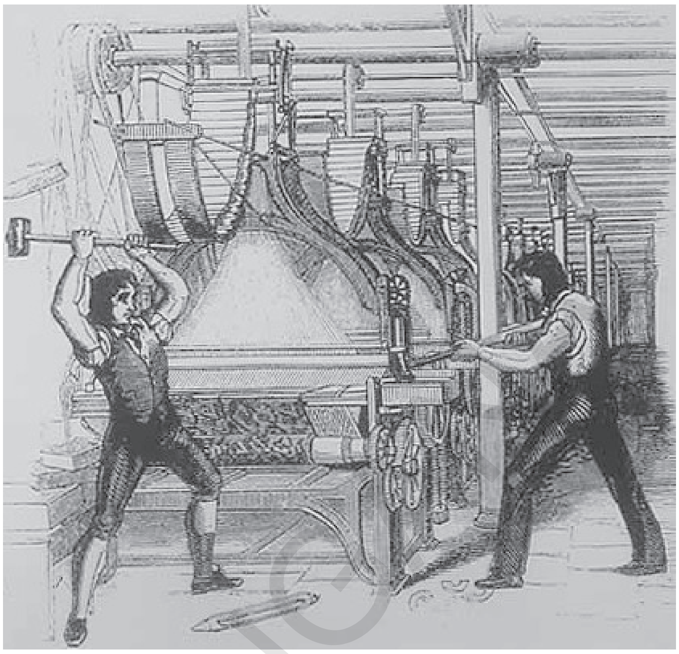

चित्र 15.2: 1812 लाडवाद में फ्रेम ब्रेकिंग का बनाया चित्र

सरकार व सेना लाडवाद को दबा रही थी, बावजूद इसमें एक नयी विचारधारा विकसित हो रही थी, जिससे मजदूरों को नया सामाजिक लक्ष्य मिला। समाजवाद था। समाजवाद क्या है? यह एक सिद्धांत है, जिसमें संपत्ति और संसाधनों पर निजी स्वामित्व के बजाय जनता का स्वामित्व होता हैं। सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार, व्यक्ति न तो अकेला रहता या काम करता है बल्कि एक-दूसरे के सहयोग से जीता है। लोग सामाजिक दृष्टिकोण से जो भी वस्तु उत्पन्न करते हैं वह सामग्री के उत्पादन में सहयोग देते हैं, उस पर सबका अधिकार होता है। समाज समग्र रूप से इसके सभी सदस्यों के लाभ के लिए संपत्ति पर नियंत्रण करे और लाभ के लिए काम करता है।

इस तरह देखा जाये तो समाजवाद पूँजीवाद के मूलभूत विचार का खंडन करता है। जहाँ पूँजीवाद में निजी स्वामित्व व बाजार में क्या उत्पादित करना चाहिए और उसमें किसका हिस्सा होना चाहिए की छूट होती है। समाजवाद आरोप लगाता है कि पूँजीवाद आवश्यक रूप से धन के अन्याय व शोषण के प्रति बढ़ावा देता है, और धन कुछ ही लोगों के हाथों में होता है। धनी व्यक्ति अपनी संपत्ति व शक्ति का उपयोग समाज में वर्चस्व पाने के लिए करता है। चूँकि वे धनी होते हैं, अतः वे अपनी पसंद की जगह पर कहाँ और कैसे रहना है, का चयन करते हैं, ऐसी स्थिति में गरीब के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता। जिसके परिणामस्वरूप, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अवसर की समानता जैसे शब्द केवल पूँजीवादियों के लिए अर्थयुक्त रहते है। कामकाजी लोगों के लिए, जिन्हें अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिए पूँजीवादी लोगों द्वारा बनाये गये नियमों के अधिन जीवित रहना पड़ता है। सामाजिक दृष्टिकोण से वास्तविक स्वतंत्रता व वास्तविक समानता के लिए संसाधनों पर सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता है, जो कि समृद्ध समाज का आधार है।

समाजवादी यह भी विश्वास करते हैं कि संसाधनों के असमान वितरण से, वास्तविक प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं रहती, चूँकि धनी जोड़-तोड़ से संतुलन को अपने पक्ष में कर ही लेता है।

समाजवादी तत्व के कई विचार कई चिंतकों में देखे जा सकते है, जैसे प्लूटो और थॉमस मूरे। ये विचार तब मजबूत बन गये जब वे शक्तिशाली फ्रेंच आंदोलन विचार के संपर्क में आये। बेबफ व अन्य चिंतकों ने शिकायत करते की कि यह आंदोलन समानता, स्वतंत्रता व सौहार्दता की पूर्ति करने में विफल हुआ है। इस बात का समर्थन करते हुए बेबफ तर्क करते हैं कि "समानता का मूल्यवान सिद्धांत है", "निजी संपत्ति व जनसामान्य द्वारा भूमि तथा उसके फल को उपभोग करने का उन्मूलन है।" सरकार को समाप्त करने साजिश में उसे मार डाला गया। हालांकि उसके विचारों ने कारखाना कलाशाला प्रणाली के विरुद्ध

SCERT TELANGANA

चित्र 15.3: एक पत्रिका से लिया गया पोस्टर, जिसमें मजदूरों को एकजुट होने के लिए बताया गया है।

सामाजिक विरोधी आंदोलन करने के लिए एक पीढ़ी को प्रेरित किया

एक अन्य फ्रांस के पूर्ववर्ती समाजवादी चिंतक सेंट साइमन, जिन्होंने उत्पादित संपत्ति पर जनसामान्य के स्वामित्व का पक्ष लिया। बल्कि उन्होंने संपत्ति पर केंद्रिय योजना द्वारा नियंत्रण करने के लिए कहा। इस योजना में वैज्ञानिक, उद्योगपति व अभियंता द्वारा सामाजिक आवश्यकताओं को पहचानकर उसकी पूर्ति के लिए समाज को कार्य करने पर जोर दिया। ऐसे चिंतक औद्योगिक आंदोलन के गढ़ इंग्लैंड में भी हुए। एक छोटे उद्योगपति, जिसका नाम ओवन था, वह मजदूरों की दशा व पूँजीवादियों के पास संपत्ति देखकर दंग रह गया। उसने सहकारिता गाँवों के निर्माण के लिए आवाज दी जहाँ सभी जनसामान्य के हों, लोग मिलजुलकर काम करें तथा अपने श्रम द्वारा बनायी सामग्री का साझा करें। हालांकि ऐसे विचारों को आदर्शवादी या काल्पनिक कहा गया और जनसामान्य भी आभास करते थे कि ऐसे विचार अच्छे तो हैं, किंतु आचरणयोग्य नहीं है, जबकि भारी मात्रा में औद्योगिक उत्पत्ति हो चुकी है।

कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंग्लस ने औद्योगिक पूँजीवादी उत्पादन की कार्यप्रणाली पर अध्ययन कर समाजवाद का नया सिद्धांत बनाया। उन्होंने तर्क किया कि पूँजीवाद जहाँ इतिहास में प्रगतिशील बन रहा है, वही एक ऐसी शोषक प्रणाली भी है जहाँ पूजाँवादियों व मजदूरों को उनकी सच्ची मानवता से अलग करती है। यह प्रगतिशील है, क्योंकि इसने संसार में औद्योगिक परिवर्तन किया, अतः इसने सामाग्री की आवश्यकता को सभी के लिए उन्मुक्त किया। यह शोषक इसलिए है कि पूँजीवाद का मजदूर पर बल होता है, जिससे वे लाभ कमाते हुए मजदूरों के जीवन को पीसते रहते हैं। मार्क्स विश्वास रखते हैं कि औद्योगिक उत्पादन जनसामान्य को छोटे से वेतन में रहने व कार्य करने के लिए दूभर कर देगा; उन्हें अपनी आवश्यक सामग्री के उत्पादन के लिए असंख्य लोगों के साथ कार्य करना होगा। अतः उत्पादन समाज को सभी व्यवहार का हिस्सा बन जाएगा न कि एक परिवार या गाँव का। इससे मनुष्य को अपना जीवन सुधारने की जबरदस्त शक्ति मिली । इससे वे सामूहिक रूचि से मिलकर कर सकते हैं।

मार्क्स और एंग्लिस ने यह तर्क भी किया है कि जो मजदूर कारखानों में उत्पादन करते हैं, के पास संपत्ति नहीं है, और जो कि उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चूँकि उनका शोषण हो रहा था, इसीलिए पूँजीवाद व्यवस्था लाभ कमाती जा रही थी । इस कारण मजदूरों को अपने वेतनों के लिए लड़ना होगा, जिससे पूँजीवाद व्यवस्था अपने आप समाप्त हो जाएगी। यदि मजदूर सभी कारखाने व अन्य संसाधन अपने हस्तगत कर लेते है, और जनसामान्य के लाभ के लिए चलाते हैं, तो समसमाज की स्थापना हो सकती है। वे तर्क करते हैं

SCERT TELANGANA

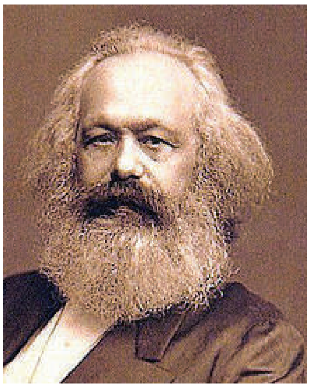

कार्ल मार्क्स

कि सभी मजदूर एक हो जाएँ तो पूँजीवाद को समाप्त कर सकते हैं, जिस तरह फ्रेंच आंदोलन में जमींदारी व राजाओं को लोगों ने निकाल फेंका था। मजदूरों को चाहिए कि वे राज्य के उपकरण अपने अधीन कर लें तथा ऐसा मजदूरों का राज्य बनायें जहाँ सभी कारखाने उनके अधीन कार्य करते हुए सभी को लाभ पहुँचाए।

फ्रेड्रिक्स एंगिल्स

मार्क्स व एंगिल्स के विचारों ने 19वीं शताब्दी की समाप्ति तक कट्टरपंथी चिंतकों व कार्यकर्ताओं पर गहरा प्रभाव डाला तथा 20वीं शताब्दी में बृहत सामाजिक आंदोलनों के लिए प्रेरित किया। ठीक इसी समय ऐसे भी कट्टरपंथी चिंतक थे जो मार्क्स से कई मुद्दों पर असहमत थे, जिसके परिणामस्वरूप अराजकतावाद की उत्पत्ति हुई।

समाजवाद भारत में प्रारंभिक दिनों में ही आ चुका था। स्वामी विवेकानंद यूरोप व अमेरिका द्वीपों के दौरे पर गये थे, तो वहाँ लागू समाजवाद से काफी प्रभावित हुए। जैसे-जैसे यह राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण करता गया वैसे-वैसे कई राष्ट्रवादी इससे प्रभावित होते गये। भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए सन् 1917 का रूसी कम्युनिस्टवादी आंदोलन काफी प्रेरणादायक रहा, विशेषकर आंदोलनकारी सरकार द्वारा सभी राष्ट्रवादी समस्याओं को समर्थन देना। कई नेता जैसे एम. एन. रॉय, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरु आदि सभी उत्साही समाजवादी थे। जैसे कि भारतीय शहरों में कई कारखाना उत्पादन विकसित हुए, कई नेताओं ने मजदूरों में व्यवसायिक संघों का आयोजन किया। वे भी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, जो आगे चलकर सन् 1920 में भारतीय वामपंथी दल की स्थापना के कारक बने।

- किस तरह मार्क्स का समाजवाद लडवाद से भिन्न था?
- मार्क्स ने कारखाना उत्पादन को सर्वोपरी व इच्छुक क्यों बताया?
- मार्क्स और पूर्ववर्ती समाजवादियों में मुख्य अंतर क्या था?

महिला आंदोलन

मध्यकाल व आरंभिक आधुनिक युग तक महिलाओं पर यूरोप व संसार में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा। उन्हें संपत्ति रखने या नागरिक अधिकार जैसे मतदान करने आदि का भी अधिकार नहीं था। वे अधिकतर गृह संबंधी कार्यों जैसे भोजन बनाना, बच्चों का पालन पोषण, बड़े-बूढ़ों की घर में सेवा करना तथा पुरुषों की सहायता करने आदि से जुड़ी थी। यह परिवर्तन आया औद्योगीकरण से, जिससे कारखानों में महिलाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिला। जैसे ही महिलाएँ परिवार से निकलकर काम करने और कमाने लगीं, उनकी अपनी अलग पहचान बनने लगी और समाज में भूमिका बढ़ने लगीं। उन्होंने सभी मनुष्यों में समानता के सिद्धांत पर जोर देना आरंभ किया, फिर चाहे वे पुरुष हों, या महिलाएँ।

1791 में जब फ्रेंच आंदोलनकारी पुरुषों के अधिकार का घोषणा पत्र बना रहे थे, कई फ्रांसिसी महिलाओं विरोध किया, जिसके फलस्वरूप महिलाओं के अधिकारों के बारे में अलग से रूपरेखा तैयार की गयी जिसमें घोषित किया गया कि - ''महिलाएँ स्वतंत्र जन्मी हैं तथा वे पुरुषों के साथ अधिकारों के लिए समान हैं। सामाजिक भेदभाव केवल आम उपयोगिता के आधार पर ही हो सकता है। सभी नागरिक जिसमें

महिलाएँ भी शामिल हैं,वे सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, व रोजगारों जो उनकी क्षमता के योग्य है, उनमें बिना किसी भेदभाव के, उनके गुण व बुद्धि के आधार पर प्रवेशयोग्य हैं।'' जरूर यह घोषणा पत्र फ्रेंच विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया गया । हालांकि, ऐसे सिद्धांत जहाँ महिलाओं को पुरुषों के समान समानता मिलनी चाहिए, मतदान व सरकारी पदों पर आसन्न होने के द्वारा सरकार की ओर से अपनी भागीदारी अदा करना जैसे लक्ष्यों को लेकर महिलाओं ने यूरोप व अमेरिका में कई आंदोलन चलाये।

मत का अधिकार संबंधी आंदोलन ने 1830 से 1870 के बीच सभी वर्गों के लोगों को मत देने संबंधी मत ने तीव्र रूप धारण कर लिया। इंग्लैंड जैसे देशों में महिलाएँ भी बड़ी संख्या में बाहर आयीं और अपने मत के अधिकार के लिए आवाज बुलंद की। उन्हें 'महिला मताधिकारवादी' कहा गया। उन्होंने प्रदर्शन, बैठकें तथा समाचार पत्रों के माध्यम से संसद सभा से निवेदन किया। रूसी आंदोलन ही ऐसा पहला आंदोलन था जिसने सन् 1917 में महिलाओं को वैसे अधिकार दिलाये। सन् 1918 में इंग्लैंड में भी कुछ महिलाओं को यह अधिकार मिले और 1928 तक सभी वयस्क महिलाओं को यह अधिकार दे दिया गया। धीरे-धीरे इसे संसार के प्रजातांत्रिक देशों द्वारा अपना लिया गया।

जैसे कि महिलाएँ सार्वजनिक मुद्दों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही थीं, तो उन्हों आभास हुआ कि अधिकांश क्षेत्रों में उनके साथ अन्याय हो रहा है, फिर चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य, संपत्ति अधिकार या रोजगार। कई महिला लेखिकाओ जैसे वर्जिना वूल्फ ने लिखा कि किस तरह पुरुषों का महिलाओं पर वर्चस्व रहा और किस तरह महिलाएँ उनके वर्चस्व का माध्यम बनीं। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात महिला आंदोलन का नया चरण देखने में आया, जहाँ वे जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अधिकार के लिए आंदोलन करने हेतु तैयार हुईं। उन्होंने सांस्कृतिक और राजनीतिक असमानताओं के विरुद्ध आवाज तेज किया, उन्होंने पाया कि किस तरह ये दोनों अंश एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस आंदोलन ने महिलाओं को उनके अपने निजी व्यक्तिगत जीवन को राजनीति से जोड़ने, पुरुष और महिला के बीच सत्ता के असमान बंटवारे को समझने का भरपूर अवसर दिया। यदि प्रथम महिला आंदोलन मताधिकार के लिए चला तो वहीं दूसरा महिला आंदोलन अधिकांशतः समानता के मुद्दों पर चला, जिसका उद्देश्य शिक्षा व स्वास्थ्य से युक्त जीवन के सभी क्षेत्रों में भेदभाव को मिटाना था

आपने पढ़ा होगा कि किस तरह सामाजिक सुधारकर्ताओं ने 19वीं शताब्दी में भारत में चल रही कुप्रथाओं- सती प्रथा, जन्म के साथ ही कन्या शिशु को मार डालना, विधवाजीवन जीने के लिए मजबूर करना आदि को समाप्त करने तथा महिलाओं तक आधुनिक शिक्षा के विस्तार के लिए कार्य किया। महिलाओं में शिक्षा के विस्तार से कई महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने तथा अन्य महिलाओं के समान स्वयं को बनाने की योग्यता प्राप्त हुई। इससे भारत में भी महिला आंदोलन को बढ़ावा मिला।

महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया तथा विशेषकर गाँधीजी जैसे नेताओं ने आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को विशेष महत्व दिया। हजारो महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर राष्ट्रवादी विचारधारा को नया रूप दिया। जिसके फलस्वरूप स्वतंत्र भारत में महिलाओं को पुरुषों के समान वैध समानता प्राप्त हुई। यहाँ यह भी देखा गया कि उनके विरुद्ध संपत्ति कानूनों आदि में जो भेदभाव होते थे, वे भी समाप्त हो गये।

जबकि वैध समानता तो प्राप्त हो चुकी है, फिर भी वास्तविक समानता भारत सहित संसार भर में अब तक एक छल मात्र ही है तथा इसके लिए महिला आंदोलन कारणों का पता लगाकर इसे समझने का प्रयास कर रहा है जिससे वास्तविक व प्रभावी समानता मिल सकेगी।

SCERT TELANGANA

मुख्य शब्द

1. समाजवाद
2. लडिज्म (लडवाद)
3. प्राच्यविद् (दार्शनिक)
4. महिलावाद
5. पूँजीवाद
6. आंदोलनकारी

शिक्षा में सुधार

1. नीचे दिये गये कथनों में से औद्योगिक मजदूरों के बारे में कौन सा कथन सही हैं? तथा गलत कथन को सही करें। (AS_1)
   - मजदूर उद्योगों को नियंत्रित करते थे।
   - मजदूरों की जीवन स्थिति आरामदेह थी।
   - मजदूरों में असंतोष का एक कारण कम वेतन था।
   - औद्योगीकरण के चरण में संवेग व भावनाओं का विशेष प्रभाव था।
   - रोमांचकारी लेखकों तथा कलाकारों ने अपनी लोककथाओं व लोकगीतों में प्रकृति के प्रति सामिप्य के मूल्य को विशेष रूप से उभारा।
2. तत्कालीन मजदूरों को कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था? सूची बनाइए। यदि वही समस्याएँ अब भी है? (AS_4)
3. पूँजीवाद व समाजवाद की विचारधारा की तुलना करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। वे कहाँ तक समान या भिन्न हैं? (AS_1)
4. महिला व मजदूरों के आंदोलनों द्वारा सामना की जाने वाली समानता की विचारधारा में क्या साम्यता या भिन्नता है? (AS_1)
5. मजदूर तथा महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में ''स्वतंत्रता, समानता व न्याय'' की विचारधारा को दर्शाने वाला एक पोस्टर बनाइए। ऐसे संदर्भों की पहचान कीजिए जहाँ इन विचारधाराओं का उल्लंघन होता है। (AS_6)
6. संसार के मानचित्र में उन देशों को दर्शाइए जहाँ विरोधाभासी आंदोलन प्रारंभ हुए थे।(AS_5)
7. पृष्ठ संख्या 195 के अंतिम दो अनुच्छेद पढ़कर टिप्पणी कीजिए। (AS_2)

परियोजना कार्य

क्या आप अपने आस-पास कोई विरोधाभासी सामाजिक आंदोलन देखते हैं? उन आंदोलन के नेताओं का साक्षात्कार लेकर एक रपट बनाइए तथा अपनी कक्षा में प्रदर्शित कीजिए।

SCERT TELANGANA

लेटिन अमेरिका, अफ्रिका और एशिया में उपनिवेशवाद

अध्याय
16

यूरोप का विस्तार एवं आरंभिक उपनिवेशवाद

नीचे दिए गए विश्व के मानचित्र को देखिए । यह हमें बताता है कि *600* वर्ष पहले यूरोपियों के लिए विश्व ऐसा था ।

विश्व का मानचित्र गिनीस के अनुसार 1400 सीई में यूरोपियों की जानकारी के अनुसार

लगभग 600 वर्ष पहले लोग बहुत कम यात्रा करते थे। वे लोग अधिकतर घोडे और ऊँट की पीठ पर सवार होकर या छोटी नाव और जहाजों की सहायता से समुद्री तटीय भागों में यात्रा करते थे। व्यापारी दूरस्थ स्थानों की यात्रा सुगंधित एवं रूचिकर वस्तुओं को खरीदने के लिए करते थे और अधिक कीमत पर बेचते थे । चीन में सिल्क और चीनी मिट्‌टी से बने बर्तन तथा भारत में इस्पात और गरम मसाले, अरब में फल और इत्र तथा यूरोप में शराब आदि सारे विश्व में प्रसिद्ध थे। व्यापारी उन्हें सोने और चाँदी के बदले में खरीदते और बेचते थे तथा अधिक लाभ कमाते थे । इसलिए कुछ व्यापारी तो राजा से भी अधिक धनी थे ।

1400 शताब्दी के लगभग यूरोप और एशिया के अधिकतर समुद्री मार्गों पर इस्लाम साम्राज्य का अधिकार था, विशेषतः उन बादशाही साम्राज्यों को जो लगातार यूरोपीय ईसाई शक्तियों के साथ युद्धरत रहते थे। इटली निवासी अरब व्यापारियों से परिचित थे क्योंकि वे एशियाई वस्तुओं को अलेक्जांड्रिया लाते थे और इटली वासियों को बेचते थे। हालैंड, स्पेन, पूर्तगाल और इंग्लैड के व्यापारियों और सरकार को जब इस व्यापार का

- कौन से महाद्वीपों की जानकारी नही थी?
- कौन से ऐसे महाद्वीप है जिसे तटीय क्षेत्रों की जानकारी तो थी परंतु आंतरिक भागों की नही थी ।

महत्व ज्ञात हुआ तो वे भारत और चीन जैसे देशो को सरल और जल्दी पहुँचने के मार्ग की खोज करने लगे। इटली व्यापारियों के अधीनस्थ क्षेत्रों से नही गुजरना चाहते थे। उदाहरण के लिए पुर्तगाली भारत पहुँचने के लिए मार्ग की खोज अफ्रिका का चक्कर लगाकर करना चाहते थे। स्पेन वासी चाहते थे कि क्या अन्ध महासागर को पार कर भारत पहुँचने का मार्ग ढुँढना संभव है? उन्होंने अधिक धन खर्च कर कई अनुभवी सैलानियों को जहाजों और अन्य संसाधन मार्ग खोज के लिए दिए। इसी कारण 1492में क्रिस्टोर कोलम्बस नें मध्य अमेरिका 1498 में वास्कोडिगामा ने अफ्रिका का चक्कर लगाकर भारत की खोज की। कोलम्बस स्पेन की रानी के लिए कार्य करते थे और वास्कोडिगामा पुर्तगाली राजा के लिए कार्यरत थे। जल्दी ही अंग्रेज और डच सरकार ने भी अपने सैलानियों को इन क्षेत्रों की ओर भेजा।

- आप ऐसा क्यों सोचते है कि इटलीवासी 1400 शताब्दी से एशिया में व्यापार जमाए हुए थे न कि अन्य यूरोपीय जैसे पुर्तगाली और स्पेन ?
- क्यो पुर्तगाली और स्पेनवासी एशिया को पहुँचने के लिए दूसरा मार्ग तलाशने में रुचि रखते हैं ?

लेटिन अमेरिका में यूरोपीय उपनिवेशवाद

कोलम्बस जिसे आज हम वेस्टइंडीज के नाम से जानते हैं वहाँ पहुँचा - यह द्वीप दक्षिणी अमेरिका के तटीय क्षेत्र से दूर था। उसने सोचा कि वह भारत पहुँच चुका है और वहाँ के स्थानीय लोगो को भारतीय कहा। (इसी कारण आज वास्तविक अमेरिका के मूल निवासी प्रवासी भारतीय कहलाते हैं।) ये साधारण जनजाति के लोग थे जिन्होंने अतिथियों का सत्कार किया और उन्हें भोजन और आवास दिया। स्पेन वासियों ने उनका शोषण कर लूटा। उन्हें बंधुआ श्रमिक से बदल कर खाद्यान्न उगाने और सोने की खानों में काम दिया। दुर्भाग्य से सभी मूल निवासी या तो मर गए या मारे गए।

कोलम्बस के बाद स्पेन सरकार ने कई अन्य अन्वेषकों को अमेरिका पर विजय पाने तथा उसका शोषण करने भेजा था। उन्हें आशा थी कि कई सोने और चाँदी की खाने और बहुमूल्य कीमती धातु वहाँ के स्थानीय राजाओं की सहायता से खोजेंगे। स्पेनिश विजेता कोर्टेज अन्वेषक ने मैक्सिकों को लूटने और लोगों की हत्या के लिए जा पहुँचा। उसने वहाँ के क्षेत्रीय राजा की हत्या कर दी तथा मैक्सिको की स्वतंत्रता खत्म कर दी। उसी प्रकार पिंजारों नामक अन्य विजेता ने पेरू पर जीत प्राप्त कर उसे लूटा।

अंग्रेज भी पीछे नहीं रहे। वे उत्तरी अमेरिका पहुँचे और अंग्रेजी किसानों के साथ पूर्वी तट पर उपनिवेश स्थापित करने लगे। वहाँ के मूल अमेरिकी

Fig. 16.1: Columbus before the Queen, as imagined by Emanuel Gottlieb Leutze, 1843.

SCERT TELANGANA

निवासियों ने मित्रता दिखाई और यूरोपियों को सहायता और सहयोग भी दिया । यह उस समय की घटना है जब इंग्लैंड में जमींदारों ने छोटे किसानों की भूमि छीनना आरंभ किया था । कई किसान उत्तरी अमेरिका आ गए और उन्होंने वही अपना निवास स्थान बनाना चाहा । स्थानीय अमेरिकी वासियों से बलपूर्वक जमीने छीन, कर, हत्या कर, उन्हें आंतरिक भागो में खदेड़ दिया ।

जैसे ही यूरोप में अमेरिका के संसाधनों की जानकारी मिली भूमि भूखे लोगों की लहर अमेरिका की ओर चल पड़ी । उन्होंने स्थानीय लोगों को वहाँ से भगा दिया और उनकी भूमि पर अधिकार जमा लिया।

एक बार जब हत्याएँ, दमन एवं शोषण समाप्त हुआ तब यूरोपीय वहाँ बस कर वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार जमाने लगे । उन्हें शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता होने लगी। उन्हें पता था कि अमेरिका के मूल निवासी आसानी से गुलाम नहीं बनाए जा सकते । इसीलिए उन्होंने कई अफ्रिकी गुलामों को वहाँ भेजना आरंभ किया जो कि यूरोपीय (विशेषकर पुर्तगाली) व्यापारियों और उनके दलालों द्वारा अफ्रिका के आंतरिक भागों से लाये गये थे । इन अफ्रिकी गुलामों को अमानवीय व्यवहार के साथ अमेरिका भेजा और उन्हें बड़ें जमींदारों और अन्य लोगों को बेच दिया । 15 से 20 लाख अफ्रिकी दास बलपूर्वक अमेरिका भेजे गए । उनसे गन्ने के खेतो, मकई के खेत, तंबाकू के खेत और कपास के खेतों में काम करवाया जाता था । उन उत्पादों को उनसे लेकर इंग्लैंड और फ्रान्स देशों में अधिक लाभ लेकर बेचा जाता ।

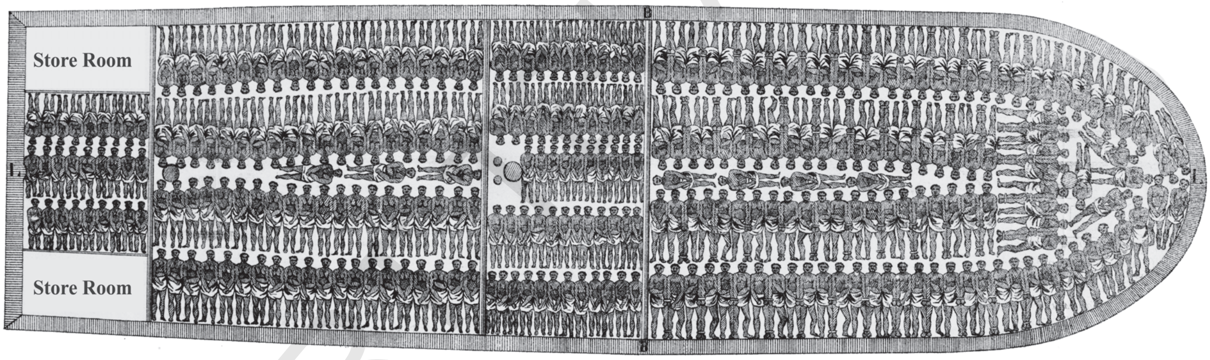

चित्र. 16.2:292 दासो को जहाज में ले जाता हुआ चित्र

लेटिन अमेरिका

1500 से 1800 शताब्दी के 300 वर्षो से मध्य एवं दक्षिण अमेरिका पर स्पेन और पुर्तगाल का अधिकार हो गया था । स्पेनिश एवं पुर्तगाली भाषा लेटिन भाषा से ही निकली हुई थी, इसलिए इन देशो को लैटिन अमेरिका देश कहा जाने लगा । इस महाद्वीप के आधे से ज्यादा मूल निवासी मारे गए या यूरोपियों द्वारा लाई गई बीमारियो के शिकार बन गए । अधिक संख्या में यूरोपीय बस गए जो अफ्रीका से खरीदे गए दास थे । इन देशों के निवासी आज मूल भारतीय स्पनिश और पुर्तगाली और अफ्रिकी गुलामों के वंशज का मिश्रित रूप है। अधिक संख्या में लोग उन यूरोपीय अभिभावकों के वंशज है जिन्होंने भारतीय या अफ्रिकी से विवाह किया था।

- लगभग 1800 शताब्दी के दक्षिण अमेरिका के मानचित्र को देखिए और उन देशों को पहचानिए जिन पर विभिन्न शक्तियों का अधिकार था ।

मानचित्र 2 दक्षिण अफ्रीका - 1800.

हमने देखा कि अधिक संख्या में मूल भारतीय मारे गए । जब अन्य समुदायों पर स्पेन का अधिकार हो गया था तब छोटे जनजाति समुदाय जो घने जंगल में रहते थे वे जीवित थे । उन पर भारी कर लगाए गए तथा स्पेन के अधीन खेतों और खदानों में काम करने के लिए मजदूर बनना पड़ा । उनके अधिकांश मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और रोमन कैथोलिक धर्म में परिवर्तित कर दिये गये । दक्षिण अमेरिका में 17 वीं और 18वीं शताब्दी में कई छोटे-बड़े भारतीय क्रांतिकारी उभरने लगे, लेकिन सेना और हथियार के अभाव के कारण निर्ममता से उन्हें दबा दिया गया जो कि स्पेन के पास थे ।

स्पेन द्वारा शासित की देशों के सभी अधिकार मेडरिक (स्पेन की राजधानी) में स्थित सर्वोच्च परिषद के अधीन थे। यह परिषद उच्च अधिकारियों और उच्च वर्ग के लोगों को स्पेन से नियुक्त कर उपनिवेश पर शासन करने भेजती थी । उपनिवेशो मे कैथोलिक गिरिजाघरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी । इसके बाद स्पन निवासी भी थे जो इन देशों की भूमि और खाद्यान्नों पर अधिकार रखते थे। इनमे से कुछ बडें जमींदार होते थे जो इन देशों की भूमि और खदानों पर अधिकार रखते थे जिनके पास विशाल भूभाग होती थी, उसे 'हसियंडा' कहते थे । हसियंडा में हजारों एकड़ भूमि होती थी जिसमें सोने और ताँबे की खाने, कृषि भूमि और उपजाऊ भूमि और कारखाने होते थे। इसके मालिक बड़े जमींदार होते थे जो प्यून या भारतीय एवं अफ्रिकी गुलामों से वहाँ काम करवाते थे । इनके अतिरिक्त कुछ सामान्य स्पेनवासी जो छोटे किसान और पशु चारवाहा थे, वहाँ बस गए । वहाँ निवासित स्पेन वासियों को प्रशासन में कोई अधिकार प्राप्त नही था, वह सीधा स्पेन के अधीन था, जो यूरोप द्वारा संचालित था।

- आप क्या सोचते है कि उपनिवेशी सरकार ने स्पेनी निवासियों को कोई महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं होने दी ।

कुछ ही समय में स्पेन के भूपति और किसानो ने इन देशों के व्यापार और उद्योगों में प्रगति की और कृषि उत्पादों जैसे शक्कर, मांस के अलावा धातु जैसे ताँबा, टीन का विशाल मात्रा में निर्यात करने लगा।

स्पेन द्वारा इन उपनिवेशों की आर्थिकता पर अधिकार कुछ इस प्रकार स्थापित था जैसे सस्ते मजदूर और प्राकृतिक संसाधनों के साधनों की सेवा के अतिरिक्त इनका ध्यान आंतरिक विकास की ओर नही

SCERT TELANGANA

गया। इस स्थिति के कारण उपनिवेशी शक्तियों की आर्थिकता केवल एकाधिकार व्यापारिक संबंधों में स्थापित हुई। इन एकाधिकारी सुविधाओं की सुरक्षा के लिए उपनिवेशों की सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को बलपूर्वक आकार दिया गया।

इन उपनिवेशी देशों समय को बलपूर्वक वाणिज्य फसले जैसे गन्ना या तंबाकू या कपास उगाने पर विवश किया जाता था, जो कि प्रबल देशों मे सस्ते दामों में बेचा जाता था। उन्हें दूसरे देशों में कारखानें और व्यापार स्थापित करने की अनुमति नही थी। बाध्यित श्रमिकों के कारण विशाल स्तर पर कम कीमत पर वाणिज्य फसलों को उगाने का कार्य विशाल भू भाग पर संभव था। इन भूपतियों को फसल उगाने या उत्पादन की आधुनिक प्रक्रिया में कोई उत्साह नही थे, क्योंकि उन्हें बलपूर्वक सस्ते मजदूर मिल जाते थे।

अधिकांश लाभ का भाग आरामदायक वस्तुओ के प्रदर्शन में उच्च वर्गीय लोगों द्वारा खर्च कर दिया जाता था, न कि बचत और उत्पादन में इसे लगाया जाता था। इसके कारण असमान असामाजिक ढाँचा प्रबल रहा, इसका यह भी अर्थ है कि अधिक लोगों में संपूर्ण दरिद्रता पाई गई।

उपनिवेशवाद ने भी उपनिवेशी आर्थिकता पर अपना अंकुश स्थापित किया। उपनिवेशी देशों मे कडे नियम और सामाजिक अधिकार नियम स्थापित किए गए। कारखानों में उत्पादित छोटी से छोटी वस्तु जैसे किल का भी उत्पादन निषेध था। अप्राकृतिक रूप से पूरी तरह उपनिवेशी देशों को उपनिवेशिक देशों पर निर्भर करना पड़ता था। इस प्रकार उपनिवेशों में उपनिवेशी अधिकार ने बलपूर्वक अर्धविकसित स्थिती बनाई- उत्पादन के क्षेत्र में पूँजी लगाकर उन्हें उन्नति करने से रोक दिया।

- आपने कक्षा 8 में निजाम राज्यों में जमींदारी प्रथा को पढा था। निजाम राज्य की जमींदारी प्रथा एवं दक्षिण अमेरिका के हेचियनदास की तुलना कीजिए। इसमें समानता एवं असमानता का पता लगाए।
- लैटिन अमेरिका के उपनिवेशी देशों के निम्न लोगों के कष्ट निवारण के सुझाव बताइए।

1. स्पनिश स्थाई निवासी जो हेचियनदास के मालिक थे।
2. अमेरिका में बसे छोट स्पेनिस किसान
3. मूलभूत अमेरिकी
4. लैटिन अमेरिका में बसे अफ्रीकी दास

स्पेनिश उपनिवेशो के प्राचीन निवासी स्पेन के उच्च वर्गीय लोगों के उन पर अधिकार से नाराज थे और लैटिन अमेरिका मे 1810 से स्पेन के विरोध मे विद्रोह आरंभ हो गए। वे उत्तरी अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा एवं फ्रांसिसी क्रांति से अधिक प्रभावित हुए। साईमन बोलिवर ने एक कांतिकारी सेना का नेतृत्व किया जिसमें काले गुलामो और छोटे किसानों और यूरोप के कई लागों ने जो फ्रांसिसी क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित थे, ने उनका साथ दिया। इस सेना ने वेननजुएला को स्वतंत्र करवाया जो आज कोलंबिया कहलाती है। एक और क्रांतिकारी सेना मार्टिन के द्वारा पेरू और अर्जेन्टाईना में 1817 तथा 1822 में ब्राजिल में जो पुर्तगालियों के अधीन था, स्वतंत्रता प्राप्त की। इस प्रकार दक्षिण अमेरिका के अधिक भागों में यूरोपीय उपनिवेशी शासन समाप्त हुआ।

SCERT TELANGANA

इस. 16.3: पेरू के वर्तमान माँचू पिंचू का स्थान जहाँ पूँजा की जाती है।

1820 से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका शक्तिशाली आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में संगठित हुए । वह सोंचने लगा कि दक्षिण अमेरिका का भू भाग प्रभावित है और सक्रियता से किसी भी यूरोपीय शक्ति का उस क्षेत्र में अधिकार स्थापित करने से रोकने लगा । संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रपति जेम्स मुनरों ने मुनेरो नियम (Munroe Doctrine) आरम्भ किया जिसके अनुसार किसी भी यूरोपीय शक्ति को अमेरिकी महाद्वीप में उपनिवेश स्थापित करने की अनुमति नही है और संयुक्त राष्ट संघ को अन्य महाद्वीप में उपनिवेश स्थापित करने की अनुमति नही है और संयुक्त राष्ट्र संघ अन्य महाद्वीपों में स्थापित उपनिवेशों में हस्तक्षेप नहीं करेगा । 1823मे मुनेरो द्वारा दिए गए भाषण के सार को पढिए ।

"समय आ गया कि निश्चयता पूर्वक यह कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार एवं रूचि के उद्देश्य शामिल किए जाये, अमेरिकी महाद्वीप, स्वतंत्र एवं मुक्त स्थिति जो उन्हें प्राप्त एवं बनाई रखी,भविष्य में किसी यूरोपीय शक्ति द्वारा उपनिवेशों की स्थापना कोई महत्वपूर्ण विषय नही होगा ।''

आप यह नोट कर सकते हैं कि मुनरों ने अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकतर रूचियों को दृढ बनाए रखना था । यह निश्चित था कि कोई यूरोपीय शक्ति अमेरिकी देशों में उपनिवेश स्थापित नहीं कर सकते परन्तु अमेरिका उन देशों में उपनिवेश स्थापित कर सकता है ।

ब्रिटेन जो नौ सेना मे शक्तिशाली था, उसने मुनेरोडक्ट्रीन को समर्थन दिया । ब्रिटेन अच्छी तरह से जानता था कि अमेरिकी उपनिवेश किसी यूरोपीय शक्ति के राजनैतिक अधिकार के अधीन नही है, इसीलिए वे इंग्लैंड के साथ व्यापार करने में स्वतंत्र है और उनकी औद्योगिक वस्तुओं को खरीद सकते हैं ।

जबकि सीधे रूप से उपनिवेश शासन समाप्त हुआ, परन्तु प्राचीन उपनिवेशी शासन बने रहे । लेटिन अमेरिका के देशों में एक सामाजिक पद्धति थी जिसमें एक तरफ विशाल संख्या में जमींदार और दूसरी तरफ विशाल संख्या में श्रमिक, अर्ध श्रमिक और दरिद्र छोटे किसान थे । वहाँ गरीब भारतीय समुदायों के गाँव भी थे । उद्योग एवं व्यापार पर जमींदारों का अधिकार था जो उनके विकास में थोड़ी रूचि लेते थे क्योंकि श्रमिकों की जीविका शोषण द्वारा उन्हें संतोषजनक आय प्राप्त होती थी । इसीलिए लेटिन अमेरिका के देशों मे प्राचीन उपनिवेशवाद चलता रहा । ब्रिटेन एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे

SCERT TELANGANA

- आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि लेटिन अमेरिका के देश उपनिवेशी शासन से स्वतंत्र हो जाने पर भी अविकसित रहें ।
- मुनेरोडाक्ट्रीन ने किस प्रकार लेटिन अमेरिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित बनाए रखा? क्या उसने स्वतंत्रता पर सीमा लगाई ?
- ब्रिटेन ने मुनेरोडाक्ट्रीन से कैसे लाभ उठाए।

उच्च स्तरीय औद्योगिक देशों में उच्च स्तरीय सामाजिक एवं आर्थिक असमानता थी और भूमिहीन होने के कारण दरिद्रता बनी रही जिससे ये देश अप्रगतिशील बने रहे ।

एशिया में यूरोपीय देशों का उपनिवेशवाद

एशिया के विभिन्न देश जैसे भारत, चीन और जापान लैटिन अमेरिकी देशों से विभिन्न रूपों से भिन्न थे। एशिया के कई देशों में धनी जमींदारों एवं संपन्नों का घनत्व अधिक था और शक्तिशाली साम्राज्य की सेनाओं से सुरक्षित थे । इसीलिए जब यूरोपीय शक्तियों ने मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया तो लगातार वे मुगल सेना से पराजित होते रहे । किसी भी प्रकार से यूरोपीय कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों जैसे गोआ पर नियंत्रण पाने में सफल हुए जहाँ से समुद्री व्यापार पर आधिप्त स्थापित किया जा सके । उदाहरण के लिए 16 वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने हिन्द महासागर पर समुद्री साम्राज्य स्थापित किया । जो भी जहाज अरब सागर या हिन्द महासागर या बंगाल की खाड़ी से यात्रा करते थे उन्हें पुर्तगालियों के विशेष भेंट (शुल्क) देना पड़ता था वरना वे लोग इन पर आक्रमण करते और उन्हें लूट लेते।

अंत में हालेंड और इंग्लैंड जैसे यूरोपीय देश इस नियंत्रण को तोड़ने में सफल हुए, वे भी भारत व्यापार के लिए पहुँचने लगे । एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए 1600 में हालेंड और इंग्लैंड ने अपनी निजी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की । यह कंपनियाँ एशियाई देशों में उत्पादित वस्तुएं जैसे कपास, रेशमी कपड़ा, गरम मसाले,इस्पात आदि खरीदने में रूचि रखती थी, क्योकि यूरोप में इनकी मांग अधिक थी और अधिक लाभ पाते थे। उदाहरण के लिए पुर्तगालियों ने प्रथम अन्वेषण द्वारा लागत पर 400 प्रतिशत लाभ कमाया ।

भारत और इंडोनेशिया के विभिन्न बंदरगाह शहरों में यूरोपीय देशो ने व्यापारिक केन्द्र स्थापित किए । उनमे से हालैंड ने इण्डोनेशिया के कुछ बंदरगाह शहरों में राजनैतिक नियंत्रण स्थापित किया ।

डच : हालैड के लोगों को डच कहा जाता है । आज हालैंड का कार्यकारी नाम नेदरलैंड है ।

शीघ्र ही इन कंपनियों की क्रियाओं पर यूरोप में प्रगति के लिए विरोध उत्पन्न होने लगे । वे लोग भारतीय वस्तुओं को विभिन्न कीमती धातु जैसे सोने और चाँदी देकर खरीदने लगे जबकि हालैंड और इंग्लैंड नें संपत्ति एकत्रित कर ली । यह अनुभव किया गया कि इस व्यापार के परिणाम स्वरूप भारत धनी देश बन जाएगा । इस कारण कंपनियों पर भारी दबाव डाला गया कि एशिया में व्यापार के लिए पूँजी नियोजन करें ।

डच कंपनी ने इसके बदले में विस्तृत भू-भाग अधिकार करना आरंभ किया जैसे इंडोनेशिया, वहाँ कोई शक्तिशाली साम्राज्य नही था । वे लोग स्थानीय लोगों पर उनके उत्पादनों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए विवश करते थे जो एक प्रकार से एकाधिकार बन गया क्योंकि वे अन्य देशों को उनके साथ व्यापार करने नही देते थे। 1800 ई. में डच सरकार ने कंपनी को समाप्त कर इंडोनेशिया पर सीधे

SCERT TELANGANA

शासन स्थापित किया । सरकार भी आर्थिक पतन से ग्रसित थी इसीलिए इंडोनेशिया को आय के रूप में उपयोग करना चाहती थी । उन्होंने स्थानीय लोगों को कॉफी, शक्कर और गरम मसाले कर के रूप में देने पर विवश किया । यह वस्तुएं सरकार द्वारा अधिक लाभ के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेची जाने लगी । इस प्रकार लगभग डच सरकार के बजट में 25 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई । यह स्थानीय लोगों की अनकही मेहनत थी जो आवश्यक खाद्यान्न भी नही उगा सकते थे या वाणिज्य फसलों की कम से कम कीमत भी नही पाते थे । संपूर्ण दरिद्रता एवं सूखा इसके परिणाम हुए । उन्होंने कई विद्रोह किए गए परन्तु कठोरता से दबा दिए गए । हालैंड के कई लोगों ने इस योजना की आलोचना की ।

डच इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व का काल्पनिक डच साम्राज्य का चित्र। 16.4: (1916) में सडक मार्ग बहुमूल्य आभूषण के रूप में

1870 के अंत में सरकार ने उत्पादों को बलपूर्वक खरीदना बंद कर दिया। अब डच पूँजीपतियों ने इण्डोनेशिया में बागबानी पर पूँजी नियोजन करना आरंभ किया, जिसमें केवल एक फसल (जैसे रबड़, काली मिर्च या गन्ना) ही विस्तृत रूप से उगाई जाती थी जो डच मालियों के हाथ में ही था । डचों ने कॉफी, चाय, तम्बाकू कोको और रबड़ की जानकारी दी और विशाल भू-भाग पर बागवानी करने लगे । बागवानी का कार्य निरीक्षक के अंतर्गत अर्थदासो द्वारा किया जाता था। उसमें से कई लोगों को दूरस्थ देशों जैसे भारत से लाया जाता था। इन बागवानियों से उत्पादित पदार्थों को यूरोप के अंतर्राष्ट्रीय बाजारां में बेचा जाता था। उन्होंने टीन और पेट्रोलियम जैसे खनिजों में भी पूँजी लगाई। इन वस्तुओ के लिए यातायात को सरल बनाने के लिए सरकार ने रेलमार्ग और तारघरों आदि में भी पूँजी लगाई। डच ने इंडोनेशिया में विश्व आपूर्ति के लिए क्वीनी (quinine) और कालीमिर्च अधिक उत्पादित करता । 1/3 रबड़ 1/2 नारियल 1/5 चाय, शक्कर, काफी और तेल था । डच ईस्ट इंडीज ने लाभ में हालैंड मे कारखानों की प्रगति में सहायता की और विश्व का सबसे प्रसिद्ध उपनिवेशी शासन बना । द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 के समय जापान द्वारा इस शक्ति को समाप्त किया गया । भारत के साथ-साथ युद्ध के बाद इंडोनेशिया भी स्वतंत्र हो गया ।

चीन

चीन भी भारत के समान विश्व प्रसिद्ध देश था और शक्तिशाली साम्राज्य था । भारत के पूर्व में स्थित होने के कारण से लेटिन अमेरिका या इंडोनेशिया के समान यूरोपीय यहाँ अधिकार स्थापित नहीं कर पाए । चीनी राजा चीन में यूरोपियों के साथ व्यापार के खतरे को जानते थे और उन्होंने केवल कुछ व्यापारियों के साथ एक ही शहर मे व्यापार करने की अनुमति दी । वे लोग साम्राज्य मे भ्रमण भी नही कर सकते थे और अपने निवास स्थानों में ही रह सकते थे । इस प्रकार यूरोपीय व्यापारियों के भय को

SCERT TELANGANA

भारत में उपनिवेश का विस्तार

पिछली कक्षाओं मे आपने भारत पर अंग्रेजों की जीत के बारे में पढा था। यह जीत कुछ महत्वपूर्ण स्तरों को याद करने में यह मदद करता है। 16 वीं शताब्दी के आरंभ में पुर्तगालियों ने कुछ बंदरगाहों जैसे गोआ पर नियंत्रण स्थापित किया। 15 वीं शताब्दी के अंतिम चरण से अन्य यूरोपीय देशों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए बाह्य व्यापारिक केन्द्र स्थापित किया। जब तक औरंगजेब जीवित था तब तक कोई भी यूरोपीय कंपनी भारत में राजनैतिक अधिकार प्राप्ति के बारे में सोच भी नही सकती थी। जैसे ही 1700 के पश्चात मुगल साम्राज्या का पतन हुआ यूरोपीय कंपनियों ने धीरे-धीरे तटीय भागों पर राजनैतिक नियंत्रण पाना आरंभ किया। दक्षिण भारत में मद्रास में अंग्रेज तथा पांडिचेरी पर फ्रांसिसियों ने अधिकार जमा लिया। भारत पर एकल अधिकार स्थापित करने के लिए वे आपस में युद्ध करते रहते थे। अंत में अंगरेजों ने बंगाल के नबाब को हराया और 1757 में बंगाल पर राजनैतिक अधिकार प्राप्त किया। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। कंपनी ने बंगाल द्वारा प्राप्त कर उपयोग भारत में खरीदी के लिए लगाना शूरु किया और भारतीय कलाकारों, कृषकों और व्यापारियों को सस्ते दामों पर वस्तुएं बेचने के लिए राजनैतिक अधिकारों के उपयोग द्वारा विवश करते थे। इससे कंपनी को अधिक लाभ होने लगा।

कुछ हद तक कम करना चाहा। यूरोपीय व्यापारी चीनी, रेशम और चाय से अधिक लाभ कमाते थे, परन्तु चीनी किसी यूरोपीय वस्तु को नहीं चाहते थे, वे केवल सोना और चाँदी ही भुगतान में चाहते थे। हमने पहले भी देखा है कि यूरोप में इस योजना का विरोध किया गया था क्योंकि इससे यूरोपीय बहुमूल्य धातुओं मे कमी आ जाएगी। यूरोपीय व्यापारियों ने चीन में अत्यधिक मांग वाली वस्तु अफीम जो भारत में उत्पादित होती, उस पर चोट पहुँचाई। अंग्रेजो ने भारतीय किसानों को अधिक से अधिक अफीम उगाने केलिए प्रोत्साहित किया और अति कम कीमत पर उनसे खरीदा। चीन में इसे अवैधानिक रूप से भेज कर बेचा गया। इसके बदले में यूरोपियो ने रेशम और चाय खरीद कर उसे यूरोप में बेचा इस प्रकार उन्हें चीनियों को चाँदी नही देना पडा। जैसे ही अफीम की तस्करी बढी चीनी अधिकारियों ने यूरोपीय व्यापारियों को केवल एक शहर में व्यापार करने की अनुमति को निष्कासित कर दिया। इसी के कारण 1840 में अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के मध्य हुआ। इंग्लैंड की यूरोपिय शक्तियों ने सहायता की। इग्लैंड द्वारा चीन पराजित हुआ जिसमें उसे कई असमान संधियों पर हस्ताक्षर करनी पड़ी। इन संधियों के कारण इंग्लैंड बिना किसी रूकावट के चीन के साथ

चित्र. 16.5

SCERT TELANGANA

व्यापार कर सकता था और इंग्लैंड अब चीन मे व्यापारिक तटबंदी स्थापित कर सकता था जहाँ केवल अंग्रेजी कानून चलते थे। इंग्लैंड ने चीन को अत्यधिक आत्मीय राष्ट्रीय व्यवहार करने पर मजबूर किया ताकि जब किसी दूसरे देश को कोई छूट दी जाए तो अपने आप इग्लैंड को भी मिल सके।

चित्र. 16.6: 1840 में कागज पर जलरंग मकाओं दृश्य के शीर्षक में मकाओं चीन का एक बंदरगाह शहर था जहाँ यूरोपीय व्यापार करने की अनुमति थी

इसी के साथ चीन की स्वतंत्रता खत्म होने लगी जबकि 1911 तक चीनी राजाओं का शासन चलता रहा। हम देख सकते है कि भारत या लेटिन अमेरिका के समान चीन पर यूरोपीय शक्तियों का सीधे राजनैतिक नियंत्रण स्थापित नही हुआ। चीन को यूरोपीय देशों को युद्ध का भारी हरजाना देना पड़ा। उन्हें मुक्त व्यापार करने का अधिकार, कम से कम आयात कर, चीनी मिट्टी (भूमि) पर यूरोपीय बस गए। जहाँ उन्हीं का कानून चलता था, न कि चीनी कानून। वैसे राजनैतिक प्रशासन का दैनिक कार्य चीनी सरकार के हाथ में था, परन्त अर्थ व्यवस्था यूरोपीय के हाथ में आ गई। चीन में वे अपनी वस्तुएँ भी बेच सकते थे। कम कीमत पर अपने कारखानों के लिए कच्चा माल खरीदते और उसी के साथ-साथ यह भी ध्यान रखते थे कि चीनी उद्योग में चीन में विकसित न हो सके।

आपको याद होगा केवल अकेला इंग्लैंड ही चीन के साथ व्यापार करना चाहते है, ऐसा नही है। अन्य यूरोपीय देश जैसे फ्रान्स, जर्मनी, रशिया आदि ने चीनी सरकार को चीन के कुछ क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जहाँ इन देशों का अधिक प्रभाव था, वहाँ किसी अन्य देश को प्रवेश की अनुमति थी। यह एक प्रकार का चीन का विभाजन था, जो वास्तविक रूप से नही होना चाहिए था। अब देश का अधिकार नही रहा बल्कि यूरोपीय देश एशिया में ही संगठित होने लगे। जापान 1861 में जापान में राजनैतिक विद्रोह और तीव्रता से औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण की योजना आरंभ हुई। जापान भी उन उपनिवेशों की तलाश में था। जहाँ से उसे सस्ते दामों में कच्चा माल मिल सके और अपने औद्योगिक उत्पादनो को बेच सकें। इसी के कारम 1894-95 में चीन के साथ युद्ध हुआ और चीन को उसके कुछ भाग और क्षतिपूति देने पर विवश किया गया।

- चीन को पश्चिमी देशो से आयात किये जाने वाले उत्पाद थे । __________.
- चीन को पश्चिमी देशो द्वारा बेचे जोने जाने वाले उत्पाद थे ।_______.
- ऐशियाई देशों में अपना प्रभाव स्थापित करना चाहा________.

इस प्रकार विभिन्न यूरोपीय शक्तियों और जापान ने चीन में अपना प्रभावी क्षेत्र स्थापित किया । इसीलिए चीन को अर्ध उपनिवेश माना जाता था यह किसी एक विशेष देश का संपूर्ण उपनिवेश नही था ।

अफ्रिका में उपनिवेशवाद

19 वीं शती के मध्य तक यूरोपीय देशो ने अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने में कम रूचि दिखाई । 16 वीं शताब्दी से 19 वीं शताब्दी के आरंभ तक वे अफ्रिका का उपयोग केवल वहाँ से अमेरिका में दासों को भेजने के लिए करते थे । कुछ शक्तियों ने जैसे इंग्लैंड ने अफ्रीकी तटीय क्षेत्र जैसे केप आफ गुड़ होप का उपयोग किया । इन शक्तियों की दृष्टि मे अफ्रीका उन्हें व्यापारके लिए बहुत थोड़ा उपलब्द करा सकता है।

अन्वेषण - यूरोपीय अफ्रिका को अन्ध महाद्वीप कहते थे, क्योंकि इन्हे इसके आंतरिक भागों की बहुत कम जानकारी थी। यह पूरा महाद्वीप एक उच्च पठारी क्षेत्र था जहाँ संकरा तटीय क्षेत्र था। अधिकतर नदियाँ पठारी भाग से बहती हुई तटीय भागों में संकरी बन जाती और ढलाऊँ झरने बहते । इसीलिए यूरोपीय व्यापारी इसके आंतरिक क्षेत्रों में जाने में रूचि नही रखते थे । पूरी 19 वीं शताब्दी विशेषकर 1850 के बाद यूरोपीय देशों ने अफ्रिका के आंतरिक भागों की खोज के लिए अन्नवेषक भेजे, इन स्थानो के मानचित्र बनाए गए , प्राकृतिक विशेषताएं जैसे नदियाँ और पर्वत, खनिज स्रोत, जंगल और उत्पादन और वहाँ रहने वाले लोग । इस महत्वपूर्ण जानकारी द्वारा वे लोग उस पर जीत प्राप्त करने तथा आंतरिक क्षेत्रों में उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे । यूरोपीय अन्वेषकों मे से महत्वपूर्ण अन्वेषक डेविड़ लिविंड स्टान और एच. एम. स्टेनली दोनों ने इग्लैंड के लिए दक्षिण अफ्रिका एवं मध्य अफ्रिका के मानचित्र बनाए । अन्य अन्वेषण 1850 और 1860 में रिचर्ड बर्तन, जाँन स्पेक था जेम्स ग्रान्ट ने महान मध्य झील तथा नील नदी के स्रोतो को अंकित किया । 19 वी शताब्दी के अंत में नील का उसके स्रोतो के साथ आकार दिया। नाईजर, कांगो और जाम्बेजी नदी को चित्रित किया और अफ्रिका के विशाल संसाधनो को जाना । इस अन्वेषकों मे से कई अन्वेषकों के संबंध ईसाई गिरिजा घरों से थे जो अफ्रिका में ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे ।

यूरोप के विभिन्न देशों जैसे इंग्लैंड, फ्रान्स, बेल्जियम, जर्मनी,इटली आदि में औद्योगीकरण के पश्चात 1850 मे अफ्रिका मे अपने उत्पादनों को बेचने के लिए बाचार की तलाश की जाने लगी । उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि कई महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल जैसे ताँबा, टीन, रबड, पाम तेल, कपास, चाय, कोको आदि अफ्रिका में उपलब्ध हैं । यूरोपीय उत्पादन कर्ता भी अपने उत्पादनों के लिए अफ्रिका की ओर ताकने लगे । इनमे से कई देश जैसे जर्मनी और इटली राष्ट्र निर्माण और औद्योगिकरण के लिए प्रवेश करते है और अपने देश को शक्तिशाली बनाने के लिए अन्य यूरोपीय देशों की अपेक्षा अधिक उपनिवेश स्थापित करना चाहते है । अफ्रिका ही एक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप था और यूरोप को उपनिवेश स्थापित करने के लिए प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध थे ।

SCERT TELANGANA

1913 के अफ्रीका के मानचित्र को देखिए अफ्रीका में 'यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेशी विकास की श्रृंखला विस्तार को देखिए।

अफ्रीका के आधुनिक मानचित्र से इसकी तुलना कीजिए।

विशाल अफ्रीकी देशो की सूची बनाइए और उनके सामने उन देशों के नाम लिखिए जिनका वहाँ उपनिवेश स्थापित हुआ।

मानचित्र 3: अफ्रिका - 1913

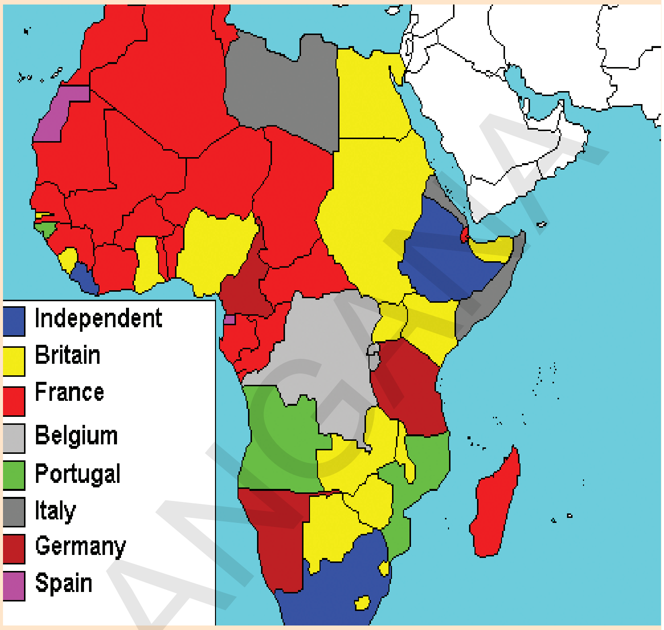

आधुनिक देश	1913 में उपनिवेशवाद
दक्षिण अफ्रिका	
मिश्र	
नाइजीरिया	
घाना	
लीबिया	
अल्जेरिया	
आंगोल	
कांगों	

अन्ततः 1870 से अफ्रिका का विभाजन आरंभ हुआ। 1870 मे अफ्रिका के 10 प्रतिशत भाग में ही उपनिवेश स्थापित हुए, परंतु चालीस वर्षों के भीतर ही संपूर्ण महाद्वीप में केवल इथोपिया और कुछ छोटे एक दो राज्यों को छोड़कर उपनिवेश शासन स्थापित हो गया। इथोपिया ने इटली की सेना को हराया। वह प्रथम अयूरोपीय देश था जिसमें यूरोपीय देश को हराया था।

समय के साथ-साथ यूरोपीय देशो मे उपनिवेश और क्षेत्र विस्तार के लिए प्रतियोगिता आरंभ हो गई जो अधिक समय तक शांतिपूर्वक समझौते से प्रबंधित नही की जा सकी। तभी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध फूट पडा जो अमानवीय व विनाशकारी था।

आफ्रिका के लिए प्रतिद्वंद : आफ्रिकाई प्राँतों पर अधिकार पाने के लिए यूरोपीय देशों के प्रयास।

उपनिवेशवाद का अनुभव

कांगों

लियोपाल्ड - II

1869- 1874 तक राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने गुप्त रूप से अन्वेषक स्टेनली को कांगों क्षेत्र भेजा, वहाँ कई अफ्रीकी प्रमुखो से उसने संधि कर ली और उन्हें अपने क्षेत्र देने पर विश्वास दिलाया। उसने इस क्षेत्र के साथ कटांगा के राजा की हत्या कर उसे भी मिला लिया। 1882 तक लियोपोल्ड, की अफ्रीकी संपत्ति 2,300,000 वर्ग कि.मी.

SCERT TELANGANA

IN THE RUBBER COILS.

Fig. 16.7: A cartoon published in 1906 in Punch *showing Congolese man and Leopold - "In Rubber Coils". Rubber was a plant introduced into Congo under colonialism*

बेल्जियम से 75 गुणा बडी थी हो गई । इसे स्वतंत्र कांगो राज्य कहा जाने लगा । लियोपोल्ड द्वितीय ने इसे निजी संपत्ति बना लिया और हस्त दंत और रबड (चमडा) पाने का स्रोत बना लिया । उपनिवेशी लोगों पर कांगो स्वतंत्र राज्य द्वारा की गयी सामुहिक हत्याओं और बलपूर्वक श्रम का भय छाने लगा। गाँव के प्रत्येक व्यक्ति को रबड का कोटा देना पड़ता था जो यह कोटा नहीं देता था उसके हाथ काट लिये जाते थे । 1885 और 1908 में लगभग 16 लाख मूल निवासी मे से आठ से दस लाख लोग मारे गये । लियोपोल्ड ने यहाँ से प्राप्त धन द्वारा बेल्जियम में निर्माण कार्य को रूप दिया । इस कार्य को सारे विश्व में निंदा हुयी स्वयं बेल्जियम में भी । अतः बेल्जियम की सरकार ने राजा के शासन को कांगों में समाप्त करने पर विवश किया और शासन को बेल्जियम संसद के अधीन कर दिया गया ।

इसी प्राकर की स्थिति पडोसी फ्रेन्च कांगों मे भी उत्पन्न हुई। अधिकांश संसाधनो का लाभ इन कंपनियों के द्वारा उठाया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप 50 प्रतिशत से अधिक प्रजा मारी गई।

दक्षिण अफ्रिका

अंग्रेजों ने केप आफ गुड होप में जहाजों को ठहराने के लिए सैनिक चौकी स्थापित की । कुछ पुर्तगाली किसान वहाँ कृषि कर अपने उत्पादनों को उन गुजरने वाले जहाजों को बेचते थे। स्थानीय अफ्रिकी लोगों को उनकी भूमि से वे खदेड देना चाहते थे । इसलिए आपस में वैमनस्य उत्पन्न होने लगा । आफ्रिकन को वो बोयर्स कहते थे। जब अंग्रजों का इन क्षेत्रो पर अधिकार बढने लगा तो बोयर्स असंतुष्ट रहने लगे और उन्हें दूसरे स्थान भेजा गया और स्वतंत्रत गणतंत्र की स्थापना कर दी । जब (1869 और 1886) सोने और हीरे की खोज वहाँ हुई तो यूरोप, अफ्रीका और भारत से कई लोग दक्षिण अफ्रिका में स्थानांतरण करने लगे और खादानों से अधिक धन पाना चाहते थे । अतः ब्रिटिस सरकार बोयर्स की स्वतंत्रता समाप्त कर खदानो के क्षेत्रो मे ब्रिटिश शक्ति स्थापित करना चाहती थी उसे पाने के लिए उन्हें दो कडे युद्ध करने पडे जिन्हें Boer Wars (बोयर युद्ध) कहते है वह उस क्षेत्र पर अधिकार चाहते थे जो आज दक्षिण अफ्रिका कहलाता है। 1902 में युद्ध समाप्त हुए और अंग्रेजों ने सभी अफ्रिकी क्षेत्रों को एक संघ बना दिया । दक्षिण अफ्रिका में सम्मिलित कर दिया । अभी तक दक्षिण अफ्रिका में यूरोपीय प्रवासियों की मिश्रित जाति (मुख्यतः अंग्रेज और डच) काले अफ्रीकी भारतीय और चीनी जनसंख्या थी। अंग्रेजों ने एक सरकारी व्यवस्था विकसित का जो यूरोपियों के पक्ष में थी (20 प्रतिशत गोरी जनसंख्या) की मत देने का नगरीक अधिकार प्राप्त था । यह कालों के प्रति (जनसंख्या का 75 प्रतिशत) और भारतीय (लगभग 5 प्रतिशत) के प्रति भेदभाव था । मूल अफ्रिकी लोगो पर भारी कर लगाया जाता था

SCERT TELANGANA

और अपरिचित छोटेसे क्षेत्र मे रहना पडता वे और किसी अन्य क्षेत्र में भूमि नहीं खरीद सकते थे जो गोरों के लिए निर्धारित होती थी । इस प्रकार गोरों के पास 90प्रतिशत भूमि होती थी। कालो और भारतीयों को खेतो और खानों में काम करने के संबंध में अनेक पक्षपाती कानून बनाए गए । उनके मूल अधिकार जैसे घूमने की स्वतंत्रता, सभा आयोजन, अपने कष्टों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता आदि पर रोक लगा दी गई । यह पक्षपात पूर्ण नीति जो बहुसंख्यक लोगों पर थोपी गई थी उसे Apartheid Policy (रंग भेद नीति) कहते हैं। लगभग पूर्ण 20 वीं शताब्दी तक अफ्रिकी लोगों ने इसके विरोध में कई संघर्ष किए अंत 1994 में यह विरोध समाप्त हुआ ।

चित्र. 16.8: बोयर युद्ध.

आपने यह ध्यान दिया होगा कि लगभग 1400 के बाद अमेरिका, अफ्रिका, एशिया और आस्ट्रेलिया, लगभग यूरोप के अलावा सभी महाद्वीपों में यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश स्थापित हुये । उन्होंने राजनैतिक और आर्थिक नियंत्रण उन देशों और जनता पर स्थापित किया और उनके जीवन को बदल डाला । आपने देखा कि अमेरिका में किस प्रकार स्थानीय जनता मार दी गयी, शोषित की गई और दास बनाए गए, किस प्रकार यूरोपीय वहाँ बस गए। किस प्रकार उन्होंने दूसरे महाद्वीपों से जैसे अफ्रिका से लाखों लोगों को लाकर अमेरिका में दास बनाया। आपने देखा कि किस प्रकार उन्होंने भारत के लोगों पर अधिकार जमाया परन्तु भारतीयो की हत्या नही की, या गुलाम बनाया न ही बहु संख्या में उन्होने भारत में बसने की कोशिश की । इससे अधिक वे भारतीय प्राकृतिक संसाधनों पर व कृथि पर कर लगा कर नियंत्रण पाना चाहते थे, वे कम कीमत पर कच्चा माल खरीदते थे और उसी समय भारत में अपने औद्योगिक उत्पादनों को भी बेचते थे। यूरोपियों ने चीन पर भी संपूर्ण सत्ता स्थापित नही की परन्तु ऐसा क्षेत्र बना लिया कि स्वच्छंद व्यापार कर पाए ।

यूरोपीय शक्तियों ने जनता के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को इस प्रकार परिवर्तित किया कि वह यूरोपीय शक्तियों की आवश्यकतानुसार उचित हो । वे किसी भी प्रकास से स्वतंत्रता, प्रजातंत्र और राष्ट्रीयता के स्वतंत्र नवीन विचारो को रोक नही पाए जो उपनिवेशों मे फैल रहे थे । इन विचारों ने उपनिवेशी लोगों को नई शक्ति और पहचानी दी जिससे वे उपनिवेशवाद से संघर्ष कर सके और अंत में स्वतंत्रता प्राप्त कर सके।

SCERT TELANGANA

मुख्य शब्द

1. उपनिवेश
2. लैटिन अमेरिका
3. ओटोमैन साम्राज्य
4. नए समुद्रीमार्गों की खोज
5. रंगभेद नीति
6. हसियंडा
7. मुनरो डाक्ट्रीन
8. अफीम युद्ध

शिक्षा में सुधार

1. व्यापार ने उपनिवेशीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? क्या आप इससे सहमत है, क्यों? (AS_1)
2. उपनिवेशीकरण ने किस तरह ओपनेशिक देश में रहने वाले लोगों को जीवन की प्रभावित किया - फसल उत्पादन, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, धर्म इसके विषय में अपने दो-दो विचार दिजिए । विशेष संदर्भ तीन महाद्वीप लेटिन अमेरिका, एशिया, आफ्रिका । (AS_1)
3. चीन, भारत और इंडोनेशिया के उपनिवेशी नियमों की तुलना कीजिए। इनके बीच क्या समानता और विविधता है? (AS_1)
4. विश्व मानचित्र में पोर्चगीस, डच, ब्रिटीश, फ्रेंच उपनिवेशों को पहचान कर उन में रंग भरिए। (AS_5)

परियोजना कार्य

यदि आप इंग्लैंड के नागरिक होते तो क्या आप उपनिवेशवाद को अच्छा मानते? अपने उत्तर का कारण बताइए । यदि आप भारतीय होते तो क्या आप उपनिवेशवाद को स्वीकार करते या अस्वीकार? इस बारे में विस्तार से अपने विचार बताइए।

SCERT TELANGANA

अध्याय 17

भारत में उपनिवेश वाद का प्रभाव

आठवीं कक्षा में हमने पढा है कि आन्ध्र प्रदेश के जंगलों में उपनिवेशी नीतियों का क्या प्रभाव हुआ था? इस अध्याय में हम देश के विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले मनुष्यों के जीवन में जंगल, उद्योग एवं श्रमिक व्यवस्था पर प्रकाश डालेंगे ।

ब्रिटिश शासन के पहले जंगल किस प्रकार उपयोगी थे ?

जहाँ तक स्मरण है आदिवासी और ग्रामवासी जंगलों में उसके आस-पास रहते थे और उनकी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए वे जंगलों से कई चीजें प्राप्त करते थे । दूसरे अर्थों में वे जंगलों के मालिक थे। वे शिकार करने, कंद मूल, फल, फूल, पत्ते एकत्रित करने तथा पशु चरवाहे के लिए जंगलों का उपयोग करते थे। कुछ स्थानों में वे पेड़ों को काट कर जला देते और खेती करते थे ।लकड़ी काट कर घर बनाते और उपयोग करते। वे अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए चीजे लेते थे। यदि वे वन उत्पादनों को बेचते तो उन्हें बदले में बाजार से आवश्यकता की वस्तुएं जैसे नमक और लोहा खरीदते थे। लाभ कमाने के लिए वे वनों से प्राप्त लकड़ी को नही बेचते थे।

चित्र. 17.1: तेलंगाना के जंगल

जबकि अधिकतर वन्य प्रदेश खेती के लिए साफ कर दिया गया था और किसानों और जनजाति के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अत्यधिक भू भाग वाले वनों से आच्छादित था। किसान एव आदिवासी जो इनका उपयोग करते थे, उनकी सुरक्षा करते थे। जब कभी उन्हें लकड़ी की आवश्यकता होती तो वे पुराने वृक्षों को ही काटते थे और नए पेड़ों को उगने देते । वे अंधाधुंध वन्य भाग को नही काटते थे, थोड़ा अंश काटते थे जिससे जंगल का नाश न हो ।

- ब्रिटिश शासन के पूर्व आदिवासियों की स्थिति एवं उनके द्वारा वनों के उपयोग पर चार वाक्य लिखिए ।

समय-समय पर वे राजाओं और सम्राटों को कीमती उपहार जैसे हाथी दाँत, पशु चर्म और शहद देते थे। जो लोग वन में खेती करते थे तो उन्हें कभी-कभी कर भी देना पड़ता था। कई आदिवासी स्थानांतरण कृषि करते थे जिसे झुमिग कृषि भी कहते थे । जब तक वन्य जाति राजाओं के साम्राज्य की सुरक्षा मं भय उत्पन्न नही करती तब तक राजा और सम्राट उन्हें अकेले छोड देते थे और उनके द्वारा वनों के उपयोग पर रोक वाले कोई कानून नही बनाते थे । कई शताब्दियों तक आदिवासियों ने वनों के साथ पैतृकता से जीवन बिताया, उनके अपनी दैनिक आवश्यकताएं पूरी करते थे और ध्यानपूर्वक उनकी देख-रेख करते रहें ।

ब्रिटिश शासन के समय कैसे वनों का उपयोग किया गया

चित्र 17.2: चितगाँव पहाड़ी क्षेत्र में कासालांग नदी में बंबु बहते हुए ।

ब्रिटिश शासन के समय स्थिति बदल गई । उस समय मुंबई,कोलकत्ता जैसे बडे शहरों में हजारों किलोमीटर तक सरकार रेलमार्ग सारे देश में बिछा रही थी । बड़े-बडे जहाजों का निर्माण हुआ और खदाने खोदी गई। इन सभी के लिए अधिक मात्रा में लकड़ी की आवश्यकता होने लगी, लकड़ी व्यापार में तीव्र वृद्धि होने लगी ।

रेलमार्ग में शयन व्यवस्था

1879 में भारत में लगभग8,000 कि.मी. रेल लाईन बिछाई गई । 1910 तक 50,000 कि.मी. से अधिक रेल लाईन बिछाई गई थी। इन नयी रेल्वेलाइनों के लिए प्रति वर्ष लगभग एक करोड़ लकड़ी के श्यनों की आवश्यकता होने लगी ।

इन स्लीपरों (श्यन) के लिए हिमालय एवं तराई क्षेत्रों के जंगलों से लकड़ी काटने लगे । इमारते, खदानों एवं जहाजों के लिए लकड़ी काटकर बेचने लगे । यह काम लकडी व्यापारियों और जंगल के ठेकेदारों ने श्रमिकों को पारिश्रमिक देकर करवाया।

स्लीपरः रेल पटरियों के नीचे लकड़ी के पटरे बिछाना

इस व्यापार में अंग्रेजी सरकार और ब्रिटिश कंपनियों को अधिक लाभ हुआ। सरकार जंगलों को काटने के ठेके की निलामी करती । ठेकेदार अधिक धन देकर ठेका प्राप्त करना चाहते थे, इस प्रकार सरकार निलामी से अधिक लाभ कमाने लगी ।

जंगल खतरे में और नए पेड़ों को लगाने की आवश्यकता

- क्या आपने पुराने लकड़ी के स्लीपर को देखा है? आज उनके बदले में किसका उपयोग किया जा रहा है? इन परिवर्तित कारणों पर चर्चा कीजिए ।

जैसे ही लकड़ी व्यापार में प्रगति हुई ब्रिटिश सरकार चिंतित होने लगी । यदि इस प्रकार तेजी से वन काटे जाएंगे तो भविष्य में रेलमार्ग, जहाजों और मकानों के लिए लकड़ी

SCERT TELANGANA

चित्र. 17.3: 1897 मे छोटा नागपूर के सिंघभूम जंगल में साल लकडी के लट्टे को स्लीपर में बदलना ।

आदिवासियों को वन विभाग द्वारा वृक्षों को काटने के लिए किराए पर लिया जाता और नरम पेड़ों को लगाने, जो रेलवे में स्लीपर के लिए उपयोगी है, किराए पर लेते थे। अपने घर बनाने के लिए वे लकड़ी नही काट सकते थे ।

कहाँ से प्राप्त करेगे । सरकार ने यह अनुभव किया कि निरन्तर लकड़ी के विषम प्राप्ति आश्वस्त होना चाहती थी ।

इसलिए काटे गए वृक्षों के स्थान पर नए पेड़ों को जंगल में लगाने का निर्णय किया गया। परन्तु सरकार उन वृक्षों को लगाने में रुचि नही रखती थे जो साधारण मनुष्य के लिए उपयोगी थे, जैसे आम, महुआ, नीम आदि। सरकार केवल उन वृक्षों को लगाना चाहती थी जो उन्हें अधिक लकड़ी प्रदान करे जो बाजार की मांग के अनुसार हो। चंदन एवं पाईन वृक्षों के जंगलों को काटकर उनके स्थान पर अन्य वृक्ष लगाने लगे ।

सरकार ने वन विभाग को आरंभ किया

1864 में सरकार ने वन विभाग की स्थापना की । जो नए जंगल लगाए जा रहे थे, वन विभाग ने उनकी सुरक्षा के लिए नए कानून एवं नियम बनाए । इस कानून के अनुसार पुराने जंगल पूरी तरह समाप्त कर सावधानीपूर्वक काटे जाए। इन नियम और कानून द्वारा सरकार ने वनों पर नियंत्रण प्राप्त किया । वन विभाग ने यह अनुभव किया कि जंगल में रहने वाले या आस-पास रहने वाले लोग ही जंगल को सुरक्षित रख सकते हैं ।

आदिवासी विद्रोह

ब्रिटिश काल में जंगलों में रहने वाले आदिवासी किसानों को दुर्दशा के बारे में हमने देखा है । मध्य प्रदेश की बैगा, मुरिया, गोण्ड, छत्तीसगढ़ की भील जाति, तेलंगाणा और आन्ध्र प्रदेश की कोया, रेड्डी और कोलम जानजाति, ओडीशा के सौरा आदिवासी दीर्घ काल तक अपनी प्राचीन कृषि पद्धति का अनुसरण नही कर सके । अब उन्हें ठेकेदार या वन विभाग के मजदूर बनना पड़ा। या फिर बाहर से आये हुए किसानों या साहुकारों के पास बंधुआ मजदूर बनना पड़ा ।

जिन स्थानों में सड़क एवं रेलवे लाईन पहुँच चुकी थी वहाँ पर बाहर से आने वाले के लिए रहने और भूमि पर कब्जा करने में आसानी हो गई । छोटी गलती पर दण्ड दिया जाना या मार पीट करना, जबरदस्ती उनके घरों में घुसकर उनका सामान जब्त कर लेते, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, रिश्वत लेना, निःशुल्क श्रम करवाना आदि उन लोगों द्वारा की जाने वाली साधारण बात हो गई ।

इन विपरिती परिस्थितियों में आदिवासियों ने कई स्थानों में विद्रोह किया । विद्रोह के समय उन्होंने कई पुलिस स्टेशन, वन विभाग, डाक घर और साहूकारों के घर जला डाले । कहीं-कहीं तो उन्होंने सारे जंगल को ही आग लगा दी। ऐसे विद्रोह 1856 में झारखंड संथाल आदिवासी 1880 और 1922, मे आन्ध्र

SCERT TELANGANA

प्रदेश के कोया आदिवासी 1910 में बस्तर के मारिया और मुरिया आदिवासी तथा 1940 में गोण्ड एवं कोलम आदिवासियों ने किए ।

संथाल विद्रोह

झारखंड के संथाल ने आरंभ से ब्रिटिश शासन की अवज्ञा एवं विद्रोह किया ।1855-56 के तीव्र विद्रोह में संथाल जमींदार और साहूकारों को लूटा और मार डाला । संथाल ने घोषणा कर दी कि ब्रिटिश शासन अब समाप्ति पर है और वे संथाल का स्वतंत्र देश स्थापित करेंगे । संथाल की सेना के पास केवल तीर कमान ही थे इसीलिए वे बंदूकधारी ब्रिटिश सेना का सामना नही कर पाए । इस शक्तिशाली युद्ध का अंत 15,000 संथाल की मृत्यु से हुआ और इस विद्रोह को दबा दिया गया ।

बिरसा मुण्डा का विद्रोह

1874 और 1901 में छोटा नागपूर पठार के मुण्डा आदिवासी जो आज झारखंड का भाग है, बिरसा के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए एक आंदोलन किया गया । बिरसा को लोग भगवान ईश्वर मानते थे और उसके प्रत्येक शब्द का पालन करते थे । वे जमींदारों और साहूकारों के बंधन से बचने के लिए ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेकना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों के कानून के कारण मुण्डा को अपनी जीत एवं जंगल पर अधिकार को त्यागना पड़ा । अंत में बिरसा को जेल में डालकर मुण्डा के विद्रोह को दबा दिया गया । 1900 मे बिरसा मुण्डा की जेल में मृत्यु हो गई । परंतु सरकार को छोटा नागपूर के आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा ।

कुमाउँ में वन विद्रोह (1921-22)

उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में किसानों ने वन विभाग को सहयोग देने से इनकार कर दिया क्योंकि सरकार ने उनके वन्य भाग के अधिकार को उनसे छीन लिया था । उन्होंने खुलेआम वन विभाग के कानूनो को तोड़ा । ठेकेदारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जंगल को जलाने का प्रयास किया गया। लोगों ने वन विभाग में जबरन काम करने से इनकार कर दिया ।

इस विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार को अपनी योजनाओं को बदलना पड़ा । कई भागों मे उन्होंने नियमों की थोड़ी छूट दे दी। कुछ भागों में उन्होंने नए कानून बनाए । जिसके अनुसार कोई भी बाहरी व्यक्ति आदिवासियों की भूमि को खरीद नही सकता था ।

अल्लुरी सीता राम राजु

अल्लुरी सीता राम राजु का जन्म 4, 1897 में विशाखापट्टनम जिले के पंडरंगी गाँव में हुआ था । उनकी माता विशाखापट्टनम की थी और पिताजी भीमावरम के पास मोगल्लू के थे । जो राजमहेन्द्री के केन्द्रीय जेल में फोटोग्राफर थे। राजु जब स्कूल में थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया और उनके चाचा रामचन्द्र राजु की देखरेख में वे बडे हुए ।

SCERT TELANGANA

1882 में मद्रास वन अधिनियम के पारित किए जाने के बाद जंगलों में आदिवासियों के स्वतंत्रता से घुमने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनके पारंपरिक पोडु कृषि पद्धति पर भी रोक लगा दी। राजु ने आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और विशाखापट्टनम के सीमावर्ती क्षेत्र में विद्रोह आरंभ कर दिया। बंगाल के राष्ट्रीय क्रांतियों से प्रभावित होकर राजु ने चिन्तपल्ली नरसिंपट्टनम और अन्नावरम में पुलिस स्टेशनों पर छापे मारे। राजु एवं उनके साथियों ने बंदुके एवं हथियार चुराए तथा कई ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों को मार डाला। दमनपल्ली के पास स्काट कोवार्ड को भी मार डाला।

1922,दिसम्बर में संडर्स के नेतृत्व मे अंग्रेजों ने पेगाडेपल्ले के पास आसाम राईफल्स नामक सैनिक कंपनी की स्थापनी की । उस समय राजु लापता हो गया और चार महीने के पश्चात लौटकर उसके ग्राम मल्लु दोरा और गन्तम दोरा के नेतृत्व में जनजातियों को साथ ब्रिटिशों से युद्ध करता है।

ब्रिटिशों के साथ सैनिक विद्रोह लगभग एक वर्ष दिसम्बर 1922 तक चला। अंग्रेजों ने अंत में राजु को चिंतपल्ली के जंगलो में पकड़ कर मम्पा गाँव के कोय्यूरु नामक भाग में बंदूक से गोली मार दी।

कोमरम भीम

कोमरम भीम का जन्म आदिलाबाद के संकेपल्ली गाँव में हुआ था। जब वह पंद्रह वर्ष के थे उनके पिताजी की मृत्यु वन विभाग के आक्रमण में हो गई। उनके बाद भीम का परिवार केरिमेरी मंडल के सरदापुर गाँव में चला गया।

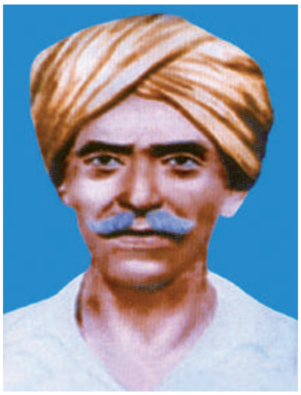

जब वे झुमिंग कृषि द्वारा अपनी जीविका चला रहे थे सिद्दीकी जो कि निजाम का जागीरदार ने उसकी भूमि पर अधिकार कर लिया। क्रोध मे आकर उन्होंने सिद्यीकी को मार डाला और पुलिस से बचने के लिए आसाम में जा छिपे। पाँच वर्षो तक उन्होंने चाय, काफी के बागों में श्रमिक के रुप में काम किया। वहाँ उन्होंने श्रमिक विद्रोह को अनुभत किया। उन्होंने पढ़ना-लिखना सीख लिया और उनके इष्ट मित्रों कोमारम सा उन्हें आस-पास के गुप्त रुप से समाचार देते रहते थे। वे विशाखापट्टणम में अल्लुरी सीताराम राजू के तथा बिरसा के मुण्डा के विद्रोह से प्रभावित हुए और उन्होंने निजाम शासन का विरोध किया।

उस समय निजाम सरकार ने पशु चारा और भोजन बनाने के ईंधन इकट्टा करने के नाम पर बमबरम कर वसूल करना आरंभ कर दिया था। कोमावरम भीम के विचारों ''जल, भूमि और वन'' से आदिवासी प्रभावित होने लगे। कर का विरोध, जातिय स्वतंत्रता एवं अधिकार के लिए मांग करने लगे। लगभग आदिलाबाद के 12 गाँव भूमि के लिए लड़ने को तैयार हो गए। भीम ने गोण्ड और कोया युवकों की सहायता से गोरिल्ला सेना तैयार की। उन्होंने जनजाति लोगों को जमा कर प्रशिक्षण दिया, क्योंकि उनके पास हथियार नही थे।

जोदेघाट को उन्होंने गोरिल युद्ध का केन्द्र बनाया। आश्चर्य की बात यह थी कि निजाम ने आदिवासियों पर आक्रमण करने का प्रयास नही किया। अंत में जोदेघाट के जंगलों में सेना के विरुद्ध युद्ध में कोमारम भीम ने पूर्णिमा के दिन अंतिम साँस ली। उनकी मृत्यु के पश्चात निजाम ने आदिवासियों के जीवन पद्धति पर अध्ययन करने के लिए हैमनड्राफ-डू को नियुक्त किया।

ब्रिटिश सरकार की औद्योगिक योजना

चित्र. 17.4: कलकत्ता के कुछ मारवाड़ी व्यापारियों का चित्र

1850' में कुछ भारतीयों ने कपड़ा मिल की स्थापना की, सबसे पहले मुंबई उसके बाद अहमदाबाद में । भारत में भी अब मशीनों से कपड़ा तैयार किया जाने लगा । कुछ शिक्षित लोगों एवं कारखानों के मालिकों के द्वारा ब्रिटेन से आने वाले कपड़े पर एक विशेष कर लगाने की मांग की गई जिससे भारत में बने हुए कपड़े को सुरक्षित बाजार मिल सके । इस विशेष कर के द्वारा ब्रिटिश कपड़ा कीमती हो गया और भारतीय कारखानों में बने वस्त्रों की बिक्री को प्रोत्साहन मिला।

आप जानते होंगे कि ब्रिटेन में सरकार ने भारतीय बुनकरों द्वारा बनाए गए कपड़े पर विशेष कर लगाया ताकि ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग को सहायता मिल सके । परन्तु सरकार ने भारत में यही समान कर ब्रिटेन द्वारा बने कपड़े पर लगाने से इंकार कर दिया, जिससे कि भारतीय उद्योगों को सहायता मिल सकती थी । सरकार पर ब्रिटिश कारखानों के मालिकों तथा व्यापारियों का इतना दबदबा था कि वे उनकी रुचि के विरुद्ध कोई कार्य नही कर सकती थी ।

1896 में भारत की ब्रिटिश सरकार ने आय में अत्यधिक कमी का अनुभव किया । सरकार ने आय वृद्धि के उपायों पर सोंचना आरंभ किया। इसी के बाद इन कष्ट के क्षणों में ब्रिटेन से भारत आने वाले कपड़े पर साढे तीन प्रतिशत कर लगाया । लेकिन इससे ब्रिटेन कपड़े की बिक्री पर कोई हानि नही हुई, सरकार ने इसी प्रकार समान रुप से कर (साढे तीन प्रतिशत) भारत में बने कपड़े पर भी लगाया गया।

यह कर भारतीय लोगों और ब्रिटिश सरकार के मध्य दीर्घ समय तक चलने वाले संघर्ष का कारण बना। भारतीय कारखानों में बनी वस्तुओं पर लगाए गए कर का सरकार ने यह स्पष्टीकरण किया कि वे ब्रिटिश कारखानों की सुरक्षा मुख्य रुप से चाहते हैं । भारत में इस कर का जोर-शोर से विरोध किया गया और बलपूर्वक इसे हटाने का विरोध किया गया ।

- सुरक्षित बाजार का क्या अर्थ है ?
- भारतीयों ने भारत में आने वाली ब्रिटीश वस्तुओं पर कर लगाने की मांग की । क्या आप सोचते हैं कि यह माँग उचित थी? क्या सरकार ने ब्रिटिश वस्तुओं और भारतीय वस्तुओं के साथ समान व्यवहार किया था।

सरकार की सुरक्षा के बिना भारत के कारखानों में कपड़ा, धागा, शक्कर, पटसन, कागज, दियासलाई, सीमेंट आदि का उत्पादन होने लगा तथा 1914 के बाद इसके तीव्र प्रगति देखी गई ।

प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय उद्योग

प्रथम विश्व युद्ध के समय (1914 से 1918 तक) भारत में विदेशी वस्तुओं के आयात में कमी आई। इसका एक कारण यह भी था कि माल वाहक समुद्री जहाज युद्ध की ओर अग्रसर कर दिए गए और इसलिए जहाज़ों की संख्या कम हो गई। यूरोप के कारखानों में युद्ध आवश्यक वस्तुएँ बनाई जाने लगी - इसलिए भारतीय बाज़ारों में कम वस्तुएँ उपलब्ध होने लगी।

Fig. 17.5: An early sketch of Bankers in Delhi.

इन परिस्थितियों में भारत में स्थापित कारखानों द्वारा अधिक मात्रा में माल बेचा जाने लगा। इस प्रकार अधिक बिक्री के कारण उद्योगों में प्रगति आई। युद्ध के बाद भारतीय कारखानों द्वारा यूरोपीय मशीनें अत्यधिक मात्रा में खरीदी गई और नए कारखानें स्थापित किए गए। भारतीय उद्योगपतियों ने दृढ़ता पूर्वक सरकार को विदेशी वस्तुओं पर कर लगाने पर विवश किया ताकि भविष्य में भी भारतीय वस्तुओं की बिक्री निरन्तर बनी रह सके।

- प्रथम विश्व युद्ध के समय क्यों भारतीय उद्योगों में तीव्र प्रगति आई?

कई कारणों के कारण सरकार को उनकी माँगे स्वीकार करनी पड़ी। 1917 के बाद एक के बाद एक कई विदेशी वस्तुओं पर कर लगाए गए। इसके परिणाम स्वरूप भारत में स्थापित कारखानों तीव्रता से प्रगति करने लगे।

स्वतंत्रता के समय भारतीय उद्योग की समस्याएँ

दीर्घ संघर्ष के बाद भातीय उद्योगों को अंग्रज़ी सरकार ने थोड़ी सहायता प्रदान की। अभी तक कारखानें, बेंक, जहाज़ आदि यूरोपीयों के हाथों में थे न कि भारतीयों के अधीन। इसीलिए यूरोपीयों को इससे कई लाभ मिलते थे। वे आसानी से अंग्रेज़ी सरकारी अधिकारियों और अधिपतियों की सहायता कर सकते थे, जबकि भारतीय यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते थे। सभी विदेशी व्यापार यूरोपीय कम्पनियों के अधीन थे, इसीलिए कभी उनके पास कोष का अभाव नहीं हुआ।

यूरोपीयों का प्रभाव होने पर भी भारतीय उद्योगपतियों ने लाभदायक उन्नति की, उदाहरण के लिए कपड़ा उद्योग में भारतीय उद्योगपतियों की सबसे उपलब्धि महत्वपूर्ण यह थी कि जमशेदपूर में

SCERT TELANGANA

चित्र;. 17.6: भारतीय उद्योगपतियों के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जे.एन.टाटा, आर.डी. टाटा, श्री आर.जे. टाटा और डी.जे. टाटा

उन्होंने इस्पात कारखाना जमशेद जी उद्योगपति के नाम पर स्थापित किया।

सरकार द्वारा विदेशी वस्तुओं पर लगाए गए कर, पर्याप्त भारतीय उद्योगपतियों को मिलने वाली सहायता महत्वपूर्ण थी परन्तु इनके लिये नहीं थी। कई संसाधन एवं सुविधाओं की आवश्यकता थी जैसे रेल मार्ग, सड़क मार्ग, विद्युत, कोयला और लोहा। ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र के विकास में विशेष ध्यान नहीं दिया ।

भारतीय उद्योगपतियों को सभी मशीनें विदेशों से ख़रीदनी पड़ती थी। मशीनें बनाने वाले कारखाने भारत में स्थापित नहीं किए गए थे।

कारखानों की उन्नति में वैज्ञानिक, इंजीनीयर और तकनीकों की सहायता की आवश्यकता थी। सभी स्तरों के लिए शिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता थी। परन्तु भारत में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया। औद्योगिक उन्नति के लिए विदेशियों पर विश्वास करना पड़ा क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनीयरों की संख्या बहुत कम थी।

भारतीय उद्योगं में रूचि विकसित करने के लिए ब्रिटिश शासन के समय से ही कई औद्योगिक संस्थाएँ स्थापित की गई। उनमें से एक महत्वपूर्ण थी भारतीय संघ वाणिज्य एवं उद्योग सभा (FICCI) ये संस्थाएँ सरकार के समक्ष उद्योगपतियों की समस्याएँ प्रस्तुत करते थे।

- ब्रिटिश शासन के समय भारत में कौन से उद्योग स्थापित किए गए ?
- स्वतंत्रता के समय भारतीय उद्योगों के विकास के समक्ष कौन सी समस्याएँ थी ?

भारत में ब्रिटिश शासन के अंत तथा भारतीयों द्वारा स्वतन्त्र सरकार की स्थापना के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन आया। भारतीय सरकार ने उद्योगों की प्रगति के लिए एक प्रचलित योजना प्रस्तुत की।

भारतीय उद्योगो में श्रमिक

औद्योगिक शहर एवं श्रमिक समझौते

1850 के उपरान्त भारत में मशीनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना आरम्भ हुई। सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा क्षेत्र में जुलाहा एवं बुनकरों का था। 1905 में लगभग 2.25 लाख मज़दूर कपड़ा उद्योग में, 1.5 लाख पटसन उद्योग तथा लगभग 1 लाख कोयले की खानों में काम करते थे।

किसान, श्रमिक एवं कलाकार गाँवों से शहरों में रोज़गार की तलाश में लोग आने लगे। उनके साथ या उनके बाद उनके संबंधी, पड़ोसी और मित्र आने लगे। शहरों में मज़दूरों की संख्या

बढ़ने लगी। कारखानों के आस-पास झोपड़ियों और भवनों में श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगी। भारत के कई शहर जैसे कानपूर, मुम्बई, अहमदाबाद, कोलकत्ता, चैन्नई आदि औद्योगिक शहर बनने लगे।

कार्य स्थिति

आरम्भिक समय में कारखानों में कार्य का आरम्भ प्रतिदिन सूर्योदय से होता था तथा अंत सूर्यास्त के साथ होता था। सूर्य की किरण के पहले ही मज़दूरों की लम्बी कतार कारखानों की दिशा में जाती हुई नज़र आती थी - पुरुष एवं महिलाओं के साथ-साथ बच्चे भी होते थे।

एक बार मशीनों पर कार्य अगर आरम्भ कर दिया जाय तो किसी भी स्थिति में बंद नहीं किया जाता था। भोजन के लिए भी कोई निर्धारित समय नहीं था। काम के समय अपने साथी मज़दूर को 15-20 मिनिट काम सौंप कर जा कर भोजन करते थे। भोजन करने के लिए कोई अलग स्थान नहीं होता था।

पूरा दिन गर्मी, आर्द्रता, आवाज़, धूल और श्वास अवरोध वातावरण में व्यतीत करते थे। सूर्यास्त के बाद ही अंधेरे में कुछ दिखाई न देने की स्थिति में ही मशीनें बंद की जाती और काम बंद किया जाता।

यह कई महीनों तक चलता। साप्ताहिक छुट्टी भी कानूनी तौर पर नहीं होती थी। केवल महत्वपूर्ण त्यौहारों पर ही मिल मालिक उन्हें अवकाश देते थे।

किसी भी प्रकार से साल भर प्रति दिन काम करना असम्भव था। बीमारी एवं घर की जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता था। लोग इस प्रकार के समान थकाने वाले कार्य से ऊब और थक जाते थे। लेकिन जिस दिन भी मज़दूर काम पर नहीं जाता तो उसे अपना वेतन खोना पड़ता।

उन दिनों उत्पादित वस्तुओं के प्रतिशत के आधार पर वेतन दिया जाता था। मालिक यह शर्त रखता था कि "जितना तुम बनाओगे, उतना वेतन तुम पाओगे।" कभी-कभी मशीनें भी ख़राब हो जाती थी, या कच्चा माल आने में देरी हो जाती या कम हो जाता था। जबकि इसमें श्रमिक की कोई गलती नहीं होती थी, परन्तु मिल मालिक उनकी मज़दूरी काट लेता था। इसीलिए प्रति महीने श्रमिकों का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं होता था।

इतना ही नहीं, महीने के अन्त में भी मिल मालिक उन्हें पूरा भुगतान नहीं करते थे। अगले महीने के अंत तक वे कुछ पैसे देना बाकी रखते थे। इस परिस्थिति में अगर श्रमिक काम छोड़ कर जाना भी चाहता था तो वे पिछले महीने के पैसे मालिक के पास होने के कारण नहीं जा सकता था।

उन कर कई प्रकार के दण्ड़ भी लगाए जाते थे। मालिक श्रमिक पर छोटे-छोटे कारणों से उन पर जुर्माना लगाते थे - अगर वे देर से आते, कपड़े खराब होने पर, अगर मालिक को लगता कि श्रमिक ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है - उन पर जुर्माना लगाते और उनके मासिक वेतन में से काट लेते।

सभी मजदूर - पुरुष महिलाएँ, बच्चे - गर्मियों में 14 घण्टे और सर्दियों में 12 घण्टे काम करना पड़ता था।

तब 1880 में कुछ नया घटित हुआ। कारखानों में बिजली बल्ब लगाए गए। जैसे ही रोशनी के घण्टे बढे, काम के घण्टे भी बढ़ा दिए गए। अब सूर्यास्त के साथ काम बन्द कर देना ज़रूरी नहीं था। अब यह सामान्य बात हो गई कि प्रत्येक श्रमिक को प्रतिदिन 15 घण्टे काम करना पड़ता था।

SCERT TELANGANA

चित्र. 17.7: आदमी, औरते मिल में काम करने के लिए जाते हुए

उन्हें काम के समय अधिक मेहनत करनी पड़ती थी और इन सबसे उपर उन्हें रोज़गार में कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। अगर मिल में घाटा या फायदा होता तो मिल मालिक बिना कारण कुछ मज़दूरों को काम से निकाल देते थे और जो काम को निरन्तर करना चाहते थे तो उनके वेतन में कटौती कर दी जाती।

अगर कारखाने को लाभ होता, क्या मालिक उनका वेतन बढ़ाते नहीं यह कठिनई से कभी-कभार होता था।

आरंभिक युग में भारत के कारखाने :

- श्रमिकों के काम के और छुट्टियों के क्या नियम थे ?
- पारिश्रामिक संबंधी नियम क्या थे ?
- किन कारणों से श्रमिकों के पारिश्रमिक की कटौती की जाती थी ।

मजदूरों का संघर्ष

श्रमिकों ने अपनी अत्याचार पूर्ण कार्य स्थिति के विरोध में संघर्ष किया। 1870 से मुम्बई में एक के बाद एक हड़तालें आरम्भ हो गई। इसे आरम्भ करने के लिए उनका कोई मज़दूर संघ या संगठन नहीं था। सभी मिल के मज़दूर एक साथ मिलकर हड़ताल करते थे और मालिकों पर दबाव ड़ालते थे।

उदाहरण के लिए 1892 में, मुम्बई के मिल मालिकों ने श्रमिकों के वेतन में कटौती करने की सोची। इस परिस्थिति में सभी मिल के श्रमिकों ने एक साथ मिलकर उसका विरोध करने के लिये तैयार हो गए। सरकार ने इन करखानों के निरीक्षण के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया। कारखाना निरीक्षक ने इसी कारण श्रमिकों के बारे में यह लिखा, ''अगर वास्तव में वेतन में कटौती की जाएगी तो सारी मुम्बई में हड़ताल होने की सम्भावना है। जबकि श्रमिकों के संगठन का कोई संघ नहीं डै, अधकितर श्रमिक एक समान जाति, कुल, गाँव के होने के कारण आसानी से संगठित होकर कदम उठा सकते है।''

यहाँ एक श्रमिकों द्वारा निजी रुचियों को बचाए रखने के लिए किए गए संघर्ष का उदाहरण दिखाया गया है। 1900-1901 में मुम्बई के 20% मिलों में श्रमिकों का पारिश्रमिक 12 तक कम कर दिया गया, तो 20,000 मिल मज़दूरों ने काम करना बंद कर दिया और हड़ताल करने निकल पड़े। 10 दिनों तक सभी 20 मिलें बन्द रही।

उसी प्रकार 1919 में जब महँगाई बढ़ गई लेकिन श्रमिकों के वेतन में वृद्धि नहीं की गई तो मुम्बई के सभी मिलों के मज़दूर हड़ताल पर निकल पड़े और 12 दिनों तक मिलें बन्द रही।

मज़दूरों ने न केवल वेतन के लिए विद्रोह किया, अंग्रेज़ों से भारत की स्वतन्त्रता के लिए भी संघर्ष किया. 1908 में अंग्रेज़ों ने एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी लोक मान्य तिलक को 6 वर्ष के लिए भारत से देश निकाला दिया। कुछ ही क्षणों में मुम्बई के सभी मिलों के मज़दूर छः दिनों तक हड़ताल पर चले गए। इस प्रकार स्वतन्त्रता संघर्ष में श्रमिकों ने कई अवसरों पर हड़तालों द्वारा भागीदारी निभाई।

- मजदूर क्यों हड़ताल करते थे?
- मजदूर हड़ताल के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य क्यों नही करते थे ?

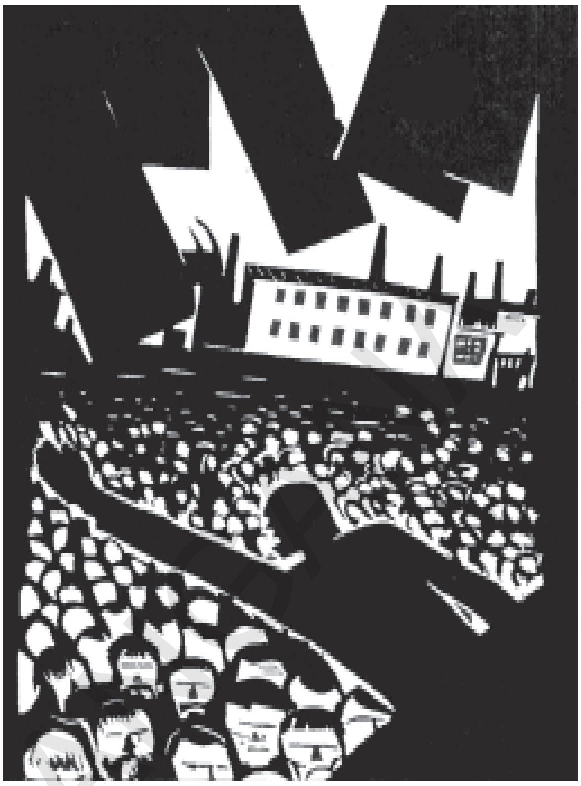

चित्र; 17.8: मजदूर मीटिंग का चित्र

मजदूरों की समस्याओं को दर्शाना

सबसे विलक्षण बात यह थी कि आरम्भ में कई शिक्षित भारतीयों का ध्यान श्रमिकों की समस्याओं पर नहीं गया। उनके मस्तिष्क में सर्वोच्च बात यह थी कि भारत में किस प्रकार उद्योग विकसित किए जाय। आरम्भिक स्तर पर श्रमिकों की कार्य स्थिति के बारे में अधिक नहीं सोंच पाए।

परन्तु इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि ब्रिटेन में कारखानें के मालिक, व्यापारी एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने भारतीय मज़दूरों की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने सक्रियता से सरकार का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकर्षित किया।

ब्रिटेन के उद्योगपतियों एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने ब्रिटेन के कानूनों के समान ही भारतीय मज़दूरो की स्थिति में सुधार लाने के लिए कानून बनाने के लिए दबाव डाला? इस दवाब के कारण सरकार ने गहराई से इस सम्बन्ध में श्रम घण्टों में कटौती करने और श्रमिकों की छुट्टियों के लिए कानून निर्माण करने के लिये विचार प्रारंभ किया ।

भारतीय उद्योगपति एवं शिक्षित वर्ग इस बात से नाराज हो गए। उन्होंने यह अनुभव किया कि अगर एक बार पारिश्रामिक निर्धारित कर दिया जाएगा या छुट्टियों की सुविधाएँ दी जायेगी तो कारखाने में उत्पादन कम हो जाएगा और मालिकों के व्यय अधिक बढ़ जायेंगे । कारखानों में उत्पादित वस्तुएँ भी खर्चीली हो जाएँगी । यदि ऐसा हो जायेगा तो ब्रिटेन से आयातित वस्तुएँ आसानी से बेची जाएगी और भारतीय उद्योग जहँ के वहाँ रह जाएँगे।

श्रमिकों के कल्याण के लिए कानून

सरकार ने पहली बार 1881 में फैक्टरी अधिनियम लागू किया और विशेषकर कार्यकारी बच्चों के लिए कल्याणीकारी नियम बनाए :

- 7 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चें फैक्टरी में काम न करें।
- 7 से 9 वर्ष की उम्र वाले बच्चें प्रतिदिन 9 घण्टों से अधिक काम न करें और उन्हें प्रतिदिन एक घण्टे का अवकाश दिया जाय। प्रति महीने उन्हें अवकाश के लिए 4 दिन दिए जाए।

1891 में महिला श्रमिकों के हित में कानून बनाए गए जो विश्वास दिलाते हैं कि,

- महिला श्रमिक प्रति दनि 11 घण्टों से अधिक काम न करें।
- प्रतिदिन महिला श्रमिक को 1 1/2 घण्टे का अवकाश दिया जाए।
- प्रतिदिन बच्चों के श्रम घण्टों में 9 से 7 घण्टों की कटौती की गई।

कारखानों में पुरुषों की संख्या अधिक होती थी। 1911 तक उनके लिए कोई कल्याणकारी कानून नहीं बनाए गए। 1911 फैक्टरी कानून के अनुसार,

- प्रति दिन प्रत्येक वयस्क पुरुष श्रमिक 12 घण्टे से अधिक काम न करें।
- प्रति छः घण्टों के कार्य के पश्चात् आधे घण्टे का अवकाश दिया जाना चाहिए।

भारत और पाकिस्तान ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की ।

सूचना अधिनियम अधिकार

शैक्षणिक अधिनियम अधिकार

1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030

- आपका जन्म किस वर्ष में हुआ? समय रेखा पर इसे अंकित कीजिए। अपने माता-पिता और दादा-दादी, नाना-नानी या आपके अन्य पुराने रिश्तेदार जिन्हें आप जानते हैं के जन्म को भी अंकित कीजिए।
- पता लगाइए कि जिनका जन्म 1980 में आपने अंकित किया है, उन पर श्रमिक कानून का प्रभाव हुआ था।

- अंग्रेज़ उद्योगपति भारत में कारखानों की प्रगति के विरोधी थे, परन्तु उन्होंने भारतीय श्रमिकों का पक्ष लिया। क्यों?
- क्यों आरम्भ में भारतीय शिक्षित लोगों ने कारखाने के मज़दूरों के प्रति रुचि नहीं दिखाई?
- श्रमिक कानून के अनुसार बच्चे, महिलाएँ एवं पुरुषों के लिए कितने श्रम घण्टों का निर्धारण अपेक्षित है?
- अंग्रेज़ों के काल में कितने वर्ष से कम आयु वाले बच्चे श्रमिक नहीं बन सकते थे?
- वर्तमान कानून के अनुसार कम से कम क्या आयु निर्धारित की गई है, कितनी आयु से कम आयु वाले बच्चे श्रमिक के रूप में कार्य नहीं कर सकते?
- किस प्रकार श्रमिक कानून में उद्योगपतियों को प्रभावित किया?

SCERT TELANGANA

भारतीय उद्योगपतियों को यह सन्देह था कि अंग्रेज़ उद्योगपति भारतीय श्रमिकों के प्रति सहानुभूति केवल दिखाने के लिए कर रहे हैं। उनके मस्तिष्क में उनकी निजी रुचि भी हो सकती है।

Fig. 17.9: In 1931 these millworkers in Lancashire, England were happy to meet Gandhiji and express solidarity with the Indian freedom movement.

भारतीय बुद्धीजीवी यह भी विश्वास करते थे कि यदि श्रमिकों के हित में कानून बना दिए जाये तो भारत में उद्योग का विकास संभव नहीं है। 1875 में बंगाल के एक बड़े समाचार पत्र में यह कुछ पंक्तियाँ छपी जो उस समय की सोंच को दिखाती है, ''इन नए उद्योगों को नष्ट होने की अपेक्षा अधिक संख्या में मज़दूरों की मृत्यु अधिक उचित है....... एक बार हमारे उद्योग दृढ़ता से स्थापित हो जाएँगे तो हम हमारे श्रमिकों के हित की सुरक्षा करेंगे।''

उद्योगपतियों और शिक्षित लोगों के मस्तिष्क का यह भय न्यायसंगत नहीं था। भारत में स्थापित उद्योगों ने लाभ कमाना आरम्भ किया। हर समय नई मिल खोली जाती और कुछ श्रमिकों की आवश्यकता होती थी, खतरे की स्थिति में विकास हुआ क्योंकि औद्योगिक प्रगति श्रमिकों के हाथों में थी।

श्रमिक संगठन

समय के साथ ही श्रमिकों की समस्याएँ पहचानी जाने लगी। कुछ शिक्षित लोगों ने श्रमिकों को सहयोग देना आरम्भ किया और उन्होंने समाचार पत्रों में लेख लिखकर उनकी समस्याओं को लोगों में उजागर किया। श्रमिकों के कल्याण के लिए छोटी संस्थाएँ भी गठित होने लगी।

हड़तालों के समय शिक्षित लोगों के साथ मिलकर उन्होंने स्वयं संस्थायें बनाना आरम्भ किया? ये श्रम संघ होते थे, हड़तालों का आयोजन करते थे और मिल मालिकों के साथ समझौते भी किए जाते थे। धीरे-धीरे ये संघ केवल हड़ताल के समय ही सक्रीय नहीं, बल्कि पूरे वर्ष, श्रमिकों के कल्याण एवं अधिकारों को प्रोत्साहन देते थे। 1920 से ऐसे संघ स्थापित होने लगे। सामाजिक विचारों से प्रभावित लोग इनमें प्रमुख बनने लगे। 1928 में प्रभावशाली मुम्बई हड़ताल के समय ''गिरनी कामगार संघ'' स्थापित किया गया। अहमदाबाद में गाँधीजी के प्रभाव के अन्तर्गत शक्तिशाली संघ ''मज़दूर महाजन'' का निर्माण किया गया।

श्रम संघों की स्थापना ने मिल मालिकों और सरकार को जिज्ञासु बना दिया। अब हड़तालों पर रोक लगाने संबंधी कानून बनाए जाने लगे। सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम

अधिकारियों को नियुक्त किया। सरकार ने श्रमिकों की समस्याएँ श्रम अधिकारियों द्वारा सुलझाने का प्रयास किया, न कि संघों की सहायता से।

- अंग्रेजों के शासन में भारत में कौन से दो बडे संगठनों की स्थापना हुई ।
- मजदूरों के लिए संघ अथवा मजदूर संगठन का क्या महत्व है। चर्चा कीजिए ।

परन्तु श्रमिकों ने इसे स्वीकृति नहीं दी। वे अपने हित को सुरक्षित रखने के लिए उनकी निजी संस्थाएँ स्थापित करना चाहते थे। इस प्रकार श्रमिक एक तरफ तथा सरकार और मिल मालिकों के दूसरी तरफ के मध्य संघर्ष चलते रहे संघों के निर्माण के पक्ष में और हड़ताल करने के अधिकार के सम्बन्ध में।

मुख्य शब्द

1. आरक्षितवन	2. सुरक्षित वन	3. नीलामी
4. सामाजिक कार्यकर्ता	5. उद्योगपति	6. मारवाडी व्यापारी
7. हडताल	8. मजदूर संगठन	9. औद्योगिक नगर
10. मजदूर समझौते		

शिक्षा में सुधार

1. अंग्रेज शासन से पूर्व लोग जंगलों का उपयोग किस प्रकार से करते थे ? उन दिनों जंगलों का पूर्ण रूप से सफाया कम खतरनाक क्यों था ? (AS_1)
2. किसके विरोध मे आदिवासियों ने विद्रोह किया । अपने क्रोध और विरोध प्रकट करने में वे कैसा प्रदर्शन करते थे । कुछ उदाहरण दीजिए । (AS_1)
3. अग्रेजों ने आदिवासियों के विद्रोह को कैसे दबाया ? (AS_1)
4. भारत के विभिन्न प्रांतों में हुए आदिवासी विद्रोहों को बताने वाला-समय तालिका बनाइए। (AS_3)
5. अंग्रेज सरकार से भारतीय उद्योगपतियों की क्या समस्याएँ थी । (AS_1)
6. अंग्रेज शासन के समय भारतीय उद्योग की तुलना में यूरोपीय उद्योग स्थापित करना क्यों सरल था? कुछ कारण बताइए । (AS_1)
7. श्रम विधियों का निर्माण सर्वप्रथम बाल श्रमिकों के लिए हुआ, फिर स्त्रियों के लिए, अंत में पुरुषों के लिए ये कानून इस क्रम में क्यों निर्मित किये गये । (AS_1)
8. शिक्षा,औद्योगिक विकास पर क्या प्रभाव डाल सकती है? कक्षा में चर्चा कीजिए । (AS_6)
9. 20th वीं शताब्दी में बडे औद्योगिक नगरों की पहचान भारतीय मानचित्र पर लगाईए । (AS_5)
10. आदिवासी विरोध प्रदर्शन भारत के विभिन्न स्थानों में प्रकट हुआ। पता लगाईए ये संघर्ष कहाँ-कहाँ हुए और भारत के मानचित्र पर निशान लगाईए । (AS_5)
11. इस अध्याय का ''आदिवासी विद्रोह'' नामक अंश का अध्ययन कर, टिप्पणी कीजिए। (AS_2)

परियोजना

1. वन विभाग कार्यालय जाईए और अधिकारी से साक्षात्कार द्वारा जानकारी प्राप्त कीजिए कि जंगलों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है । इसके अतिरिक्त उद्योग और क्षेत्रीय जनता के विवेकपूर्ण काम आ सकता है।
2. आपके घर के समीप किसी कारखाने को जाइए पता लगाईए कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण तकनीकी में कैसे परिवर्तन आया, श्रमिक कहाँ से आते है, कर्मचारियों से बात कीजिए और उनके विचारों की जानकारी लीजिए।

SCERT TELANGANA

अध्याय
18

प्रजातंत्र का विस्तार

आपने पिछले अध्यायों में यूरोप में होने वाली प्रजातांत्रिक क्रांतियों के विषय में पढ़ा जिसके कारण वहाँ पर प्रजातांत्रिक सरकारें बनी। ऐसे सरकारों की स्थापना करना जो जनता की आशाओं तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। जिसमें सभी व्यक्ति पूरी स्वतंत्रता से भाग लें। जिसमें सभी प्रकार के व्यक्ति अपने लिए एक सम्मानजनक स्थान बना पाएँ एक सलाह है जिसके लिए आज भी लोग पूरे विश्व में प्रयत्न कर रहे हैं।

आज हम ऐसे दो देशों के उदाहरण देखेंगे जहाँ के लोगों ने प्रजातंत्र के अर्थ का विस्तार किया है। लिबिया एवं म्यांमार ।

- संसार के मान चित्र में लिबिया एवं मयनमार को निर्धारित करो। ये कौन से खंड में है?

चित्र. 18.1: *Peoples protest*

लिबिया

लिबिया उत्तर आफ्रीका का एक निर्धन देश है। जिसमें इटली ने अपना साम्राज्यवाद फैलाया तथा लंबे संग्राम के बाद 1951 में स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के पश्चात् इटली ने प्रशासन का अधिकार राजा इडरिस को सौंप दिया जिसने देश का परिपालन कुछ धनवान एवं ताक़तवर परिवारों की सहायता से किया। वहाँ की जनता अधिकतर आदिवासी थी जो विभिन्न जातियों की थी और कृषि एवं रेगिस्तान में पशुपालन का व्यवसाय करती थी। इन जन-जातियों पर उनके परिवार के मुखिया का प्रभुत्व था। 1959 में लिबिया में विशाल मात्रा में पेट्रोलियम की उपलब्धि हुई जिसे बेच कर यह देश धनवान बन गया। राजा एवं कुछ धनवान परिवार के लोगों ने इसका अधिकतम भाग हासिल कर लिया। इसी समय उत्तर अफ्रीका में देश-प्रेम की एक नई जागृति आई जिसमें वहाँ के युवा लोग एक ऐसे आधुनिक राज्य की स्थापना करना चाहते थे जो जनता की भलाई के लिए कार्य करें और साम्राज्यवादी तत्वों के अधीन न रहें। ये युवा पीढी अपने देश में बदलाव भी चाहती थी महिलाओं के अत्यचार को बंद करना चाहती थी और विभिन्न जातियों में जो युद्ध होते थे उन्हें

रोककर देश में एकता एवं शाँति लाना चाहते थे। वे यह भी निश्चित करना चाहते थे कि पेट्रोलियम बेच कर जो धन अर्जित किया जा रहा था वो देश के सभी नागरिकों में बराबर में बाटा जाए। लिबिया के कई लोग इन विचारों से प्रभावित हो रहे थे।

सन् 1969 में मुयाम्मर गद्दाफी तथा उनके साथ 70 युवा सैनिक अफसरों ने लिबिया की सत्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने अपने संगठन का नाम ''फ्री अपीसर्स मूवमेन्ट (Free Officers Movement)'' रख लिया। राजा इडरिस गद्दी छोड़कर भाग गये। लिबिया में राजतंत्र समाहित हो गया और देश को ''सोशलिस्ट लिबियन अरब रिबब्लिक'' घोषित किया गया। सेना ने इसको पूरी तरह से अपना समर्थन दिया। यह संग्राम एक क्राँतिकारी संगठन (Revolutionary Command Council [RCC]) के आधीन था जिसमें 12 सदस्य थे जो सेना से थे। यह संगठन लिबिया को एक आधुनिक समानतावादी देश बना कर उसकी प्रगति करना चाहता था वही अपने मूल धर्म इस्लाम को भी अपनाना चाहता था जो वहाँ की अधिकतर जनता का धर्म था।

हमने ऊपर पढ़ा है कि लिबिया में अधिकतर लोग आदिवासी थे और उन पर परंमपरागत परिवार के मुखिया का परिपालन था। लोग केवल अपने जाति तथा उसकी सुरक्षा तथा सम्मान के विषय में सोचते थे। समस्त देश के लोगों के विषय में कोई भी नहीं सोंचता था। अधिकतर लोग गरीब जनजातियों के थे जो अशिक्षित थे एवं पशुओं की देखभाल का कार्य करते थे। महिलाओं को परदे में रखा जाता था और उन्हें किसी भी कार्य में भाग नहीं लेने देते थे।

- आपके विचार में इनसे एक प्रजातांत्रिक सरकार स्थापित करने में कौनसी समस्या आसकती है?

नई सरकार ने कई सारे संशोधन किए जिससे लिबिया की तेज़ी से प्रगति होने लगी। तेल भंडार का राष्ट्रीकरण किया गया. बंजारा जाति के लोगों को एक स्थान पर रखने के लिए उन्हें भूमि दी गई। बच्चों को निशुल्क प्राथमिक शिक्षा, महिलाओं को भी निशुल्क शिक्षा, सभी के लिए निशुल्क औषधियाँ इत्यादि, पेट्रोलियम से अर्जित आय में सभी को भाग, आवास योजनाएँ ऐसे कई कार्यक्रम सरकार ने जनता के लिए बनाए। औसतन जीवनावधी 50 वर्ष से 77 वर्ष हो गई। सबसे बड़ा परिवर्तन था महिलाओं को स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार दिया गया। महिलाओं को व्यापार करने का एवं संपत्ति रखने का भी हक दिया गया। वे सरकारी नौकरी भी कर सकती थी। आज लिबिया में स्त्री एवं पुरुष दोनों का साक्षरता दर 90% है। इसी कारण लिबिया को पूरे अप्रीका में सामाजिक कल्याण क्षेत्र का सबसे ऊँचा स्थान प्राप्त हुआ है।

ऐसे देश में जहाँ आदिवासी लोग थे, बंजारा (घुमक्कड़) जाति के लोग थे, निरक्षरता थी तथा महिलाओं पर कई सारी पाबन्दियाँ थी, लोगों को प्रजातंत्र का भागीदार बनाना काफी कठिन था। नई सरकार ने आम जनता को सभी कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके लिए उन्होंने जन परिषद बनाए एवं केन्द्र में जनता की विधान सभा भी बनाई। प्रगति के कारण समाज में तेज़ी से बदलाव आए और समाज में एक नया वर्ग आया मध्यम वर्ग का। ये लोग समाज के कई संगठनों में भी भाग लेने लगे। किन्तु गद्दाफी सरकार इन प्रजातांत्रिक संगठनों पर विश्वास नहीं करती थी। उन्होंने एक समनांतर प्रकार की (Leadership) बनाई, जिसे ''क्राँतिकारी काऊन्सिल'' करते थे। जिन की देख-रेख का कार्य गद्दाफी और RCC करते थे। प्रजातांत्रिक संगठनों को इन अनिर्वाचित नेताओं के आदेश मानने पड़ते थे। इसके कारण जनता का इन पर से विश्वास उठ गया फिर भी सरकार उन्हें भाग लेने के लिए जबरदस्ती करती थी। RCC भी किसी प्रकार का विरोध

एवं आलोचना सहन नहीं करती थी। RCC अपने राजकीय विरोधियों को मौत के घाट उतारने के लिए, उन्हें बन्दी बनाने के लिए, एवं आत्याचार करने के लिए, क्रूर तरीके अपनाती थी। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता छीन ली गई। स्वतंत्र संगठन जैसे व्यापारी संगठन या और कोई संस्थाओं को भी बनाने की आज्ञा नहीं थी। लिबिया में कोई राजकीय पार्टी को कार्य करने की अनुमती नहीं थी।

ऐसे निरंकुश कार्यों ने कुछ गिने चुने धनवान परिवार के सदस्यों को सरकार तथा RCC एवं सरकार द्वारा चलाई जाने वाली तेलकम्पनियों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने में सहायता प्रदान की। जनता में इनके प्रति घृणा पैदा हो गई किन्तु वे अपने दुःख एवं परेशानियों को किसी भी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहे थे।

तेज़ी से प्रगति शहरीकरण, नवीन आर्थिक अवकाश एवं नौकरियों का यही अर्थ था कि आदिवासी जीवन का अंत हो रहा था और विभिन्न जन-जातियों के लोग आपस में मिलजुल कर शहरों में रहने लगे थे। अधिकतर नौकरियाँ सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत थी जो तेल संसाधनों, व्यापार तथा उद्योग पर अपना नियंत्रण बनाए हुए थी। लिबिया में एक नया वर्ग मध्यम वर्ग उभर कर आया जिसे व्यापार एवं उद्योग में काफी रुचि थी। किन्तु ऐसे सभी अवकाश बन्द थे क्योंकि उनपर सरकार तथा कुछ धनवान परिवारों का नियंत्रण था।

सन् 2010 के दूसरे भाग में अरब देशों में प्रजातंत्रिक सरकारों की स्थापना के लिए काफी प्रयत्न किए गए। यह एक छोटे से देश टुनिशिया से आरम्भ होकर, मिश्र, लिबिया, यमन, बहरम एवं सीरिया तक फैल गया। यह क्राँतिकारी लहर जिसमें सरकार के विरोध प्रदर्शन, तथा युद्ध भी थे अरब संसार में 18 दिसम्बर 2010 से आरम्भ हुए और अब ये ''अरब झरना'' (Arab spring) के नाम से लोकप्रिय है।

चित्र. 18.2ः लिबया में प्रजातंत्र के पक्ष में एक पोस्टर

लिबिया में बदलाव

जनवरी सन् 2011 में लिबिया के बेनगाजी नामक शहर में कुछ लोग शहर में हो रहे, राजनैतिक भ्रष्टाचार एवं आवास योजना के अन्तर्गत मकानों को बनाए जाने में देरी पर देश के उत्तरपूर्वीय भाग में विरोध प्रदर्शन करने लगे। यह शाँतीपूर्वक सड़को पर चलने से आरम्भ हुए। बायदा नामक शहर में जहाँ जनता को आम सुविधाएँ भी प्राप्त नहीं थी। बाद में यह एक अहिसात्मक प्रदर्शन का केन्द्र बन गया। पुलिस ने इन्हें कुचलने के प्रयत्न किए। शहर में अधिकतर लोग बेरोजगार थे एवं कई परिवारों के कोई निश्चित आय भी नहीं थी। देश के विभिन्न भागों के लोग आपस में इंटरनेट और मोबाईल फोन द्वारा बातचीत करने लगे और अपनी परेशानियाँ भी बाँटने लगे। किन्तु सरकार द्वारा नियंत्रित मीड़िया ने इन्हें रिपोर्ट प्रस्तुत करने से मना कर दिया।

फरवरी तक ये विरोध प्रदर्शन अहिंसात्मक होने लगे।बेनगाजी शहर के लोग पोलीस के विरोध में मोर्चा निकालने लगे। पोलीस ने गोलियाँ चलाई और अनेक लोग घायल हो गए। समाज के कुछ लोग अपने बन्दूक और गोलियाँ ले आए, इन प्रदर्शनकारियों में सेना छोड़कर आए सैनिक भी थे।

किन्तु अधिकतर लोग आम आदमी थे, वकील, कर्मचारी, इंजीनियर, अध्यापक, छात्र इत्यादि थे। गद्दाफी सरकार का विरोध करने वाले सभी संगठन एक हो गए। सेना ने इन पर गोली चलाई इन विरोधियों ने सरकारी इमारतों पर आक्रमण किया। उन्होंने स्थानीय रेडियो स्टेशन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। लोगों ने जिन चीज़ों की माँग की जैसे संविधान में संशोधन, से लेकर मिली जुली प्रजातांत्रिक सरकार का निर्माण। गद्दाफी सरकार ने भी अपने सभी सहायकों को जमा कर के प्रदर्शन करने का प्रयत्न किया। देश में गृह-युद्ध छिड़ गया। साधारण लोगों ने हथियार अपना लिए, जबकि सेना के कुछ सैनिक जनता के साथ मिल गए। गद्दाफी ने अपनी सेना तथा हवाई जहाज़ों द्वारा इन विद्रोहों को कुचलने का प्रयास किया। कई सारे लोग मारे गए।

संसार के कई शक्तीशाली देश जैसे उत्तर अमेरिका लिबया में हस्ताक्षेप कर गद्दाफी सरकार का अंत करना चाहते थे तथा वहाँ ऐसी सरकार बनाना चाहता थे जिससे उन्हें लाभ हो। ऐसा करके अमेरिका लिबया के तेल भंडारों पर कब्जा करना चाहता था । ये देश लिबया के कई विद्रोही संगठनों की सहायता करके लिबया को गृह-युद्ध की स्थिति तक पहुँचा दिए। संयुक्त राज्य संगठन (UNO) ने भी लिबिया की समस्या में हस्ताक्षेप करके विद्रोहियों का साथ दिया और लिबिया को ''उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र'' (No FLy Zone) घोषित किया ताकि की सरकार लोगों पर हवाई जहाज़ों द्वारा आक्रमण न । किन्तु गद्दाफी सरकार ने अपना हवाई युद्ध जारी रखा। तब फ्राँस, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर लिबया में अपने हवाई जहाज़ों द्वारा गद्दाफी के सरकारी क्षेत्रों पर आक्रमण किया। अंत में यह क्राँति सफल हुई और गद्दाफी मारे गए।

Civil War

एक देश में अलग-अलग लोगों के पक्ष या क्षेत्रों के बीच होने वाला युद्ध ।

नवम्बर सन् 2012 में लिबिया में चुनाव हुए जिसमें लग-भग 100 राजनैतिक दलों ने हिस्सा लिया। जिसमें लग-भग 200 प्रतिनिधी चुने गए। एक नई सरकार की स्थापना हुई। उन्होंने एक आंतरिक संविधान की भी व्यवस्था की। भविष्य में लिबया में प्रजातंत्र की स्थापना भी हो सकती है। लिबिया अंतराष्ट्रीय नजरों में है। सभी देखना चाहते है कि क्या लिबिया में प्रजातंत्र का सफलता मिलेगी। और क्या वे इसे और मजबूत बना पाएँगे?

- यूँ तो लोग गद्दाफी सरकार से काफी लाभान्वित हुए फिर भी उन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह क्यों किया?
- गद्दाफी सरकार अपने आप को प्रजातंत्रिक सरकार बताती थी। उसमें प्रजातंत्र के कौन से तत्व नहीं थे? प्रजातंत्र के कौन से तत्व उसमें थे?
- प्रजातंत्र में नागरिक स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है? लिबिया के अनुभव से बताइये।
- निरंकुश शासक T.V. एवं मीडिया पर अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं? क्या आप ऐसे कोई और उपाय जानते हैं जिसके द्वारा लोग आपस में अपने विचार और जानकारियाँ बाँट सकते हैं?
- टुनीशिया में एक व्यापारी की मृत्यु के बाद विद्रोह प्रारम्भ हुए। इस विद्रोह को नेटवर्क के फेसबुक से काफी सहायता एवं शक्ति मिली। आपके विचार में सरकार को इस पर नियंत्रण रखना आसान क्यों नहीं है?

SCERT TELANGANA

म्यांमार (बर्मा)

संसार के मानचित्र पर बर्मा को दर्शाओ (आधुनिक नाम मयनमार) भारत इस देश से अपनी सीमा रेखा बाँटता है। भारत की तरह ही बर्मा भी ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। यह देश सागवान की लकड़ी चाँवल तथा टिन जैसे खनिज एवं कीमती पत्थर जैसे नीलम एवं माणिक इत्यादि की अपूर्ति करता था। भारत की आजादी के 5 महीनों बाद ही बर्मा को भी स्वतंत्रता मिल गई। उन्होंने भी हमरे देश की तरह संसद की स्थापना की जिसके दो सदन भी थे। 1951, 1956 और 1960 में वहाँ पर चुनाव भी हुए जिसमें विभिन्न राजनैतिक दलों ने भाग लिया। ऐसे लगा जैसे बर्मा भी भारत की तरह एक प्रजातांत्रिक देश बनकर उभरेगा। किन्तु बर्मा के पास उस समय कोई राजनैतिक दल नहीं था जो उन्हें उस समय मार्ग दिखा सके।

आपको याद होगा कि 1947 में भारत में बहुमूल्य मात्रा में प्रान्तीय राजकुमारों का शासन था जैसे हैदराबाद में निज़ाम का। इन सब को गणतंत्र भारत में जोड़ने के लिए कुछ वर्ष लग गए। इसी तरह बर्मा में भी कई प्रान्तीय राजकुमार थे तथा जाती पर आधारित एवं भाषा सम्बन्धी क्षेत्र भी थे।

सन् 1947 में औंग सान (Aung San) बर्मा के एक जाति समूह के नेता ने देश को स्वतंत्रता दिलाई (मयनमार के प्रस्तुत विरोधी दल की नेता औंग सानं सू की के पिता) एवं अनेक अलग जाति समूहों के नेताओं ने आपस में बातचीत करके समझौते किया जो उन्हें जाती सम्बन्धी अधिकार एवं दृढ़ आत्म संकल्प देगा तथा अल्पसंख्यकों को भी प्रजातंत्र में सम्मिलित होने देगा। किन्तु औंग सान की हत्या कर दी गई और बर्मा में वहाँ की सेना ने धीरे-धीरे कर उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। कई जाती समूहों ने हत्यार उठा लिए और अपने राज्यों को बचाने के लिए उन में स्वराज्य, जाती सम्बन्धी अधिकार एवं एक संयुक्त प्रजातंत्र की माँग करने लगे। बर्मा में ये जाती सम्बन्धी समस्याएँ बढ़ने लगी। 1962 में सेनाध्यक्ष, जनरल 'ने विन (Ne Win) ' ने सरकार का तख्ता पलट दिया और देश का शासन अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने उद्योग एवं खनिज भंडारों का राष्ट्रीकरण करने की कोशिश की। निशुल्क विद्या एवं आम आदमी के स्वास्थ की सेवाएँ उपलब्ध की गई। 1962 और 1965 के मध्य बर्मा में जमीनदारों और सूदखोरों के लिए महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। यह कानून गरीब किसानों के उनकी भूमि एवं संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए और उनकी भूमि किराए पर देने के लिए बनाए गए। इस प्रक्रिया में ऐसे कानून बनाए गए जिनके द्वारा किसानों को भूमि पर किराया नहीं देना पड़ेगा।

स्वायत्तता

एक देश के एक क्षेत्र या संगठन के लिए स्वतंत्रता अपना आप में स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने के लिए ।

इसी समय से बर्मा में सेनाध्यक्षों का शासन है। शासक ये जता रहे थे कि वे समाजवादी पद्धतियाँ अपना रहे हैं और उन्होंने उद्योग एवं खद्यानों का भी राष्ट्रीकरण कर दिया है। इस का यह परिणाम निकला कि देश के सभी संसाधनों का अधिकार सेना के हाथ में आ गया। जहाँ लिबया में सेना के शासन से देश की प्रगति एवं कल्याण हुआ वहीं बर्मा में कोई प्रगति नहीं हुई और बर्मा एक आर्थिक रूप से निर्धन देश बन गया जहाँ के किसानों को अपनी संतान सेना के हाथों बेच देना पड़ता था और इन्हें खद्यानों में निर्धनता की स्थिति में काम करना पड़ता था। जो सेना अधिकारी सरकार चल रहे थे उन पर मानव अधिकारों की उल्लंघन करने, एवं नागरिकों को जबरदस्ती दूसरों स्थानों पर भेजने का आरोप लगा। उन पर श्रमिकों से जोर-जबरदस्ती एवं बाल श्रमिकों से काम लेने के भी आरोप लगे।

बर्मा में अधिकतर छात्रों द्वारा ही विरोध प्रकट किया जाता था जिसे सेना द्वारा कुचल दिया जाता था। सन् 1988 में सेना के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह किया गया जिसे सेना ने काफी निर्ममता से कुचल डाला। जिसमें हज़ारों प्रदर्शनकारी मारे गए। बर्मा में सेना के एक नए दल ने शासन संभाला जिन्होंने वहाँ पर निर्वाचन कराने का वचन दिया। इसी समय बर्मा में औंग सान-सू-की ने देश में सामाजिक बदलवा के लिए दुपना युद्ध प्रारम्भ किया। तभी से आँग सान सू-की वहाँ के विद्रोह की एक महत्वपूर्ण तस्वीर बन गई है और बर्मा में प्रजातंत्र लाने के लिए अपना प्रयत्न जारी रखे हुए हैं।

बर्मा के शासकों ने 1990 में वहाँ पर चुनाव घोषित किए। इन चुनावों में बर्मा को एक नए राजनैतिक दल National League for Democracy (NLD) ने भारी मत से (80%) चुनाव जीता। जबकि उनकी नेता सू-की जेल में थी। सेना ने उन्हें रिहा करने से भी मना कर दिया और उनके दल को भी सरकार बनाने की अनुमती नहीं दी। उन्हें नज़रबन्द कर दिया गया (उन्हीं के घर में) वे अपने ही घर में बन्दी बना दी गई जहाँ वे न तो घूम सकती थी और न ही किसी से बात कर सकती थी। उन्हें उनके पति के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होने दिया गया, जिनकी कैंसर से मृत्यु हो गई थी। न ही उन्हें अपने दोनों बेटों से मिलने दिया गया।

चित्र..3: आँग सान सू की

पूरे विश्व में बर्मा की सैन्य सरकार पर ज़ोर डाला जा रहा है कि वे देश में सभी को नागरिक स्वतंत्रता दे और प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना करें। अंतराष्ट्रीय ज़ोर भी डाला ज रहा है कि बर्मा से इतर देश अपने व्यापारिक संबन्ध तोड़ दें। इस के कारण बर्मा न तो आयात कर सकता है और न निर्यात। इससे बर्मा के आम नागरिकों को नुक़सान पहुँच सकता है। फिर भी वहाँ के शासकों पर दबाव डालने के लिए यह ''आर्थिक स्वीकृति'' का उपयोग किया जा रहा है।

बर्मा में बदलाव

सन् 2008 में बर्मा में कई तरह के बदलाव दिखाई दिए। जैसे कि प्रजातंत्र की स्थापना के लिए मत संग्राह का आदेश दिया गया। देश को नया नाम देना इत्यादि। फिर भी वहां पर सरकार जो बनती है, वह कुछ चुनाव द्वारा तो, कुछ सेना द्वारा नामांकित लोगों द्वारा बनती है। सन् 2010 में संयुक्त राष्ट्र की देख-रेख में बर्मा में चुनाव हुए। सू-की को नज़रबन्द ही रखा गया और इन्हें चुनाव में भाग भी नहीं लेने दिया गया। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उन्हें घर से बाहर आने की आज्ञा मिली। उनकी पार्टी ने चुनाव में भाग लेने से मना कर दिया। इसका यह परिणाम निकला कि सेना द्वारा सहायता प्राप्त 'यूनियन सालिडारिटी एंड डेवलपमेन्ट पार्टी' (Union Solidarity and Development Party) ने यह चुनाव जीत लिया। उन पर चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। बर्मा में सेना का शासन समाप्त हो गया और वहाँ के नए राष्ट्रपति थेन-सेन (Thein Sein) बन गए। फिर भी वहाँ की सरकार पर सेना का ही नियंत्रण है।

SCERT TELANGANA

मयनमार की कहानी, लिबया की कहानी की तरह ही अभी अधूरी है। समाप्त नहीं हुई है। ऐसे दिखाई देता है कि बर्मा पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश बन जाएगा और वहाँ पर भविष्य के चुनावों में अनेक दल भाग लेंगे।

Nobel Prize Acceptance

सन् 1991 में सू-की को शाँति के लिए ''नोबल पुरस्कार'' दिया गया जबकि वो नज़रबन्द ही थी। उनके पुत्र ने यह भाषण दिया था। उसका कुछ अंश हम आगे पढ़ेंगे।

''वह नोबल पुरस्कार अपने लिए नहीं बल्कि अपने देशवासियों के नाम पर लेंगी।''

यह पुरस्कार भी उन्हीं का है और बर्मा में अनेक वर्षों से एक लंबा संग्राम जो चल रहा है शाँति, स्वतंत्रता एवं प्रजातंत्र के लिए उसमें उनकी जीत भी उन्ही की होगी।

मेरे अपने विचार में वे अपने समर्पण और त्याग की एक ऐसी निशानी बन गई है जिनके द्वारा आप बर्मा के नागरिकों की दुर्दशा देख सकते हैं। गाँवों में रहने वालों लोगों की दुर्दशा, युवा लोगों की परेशानियाँ जो बर्मा की आशा है, जो बर्मा के जंगलों में भाग कर छुप गए हैं और जिनकी मलेरिया से मौतें हो रही हैं। बौध भिक्षुक जिन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है और अनादर किया जाता है। कैदियों का जिन्हें जेल में यातनाएँ दी जाती है।

अंत में वे कहती है ''बर्मा में प्रजातंत्र के लिए जो संग्राम हो रहा है वो वहाँ के लोगों का ऐसा संग्राम है जिसके द्वारा वे समुदाय एक संपूर्ण, और अर्थपूर्ण जीवन स्वतंत्रता और बराबरी से जीना चाहते हैं विश्व समुदाय में।''

- आपके विचार में बर्मा में स्वतंत्रता के बाद भी प्रजातंत्र की स्थापना क्यों नहीं हो सकी?
- आपके विचार में लिबया में स्वतंत्रता के बाद भी प्रजातंत्र की स्थापना क्यों नहीं हो सकी?
- बर्मा और लिबया दोनों देशों में वहाँ के छात्र तथा युवाओं का वहाँ पर प्रजातंत्र लाने में महत्वपूर्ण योगदान क्यों रहा?
- लिबया और बर्मा में घटी घटनाओं के मध्य आप कौन सी समानताएँ पाते हैं?
- इनका अन्तर दो - नेतृत्व, विद्रोह की प्रकृति, परिवर्तन की प्रक्रिया
- दोनों देशों में प्रजातंत्र के परिवर्तन की प्रक्रिया में क्या अंतर है?
- ऐसे वाक्यों को रेखांकित कीजिए जिनका सम्बन्ध राजनैतिक दल से या दोनों देशों में होने वाली चुनाव प्रक्रिया से है।
- बर्मा में एवं लिबया में होने वाले बदलाव सन् 2012 में कौन से हैं? नीचे लिखिए - दोनों देशों में ऐसे कौन से दो अंतराष्ट्रीय दबाव प्रयोग किए गए -

प्रजातंत्र एवं निरंकुश शासन की कुछ विशेषताएँ

आपने वर्तमान में हुई दो प्रजातांत्रिक देशों के लिए संग्रामों के विषय में पढ़ा है। यूँ तो दोनों देश अलग-अलग है किन्तु वहाँ की प्रजा जो सरकार चाहती है उनके देश के लिए, उसमें काफी समानताएँ हैं।

SCERT TELANGANA

गद्दाफी और RCC ने ऐसी कल्याणकारी प्रदेश के लिए कार्य किया जिसमें जनता के मूल-भूत आवश्यकताओं को पूरा किया गया और उन्हें अपना जीवन स्तर शिक्षा एवं नौकरियों द्वारा सुधारने के अवकाश भी दिए गए। बर्मा में भी बर्मा जुन्टा ने आरम्भ में कुछ कल्याणकारी क़दम उठाए। भूमि सुधार के कानून भी बनाए किन्तु सेना की नियंत्रण भी बढ़ाते गए। सेना ने देश के संसाधनों का शोषण किया साथ में वहाँ के निवासियों का भी जिससे उन्हें असीम निर्धनता से गुज़रना पड़ा। दोनों देशों के शासक ऐसे थे जिन्हें सेना का पूरा सहयोग मिला। उन्होंने देश में स्वतंत्र चुनाव नहीं होने दिए और न ही स्वतंत्र राजनैतिक दल बनाने दिए। उन्होंने चुनाव में जीतने वालों को सरकार बनाने का भी अवसर नहीं दिया। उन्होंने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं दी, न ही किसी संस्था बनाने की आज्ञा दी। सरकार का विरोध करने की भी आज्ञा नहीं दी।

दोनों देशों के नेता चाहते थे कि उनके देश में ऐसी सरकार बने जो जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुनी गई हो। दोनों देश के लोग अपने विचारों का प्रकट करने की स्वतंत्रता चाहते थे, किसी गलत चीज़ का विरोध करने की स्वतंत्रता चाहते थे। दोनों देशों के लोग उनके देश में अनेक राजनैतिक दल चाहते थे जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके।

बर्मा, लिबया से अलग था। बर्मा में शासन प्रजातंत्र से प्रारम्भ हुआ और सेना के हाथों चला गया। वही लिबया में राजतंत्र से प्रारम्भ होकर सैन्य शासन लागू हो गया। दोनों देशों में एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए कोई भी परीस्थिति नहीं थी। दोनों देश राजनैतिक एवं नैतिक रूप में गहराई से विभाजित थे जिसके कारण किसी मिलजुले राजनैतिक समझौते पर आना।

प्रजातंत्र का अभियान

17 शताब्दि में इंग्लैंड में आधुनिक प्रजातंत्र के जन्म के साथ ही संसार में राजनैतिक प्रणाली में तेज़ी से बदलाव आने लगे जो प्रजातंत्र के विचारों के अनुकूल हो। प्रारम्भ में लोकतंत्र ने सामाजिक वर्गों की सहायता की जो जमीनदारी के और राजतंत्र के विरोध में थे। उन्होंने एक ऐसे नए सामाजिक वर्ग को प्रोत्साहन दिया जो जन्मसिद्ध शासन के अधिकारों को एवं शासन को दैवीय अधिकार मानने वालों के विरोध में थे। यूरोप और अमेरिका में 18 और 19 वीं शताब्दी में महान क्रांतियाँ हुई इन सभी बदलावों को पाने के लिए।

औद्योगिकरण एवं साम्राज्यवाद ने पूरे विश्व में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी जो प्रजातंत्र के समर्थन में थी। विश्व के अनेक देशों में एक ऐसे शिक्षित मध्यम वर्ग का उद्‌भव हुआ जो प्रजातंत्र के विचारों से प्रभावित था । यूँ तो हर देश की अपनी पृथ्क सामाजिक प्रणाली एवं पृथ्क समस्याएँ थी प्रजातंत्र एक ऐसा मज़बूत ढाँचा था जो इन सभी समस्याओं को उचित समाधान दे सकता था। हर देश अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने लिए एक आदर्श प्रजातांत्रिक प्रणाली को विकसित करने लगा ।

20 वीं शताब्दी में सभी उपनिवेशी देशों के विरोध में प्रजातंत्र एक नारा बन गया। एशिया एवं अफ्रीका में स्वतंत्र राष्ट्र बने जैसे भारत, श्रीलंका, एवं दक्षिण अफ्रीका। इनमें से कई देशों को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई और वहाँ स्थाई प्रजातंत्र की स्थापना हो गई। फिर भी कई देशों में स्थाई प्रजातंत्र की स्थापना नहीं हो सकी (जैसे कि बर्मा और पाकिस्तान में) वहाँ पर सेना द्वारा निरंकुश शासन की स्थापना हो गई। पाकिस्तान में सेना द्वारा निरंकुश शासन और प्रजातांत्रिक शासन के

SCERT TELANGANA

मध्य द्वंद्व चलता रहता है । ऐसे अनेक देशों जो सैन्य शासन में है, वहाँ के लोग ऐसे आन्दोलन कर रहे हैं जिससे सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सके। हमने बर्मा और लिबया का उदाहरण देखा जहाँ पर हाल ही में ऐसे बदलाव आए हैं।

20 वीं शताब्दी में ही एक और राजनैतिक प्रणाली का उद्भव हुआ जिसका नाम है ''साम्यवादी प्रणाली'' साम्यवादी यह सोचते थे कि इंग्लैंड में जो सांसदीय प्रणाली का प्रजातंत्र है वो केवल पूंजीवादियों की सहायता करता है देश को नियंत्रण में रखने के लिए, वह अपने देश के निर्धन श्रमिकों की वास्तविक रुचियों को प्रतिनिधित्व नहीं करता। उनके विचार में ये तभी हो सकता है जब शासन का अधिकार श्रमिकों के निरंकुश शासन द्वारा हो। इस निरंकुशतावाद की इस लिए आवश्यकता थी ताकि धनवान और शक्तिशाली जमीनार तथा पूँजीवादी लोगों को कोई अधिकार या अवसर न मिले अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए। ऐसे राजनैतिक प्रणालियाँ 'रूस मे' (USSR) 1917 में स्थापित हुई, पूर्वी यूरोप में 1945 के बाद, चीन में 1949 के बाद और वियतनाम तथा क्यूबा में 1960 के बाद। इन देशों नें सामाजिक आर्थिकता को स्थापित किया जिसमें सारी भूमि एवं कारखानें पर सरकार का अधिकार होगा और सभी को शिक्षा, स्वास्थ एवं उद्योग निश्चित रूप से दिए जाएँगे। इससे समानता की स्थापना हो ।

उन देशों ने किसी भी प्रकार से बहु दलों के चुनाव नहीं होने दिए और केवल एक ही दल कई शताब्दियों तक शासन करता रहता था। उन्होंने समाचार पत्रों पर भी सरकारी नियंत्रण लगा दिया और लोगों को भी स्वतंत्रता से संगठन बनाने की आज्ञा नहीं दी थे। सरकार के नीतियों के विरोध में हो। संक्षिप्त में कहें तो उन्होंने न तो सरकार की आलोचना करने की आज्ञा दी और न ही सरकार को बदलने के किसी प्रयासों को सफल होने दिया। वैसे तो वे दावा करते थे कि वे गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं और वास्तविक प्रजातंत्र को स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन अंत में वे जनता की स्वतंत्रता ही छीन बैठे। सन् 1942 में USSR का साम्राज्य बिखर गया क्योंकी वहाँ के लोग पश्चिमी देश जैसे अमेरिका (USA) की तरह स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की माँग करने लगे। इसके चलते USSR के कई छोटे देश जैसे रूस, यूक्रेन, एसटोनिया और अन्य पूर्वी युरोपीय देश जैसे पोलैण्ड और हंगरी में साम्यवाद का अंत हो गया और वहाँ पर संवैधानिक प्रजातंत्र की स्थापना हो गई। ये उनके लिए आसान नहीं था और कई देश वापस सैन्य शासन के अन्तर्गत चल गए।

आज विश्व के अनेक देशों के लोगों को पता चल गया है कि प्रजातंत्र, जो सभी की स्वतंत्रता और अधिकारों का आदर करता है और जो देश आज अनेक जटिल समस्याओं से गुज़र रहे हैं उनके लिए प्रजातंत्र को अपनाना कितना आवश्यक है। आज विश्व में एक नए प्रकार के प्रजातंत्र की स्थापना हो रही है, जिसमें एक निर्धन और सबसे अधिक असुरक्षित व्यक्ति की भी अपनी आवाज़ होती है और वह अपनी नीतियों से प्रभाव डाल सकता है और सभी के लिए न्याय और शाँति की सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

मुख्य शब्द

1. खानाबदोश जानवर
2. नगरीकरण
3. राजनीतिक अपराध
4. नजरबंद
5. तानाशाही
6. राजा राजतंत्र
7. सामंतवाद

SCERT TELANGANA

सीखने में सुधार

मानचित्र 1: 1900-1905 में प्रजातांत्रिक सरकारें।

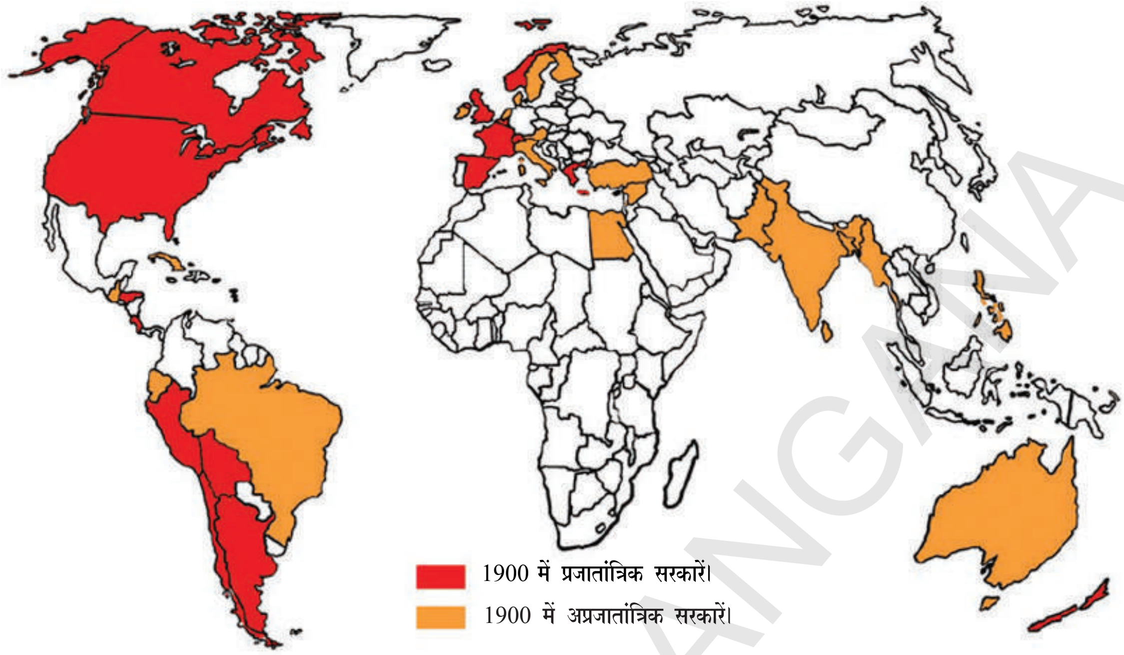

मानचित्र 2: 2011 में प्रजातांत्रिक सरकारें।

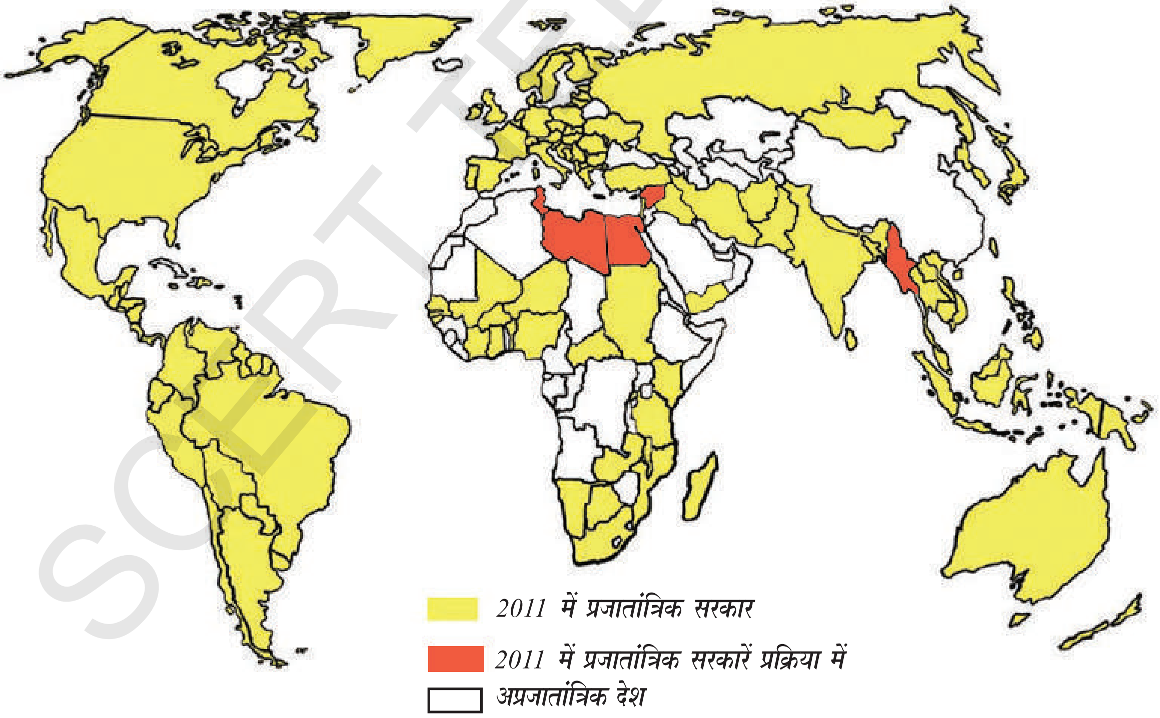

1(a). मानचित्रों के आधार पर किन्ही तीन देशों के पहचानों (कुछ विषयों में तीन देश नहीं भी मिल सकते हैं) जो नीचे दिए गए खंडों में इन वर्षों में प्रजातांत्रिक थे। नीचे के उदाहरण की तरह एक तालिका बनाओः (AS$_5$)

वर्ष	अफ्रीका	एशिया	यूरोप	दक्षिण अमेरिका
1900				
2011				

b) 2011 में कुछ अफ्रीकी प्रजातांत्रिक देशों को पहचानो।

c) ऐसे बड़े देशों की तालिका बनाओ जो 2011 में प्रजातांत्रिक देश नहीं थे।

2. बहुत सारे देश स्वयं आपने आपको लोकतांत्रिक चुनाव के अनुसार चलाना चाहते हैं। इस दृष्टि से आप म्यांमार और लीबिया के बारे में क्या सोचते हैं? (AS_1)

3. शासक संचार माध्यमों पर क्यों नियंत्रण रखना चाहते हैं? क्या आपके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है? कैसे? स्पष्ट कीजिए। (AS_4)

4. लीबिया और म्यांमार के लोगों में बातचीत का एक काल्पनिक संवाद तैयार कीजिए जो अपने-अपने देश को लोकतांत्रिक बनाने के लिए कर रहे हैं? (AS_6)

5. साक्षरता और संचार के बारे अध्ययन व जागरूकता से लोकतंत्र को क्या लाभ होता है? (AS_6)

6. लोकतंत्र और तानाशाही में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। (AS_1)

7. म्यांमार में आँग सेन सू कि की डेमोक्रेसी में क्या योगदान है? (AS_6)

8. इस अध्याय का अंतिम पैरा पढ़कर निम्न प्रश्न का उत्तर लिखिए।

   आज किस प्रकार की नवीन लोकतंत्र जन्म ले रहा है? (AS_2)

परियोजना कार्य

लीबिया और इजिप्ट या किसी अन्य देश के लोकतंत्र के लिए संघर्ष के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए और लिखिए। इसके मुख्य अंश कक्षा में प्रदर्शित कीजिए।

SCERT TELANGANA

अध्याय 19

प्रजातंत्र एक उन्नत उपाय

चित्र 19.1 अगर आप टैक्स देते हैं तो मत दीजिए

चित्र 19.2 अगर आप शिक्षित है तो मत दे सकते हैं ।

चित्र 19.3 यदि आप महिला है तो मत नहीं दे सकते है।

आपने 17 वीं 18 वी. शताब्दी के इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तथा फ्रांस इत्यादि देशों के स्वतंत्रता संघर्ष के विषय में पढा होगा कि इन देशों में प्रजातांत्रिक सरकरों का प्रारंभ कैसे हुआ ? तथा हाल ही में आपने लीबिया और म्यांमार के स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में भी जानकारी होगी। प्रजातंत्र के विकास में कई उतार-चढाव देखने को मिलते हैं। कुछ देशों में यद्यपि लोकप्रिय सरकारे स्थापित भी हुई लेकिन उनके स्थान पर राजतंत्रीय सरकारे स्थापित हुई। लोकप्रिय सरकारों वाले देश में केवल कुछ लोग ही शासकों के चुनाव में भाग ले सकते थे। धीरे-धीरे समय के साथ प्रजातांत्रिक विचारों में व्यापक परिवर्तन आया। इस समय कई ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे जिनका उत्तर देना आसाना कार्य नही था। अब कुछ प्रश्नों और उनके अर्थ के विषय में विचार विमर्श करते हैं। ऐसे प्रश्नों की अपनी कक्षा तथा मित्रों और रिश्तेदारों के साथ चर्चा कीजिए।

प्रजातंत्र का अर्थ है उत्तरदायी सरकार

(चुनी हुई सरकार जो जनता को उत्तर देने योग्य हो) प्रजातंत्र वह व्यवस्था है जिसमें सरकार अपनी शक्ति (सत्ता) जनता से प्राप्त करती है तथा जो जनता को उत्तर दे सके। यह एक प्रकार की ऐसी सरकार है जिसमें तीन से पाँच वर्ष निश्चिय समय के अंतर से सरकार और नेताओं को चुना जाता है।

RCC आपने लीबिया के मामले मे यह देखा होगा कि अंतिम शक्ति आरसीसी अर्थात क्रांतिकारी कमांड कौसिल के पास उसे न तो जनता के द्वारा, न ही जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा बल्कि स्वयं ने अपने आपको नियुक्त कर लिया है। यद्यपि उस समय लीबिया में चुनी हुई सभाएं थी लेकिन कोई निर्णय नही ले सकती थी। लेकिन उन्हें RCC के आदेशों का पालन करना पडता था। कौंसिल किसी के भी प्रति उत्तरदायी नही थी, केवल स्वयं के प्रति।

एक प्रजातांत्रिक देश में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि दी सर्वोच्च होते है, न ही कोई अन्य व्यक्ति जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रुप से न चुना गया हो वह अपनी शक्ति का प्रयोग इन पर नही कर सकता था।

जितनी भी चुनी हुई सरकार कार्य कर रही है वे कई तरीके से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे सबसे प्रथम ऐसी सरकारों में चुनी हुई

सभाएँ (लोकसभा, विधानसभा) कार्य कर रही जहाँ पर सरकार से उनके द्वारा किये गये कार्यो के प्रति प्रश्नों का समाधान करना पडता है तथा कार्यों के लिए योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जाती है। द्वितीय तरीका यह है कि कोई भी नागरिक सरकार से उनके द्वारा किये गये कार्यो के लिए कोई सूचना मांग सकते हैं और सरकार को ऐसी सूचनाओं को आवश्यक रुप से प्रदान करना पडता है। तृतीय एक निश्चित समय के पश्चात पुनः चुनाव आयोजित किये जाते हैं तथा जनता से सहयोग के लिए आशा की जाती है। यदि जनता के कार्यों से संतुष्ट नही है तो सरकार से उनके कार्यों के लिए जानकारी प्राप्त कर सकती है।

- क्या कई करोड़ लोग गरीब लोग यथार्थ में चुनी हुई सरकारों के कार्यों पर अपना नियंत्रण रख सकते हैं ? क्या प्रजातंत्र का यह अर्थ है जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जाये? सरकार के दैनिक कार्यों में जनता के द्वारा किस प्रकार से भागीदारी की जा सकती है। इन प्रश्नों के विषय में अपनी कक्षा और घर में चर्चा कीजिए।

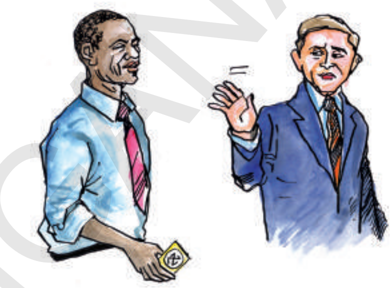

चित्र 19.4 आप अपना मत नही दे सकते हैं क्योंकि आप काले रंग के हैं ?

चित्र 19.5 आप बहुत छोटे हैं इसलिए मत नही दे सकते हैं

समानता, सब के समन्वयीकरण पर ही प्रजातंत्र आधारित है : जब हम यह कहते हैं कि प्रजातंत्र में जनता का शासन है अर्थात सभी मनुष्य जो व्यस्त है चाहे महिला अथवा पुरुष हो, गरीब अथवा अमीर हो, काले अथवा गोरे हो, ईसाई मुस्लिम अथवा नास्तिक हो वे एक या कई भाषाएँ बोलते है । इन सबको अपना महत्व बनाये रखने में काफी समय लगा है। चुनाव में मतदान के अधिकार को प्राप्त करना इसी का प्रतीक है। प्रारंभ में मतदान का अधिकार केवल उन लोगों को प्राप्त था जो संपत्ति वान हुआ करते थे। धीरे-धीरे यह अधिकार देशों के लोगों को गरीब, पुरुष अथवा महिला हो और यह अधिकार सभी धर्म और जाति के मनुष्यों को भी प्राप्त होता गया । अमेरिका में 1920 में श्वेत महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया । इसके पश्चात 1965 में काले लोगों को मतदान का अधिकार देकर भेदभाव को समाप्त किया गया । न्यूजीलैंड वह पहला देश है जिसने सबसे पहले 1893 में मतदान का अधिकार सभी मनुष्यों को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया। यद्यपि महिलाओं और काले व्यक्तियों को इस अधिकार को प्राप्त करने में काफी संघर्ष करना पडा । सोवियत संघ वह पहला देश है जिसने 1917 की रुस की क्रांति के पश्चात सार्वभौमिक मतदान का अधिकार प्रदान किया। वर्तमान समय में भी कई देशों की सरकारे विभिन्न समुदायों के भेदभाव को समाप्त करने के लिए कानून बना रही है।

- एस्टोनिया देश ने अपने नागरिकता के नियमों को इस तरह बनाया जिनकी वजह से रुसी अल्पमत समुदाय के लोगों को मतदान का अधिकार प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पडा ।

- फिजी की मतदान व्यवस्था में एक देसी फिजी के मत का मूल्य भारतीय फिजी व्यक्ति के मत से कही अधिक था । 2013 के चुनाव के समय सभी को मतदान का समान अधिकार लागू किया।

प्रजातंत्र समानता के इस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है जिसमें सभी को सम्मिलित किया जा सके ताकि प्रत्येक व्यस्क नागरिक के एक मत का एक मूल्य हो सके ।

SCERT TELANGANA

- वर्तमान में बहुत से देशों में उन लोगों का मतदान का अधिकार नही दिया गया है जो दूसरे देशों से आकर बस गये हैं। वास्तविकता यह है कि आज भी विश्व में कई करोड लोग इस प्रजातांत्रिक अधिकार के बिना जीवन व्यतीत कर रहे हैं । क्योंकि वे अवैध तरीके से दूसरे देशों में निवास कर रहे हैं । इन लोगों के साथ अवैध अप्रवासी की तरह व्यवहार किया जाता है। दक्षिणी अमेरिक्न अप्रवासी जो अमेरिका में निवास कर रहे है तथा टर्की के अप्रवासी जो फ्रांस और जर्मनी में रहते है उनकी बेहद बुरी दशा है। ऐसे अप्रवासियों को न केवल विश्व मे बल्कि भारत में भी शरणार्थियों के नाम से जाना जाता है। क्या उन्हें प्रजातांत्रिक शासन शासित होने योग्य नही समझा जा सकता है।

प्रजातंत्र के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है: सामान्यतः प्रजातंत्र का यह अर्थ समझा जाता है कि चुनाव में मतदान के द्वारा शासकों को चुना जाना । लेकिन प्रजातंत्र का यह भी अर्थ है कि सरकार के नीति निर्माण कानून निर्माण और उन्हें लागू करने के लिए नागरिकों की सरकार में भागीदारी अवश्य होनी चाहिए। यह कैसे किया जाना चाहिए । यह संभव हो सकता है यदि सरकार द्वारा कानून और नीतियों को बनाये जाने के पूर्व जनता में इनकी व्यापक चर्चा हो । इस चर्चा के समय नागरिकों को अपने विचार और आवश्यकताओं के विषय में स्वतंत्र रुप से व्यक्त करने चाहिए । सरकार के द्वारा नीतियों और कानूनों को लागू करते समय स्वतंत्र नागरिकों की समिति का गठन

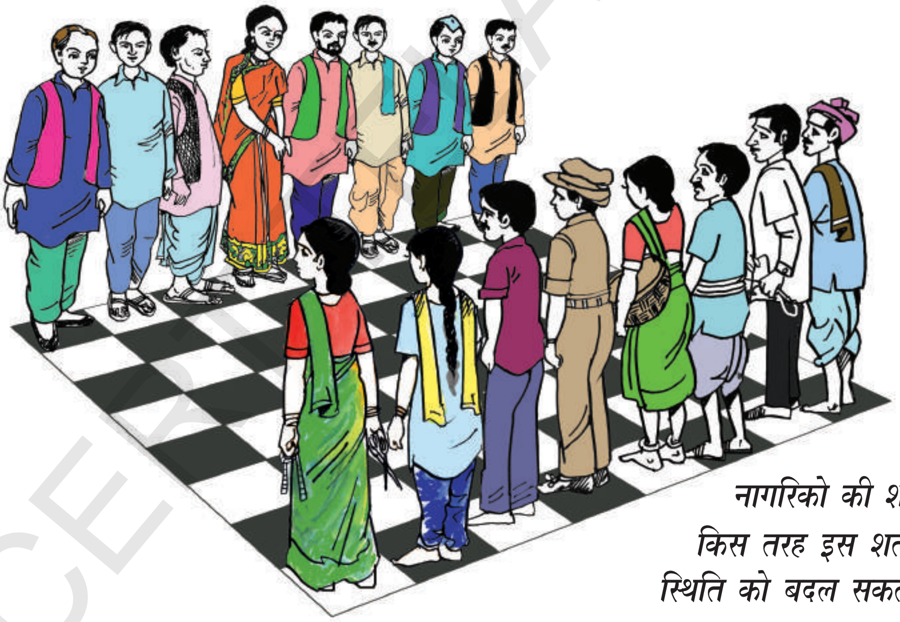

नागरिको की शक्ति किस तरह इस शतरंज की स्थिति को बदल सकती है?

किया जाना चाहिए । लेकिन नागरिकों को भागीदारी इतनी आसानी से प्राप्त नही होगी। बहुत से देशों में सरकार द्वारा जनता के इस कार्य के लिए प्रोत्साहित नही किया जाता है और न ही नागरिक अपनी रूचि दिखाते हैं वे अलग उदासीन बने रहते हैं। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2012 के समय 40 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने चुनाव में भाग नही लिया था ।

- लोग सरकार में भाग लेना क्यों नहीं चाहते हैं? क्या उन्हें इसकी समझ न होने के कारण, या रूचि न होने के कारण या फिर उनके अभिप्रायों को माने नहीं जाने के कारण?

SCERT TELANGANA

प्रजातंत्र के लिए नागरिकों के अधिकार आवश्यक है: .यदि नागरिकों को अपने विचारों को व्यक्त करने का, विषयों पर बहस करने या बातचीत करने, स्वतंत्रतापूर्वक समूह बनाने और प्रेस को अपने विचार बतलाने की स्वतंत्रता होगी तभी नागरिक सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी दे सकते हैं। इन सबको नागरिक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। सामान्य तौर पर ये अधिकार मनुष्यों को आसानी से प्राप्त नही हुए हैं । सरकार में विचारों को व्यक्त करने, स्वतंत्र रुप से विभिन्न संघों का निर्माण करने और सार्वजनिक मामले में जानकारी प्राप्त करने की कोई स्वतंत्रता नही थी । अधिकतर सरकारी निर्णयों को जनता से गुप्त रखा जाता था । इसी के साथ-साथ समाचार पत्रों और पुस्तकों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था या ऐसे हिस्सों को अलग कर दिया जाता था जो सरकार का विरोध करते हो । व्यक्तियों को अलग राजनीतिक दलों के गठन की स्वीकृति नही दी जाती थी। मजदूर संघों पर भी इसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया था। राजनीतिक दल और मजदूर संघ को सरकार स्वीकृति प्रदान करती थी। उदाहरण के रुप में उपरोक्त सभी अधिकार सोवियत संघ रुस में नागरिकों को प्राप्त नही थे । यद्यपि वहाँ पर मतदान का सार्वभौमिक अधिकार समय-समय पर होने वाले चुनाव के समय दिया गया था। यही कारण है सोवियत संघ में लगभाग ६० वर्षों तक एक ही दल का शासन रहा था। यद्यपि आज भी कई देशों के व्यक्तियों को ये अधिकार प्राप्त नही है। नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाने से सरकार सत्ता में कई दिनों तक कायम रह सकती हैं।

- अधिकांश सरकारे अपने व्यक्तियों (नागरिकों) को सभी नागरिक अधिकार प्रदान करती है, लेकिन उनकी सभी गतिविधयों पर अपनी सजग नजर और नियंत्रण भी रखती है, जैसे आज के समय में फोन टेप करना, पत्रों पर नियंत्रण रखना जासूसी करना इत्यादि, कई माध्यमों से गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। क्या आप यह समझते हैं कि यह सब न्यायपूर्ण है।

प्रजांतंत्र के लिए समानता आवश्यक है: अब तक हमने देखा है कि प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक समानता का होना आवश्यक है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का एक मत होना चाहिए। राजनीतिक समनता के लिए प्रभावी होने केलिए यह जरुरी हैकि सामाजिक और आर्थिक समानता को न्यायपूर्ण तरीके से स्थापित किया जा सके । यदि समाज मे दो असमान्य वर्ग गरीब और अमीर उच्च जाति और निम्न जाति तथा दलित वर्गो का अस्तित्व बना रहेगा तब तक राजनीतिक समानता अर्थहीन बनकर रह जायेगी । समाज में जो अमीर और उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं वे आसानी से मतदान प्रक्रिया या वोट राजनीति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। जिन परिवारों में सदस्यों की संख्या अधिक होती है वहाँ पर परिवार का प्रमुख (प्रधान) यह निश्चित करता है कि परिवार के सदस्यों (महिलाओं सहित) को अपना मत किसे देना चाहिए ।कई जगहो पर जहाँ पर शक्तिशाली जमींदार या कारखाने के मालिक, अपने श्रमिको को उनके द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार मत

तालिका 1 कुछ देशों में आय की असमानता

देशों के नाम	राष्ट्रीय आय का भाग	
	उच्च स्तर 20	निम्न स्तर20
दक्षिण अफ्रिका	64.8	2.9
ब्राजील	63.0	2.6
अमेरिका	50.0	4.0
यूनाइटेड किंगडम	34.5	9.6
डेनमार्क	34.5	9.6
हंगरी	34.5	10.0

- इस तालिका में प्रजातांत्रिक देशों की असमान आय के प्रतिशत को बताया गया है क्या ये प्रजातांत्रिक सरकारे अपने-अपने देशों के व्यक्तियों के हित के लिए कार्य कर रही है? अपने विचार बतलाइए।

SCERT TELANGANA

देने के लिए बाध्य करते हैं । इसके माध्यम से अर्थात धन और शक्ति के द्वारा प्रजातंत्र की प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप किया जा सकता है। अमेरिका जैसे देश में भी सभी प्रकार के संचार साधनों मीडिया पर अमीर उद्योग घरानो का नियंत्रण रहता है, जिन्हें मीडिया बैस या मीडिया के सामंत व्यापारी कहा जाता है। ये जनमत को प्रभावित करने या अपने पक्ष में परिवर्तित करने की अत्यधिक क्षमता रखते हैं । इनकी पहुँच विधानसभा सदस्य, संसद सदस्य यहाँ तक कि वे मंत्रियो को भी अपने कार्यक्रमों और नीतियों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रभावित करते हैं । इसके विपरित समाज के व्यक्ति अशिक्षितऔर गरीब होते हैं उनके पास ऐसी कोई शक्ति नही होती है जिससे वे सरकार के सदस्यों को प्रभावित कर सके । यही कारण है कि अधिकतर देशों की सरकारी नीतियों में गरीब और अमीर व्यक्तियों की नीतियों मे व्यापक विरोधाभास देखने को मिलता है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि तभी सही अर्थों में प्रजातंत्र प्राप्त हो सकता है। जब राजनीतिक समानता के साथ सामाजिक और आर्थिक समानता सम्मिलित की जाय ।

- यदि कोई राजनीतिक दल लगातार सत्ता प्राप्त करता है तो क्या इसका अर्थ है कि जनता इस दल की सरकार चाहती है? या जनता के सामने और अन्य कोइ विकल्प नही है? या जनता को अन्य विकल्पों को मतदान देने नही दिया जाता ? इन प्रश्नों के उत्तर तीन प्रकरणों का अध्ययन पर आधारित किये गये हैं जैसे :

a. मेक्सिको देश 1930 मे स्वतंत्र हुआ तबसे वहाँ पर प्रत्येक छः वर्ष में राष्ट्रपति के चुनाव करवाये गये। तब तक यहां पर न तो सैनिक शासन या और न ही किसी प्रकार की तानाशाही थी। लेकिन 2000 तक प्रत्येक चुनाव पीआरआई (संस्थान क्रांतिकारी राजनीतिक दल ने चुनाव जीता) पीआरआई क्रांतिकारी राजनीतिक अर्थात क्रांतिकारी राजनीतिक दल मेस्किसों में अनैतिक और गलत साधनों से चुनाव जीतने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सरकारी स्कूलों के शिक्षक, छात्र छात्राओं के माता-पिता को पीआरआई को मत देने के लिए मजबूर करते हैं ।

b. जिम्बाम्बे ने 1980 में गोरी अल्मत सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त की थी । तभी से देश ने जेएएनयू-पीएफ राजनीतिक दल ने शासन किया तथा तभी से वहाँ पर समयानुसार चुनाव हो रहे हैं जिसे जेएएनयू-पीएफ दल को विजय प्राप्त हो रही है,जो इस दल के हैं । लेकिन उन्होंने भी चुनाव के समय अनुचित खाद्यान्नों का उपयोग चुनाव में किया तथा चुनाव जीता था । चुनाव ने अपनी सरकार को शक्तिशाली बनाने के लिए संविधान में कई बार परिवर्तन किया। विरोधी दलों ने इसका विरोध किया लेकिन विरोधी दल के सदस्यों को अत्यधिक प्रताडित किया तथा उनकी बैठको मेंभी व्यवधान उत्पन्न किया । वहां पर राष्ट्रपति की आलोचना करने के अधिकार को भी सीमित कर दिया गया तथा टेलीविजन और रेडियों के प्रसारण पर नियंत्रण लगा दिया गया । अब वे केवल सरकारी अनुमति से ही सूचनाओं का प्रसारण कर सकते थे ।

c. चीन में देश की संसद के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष में चुनाव होते हैं । इसे चीनी भाषा में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है । नेशनल पीपुल्स काँग्रेस को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है । इसके लगभग 3,000 सदस्य को चुनाव में भाग लेने के पूर्व चीन के साम्यवादी दल की अनुमति लेना आवश्यक है। केवल चीन के साम्यवादी दल के सदस्य या आठ ऐसे छोटे दल जो कि साम्यवादी दल से संबंधित है। उन्हें 2002-03 के चुनावों में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है। चाईना में हमेशा साम्यवादी दल की ही सरकार का शासन चलता है।

प्रजातंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है : यदि किसी देश के नागरिक अपनी सरकार में श्रेष्ठ व्यक्तियों या राजनीतिक दल को चाहते हैं तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अवश्य हाना चाहिए । चुनाव मे कोइ भी व्यक्ति या राजनीतिक दल भाग ले सकता है। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को अलग से विशेष लाभ नही दिया जा सकता है। आज भी अनेक देशों जैसे सौवियत रुस बर्मा (म्यांमार) लीबिया या अन्य ऐसे देश जहाँ पर चुनाव में केवल एक या दो राजनीतिक दल भाग ले सकते हैं वहाँ पर उन्हें मत देने के अलावा और कोई रास्ता नही है । कुछ देशो में जो राजनीति

दल सत्ता में रहता है या जो सरकार कार्य कर रही है वो भी अपने पक्ष मे मतदान करने के लिए लोगों को बाध्य करती है। इसके अलावा सत्ता पक्ष के लोग आपसी जोड तोड या सांठगाँठ करके विरोधी दल के उम्मीदवारों के नाम तक हटा देते हैं यहाँ तक कि विरोधी दलों को सहयोग देने वालों के नाम भी मतदान सूचियों में से हटा देते हैं। प्रजातंत्र के लिए इस तरह के चुनावों का आयोजन होना उचित नही है। ऐसी व्यवस्था के लिए चुनाव के लिए कोइ विकल्प अवश्य होना चाहिए । जहाँ तक संभव हो सके ऐसे शासकों को हटाये जाने की भी सुविधा होनी चाहिए । यदि हम प्रजातंत्र को सुरक्षित रखना चाहते है तो चुनाव के पूर्व और पश्चात मूल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए । यह तभी संभव है जब राज्य नागरिकों की स्वतंत्रताओं को सुरक्षित रखे । इसलिए प्रजातंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना अत्यंत आवश्यक है ताकि सत्ता सुरक्षित रह सके ।

प्रजातंत्र के लिए अल्पमत समुदाय के कानूनों और अधिकारों का सम्मान आवश्यक है: यद्यपि प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार सम्मिलित होती है लकिन इसका अर्थ यह नही है कि लोकप्रिय नेताओं को समर्थकों की इच्छानुसार शासन का कार्य करना पडता है। सभी प्रजातांत्रिक सरकारे कानूनों से बँधी हुई होती है तथा न्यायपालिका स्वतंत्र रुप से कार्य करती है। कार्यपालिका के अधिकारियों को भी कानूनों के अनुसार कार्य करना पडता है । प्रजातंत्र में सभी मनुष्यों के हितों को संरक्षित रखने का कार्य करना पडता है, जिनके पास देश का बहुमत होता है। सभी को अपने विचारों को व्यक्त करने उन्हें प्रचारित करने जनता के विचारों को अपनी तरफ प्रभावित करने तथा उनके विचारों का सम्मान करने का अवसर प्राप्त होता है, भले ही बहुमत उनके विचारो से सहमत नही हो या वे इन विचारों को हानिकारक बतलाये । आज प्रजातंत्र के समक्ष सबसे बडी चुनौती उन लोगों से है जिनके विचार प्रजातंत्र के विरुद्ध है या जो लोग यह सोचते हैं कि प्रजातंत्र के स्थान पर किसी प्रकार की तानाशाही सरकार को लाया जा सकता है। या ऐसे लोग जो यह सोचते हैं कि सत्ता या शक्ति केवल वर्ग विशेष के पास रहनी चाहिए या किसी विशेष धर्म या किसी नस्ल के लोगों के पास होनी चाहिए। आपके विचारों के अनुसार क्या ऐसे लोगों को अपने विचारों को प्रचारित करने की स्वीकृति देना चाहिए। ये सभी विचार प्रजातंत्र के इस दृष्टिकोण को समझाते हैं कि प्रजातांत्रिक सरकार को सीमा में रहते हुए संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकारों के आधार पर ही शासन करना चाहिए।

प्रजातंत्र और चुनाव पर कुछ प्रश्न

यदि हम अपने देश के चुनाव का उदाहरण लेते हैं तो पता चलता है कि किसी एक क्षेत्र मे केवल 1000 व्यक्तियों को मत देने का अधिकार है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा विशिष्ट स्थिति में लगभग 60% लोगों ने मतदान किया होगा । यह कल्पना करे कि चुनाव में 10 उम्मीदवारों ने भाग लिया तथा जीतने वाले पहले उम्मीदवार को 250 मत, द्वितीय उम्मीदवार को 200 मत कुछ उम्मीदवार को केवल 150 मत प्राप्त होते हैं । इस परिस्थिति मे केवल एक उम्मीदवार जिसे 250 मत प्राप्त हुए है। उसे विजयी घोषित किया जाना उचित होगा ? क्या वह उम्मीदवार अपने क्षेत्र के सभी निवासियों के हितों और विचारों का प्रतिनिधित्व करता है? वास्तविकता यह है कि वह केवल 1/4 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। क्या यह निष्पक्ष स्वतंत्र प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। क्या मनुष्यों को किसी अन्य अच्छे तरीके से निर्णय लेने की संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जा सकता है?

प्रजातंत्र बहुमत बनाम सभी सम्मिलित व्यक्ति

सामान्य रुप से प्रजातंत्र का अर्थ बहुमत को शासन से लिया जाता है। किसी भी देश मे विविध विचारों और संस्कृति के लोग निवास करते है, ऐसी स्थिति मे वैचारिक विभिन्नता का उत्पन्न होना अत्यंत स्वाभाविक है । ऐसे मे एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या प्रजातंत्र में इन विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए कोई तरीका है? इसलिए यह निर्णय अधिकतर बहुमत के द्वारा किया जाता है।

इसमें केवल यह ध्यान देने योग्य है कि मतदान में बहुमत प्राप्त करने वालों को सभी मनुष्यों से अधिकतम सहयोग प्राप्त हो सके। यह साधारण परिस्थितियों में काफी लाभदायक हो सकता है, लेकिन जटिल परिस्थितियों में काफी विरोधाभ्यास उत्पन्न कर सकता है क्योंकि सभी वर्गों और समुदायों के व्यक्तियों का एक विचार पर सहमत होना एक कठिन कार्य है। केवल इस स्थिति मे यह आवश्यक होगा कि सभी मनुष्यो के दृष्टिकोण या विचारों पर ध्यान देना आयवश्यक है, इससे बहुमत और अल्पमतसंख्यक समुदाय से सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं पूर्ण होगी। इस विषय में दो है जैसे-उदाहरण

बेल्जियम और श्रीलंका

बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी कुल जनसंख्या का 59 प्रतिशत भाग फ्लोमिश क्षेत्र मे निवास करता है तथा डच भाषा बोली जाती है। दूसरे 40 प्रतिशत भाग के निवासी वालोमिया क्षेत्र मे निवास करते है और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष बचे हुए एक प्रतिशत मनुष्य बेल्जियम निवासी जर्मन भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80 प्रतिशत व्यक्ति फ्रेंच भाषा और 20 प्रतिशत व्यक्ति डच भाषा बोलते हैं।

यहाँ पर फ्रेंच भाषा समुदाय के लोग जो अल्पसंख्यक हैं उनकी अन्य भाषा बोलने वाले मनुष्यों की तुलना की जाये तो वे ज्यादा अमीर है और शक्तिशाली है। यह देखते हुए डच समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से 1950-1960 में डच और फ्रेंच समुदाय के लोगोके बीच संघर्ष हुआ था लेकिन बुसेल्स में इन दोनों समुदायों के बीच आपसी संघर्ष ज्यादा गंभीर हो गया था। बुसेल्स के सामने एक विशेष समस्या थी जैसे डच भाषा बोलने वाले समुदाय ने देश में बहुमत प्राप्त कर रखा था लेकिन यह समुदाय देश की राजधानी में अल्पमत में था।

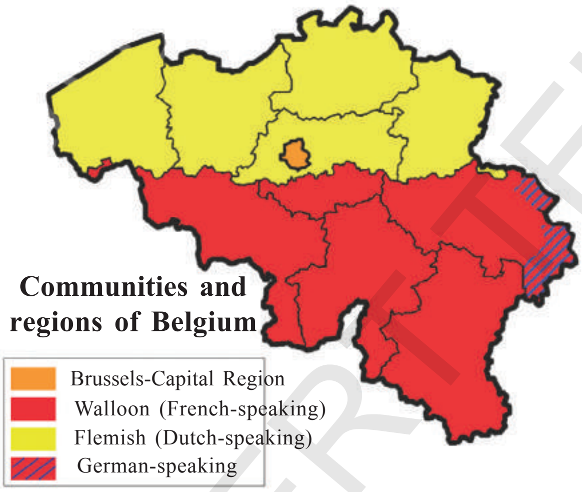

Communities and regions of Belgium

भारत के दक्षिण में श्रीलंका द्वीप समूह एक राष्ट्र है। श्रीलंका में विभिन्न प्रकार की जनसंख्या निवास करती है। यहाँ के सबसे प्रमुख सामाजिक वर्ग के 74 प्रतिशत भाग में सिंहाला भाषा बोली जाती है। तमिल भाषा बोलने वाले केवल 18 प्रतिशत है। सिंहाला भाषा बोलने वालों में ऐसे लोग अधिक है जो बौद्ध समुदाय के हैं तथा अधिकांश तमिल, हिन्दू और मुस्लिम समुदाय के हैं।

यदि इन दोनों समुदायों के विचारों का विश्लेषण किया जाये तो दोनों समुदायों का बहुमत देखा जा सकता है। हमें यह देखना चाहिए कि इन दोनों देशों में क्या हुआ था।

श्रीलंका में बहुमतवाद

1948 की श्रीलंका की स्वतंत्रता के पश्चात सिंहल वर्ग का सरकार मे बहुमत के आधार पर प्रभुत्व था। इसके परिणामस्वरुप श्रीलंका सरकार ने प्रजातांत्रिक आधार पर सरकार का चुनाव किया जो सिंहाला लोगो की सर्वोच्चता को बहुमत के विभिन्न तरीको के द्वारा स्थापित कर रही थी।

सिंहाला भाषा को अधिकृत रुप से सरकारी भाषा के रुप में घोषित किया जा चुका था, जिससे तमिल समुदाय ने स्वीकार नही किया। सरकारी नौकरियों मे भी सरकार ने ऐसी नीतियाँ लागू की जो सिंहाला भाषा बोलने वालों का समर्थन करती थी। इस समय एक नये संविधान को बनाया जाये जो राज्य में तेजी से विकसित हो रहे बौद्ध धर्म का संरक्षण कर सके। सरकार के द्वारा कई प्रकार के तरीके

एक के बाद अपनाये जा रहे थे जिससे श्रीलंका के तमिल समुदाय के लोग अलग हो रहे थे। इस वजह से श्रीलंका के तमिल और सिंहाला समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो रहा था । इसे देखते हुए श्रीलंका के तमिल मनुष्यो समुदाय ने समान स्तर के लिए दलों को बनाया तथा संघर्ष प्रारंभ किया ताकि तमिल समुदाय को समान स्तर आदि स्वायतत्ता उन प्रांतों को प्राप्त हो सके जहाँ तमिल समुदाय के लोग अधिक हैं। लेकिन तमिल समुदाय की इन मांगों को लगातार अस्वीकृत किया गया ।

1980 में कुछ राजनीतिक संगठन बनाये गये जिन्होने यह मांग की थी कि श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी भाग के लिए एक अलग राज्य (तमिल एलम) बनाया जाये । इन दोनों समुदायों की अलग-अलग धारणाओं ने एक व्यापक संघर्ष का रुप ले लिया ।कुछ ही दिनो मे इस आपसी संघर्ष ने एक गृहयुद्ध का रुप ले लिया, जिससे एल.टी.टी.ई जो कि एक उग्रवादी संगठन था उसने इन प्रांतों पर शासन करना चाहा जिससे तमिल समुदाय के अधीक लोग निवास करते थे । इस गृहयुद्ध में श्रीलंका की सेना ने एल.टी.टी.ई को हराया था। एल.टी.टी.ईने उन प्रांतों के मनुष्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया तथा उन लोगों के साथ निरंकुशता और बर्बरता व्यवहार किया और कई तमिल लोगो की हत्या की गई । कई लोगों को जबरदस्ती देश छोड़कर जाना पडा और कई व्यक्ति अपने जीवन यापन के साधनों को खो चुके थे। ऐसे व्यक्तियों को शरणार्थी के रुप में रहना पडा। इस गृहयुद्ध के पूर्व श्रीलंका एक समृद्धशाली देश था जिसकी आर्थिक प्रगति अत्यधिक थी, तथा शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी श्रीलंका प्रसिद्ध देश था। लेकिन इस गृहयुद्ध ने श्रीलंका के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन का विनाश कर दिया ।

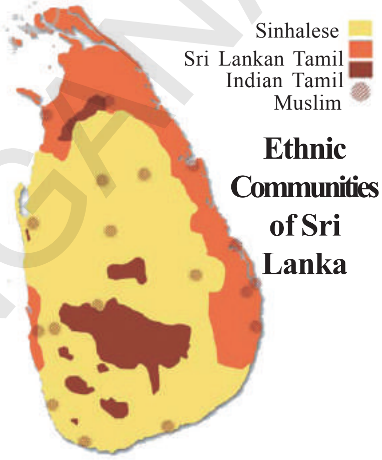

Ethnic Communities of Sri Lanka

बेल्जियम में रियायत

बेल्जियम देश के नेताओ ने एक अलग व्यवस्था को अपनाया । उन्होंने बेल्जियम में जितनी भी क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विभिन्ताएँ थी उन्हें समझकर 1970 और1993 में अपने देश से संविधान में चार बार संशोधन किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि यह प्रबंध इसलिए किया गया है ताकि बेल्जियम का प्रत्येक निवासी के साथ देश की सीमा मे निवास कर सके । बेल्जियम की सरकार का यह कार्य काफी लाभदायक सिद्ध हुआ तथा अनेक देशो की सरकारो ने इस प्रबंध को रचनात्मक प्रेरणादायक मानकर अपनाया । यहाँ पर कुछ बेल्जियम मॉडल के तत्व दिये जा रहें है ।

- संविधान में डच और फ्रेंचभाषा बोलने वाले दोनो के सदस्य और मंत्रियों की संख्या केन्द्रीय सरकार में एक समान रखी गई । बहुमत वर्ग और भाषा पर आधारित वर्ग के लिए कुछ विशेष कानूनो का प्रावधान रखा गया है, जिससे दोनों वर्गो को समर्थन मिल सके । कोई भी समुदाय एक पक्षीय निर्णय नही ले सकता है ।

- केन्द्रीय सरकार की अधिकांश शक्तियाँ राज्य सरकारों को भी प्रदान की गई है, जो जर्मनी के दो प्रमुख क्षेत्र है । राज्य सरकारे केन्द्रीय सरकार के अधीन नही है।

- ब्रुसेल्स में एक पृथक सरकार है जिसमें दोनों समुदायों के सदस्यों का समान प्रतिनिधित्व है। ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों ने समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार में डच भाषा के लोगों ने समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया है।

केन्द्र और राज्य सरकार के अतिरिक्त जर्मनी में एक तीसरे प्रकार की भी सरकार है । इसे ''समुदाय सरकार'' के नाम से जाना जाता है। इसका चुनाव डच, जर्मन और फ्रेंच समुदाय के लोगों के द्वारा भाषा आधार पर किया जाता है। इस सरकार को सांस्कृतिक, शैक्षणिक और भाषायी संबंधित विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार है ।

SCERT TELANGANA

यदि आप बेल्जियम मॉडल का विश्लेषण करे तो यह अपने आप में अधिक जटिल है। लेकिन इन सब तत्वों ने अच्छी तरह से कार्य किया है जो अधिक लाभपूर्ण सिद्ध हुआ । इसका सबसे बडा लाभ दो विशेष समुदायों के आपसी संघर्ष को रोकने मं सहायक सिद्ध हुआ । जब यूरोप के कई देशों ने यूरोपीय संघ का गठन किया तब ब्रुसेल्स में संघ का प्रधान कार्यालय स्थापित किया गया, बेल्जियम जैसे देश के लिए यह एक बहुत बडा सम्मान था क्योंकि यूरोपियन समुदाय ने उन पर विश्वास किया और बेल्जियम की स्थिरता और निष्पक्ष न्याय को सम्मानजनक स्थान दिया ।

अब तक हमने दो अलग-अलग प्रजातांत्रिक देशों के बारे मे ज्ञान प्राप्त किया। यद्यपि देश सत्ता का प्रयोग अलग तरह से कर रहे थे । बेल्जियम जैसे देश के नेताओ ने यह महसूस कर लिया था कि देश की प्रगति तभी संभव है जब अपने क्षेत्र के निवासियो के हितो और भावनाओं का सम्मान करें । श्रीलंका जैसे देश ने अलग रचनात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया है। जैसे अगर बहुमत समुदाय अपना प्रभुत्व दूसरों पर रखना चाहता है और सत्ता दूसरों को नही देना चाहता हो तब इससे देश की स्थिति और भी बिगडती तथा कई सौ वर्ष तक देश का आंतरिक संघर्ष और गृहयुद्ध का सामना करना पडेगा।

नागरिकों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता

विश्व मे जितनी भी सरकारें हैं उन सबमें प्रजातंत्र सबसे अधिक सर्वोत्तम शासन प्रणाली है, क्योंकि व्यक्तियों के गौरव और स्वतंत्रता के विकास मे अपना योगदान देती है । यद्यपि कई बार व्यक्तियो में आपसी संघर्ष उत्पन्न होता है क्योंकि उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नही किया जाता है। स्वतंत्रता और सम्मान की भावना प्रजातंत्र का सबसे मुख्य आधार है । विश्व के सभी प्रजातांत्रिक देशों ने सैद्धांतिक रुप से इसे स्वीकार किया है। यद्दपि विभिन्न देशों ने अलग-अलग स्तर पर इसे प्राप्त किया है जो देश या समाज आज भी कई वर्षो से चले आ रहे अधीनता और आधिपत्य को मानते हैं, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उन देशों में आज भी व्यक्तियों या मनुष्यों को एक समान नही समझा जाता है ।

यदि महिलाओ के मान-सम्मान के संबंध मे देखा जाये तो यह ज्ञात होता है कि अधिकांश समाज में या देशों पर पुरुषों ने अपना नियंत्रण प्रभाव बनाये रखा है। विश्व की महिलाओं ने समान सामाजिक स्तर प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठोर संघर्ष किया है, तब जाकर यह स्वीकार किया गया है कि समाज में पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी प्रजातंत्र का एक आवश्यक भाग या हिस्सा है। जब एक बार इस तथ्य को सैद्धांतिक रुप से स्वीकार कर लिया गया, तब महिलाओं के लिए समान स्तर प्राप्त करना, अब वैधानिक और नैतिकता की दृष्टि से आसान हो गया है । जिन देशों मे प्रजातांत्रिक व्यवस्था नही है, वहाँ पर इसे वैधानिक रुप से स्वीकार नही किया गया है, क्योंकि ऐसे देशों में मनुष्यों की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा (मान सम्मान) के लिए कोई नैतिक और वैधानिक शक्ति नहीं है, जो बाध्य कर सके । जातिगत असमानता के लिए यही तथ्य सत्य है। भारत के प्रजातंत्र ने जातिवाद से प्रभावित लोगों को अनका समान स्तर और अवकर के अधिकार को और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है। वैसे तो जातिगत असमानता के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका कोई भी वैधानिक और नैतिक आधार नहीं है। शायद यही स्थिति एक साधारण नागरिकों को अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों का मूल्य समझा सके ।

किसी भी प्रजातांत्रिक देश में प्रजातंत्र तभी सफल हो सकता है, जब प्रजातंत्र से जो आशाएँ रखी जाती है, वे एक परीक्षण के तौर पर कार्य करती हैं। प्रजातंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है कि जैसे ही

SCERT TELANGANA

एक परीक्षण पूर्ण होता है दूसरा प्रारंभ हो जाता है इससे प्रजातंत्र और मनुष्यों को लाभ होगा तथा प्रजातंत्र को और अधिक सक्षम बनाया जा सकेगा। इसलिए जब कभी भी मनुष्यो से प्रजातंत्र और कार्यों तथा सफलता के विषय में पूछा जाता है तब वे और भी अधिक आशा लेकर आते हैं तथा प्रजातंत्र के मूल्यों के विषय मे बतलाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि सभी मनुष्य कमी महसूस कर रहे हैं कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए कोई मापदंड अवश्य होना चाहिये। इससे यह पता चलता है कि व्यक्तियों मे योग्यता और जागरुकता विकसित हो चुकी है ताकि वे सरकार या सत्ताधारी व्यक्तियों के कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कर सके। यदि प्रजातंत्र के प्रति मनुष्यों के द्वारा यह व्यक्त किया जाता है कि वे संतुष्ट नही है तो यह प्रजातंत्र की सबसे बडी सफलता होगी। यह एक साधारण व्यक्ति को नागरिक के रुप में परिवर्तित कर देती है। अधिकांश व्यक्ति यह सोंचते हैं कि उनके मतों से सरकार की कार्यप्रणाली मे अंतर आ सकता है ताकि वे अपने हितों के अनुसार सरकार से कार्य कर सके।

- सामाजिक, धार्मिक, भाषाई समन्वयीकरण के लिए इन दो देशों ने कौनसे मार्ग अपनाए हैं। चर्चा कीजिए।

मुख्य शब्द

1. USSR (Union of Soviet Socialist Republic)
2. आम चर्चा
3. नागरिक स्वतंत्रता
4. सामाजिक व आर्थिक समानता
5. आंतरिक मतभेद

शिक्षा में सुधार

1. प्रजातंत्र को किस प्रकार से सक्षम, वैध और उत्तरदायी सरकार बनाया जा सकता है? (AS_1)
2. ऐसी कौन सी शर्त या स्थितियाँ है जिनके द्वारा सामाजिक विभिन्नताओं को समाप्त किया जा सकता है।
3. निम्न तथ्यो के समर्थन या विरोध मे अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए। (AS_1)
   A. औद्योगिक देशों में प्रजातंत्र आसानी से संचालित हो सकता है, लेकिन गरीब देश को अमीर बनने के लिए तानाशाही आवश्यक है। (AS_1)
   B. प्रजातंत्र विभिन्न नागरिकों के बीच आय के असमान वितरण को कम नही कर सकता है।
   C. गरीब देशों की सरकारो को गरीबी हटाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर कम खर्च करना चाहिए, इसकी बजाय उद्योगों और प्रबंध साधनों पर अधिक खर्च करना चाहिए।
   D. प्रजातंत्र में सभी नागरिकों का एक मत होना चाहिए। क्या इसका यह अर्थ है कि प्रभुत शक्ति का आधिपत्य तथा संघर्ष की कमी है?
4. प्रजातंत्र को सही समझने के लिए निम्न में कौन सा तथ्य सही अथवा गलत है। (AS_1)
   A. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव
   B. व्यक्तियों का गौरव या प्रतिष्ठा
   C. बहुमत का शासन
   D. कानून के द्वारा समान व्यवहार
5. कई अध्ययन विवरण यह दर्शाते हैं कि प्रजातंत्र में राजनीतिक असमानता के लिए - (AS_1)
   A. प्रजातंत्र और विकास साथ-साथ होने चाहिए।
   B. प्रजातंत्र में असमानताएं उत्पन्न होती है।
   C. तानाशाही में असमानताएं उत्पन्न होती है।
   D. तानाशाही प्रजातंत्र से ज्यादा उत्तम है।

SCERT TELANGANA

6. यहाँ कुछ छः देशों के विषय में कुछ सूचनाएं दी गई है, दी गई सूचनाओं के आधार पर उन सूचनाओं को प्रत्येक देश के सामने लिखे - जैसे प्रजातांत्रिक, अप्रजातांत्रिक निश्चित नही है। (AS_1)

देश A: जो लोग देश का अधिकृत सरकारी धर्म स्वीकार नही करते है तो उन्हें मत देने का अधिकार नही देना चाहिए ।

देश B: केवल एक दल पिछले बीस वर्षो से चुनाव जीत रहा है।

देश C: सत्ताधारी दल पिछले उपचुनावों में हार चुका है।

देश D: संसद देश की सेना के लिए सेना के प्रमुख की स्वीकृति के बिना कोई कानून पारित नही कर सकती है ।

देश E: संसद न्यायपालिका की शक्तियो में कमी करने के लिए कानून पारित नहीं कर सकती है।

देश F: देश के सभी प्रमुख आर्थिक निर्णय के लिए सेंट्रल बैंक के अधिकारियों द्वारा लिये जाते है जिसे मंत्री भी परिवर्तित नही कर सकते हैं ।

7. निम्न प्रत्येक कथनों में से एक प्रजातांत्रिक और अप्रजातांत्रिक तत्व है प्रत्येक कथन के लिए दो कथन अलग से लिखिए । (AS_1)

   A. एक मंत्री का यह कहना था कि विश्व व्यापार संगठन के द्वारा निश्चित किये गये कुछ नियमों को लागू करने के लिए संसद द्वारा कुछ कानून पारित करने चाहिए ।

   B. चुनाव आयोग ने यह आदेश दिया था कि ऐसे चुनाव क्षेत्रो में दुबारा मतदान किया जाये जहाँ पर काफी अनियमितताएं हुई है ।

   C. संसद में अब तक महिलाओं 10 प्रतिशत से अधिक नही पहुँचा है । इसकी वजह से महिला संगठनों ने यह मांग रखी है कि महिलाओं के लिए कुल स्थानों में से एक तिहाई स्थान सुरक्षित रखे जाये।

8. निम्न तर्कों में प्रजातंत्र के विरुद्ध तर्क है उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया लिखिए । (AS_4)

   A. देश की सेना सबसे अधिक अनुशासित एवं भ्रष्टाचार से मुक्त संगठन है। इसलिए सेना को देश पर शासन करना चाहिए ।

   B. बहुमत के शासन का यह अर्थ है कि शासन से अनभिज्ञ व्यक्तियों का शासन के लिए आवश्यक है कि बुद्धिमान लोगों को शासन भले ही उनकी संख्या कम हो ।

   C. यदि हम चाहते हैं कि धार्मिक मामलों के लिए धार्मिक नेताओं की सलाह ली जाये तो हमे नीति नितिनिर्धारण के लिए सलाह लेनी चाहिए। देश पर धार्मिक नेताओ के द्वारा शासन किया जाना चाहिए।

9. विश्व मानचित्र में इन देशों को दर्शाइए। (AS_5)

   क. श्रीलंका　　ख. बेल्जियम　　ग. रूस　　घ. संयुक्त राज्य अमेरिका

10. 'नागरिक का सम्मान और स्वतंत्रता' का भाग पढ़िए और निम्न प्रश्नों क उत्तर दीजिए। लोकतांत्रिक देश में नागरिक का सम्मान और स्वतंत्रका के बारे में लिखिए। (AS_2)

11. लोगों के लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने के क्या कारण हैं? (AS_1)

12. हमारी पाठशाला में प्रजातंत्र के अमलीकरण के कुछ उदाहरण दीजिए। (AS_6)

परियोजना कार्य

अपने अध्यापक की सहायता से अपनी कक्षा के लिए एक प्रतिनिधि मतदान द्वारा नियुक्त कीजिए।

SCERT TELANGANA

अध्याय

20

मानव अधिकार और मौलिक अधिकार

पिछले अध्यायों में हम कई लोगों द्वारा किए गए संघर्षों के बारे में पढ चुके हैं, जिसमें अन्य लोगों के समान वे भी समानता चाहते थे। आज भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी पूर्ण रूप से पक्षपात समाप्त नही हो पाया। भारतीय संविधान निर्माता शायद यह भली भाँति जानते थे कि सभी प्रकार के भेद-भावों को मिटा सकना इतना आसान नही है और इसलिए ऐसा संविधान विकसित किया जिसके द्वारा समूज की विभिन्न आवश्यकताएँ और लक्ष्य के लिए कानून अनुमति दे। संविधान ने समाज को संविधान के प्रारूप में लिखी सूची पर सोचने के लिए बाधित किया। कोई भी कानून जो प्रारूप का अपमान करता है उसे रद्द कर दिया गया।

- पिछले वर्ष पढे हुए संविधान के चार प्रमुख विशेषताओं को लिखिए।

अधिकार क्या है?

अधिकार व्यक्तियों की उचित माँगे हैं। यह माँगे कानून द्वारा सुरक्षित है। हम सभी प्रसन्नतापूर्वक, बिना हीनता के जीना चाहते हैं। उसी के साथ-साथ यह हमारा उत्तरदायित्व होता है कि दूसरों को भी हम अधिकारों का उपभोग करने दे। आपके अधिकार इस उत्तरदायित्व के साथ मिलते हैं कि दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा और मान्यता दी जाए।

समानता के अधिकार के भाव बदलते रहते है। हमने कही यह देखा है कि सभी समयों पर प्रत्येक के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता था। कले लोगों के साथ गुलामों का व्यवहार किया जाता था। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार या अन्य नही दिए जाते थे। परन्तु आज हमें इन्हें अन्याय और व्यक्ति के अधिकारों का शोषण मानते हैं।

प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अधिकार भी महत्वपूर्ण संदर्भ रखते हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था सभी के लिए आधार तैयार करती है। यह लोगों को विचार व्यक्त करने की अनुमति देती है और चयन का अधिकार भी लोगों के विश्वानुसार वे उनके प्रतिनिधि भी बना सकते है। इसी चयन को मत कहते हैं।

प्रजातंत्र केवल बहुसंख्यकों की ही नही बल्कि अल्पसंख्यकों के भी सुरक्षा देता है। प्रजातंत्र बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों को समान स्तर पर रखती है। भारतीय संविधान जाति, वर्ग, लिंग, धर्म और परम्परा में बिना भेद-भाव किए सुरक्षा प्रदान करता है। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर मौलिकता को संविधान में कानून के रूप स्थान दिया गया है। उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं।

यह अधिकार इतने महत्वपूर्ण अधिकार हैं कि विश्व के प्रजातांत्रिक राष्ट्रों ने इसे व्यक्त किया है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने नियमों का निर्धारण किया और सर्वव्यापक मानव अधिकार घोषणा एक ऐसा दस्तावेज पत्र था जिसे कई आधुनिक राज्यों ने विशेष मान्यता दी और जितने भी मानव अधिकार दर्शाए गए उन्हें लागू करने का प्रयास किया।

SCERT TELANGANA

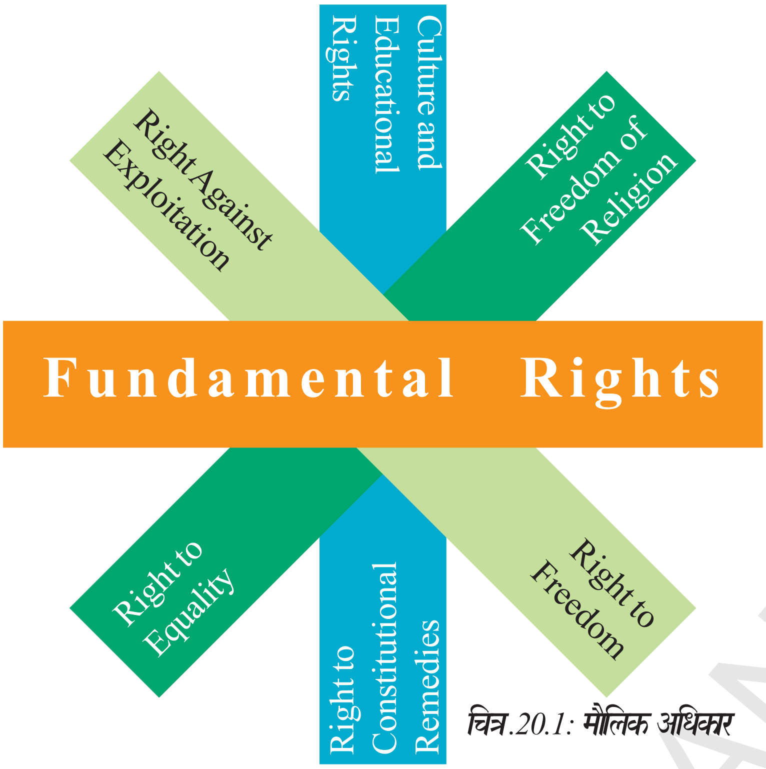

चित्र.20.1: मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान मे मौलिक अधिकारों को तृतीय भाग मिला। यह अधिकार लोगों को दमनकारी सरकार से सुरक्षित रखते है और सरकार पर कुछ कर्तव्य थोपे जाते हैं। वे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं कि यदि सरकार द्वारा उसका उल्लंघन किए जाने पर कोई भी व्यक्ति निचली अदालतों की अपेक्षा सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। कानून एक ऐसा अधिकार है जो अदालत को दिया गया है,जो सरकार को कई संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षा या लागू करने का अधिकार देता है। न्यायपालिका को स्वाभाविक शक्ति है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की जानकारी मिलने पर न्यायपालिका मुकदमा स्वप्रेरणा (*sue motu*) ला सकती है।

समानता का अधिकार

भारतीय संविधान समानता के अधिकार को सुरक्षा की गारंटी देता है। इसके अंतर्गत प्रमुख निम्न अधिकार आते हैं :

1. कानून की सुरक्षा में समानता

संविधान कहता है कि सरकार कानून के समक्ष किसी भी व्यक्ति की समानता या कानूनी सुरक्षा को नही छीन सकती है। इसका अर्थ है कि कानून सभी के लिए समान है, व्यक्ति की आय, स्तर या ऐतिहासिक आधार को कोई मान्यता नही दी जाती है। इसे कानून का शासन कहते हैं।

समानता का अधिकार सभी नागरिकों को देश के कानून द्वारा सुरक्षा की गारंटी देता है, चाहे वह कोई साधारण नागरिक, मंत्री, सरकारी अधिकारी या छोटा किसान ही क्यों न हो। सभी समान कानून के अधीन है। इसका अर्थ है कि राष्ट्र किसी के विरोध में भेद भाव और न ही किसी के साथ आत्मीय व्यवहार किसी भी भारतीय नागरिक के साथ जाति, कुल, संख्या, रंग,लिंग, धर्म, कार्यालय या जन्म स्थान के अनुसार भेद-भाव नहीं कर सकता।

प्रधानमंत्री को भी कानून की अदालत में आरोप लगाया जा सकता है और अपराध के आरोप में उन्हें भी साधारण व्यक्ति के समान न्यायपालिका मे प्रस्तुत होना पडता है उसे भी अन्य व्यक्ति के

समान दंड दिया जाता है। किसी को भी कोई विशेष व्यवहार, स्त्री,पुरुष या ऐतिहासिक आधार पर नहीं दिया जाता है।

समानता का अधिकार न केवल सभाओं द्वारा पारित पक्षपाती कानून का विरोध करता है लेकिन कार्यपालिका द्वारा सोच समझ कर किए जाने वाले नियम विरुद्ध कार्यो पर भी रोक लगाता है। आधुनिक राष्ट्रों में सरकार की कार्यपालिका अधिक अधिकार युक्त है, स्थानीय सरकार द्वारा बनाए गए कानून, नियम, अधिनियम अन्य कार्यों के संदर्भ में। पक्षपात नीति की विरोधी होती है। उदाहरण के लिए व्यापार एवं व्यवसाय के लिए दिये जाने वाले अनुमति पत्र अयोग्य लाइसेंस न्याय संगत नही माना जाएगा लेकिन कानून और नियम को सैद्धांतिक आधार पर शर्तों पर लिखा जाना चाहिए, जिसके अनुसार एक लाइसेंस अधिकारी लाईसेंस प्रदान कर सके ।

2. सामाजिक समानता

इस अधिकार की दूसरी विशेषता सामाजिक समानता है। इनमें से किसी के आधार पर वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेद भाव नही किया जा सकता है। इस प्रकार किसी भी तरह से किसी भी नागरिक को दुकान, सार्वजनिक होटल या कुएं, तालाब, सडक या जन उद्यान जो आंशिक या पूर्णतः सरकार द्वारा संचालित हो , उन सभी का उपयोग करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता । इस अधिनियम की यह विशेषता है कि राज्यों द्वारा धर्म, जाति , वंश या लिंग के आधार पर की गई पक्षपात नीति का विरोध करता है।

इस अधिकार को लागू करने में दो महत्वपूर्ण आशाएँ जागृत होती हैं। इसमें से पहला महिला एवं बच्चों केलाभ के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार दूसरा पिछडी जाति, जनजाति या गिरिजन वर्ग के सामाजिक एवं शैक्षणिक उन्नति के लिए राष्ट्र को कोई भी सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार प्राप्त होता है। यह विशेष सुविधा समुदाय के द्वारा विशाल एवं दीर्घ रुचि के अनुसार महिलाओं और बच्चों के लिए दी जाती है। इस अधिकार के अनुसार भी संयुक्त परिवार में संपत्ति देने के समर्थन में से अंश पाने का अधिकार देता है।

इस प्रकार संविधान में इस प्रकार की पक्षपात नीति को प्रतिक्रिया से शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के लिए आरक्षण और जनसेवा क्षेत्र में नियुक्ति एवं पद का आरक्षण भी किया जाता है। इस प्रकार के आरक्षण जनता, सामान्य जनता और राष्ट्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । उदाहरण के लिए मेडिकल कालेज में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रवेश पाने में आरक्षण दिया जाता है। आधुनिक राज्य सरकारे अपने कार्यकारी विस्तृत शक्तियों के आधार पर विभिन्न नियमों व उपनियमों के आधार पर इसके आचरण के लिये कटिबद्ध है ।

3. अवसरों की समानता

संविधान सभी नागरिकों को राष्ट्रीय कार्यालय में रोजगार एवं नियुक्ति पाने की गारंटी देता है। किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग, पैतृक, जन्म स्थान, निवास स्थान के स्तर पर राष्ट्र में रोजगार पाने के अवसर का समर्थन या पक्षपात नही किया जा सकता है।

SCERT TELANGANA

इस अधिकार में महत्वपूर्ण विस्तार यह हुआ कि राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करे कि राजकीय पदों पर पिछडी, दलित जातियों को समूचित आरक्षण मिले व उनके सामाजिक स्तर में वृद्धि हो ।

4. अस्पृश्यता निवारण

संविधान के अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए इसके प्रकार के किसी कार्यो को अनुमति नही देता है। अस्पृश्यता प्रथा एक अपराध है और कोई भी व्यक्ति को ऐसा करने पर उसे दंड के रूप में जेल भी भेजा जा सकता है। नागरिक अधिकार नियम की सुरक्षा के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को पूजा स्थलों पर जाने से रोका जाय या तालाब या कुएँ से पानी लेने से मना किया जाये तो उसे दंडित किया जाता है।

5. उपाधियों का समापन

अभिजात वर्ग व सेवावगीय धनी परिवारों की निरंकुशता एवं असमान वर्गीकरण को समाप्त करने के लिए एवं असमान वर्गीकरण को समाप्त करने के लिए दूसरा मार्ग संविधान किसी भी उपाधि को प्रदान करने पर रोक लगाता है। भारत में अंग्रेज सरकार ने रायबहादुर एवं खान बहादूर नामक कुलीन उपाधियों प्रदान की । यह उपाधियाँ भी समाप्त कर दी गई । भारतीय नागरिक विदेशियों द्वारा दी गई उपाधियों को अपना नही सकते सैन्य एवं शैक्षणिक पद जो भारतीय नागरिकों को दिया गया। कोई भी व्यक्ति भारत रत्न और पद्‌मविभूषण जैसी उपाधियों को ग्रहण कर सकता है और अवसर अनुसार संविधान इस पर रोक भी लगा सकता है।

- संविधान में समानता के अधिकार का निर्धारण कैसे किया है? उदाहरण दीजिए ।
- यदि आप सोंचते हैं कि निम्न सभी मौलिक समानता के अधिकार का उल्लंघन करते है तो चर्चा कीजिए । अगर आप इसे संविधैनिक स्तर पर उचित या अनुचित मानते है तो इस पर भी चर्चा कीजिए ।
  - सरकारी नलो से पानी भरते समय एक व्यक्ति का बर्तन दूसरे व्यक्ति के बर्तन से टकरा जाने पर आपत्ति होती थी ।
  - कुछ समुदायों को गाँव के कुछ भागों में रहने की अनुमति नही दी जाती थी बल्कि उन्हें बाहरी क्षेत्रो में रहना पडता था।
  - कुछ बच्चों को कुछ विद्यालयों में विशेष जाति के होने के कारण पानी पिलाने की अनुमति नही दी जाती थी ।
  - कुछ समुदाय के लोग पूजा स्थलों पर नही जाते थे क्योंकि उन्हें दुर्व्यवहार और पीटे जाने का भय होता था ।
- यदि संविधान में समानता का अधिकार नही होता तो क्या होता ? चर्चा कीजिए ।

SCERT TELANGANA

स्वतंत्रता का अधिकार

भारतीय संविधान व्यक्तिगत अधिकार जो कि संवैधानिक निर्माताओं द्वारा मान्यता प्राप्त है इसकी गारंटी देता है। स्वतंत्रता का अधिकार निम्न छः स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है।

1. बोलने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता: यह प्रति व्यक्ति को जन क्रियाओं में भाग लेने योग्य बनाता है। नागरिक अपने विचारों को कई प्रकारों से व्यक्त करने में स्वतंत्र है जैसे -सभाएं, प्रकाशन, नाटक, चित्रकारी आदि द्वारा यह अधिकार सीमित अधिकार है और जनआदेश, राष्ट्र की सुरक्षा, नैतिकता एवं सार्वजनिक वस्तुओं के आधार पर इसमें कटौती भी की जाती है। इसलिए चलचित्र सेन्सर बोर्ड द्वारा निदर्शित होते है जो भलमानसता, विनयशीलता और नैतिकता पर आधारित होते हैं ।

स्वतंत्र भाषण के लिए कई अधिनियम बनाए गए हैं । यद्यपि हमें भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है, इस अधिकार का उपयोग बिना विचार किए नही किया जा सकता। हमारा भाषण निंदात्मक,अनैतिक या अवैधानिक के भागों को प्रेरित करने वाला न हो ।

2. निहत्थे, शांतिपूर्वक संगठित होने की स्वतंत्रता : समप्रभुता एवं भारतीय एकता के हितों के आधार राष्ट्र इस पर उचित रोक लगा सकता है।

लोगों को एकत्रित होने या संगठित होने का अधिकार, कई कारणों जैसे अपने अधिकरों के लिए व्यापार एव समस्याओं पर चर्चा करने के लिए, विचारों के आदान-प्रदान और विचारों की भागीदारी के लिए सभा का आयोजन करने का अधिकार प्राप्त है।प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्वक प्रदर्शन, सार्वजनिक सभा एवं जुलूस निकालने का अधिकार है ।

Fig. 20.2: A ralley

इस अधिकार पर कुछ रोक लगाए गए हैं। उदाहरण के लिए बिना हथियार के कोई भी सभा का आयोजन किया जा सकता है। उसी प्रकार जुलूस निकालने या प्रदर्शन करने के पूर्व प्रशासनिक अनुमति लेना अनिवार्य होता है।

3. संगठनों या संघों के निर्माण की स्वतंत्रता : जनआदेश, प्रभुसंपन्नता एवं भारतीय एकता के संदर्भ में राष्ट्र, उचित रोक लगा सकता है।

जनता को विभिन्न संगठनों को स्थापित करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। सांस्कृतिक समुह, व्यापारिक संगठन, व्यावसायिक संघ आदि। उदाहरण के लिए आपने सुना होगा कि कई कारखानों में श्रमिक संघ होते है। यह संघ समस्याओं पर चर्चा करने के लिए सभाओं का आयोजन करते हैं। वे कारखाने के अधिकारियों से मांग करते हैं। इस प्रकार संघ मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं । सक्रीय कृषि श्रमिकों के संघ को मजदूर किसान संग्राम समिति कहते हैं,

SCERT TELANGANA

- आपके क्षेत्र में कौन से संघ हैं ?
- श्रमिक संघ क्यों बनाए जाते हैं ? वे किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं ?

4. **स्वतंत्रता पूर्वक घूमने का अधिकार :** कुछ उचित प्रतिबंद के साथ सारे भारतीय स्थानों मे यह अधिकार जनता के हित में लागू किया गया है, उदाहरण के लिए प्रवसन नियंत्रण के लिए उनके आवागमन या यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कुछ देश की सरहदों के पास स्वतंत्र भ्रमण पर भी सरकार रोक लगाती है ताकि देश की सुरक्षा खतरे में न पडे ।

5. **भारत के किसी भी स्थान पर रहने और बसने का अधिकार :** यह विषय राष्ट्र द्वारा साधारण जनता की सुरक्षा करने योग्य है जैसे देश के निवासी और जनजाति को शोषण एवं जोर जबरदस्ती से बचाना, आदि पर उचित रोक द्वारा लागू किया जाता है।

- क्यो लोग देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करना और रहना चाहते हैं ।
- जिन कर्मचारियों को शहरों में काम तो मिल जाता है परन्तु उचित रहने का स्थान नही मिलता । सरकार की उनके प्रति क्या जिम्मेदारी होती है।

6. **किसी भी व्यवसाय को अपनाना या किसी भी व्यापार एवं वाणिज्य को अपनाने का अधिकार :** इस पर देश ने उचित रोक जनता के हित में लगाई है। जैसे कि ऐसा व्यापार जो खतरनाक या अनैतिक हो उसे करने का अधिकार जनता को नहीं है। व्यवसाय कर्ता या तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति कोई भी काम या व्यापार कर सकता है।

संविधान इन अधिकारों पर भी रोक लगाता है । सरकार इन छः स्वतंत्रताओं पर भारत की स्वतंत्रता, प्रभुत्व संपन्नता और एकता के आधार पर रोक लगाता है। नैतिकता एवं जन आदेशों हित सरकार इन पर रोक लगा सकती है। ये छः स्वतंत्रताएं अपने आप निषकासित या प्रतिबंधित कर दी जाती है, जब राज्य में आपातकालीन स्थिति लागू कर दी जाए । फिर भी जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निष्कासित नही किया जाता ।

सभी छः अधिकारो को निष्कासित किया जा सकता है, केवल जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निष्कासित नही किया जा सकता । चर्चा कीजिए ।

7. जीवन का अधिकार

संविधान जीवन के अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इसके अंतर्गत-

अपराध के लिए दंड देने और सम्मान की सुरक्षा के लिए जीवन का अधिकार एवं वैयक्तिक स्वतंत्रता दी जाती है। किसी भी व्यक्ति को देश की न्यायपालिका द्वारा दी गई सजा से अधिक दंड देने का अधिकार नही होता है।

जीवन का अधिकार व्यक्तिक स्वतंत्रता की सुरक्षा व वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार को दर्शाता है। इसीलिए कोई भी नागरिक अपना जीवना एवं स्वतंत्रता को खत्म नही कर सकता, केवल कानून को छोड कर। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल अपराध करने पर ही खतरे में पड सकती है। इसलिये इस प्रकार जो भी हो जीवन का अधिकार, मरने का अधिकार, आत्महत्या का अधिकार एक अपराध है।

SCERT TELANGANA

2002 में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार का अंश बन गया , कहना है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने की सुविधा देश प्रदान करे। अब यहाँ सरकार 6 से 14 वर्ष की आयु वाले निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह विद्यालय बनाए और अभिभावकों को उन्हें विद्यालय भेजने के लिए समझाए। यह अधिकार भी जोडा गया, क्योंकि सभी लोग अनुभव करने लगे कि सभी बच्चे पढने का अवसर प्राप्त कर सके। अपने आस-पास के विश्व को जाने, स्वयं को व्यक्त करने में कुशल हो और समाज में रचनात्मक योगदान दे और उनके भविष्य के लिए अनेक अवसर मिले।

- भाषण देने की स्वतंत्रता पर बने कानूनो के आधार पर अपने विचारानुसार एक वाद-विवाद आयोजित कीजिए।

1. किसी जाति समुह को चोट पहुंचाने के लिए लिखी गई पुस्तक ।
2. सभी चलचित्रों को सेन्सर बोर्ड से स्वीकृति लेनी पड़ती है।
3. 11:00 बजे रात्रि के बाद त्यौहारों और प्रार्थनाओं के समय किसी भी व्यक्ति को माइक्रोफोन उपयोग करने का आदेश न्यायापालिका देती है।

- आपको क्या याद है कि पुलिस और अदालत के मध्य क्या अंतर है?
- आपके क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के विद्यालय कौन-कौन से हैं? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के विद्यालय क्यों बनाए गए हैं ?

जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में साधारण स्थितियों में व्यक्ति के बंदी बनाए जाने के अधिकार की भी जानकारी दी गई है। किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के पीछे के कारणों को बताए बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता है। यदि बंदी बनाया गया है दो उसे अपनी इच्छानुसार वकील का चुनाव कर मुकदमा लडने का अधिकार प्राप्त है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

इस अधिकार के अंतर्गत सभी प्रकार के बलपूर्वक श्रम पर प्रतिबंध आता है।

आपने इतिहास के कुछ अध्यायों में वेट्टी, बेगार अर्थात अनैतिक कार्य करने पर विवश किया जाता था। यदि कोई भूपति या ठेकेदार बिना पारिश्रमिक के व्यक्ति को कार्य करने पर विवश करता है तो यह शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन करना होता है। ऐसा व्यक्ति न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकता है। उसी प्रकार यदि व्यक्ति को बंधुओ श्रमिक के रूप में कार्य करने के विवश किया जाये तो भी वह कानून का उल्लंघन है ।

कारखानों में बालकों के रोजगार पर प्रतिबंध

संविधान कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाला कोई भी बच्चा किसी कारखाने, खदान या खतरनाक रोजगार को नही कर सकता । उसके अनुसार कानून बच्चों को दियासलाई, बीडी और कारपेट या छपाई एवं रंगाई आदि के कार्यो को करने से मना करता है।

- क्या आप सोच सकते हैं कि आपके क्षेत्र के गाँव और शहर में ऐसे बच्चों को यह अधिकार प्राप्त है?
- अध्यापक की सहायता से अपने प्रदेश के निम्नतर वेतन के बारे में जानिए ।

SCERT TELANGANA

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी धार्मिक क्रिया को अपना सकता है। व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति को अपने धार्मिक कार्यो को करने से कोई नही रोक सकता । इसका अर्थ यह भी है कि वह अपने धर्म निरपेक्षता को संरक्षण देता है। उदाहरण के लिए कई समुदायों में लडकी के जन्म के साथ ही उसको मार दिया जाता था। अगर कोई यह विवाद खडा करता था कि धार्मिक प्रथा के अनुसार उनकी लडकी को मार दिया गया है तो इसे नही माना जाता था । धर्म के नाम पर बालिका की हत्या करना अपराध माना जाता है। उसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सती प्रथा को भी मान्यता नही दी जा सकती ।

Fig. 20.3: पूजा के स्थान और विभिन्न धर्मों के लोग

संविधान के अनुसार सरकार का अपना कोई धर्म नही है। वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करती है, जैसे पहले बताया जा चुका है। प्रारूप में दिए गए शब्द भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है का यही अर्थ है।

- किस प्रकार सती प्रथा कानून का उल्लंघन करती है?
- क्या अपने अभिभावको के धर्म को ही मानना व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है।

सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार

संविधान कहता है कि संभी अल्पसंख्यक चाहे वे भाषा या धर्म पर आधारित क्यों न हो, अपनी इच्छानुसार उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार प्राप्त है।

अल्पसंख्यकों को भाषा एवं धर्म के आधार पर गिना जाता है। किसी भी प्रकार से अल्पसंख्याक अपने निवास स्थान पर निर्भर करते हैं । उदाहरण के लिए तेलुगू भाषी अधिकतर आन्ध्र प्रदेश में बहुमत में है लेकिन पश्चिम बंगाल में वे अल्पसंख्या में होते हैं। पंजाब सिक्खों के बहुमत का क्षेत्र है परन्तु आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि में वे अल्प संख्यक हैं ।

उन्हें संस्थाओं की स्थापना और उन्हें चलाने का अधिकार प्राप्त होता है, जिससे वे अपनी संस्कृति और भाषा की सुरक्षा कर सके । उदाहरण के लिए तेलांगाणा में कन्नड भाषी कन्नड के माध्यम के विद्यालय चलाना चाहते हैं, जिससे वे अपनी संस्कृत और भाषा की सुरक्षा कर सके तो उन्हें कोई रोक नही सकता।

यदि वे अन्य शर्तो को पूरा करते हैं तो सरकार को भी उन्ही मान्यता और अनुदान देना पडता है। उपरोक्त उदाहरण के अनुसार अगर इस प्रकार के विद्यालय तेलंगाना प्रादेशिक बोर्ड को तथा उसकी शर्तो को पूरी करता है, तब अन्य सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के समान इस विद्यालय को भी अनुदान प्रादेशिक सरकार देती है।

SCERT TELANGANA

संवैधानिक सुधार का अधिकार

यह भी बताया गया है कि यह अधिकार इतने अधिक महत्वपूर्ण होते हैं कि यदि संविधान द्वारा दिये गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है। जब इस प्रकार अधिकारों का उल्लंघन किय जाता है तो अदालत द्वारा उन्हें पुनः सुरक्षा एक विशेष निर्देश या आदेश के द्वारा दी जाती है। यह सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि वह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के शोषण के विरुद्ह सुरक्षा प्रदान करे। यदि सरकार इसे कर पाने में असफल होती है तो उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है।

कई बार दरिद्र एवं औसतन वर्गीय समाज के लोग अदालत तक नहीं पहुँच पाते हैं। जबकि उनके अधिकारों का शोषण भी हो जाए। अदालतों ने इन अधिकारों को अर्थ पूर्ण बनाने के लिए पुनरावलोकन के द्वारा अदालत लोगों को पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन या पीटीएल द्वारा प्रोत्साहित करती है। यह इसलिए कि यदि कुछ लोगों के समूह के अधिकारों को अस्वीकृत किया जाये तो प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर मुकदमा दायर नही करना पडता है। कोई एक व्यक्ति (या संस्था) सरकार के विरुद्ध इस समुह के हित में मुकदमा दायर कर सकते है। इस प्राकर के मुकदमे पीटीएल कहलाते हैं। अब इसके विस्तार में अन्य जनता के हित की सुविधाएं जैसे वातावरणीय विषम पारदर्शिता और सरकार की जांच करना,बंदियों के साथ किया जाने वाला व्यवहार आदि।

पीटीएल का एक उदाहरण

यदि सरकार नदी पर बाँध बनाने का निर्णय लेती है। मान लीजिए वहाँ 50 हजार किसानों के खेत बाँध बनाए जान पर बाढग्रस्त हो जाते है। वे अपनी भूमि और जीविको साधन खो देगी। इसका उनके जीवन स्तर पर गहरा प्रभाव पडेगा। यह उनके मौलिक अधिकारों का शोषण कहलाता है, जैसे जीवन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता या अपनी पसंद की कोई भी व्यवसाय को अपनाना। इस स्थिति में ऐसे लोगों का मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है,जहाँ उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हो सके। 50,000 लोगों के लिए एक ही मुकदमा दायर किया जा सकता है।

मौलिक अधिकारों का भविष्य

संविधान द्वारा दिये गये मौलिक अधिकारों में समय के साथ संशोधन भी किया जाता है। अधिकतर इनमें नए अधिकार जोडे जाते हैं जैसे शिक्षा के अधिकार की हमने पहले चर्चा की थी कि प्रत्येक अधिकार संविधान में मौलिक अधिकार नही होता है। संसद द्वारा इसे बदलाव किया जाता है। या सर्वोच्च न्यायालय यह न्याय सुनाती है कि उस विशेष अधिकार के अर्थ में विस्तार किया जाय। उदाहरण के लिए भोजन का अधिकार विस्तार जीवन का अधिकार के रूप में किया गया

अन्य संस्थाएं एवं अधिकार

वैश्विक स्तर पर अधिकार के विचार से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इंग्लैंड के मगना कर्ता और फ्रांसिसी क्रांति जहाँ व्यक्ति एवं नागरिक के अधिकारों की घोषणा की गई थी, का अनुकरण ही अधिकार है। विश्व युद्धों के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इस उद्येश्य से की गई

SCERT TELANGANA

Fig. 20.4 : बाल अधिकार का पोस्टर

है कि अब विश्व में कोई महायुद्ध नही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने संसार के विभिन्न नौ राष्ट्रों से जिन्होंने 30 अधिनियम बनाए थे, उन लोगों के समुह के साथ हस्ताक्षर किये। 1948 में साधारण सभा ने इसे पारित किया और यह सर्वव्यापक मानव अधिकारों की घोषणा कहलाया। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर जिसने हस्ताक्षर किये वे उसके सदस्य कहलाए और कुछ कानूनी आधार पर यह अधिकार प्राप्त हुए। यह कानूनी विवशता नही होते हुई भी इन अधिकारों का उल्लंघन किया जाये दूवारा अस्वीकार्य पर विचार तथा कोई मामलों में अन्य देशों दूवारा प्रतिबंधों को आमंत्रित करता है।

मानव अधिकार आयोग

संयुक्त राष्ट्र संघ लोगो के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा करता है और इसे प्रोत्साहित करने के लिए अन्य सदस्य देशों को भी कहा जाता है। 1993 में भारतीय सरकार ने परिषद में मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक अधिनियम पारित किया। मानव अधिकारों के लिए एक आयोग का गठन किया गया उसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कहा जाता है। संपूर्ण देश में विस्तृत करने के लिए आयोग दीवानी अदालतो को अधिकार देती है। सरकार को अन्य संस्थाएं भी इन्हें चलाने और अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति को जानने के लिए स्थापित करना पडता है। इस प्रकार हमारे पास विभिन्न संस्थाएं है जैसे महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और प्रांतीय मानव अधिकार आयोग।

मानव अधिकार का चिह्न
(संयुक्त राष्ट्र)

NHRC को जानकारी पाने का अधिकार होता है। suo motu मुकदमा स्व प्रेरणा या किसी प्रार्थी द्वारा किसी और के लिए। यदि न्यायपालिका में कोई मुकदमा कई दिनों से ऐसे ही दायर किया हुआ हो तो न्यायपालिका की अनुमति प्राप्त करके यह आयोग हस्तक्षेप कर सकता है। यह संविधान द्वारा दिये गये मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए कानून बना सकता है या उसका पुनःनिरीक्षण भी कर सकता है।

अंतराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक संस्थागत समिति मानव अधिकार के लिए स्थापित की है जो अंतर्राष्ट्रीय विषयों के उल्लंघनों को सुलझाती है।

मानव अधिकारों का उल्लंघन

पुलिस का आधिपत्य, गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाना, सूचना देने का अधिकार में आना कानी करना,भ्रष्टाचार , लैंगिक हनन और महिलाओं के साथ बलात्कार, अपराध के संबंध में की जाने वाला जाँच मे विलम्ब बालिकाओं की हत्या धन के लिए अपहरम महिला बच्चे एवं श्रमिक वर्ग की दुर्दशा, परिवार में महिलाओं के साथ पक्षपात नीति घरेलू नौकरों के साथ कठोर व्यवहार आदि कुछ कानून का उल्लंघन माना जाता है। यह सभी उल्लंघन इसलिए बिना जाँच के रह जाते हैं, क्योंकि लोग उनके मानव अधिकारों के बारे में जानते ही नही है । मानव अधिकारों की सुरक्षा करने का कार्य राष्ट्र का होता है। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की शिकायते भी प्रान्तीय या राष्ट्रीय आयोग में ही की जाती है ।

- क्या आपके प्रान्त में प्रान्तीय मानव अधिकार आयोग है? उनके कार्यों की जानकारी प्राप्त कीजिए ।
- कुछ कानून उल्लंघन के उदाहरण दीजिए ।
- यदि आपक आपके क्षेत्र में किए गए मानव अधिकार का उल्लंघन को जानते हैं तो एनएचआरसी को एक याचिका लिखिए ।

मौलिक अधिकार

जिस प्रकार हमें अधिकार दिए गए है उसी प्रकार हमारे कुछ उत्तरदायित्व भी होते है । यह उत्तरदायित्व उन लोगो के प्रति होना है जो हमारे आस-पास रहते हैं ।

"भारत के प्रत्येक नागरिक के यह कर्तव्य होते हैं :

क. राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय पताका को कोई अपमानित न करे ।

ख. उन प्रसिद्ध नेताओं की प्रसिद्धि के लिए जिन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष कर स्वतंत्रता दिलाई, उनका अनुकरण करे ।

ग. भारत की एकता एवं प्रभुसंपन्नता को बनाए रखे।

घ. देश की सुरक्षा करें ।

ड. विभिन्न भाषा एवं धर्म के लोगो में शान्ति एवं संपन्नता लाए और महिलाओं का आदर करे ।

च. वातावरणीय सुरक्षा एवं विकास में अपना योगदान प्रदान करें ।

छ. हमारी मिश्रित सभ्यता एवं संस्कृति के मूल्यों को सुरक्षित रखे ।

ज. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और जिज्ञासा एवं जागृति को विकसित करे ।

झ. जन संपत्ति की सुरक्षा करे ।

ञ. सभी क्षेत्रों में कुशलता प्राप्त करे ।

ट. अपने बच्चों को शिक्षित करे ।

मुख्य शब्द

1. मौलिक अधिकार
2. मानव अधिकार
3. मुकद्दमा विवाद
4. उपाधियाँ
5. मनमना

SCERT TELANGANA

शिक्षा में सुधार

1. मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने में कौन सा निम्न विशेष उदाहरण नहीं है? (AS_1)

   क. बिहार के कर्मचारी, पंजाब के खेतों में काम करने जाते हैं ।

   ख. धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा विद्यालयों की श्रृंखला स्थापित करना ।

   ग. महिला एवं पुरुष सरकारी नियोक्ता को समान वेतन मिलता है।

   घ. अभिभावकों की संपत्ति पर उनकी संतान का अधिकार होता है।

2. निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को प्राप्त नही है। (AS_1)

   क. सरकार की निंदा करने की स्वतंत्रता

   ख . सैन्य विद्रोहों में भाग लेने की स्वतंत्रता

   ग. सरकार को बदलने के लिए आंदोलन को चलाने की स्वतंत्रता

   घ. संविधान के केन्द्रीय मूल्यों को बदलने की स्वतंत्रता ।

3. इन कथनों में से प्रजातंत्र और अधिकारों के मध्य संबंधों को मान्यता प्राप्त है? अपने विचारों से कारण बताईए। (AS_1)

   क. प्रत्येक प्रजातंत्र देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है।

   ख. प्रत्येक वह देश जो अपने नागरिकों को अधिकार देता है वहाँ प्रजातंत्र है।

   ग. अधिकार देना अच्छी बात है, परन्तु यह प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नही है।

4. स्वतंत्रता के अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध क्या न्यायोचित है? आपके उत्तर के लिए कारण दीजिए। (AS_2)

   क. सुरक्षा के कारण से भारतीय नागरिक को देश के सीमांत क्षेत्र में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता है।

   ख. बाहरी लोगों को कुछ क्षेत्रों में संपत्ति खरीदने का अधिकार वहाँ रहने वाले लोगों की रुचि में नही होती।

   ग. सरकार उन पुस्तकों के प्रकाशन पर रोक लगा देती है जो सत्ताधारी दल के विरूद्ध में अगले चुनाव के लिए किया जाता है।

5. इस अध्याय एवं पिछले अध्याय को देखिए और संविधान के छः मौलिक अधिकारों की सूची बनाइए। (AS_1)

6. प्रत्येक निम्न कारणों के कारण क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है ? यदि हाँ तो कौन सा मौलिक अधिकार या अन्य अधिकार ? आपके सहपाठियों से चर्चा कीजिए । (AS_1)

SCERT TELANGANA

क. यदि किसी व्यक्ति को बताए बिना किस कानून को तोडने के अपराध में उसे ४ दिन से जेल में रखा गया है ।

ख. यदि आपके पडोसी आपकी भूमि पर अधिकार पाना चाहते हैं ।

ग. मान लीजिए आपके अभिभावक आपको विद्यालय नही भेजना चाहते है । उसके स्थान पर वे आपसे दियासलाई के कारखाने में काम करवाना चाहते है, क्योकि वे आपको उपयुक्त आहार उपलब्ध कराने मेंअसमर्थ है।

घ. मान लीजिए कि आपका भाई आपको आपकी पैत्रिक संपत्ति का हिस्सा न दे तो आप क्या करेंगे?

7. मान लीजिए आप एक वकील हैं। आप निम्न कारणों से आये लोगों की दलील किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। (AS_4)

   हमारे क्षेत्र की नदी कारखानों के धूएँ से, अवशिष्ट से प्रदूषित हो रही है । जिससे गाँव के लोग बीमार हो रहे है, प्रदूषित जल के विषय में हमने सरकार से शिकायत की । परंतु सरकार की ओर से कोी कदम नहीं उठाये गये यह हमारे मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है ।

8. 'उपाधियाँ का समापन' नामक शीर्षक वाला विषय पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। (AS_2)

   उपाधि प्राप्त व्यक्ति उसको अपनी-उपाधि के शीर्ष के रूप में न मानों क्यों?

9. कभी आप के संग किसी अधिकार का उल्लंघन हुआ हो तो उस पर टिप्पणी कीजिए। (AS_6)

परियोजना कार्य

1. किसी सीनियर वकील को अपनी कक्षामें बुलाइए और उससे साक्षात्कार लेकर निम्न जानकारी प्राप्त कीजिए।
   - मौलिक अधिकारों का हनन और परिणाम
   - बाल अधिकार का हनन
   - लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष का तरीका
   - अन्य कोई समस्या जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हो

SCERT TELANGANA

अध्याय 21

महिला सुरक्षा अधिनियम

- *क्या आपने कभी बाल विवाह देखें है?*
- *क्या आपने कभी बालिकाओं और महिलाओं पर होते अत्याचार और हिंसा देखी है?*
- *क्या आपने कभी घरेलू हिंसा एवं नित्य जीवन में किसी को महिलाओं को डराते धमकाते देखा है?*
- *हम महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति होती हुई इस हिंसा को कैसे रोक सकते हैं?*

सारी दुनिया में लड़कियों और महिलाओं को छेड़-छाड़ और प्रताड़ना और हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसका प्रभाव उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अधिकतर महिलाएं आजादी से घूमने फिरने का साहस नहीं कर सकती, इसलिए लड़कियाँ भी विद्यालय जाने से संकोच करती हैं। शाब्दिक छेड़छाड उत्पीड़न और अपमान हमारे जीवन में जैसे सामान्य घटनाएं हैं। ऐसे समाचार हम प्रायः समाचार पत्र और दूरदर्शन में देखते हैं। इस तरह की घटनाएँ बाल और महिला अधिकारों का उल्लंघन है।

यद्यपि केन्द्रिय और राज्य सरकारों ने इन अधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम के लिए कई कानूनों का निर्माण किया है किन्तु समस्या यह है कि सामान्य जनता इन कानूनों के प्रति जागृत नहीं है, यहाँ तक कि हिंसा के शिकार लोग भी यह नहीं जानते कि किससे शिकायत की जाए या मदद ली जाए।

लड़कियाँ जो भविष्य की महिला होती हैं, इन कानूनों के प्रति जागृत होना चाहिए। इस तरह वे दुर्व्यवहार व हिंसा से सुरक्षित रह सकती हैं।

लड़कियों और महिलाओं के लिए क्या कोई ऐसा तंत्र जो इनकी परेशानियों को गुप्त रुप से सुलझा सके। यदि है तो कहाँ और कैसे ?

इस अध्याय में चर्चा करते हैं।

विश्व भर में बच्चों और महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन अभी भी निरंतर चल रहा है। इस कारण बाल और मलिहा सुरक्षा कानून अस्तित्व में आये हैं। ये एक्ट हैं- 1. बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम-2006, अवैध व्याभिचार (रोकथाम) अधिनियम-1956, 3. दहेज प्रतिबंध अधिनियम-1961, 4. लैंकिक उत्पीड़न से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम (POCSO) एक्ट-2012, 5. किशोर (जूवेनाइल) न्याय अधिनियम-2015 ये अधिनियम बच्चों और महिलाओं को प्रताड़ना, शोषण, हिंसा, लैंगिक दुर्व्यवहार और उत्पीड़न से बचाते हैं। 6. बाल मज़दूर (प्रतिबंध व नियंत्रण) संशोधन अधिनियम-2016

सन् 1989 ई. मे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार पत्र पर 191 देशों ने हस्ताक्षर किये। इनमें हमारा देश भी शामिल है। ये अधिकार किसी भेद-भाव के बिना सब पर लागू है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण अधिकार ये हैं :

बच्चों के अधिकार

1. 18 की आयु के भीतर लिंग भेद के बिना सब बालक हैं।
2. बाल अधिकारों की सुरक्षा सरकारों पर निर्भर है।
3. जीने का अधिकार
4. जहाँ तक संभव हो माता-पिता के साथ रहने का अधिकार।
5. रेडियो, समाचार पत्र और दूरदर्शन द्वारा संसार के प्रति जागृति और ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार।
6. हिंसा और घातक दुर्घटनाओं से सुरक्षा का अधिकार।

7. विकलांग बालक उन्नति के लिए विशेष देख-रेख पाने के अधिकारी हैं ।
8. अच्छा स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा का अधिकार ।
9. मातृ भाषा,धर्म और परम्परा को निभाने का अधिकार ।
10. कुछ समय के लिए खेलने का अधिकार ।
11. बालकों की शिक्षा और स्वास्थ्य को क्षति पहुँचाने से बचने का अधिकार ।
12. हानिकारक औषधियों के प्रयोग निर्माण और खरीदी से बचने का अधिकार।
13. उपेक्षित बच्चों को मदद पाने का अधिकार ।

न केवल बच्चे,बड़े बल्कि हर किसी को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार राजपत्र (चार्टर) के प्रति जागृत होना चाहिए । सरकार भी जनता में इसका प्रचार करे ।

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

जो बालक 21 वर्ष आयु से कम और बालिका 18 वर्ष से कम हो उन्हें बच्चों के रुप में परिभाषित किया जाता है।

अगर बालक ने 21 वर्ष पूरा न किया हो और अगर बालिका जिसने 18 वर्ष पूरा न किया हो और विवाह हो जाये तो उसे बाल विवाह कहते हैं ।

यहि 21 वर्ष आयु से अधिक पुरुष बाल विवाह करता है तो उसे दो वर्ष कारावास दंड अथवा एक लाख तक जुर्माना देना पड़ता है। इतना ही दंड उन्हें भी भोगना पडेगा जिन्होंने विवाह के आयोजन में प्रत्यक्ष रुप से योगदान दिया । यदि विवाह अमान्य या रदद् हो जाता है तो लड़के के ओर से लडकी को 18 वर्ष की आयु तक जीवन निर्वाह राशि देना पड़ेगा । यदि लड़का अवयस्क है तो उसके अभिभावक निर्धारित पोषण राशि देगा । दहेज और भेंट स्वरुप राशि विवाह रद्द होने की स्थिति में वापिस करना होगा। जिन बच्चों के विवाह अमान्य घोषित हो जाते हैं उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी सरकार की भी है।

बाल विवाह के दुष्परिणाम

• अवयस्क गर्भ धारण • लड़कियों के गैर-कानूनी व्यापार को बढावा देना। • अपरिपक्व लड़के-लड़कियों पर पारिवारिक बोझ लादना । • गर्भपात की संख्या में वृद्दि, प्रसवपूर्ण जन्म के फलस्वरूप न केवल शिशु में विसंगति होती है बल्कि माता की मृत्यु दर भी बढती है। • विकलांग अथवा मृत बच्चों का जन्म । • मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि। • अध्ययन में अवरोध • शारीरिक विकास में अवरोध (विशेष रुप से लड़कियों में) • पारिवारिक निर्वाह के लिए बाल श्रमिकों की वृद्धि ।

बाल यौन उत्पीडन सुरक्षा अधिनियम - 2012 POCSO

POCSO अधिनियम यौन उत्पीडन, यौन व्याभिचार, भ्रूमहत्या आदि के लिये विशेष अदालतों का आयोजन किया गया जिसमें त्वरित सुनवी के आधार निर्णय लिये जाते है ।

कानून प्रत्येक दिशा में बालक के शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिये कटिबद्ध है ।

यह कानून इसे अमान्य करता है : अ) बालक द्वारा कोी गौर प्रावधानिक यौन कार्य करवाना । आ) बालक, बालिकाओं द्वारा वेश्यागम या अनैतिक यौन कार्य करवाना । इ) भ्रमात्मक व भयात्मक यौन उत्पीडन रूप में सामग्री का प्रायोजन ।

SCERT TELANGANA

बाल विवाह का रोकथाम- एक सार्थक कथा

राविराल्ला कविता एक बाहर वर्ष की कन्या है। इसके पिता का नाम नांचारय्या है, वे महबूबनगर जिले के रंगारेड्डी गाँव के निवासी हैं । सरिता अपने गाँव के उच्च प्राथमिक स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ती है।एक फरवरी 2013 से वह स्कूल नहीं आ रही है। अनुपस्थिति का कारण यह है कि 13 फरवरी 2013 को उसका विवाह निश्चित हुआ है।

गाँव के पुजारी ने उसके विवाह की सूचना मामड़ीपूडी वेंकटा रंगय्या फाउंडेशन को दी । फाउंडेशन के अधिकारियों और अल्प स्वयं सेवक कविता के घर पहुँचकर शादी के संबंध में पूछ-ताछ की। माता-पिता से पता चला कि सरिता किसी गाँव गई हुई है। उन लोगों ने परिवार के बडे बुजूर्गो से बात की और फिर गाँव में स्थित बाल विवाह निषेद समिति के सदस्यों से संपर्क किया । गाँव का सरपंच इसके अध्यक्ष और आंगनवाड़ी अध्यापक संयोजक है। एएनएम आशा कार्यकर्ता, ग्राम समिति अध्यक्ष, वीआरओ, पंचायत सचिव., आदर्श रैतु, साक्षर भारत संयोजक, एक अधिकारी और कुछ अध्यापक इसके सदस्य है। जैसे ही एमवीएफ के स्वयं सेवकों ने समिति के सदस्यों को सूचित किया एक बैठक में सब लोगों ने विचार विमर्श किया। इन लोगों ने सबसे पहले गाँव के पुजारी, काजी और पादरी से भेंट की। उन्होंने यह बताया कि बाल विवाह कानून के विरुद्ध है, इस तरह विवाह निश्चित करना और संपन्न करना अपराध है। गाँव के पुजारी से पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि जब सरिता के माता-पिता ने विवाह की तिथि निश्चित करने का अनुरोध किया तो उन्होंने जन्मपत्र की मांग की । उन्होंने बताया कि सरिता स्कूल नहीं जाती है, फिर पुजारी ने राशन कार्ड मंगवाया किन्तु वह भी नहीं दिखा सके । ये सारी बाते उन्होंने एमवीएफ के अधिकारी को फोन पर बतायी।

वर, रामय्या के पुत्र 23 वर्षीय दामेरला चिन्नसत्यम्। वह उच्च प्राथमिक शिक्षा भी पुरी नहीं कर पाए है । एमवीएफ के स्वयं सेवक 5 फरवरी को गाँव पहुँचे । इस बीच कविता के परिवार के लोग घर की रंगाई और मंडप आदि लगवाने की तैयारी में लगे रहें। बाल विवाह निषेध समिति के सदस्य भी उपस्थित थे । उन लोगों ने समझाया कि यह कविता की पढाई की आयु है न कि शादी की। कविता के पिता ने कहा कि आप लोग कुछ भी कह देते हैं, किन्तु मुझे और एक बेटी है, उनकी शादी भी करनी है। यह सब मुझे करना है, यह आपका काम नहीं है। स्वयं सेवको ने अपने अनुभव के आधार पर कई उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास किया किन्तु कविता के परिवार के सदस्यों ने उनके साथ अशिष्ट व्यवहार किया ।

जब वे नही माने तो स्वयं सेवकों ने 7 फरवरी को तहसीलदार और सब-इंस्पेक्टर को इसकी सूचना दी । ये अधिकारी कविता के विद्यालय जाकर स्कूल रिकार्ड की छानबीन की । यह देखकर गाँव के लोग इकट्ठा होने लगे । इन लोगों ने कविता के माता पिता को भी बुलवाया । कविता के पिता फिर उसी तरह अशिष्ट बातें करने लगा। वरपक्ष के लोग भी पहुँच गए और कहने लगे - हमने काफी पैसे खर्च करके शादी की तैयारियाँ पूरी कर ली है और आप कहते हैं कि शादी मत करो । सब-इंस्पेक्टर ने समझाते हुए कहा -हमें इसकी चिंता नही कि तुमने कितना खर्च किया शादी के समय भी हम रुकवा देते क्यों कि यह अपराध है और जो इसका प्रोत्साहन करता है वह भी दंडनीय है। सभी लोगों ने दोनो परिवार के लोगों को विवाह न करने के लिए सहमत करा लिया । अब कविता स्कूल जाने लगी है।

- 15 वर्ष में बाल विवाह निश्चित करते है। हम ऐसे बालविवाह कैसे रोक सकते हैं? हमारी मदद कौन करेंगे?

क्या आप जानते हैं?

किये गये अपराधों की शीघ्र सुनवाई के लिए टटली फ्री नंबर, भूमिका हेल्पलाईन **1800 425 2908**। बाल विवाह की रोकधाम या गृहहिंसा, मित्र, पड़ोसी, अध्यापक इस संदर्भ में कोई भी शिकायत या सूचना उपर्युक्त अधिकारियों को दे सकता है।

बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर नगर जिलाधीश, विभागीय स्तर पर विभागीय अधिकारी, मंडल स्कर पर तहसीलदार या आईसीडीएस अधिकारी और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव जिम्मेदार है। बाल विवाह के संदर्भ में कोई भी शिकायत या सूचना उपयुक्त अधिकारियों को दे सकता है। कभी-कभी न्यायालय भी आधिकारिक सूचना के आधार पर अपने आप की याचिका दायर करके अपराधी को दंड देते हैं ।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 और संशोधन 2006

युवतियाँ व महिलाओं को अधिकतर नौकरी, सुनहरे भविष्य व चलचित्र में भूमिका आदि के नाम पर नगरों व महानगरों पर लाया जाता और वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता उनके आदेश को मानने के लिये शारीरिक रूप से बाधित भी किया जाता है ।

बालिकाओं को बेचना, वेश्यावृत्ति के लिये बाधित करना, अपनी ईच्छा के अनुसार अनैतिक कार्य करवाना यह अपराध माना जायेगा ।

अवैध व्यापार के विभिन्न रुप

1. यौन उत्पीड़न
   a. वेश्यावृत्ति वृत्ति के लिए बाध्य
   b. सामाजिक और धार्मिक वेश्यावृत्ति
   c. अश्लील, अमर्यादित लेखन और चित्र
2. कानून के प्रतिकूल गतिविधियाँ
   a. भीख पर जीवन निर्वाह करवाना, शारीरिक अंगों को भंग करना
   b. मानव शरीर अंगों की बिक्री
   c. अवैध नशीले पदार्थ का व्यापार
3. श्रमिक
   a. बँधुआ मजदूर या बलपूर्वक श्रम
   b. गृह श्रमिक
   c. खेतीहार मजदूर
   d. भवन निर्माण मजदूर
4. पर उत्पीडन में आनंद
   a. मनोरंजन के लिए ऊटों की दौड़ में छोटे बच्चों को ऊँटों पर बाँधना।
   b. इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक विवाह संपन्न कराना ।

बलपूर्वक वेश्यावृत्ति एक अपराध है। ऐसी वेश्याओं को यौन व्यवसायी कहते हैं। इनकी सुरक्षा व्यवस्था के कई कार्य प्रचलित हैं। पूछ-ताछ के नाम पर इन्हें मारने या दंड देने का पुलिस को भी अधिकार नही है। यौन व्यवसायी के साथ वेश्यालय के संरक्षकों को भी 2 से 3 वर्ष का कारावास और 10,000/ रुपये का जुर्माना भरना पडेगा ।

यौन व्याभिचार के लिए किराये पर आवास देना भी अपराध है और किसी के अनिच्छा के विरोध संभोग भी दंडनीय माना जायेगा ।

SCERT TELANGANA

इस प्रकार के क्रिया -कलाप की रोकथाम के लिए और पीडित की सुरक्षा के लिए किसी भी स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की जा सकती है। संबद्ध अधिकारी अपराध को सुनिश्चित करने के लिए बिना अधिपत्र (वारंट) के भी पूछताछ कर सकता है।

पीड़ित को सुरक्षा प्रदान करने के बाद आवश्यकतानुसार चिकित्सा आदि की पूर्ति के उपरांत न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना चाहिए । तथा किसी महिला पुलिस अधिकारी या गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) द्वारा पूछताछ की जानी चाहिए और सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए । अगर पड़ित अव्यस्क है तो उसे बाल सदन भेज देना चाहिए ।

इस प्रकार के अवैध व्यापार के दोषी को 7 वर्ष से जीवन पर्यत कारावास के साथ जुर्माना भी निर्धारित है ।

दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961

यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है या देता है या प्रोत्साहित करता है तो वह न्यूनतम पाँच वर्ष कारावास के लिए दंडनीय है इसके साथ कम से कम 15 हजार रुपये या दहेज राशि या मूल्य जो भी ज्यादा हो देय होगा ।

कई बार विवाहपरांत वर की ओर से वधु को सताना, डाँटना अपशब्द कहना, मारना यहाँ तक कि मौत के घाट उतार दिया जाता है या आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जाता है। ये सारे अपराध इस कानून की परिधि में आते हैं । लेकिन माता-पिता किसी के दबाव में न रहकर, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन देने वाली वस्तुएँ (भेंट) भी अधिनियम के आधीन में हो।

१) भेंट (तोहफा) तालिका रहें।

२) भेंट की वस्तुएं माँगनी नहीं चाहिए।

३) वधु को दी जाने वाली वस्तुएँ सम्प्रदाय अनुसार हों। उन वस्तुओं का मूल्य अभिभावकों की क्षमता से अधिक न रहे।

- क्या आपने कभी अपनी बस्ती में ऐसी महिलाओं को देखा है जे दहेज के लिए हिंसा की शिकार हुई हो। इसकी रोकथाम के लिए आप क्या सुझाव देंगे ।

इस तरह की हिंसा के विरुद्ध लड़की स्वयं उसके माता-पिता, भी संबंधी कोई भी पुलिसस्टेशन में शिकायत दर्ज कर सकते है ।

SCERT TELANGANA

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 द्वारा महिलाओ को सुरक्षा

हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को गौरवपूर्ण जीने का अधिकार प्रदान किया है। महिलाएँ भी देश के नागरिक है। गौरवपूर्ण जीवन का मतलब है कि महिलाओं के साथ अपमान, निंदा या दुर्व्यवहार न किया जाए । ऐसी स्थिति का निर्माण किया जाए कि महिलाएँ सम्मान के साथ अपने अधिकारों का उपयोग करें। साधारणतः महिलाओं के मान-सम्मान का भंग होना घर परिवार से ही शुरु होता है। परिवार में होने वाली हिंसात्मक क्रियाएँ उनके विकास में बाधा डालती हैं।

गृह हिंसा के प्रकार व मात्रा में विविधता पायी जाती है। लेकिन यह संसार भर में स्त्री विकास के विरुद्ध एक बडी समस्या बन बैठी है। गृह हिंसा केवल वैयक्तिक/पारिवारिक ही नहीं इसके पीछे राजनीतिक इतिहास है । इस विचार को लेकर स्त्री आंदोलन गत 20 वर्षों से चल रहा है। इन आंदोलनों के कारण महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष अधिनियम बनाए गये है फिर भी इन अधिनियमों का आचरण सही रूप से नहीं हो रहा है। इन नीतियों की सही तरीके अमलवारी के लिए संवेदन शीलता, जागरूकता महिलाओं में लाने की जरूरत है।

- प्रायः घरेलू हिंसा की घटनाएँ घटित होती रहती है। धीरे-धीरे यह एक आदत बन चुकी है। हिंसा से और अधिक हिंसा भड़कती है । इसे कैसे रोका जा सकता है, कौन सहयागे देगा ?

राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सरकारें महिलाओं पर होने वाली हिंसा को पहचान कर इसके रोक थाम के लिए कुछ घोषणाएँ बनाए हैं। ये महिलाओं के विकास के लिए, सरकार द्वारा बनाये गये है। इस विषय में सभी देशों के संग भारत भी हस्ताक्षर कर चुका है।

मुख्य प्रस्ताव :

- विवाह, पारिवारिक संबंधों के मामले में महिलाओं के संग किसी प्रकार का भेद न किया जाए।
- स्त्री पुरुष दोनों के लिए (धन, मान और अधिकारों में) बराबर का अधिकार रहे।

बीजिंग समझौते की घोषणाएँ :-

- समाज में पुरुष से स्त्री का स्थान कम रहने का कारण यह है कि, उन पर होने वाली हिंसा। अनेक संदर्भों में महिलाओं पर हिंसा, घर, परिवार में होती है, लेकिन यह बात बाहर नहीं आती। इसलिए इस बात का पता नहीं चलता।
- अगर यह बात की पहचान की गयी तो भी, शोषित को बचाकर अपराधी को दण्ड देने में सरकार असफ़ल हो रही हैं।
- हिंसाग्रस्त महिलाओं को खानूनन् और न्यायसम्मत रक्षा के मामले में सभी प्रकार की व्यवस्था हो। इन विषयों से संबंधित समाचार का प्रचार अधिक हो।

हर वर्ष लाखों महिलाएं गृहहिंसा के कारण उपचार पा रहे हैं। इस विषय को चार दीवारी की बात मान कर दबा दिया जाता है।

SCERT TELANGANA

गृह हिंसा :- भ्रम, वास्तव

भ्रम : कभी कभार माता-पिता बच्चों को पीटते हैं तो, यह साधारण सी बात है।

वास्तव : गृह हिंसा की शुरूआत ऐसे ही होती है, धीरे-धीरे इसका रोक-धाम न किया जाए तो, यह एक आदत सी हो जाती है। बार-बार पिटने से आत्म भंग होकर उनके विकास में रुकावट आ जाती है।

भ्रम : मध्यपान का व्यसन हिंसा का मुख्य कारण है।

वास्तव : मध्यमान एक बहाना है, स्त्रीयों के पीटने वाले पुरुष (४० प्रतिशत) मध्यपान का सेवन ही नहीं करते। ऐसा आंकड़ों का बुनाना हैं।

भ्रम : महिलाएँ अपनी संतान के लिए हिंसा का सहन करती हैं।

वास्तव : हिंसा से ही और हिंसा जन्म लेती है। हिंसात्मक माहोल में पलने वाली संतान भी हिंसात्मक ही होती है।

घरेलू हिंसा के रूप

- यौन उत्पीड़न (बलपूर्वक संभोग, अश्लील फिल्म दर्शन)
- शारीरिक उत्पीड़न (शारीरिक क्षति या पीड़ा पहुँचाने वाला व्यवहार)
- मौखिक और भावात्मक उत्पीड़न (अपमान, उपहास या अभद्र नाम से बुलाना)
- मानसिक उत्पीड़न (क्षति पहुँचाने की धमकी, बच्चों को स्कूल जाने से रोकना, नौकरी में बाधा उत्पन्न करना।)
- आर्थिक उत्पीड़न (आर्थिक या वित्तीय स्रोतों से वंचित करना, स्त्री धन का दुरुपयोग, उनकी संपत्ति को इच्छा के विरुद्ध बेचना)

किससे शिकायत करें ?

घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति को पुलिस अधिकारी से शिकायत करनी चाहिए या न्यायिक अधिकारों जैसे प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश से व्यक्तिगत, फोन, ई-मेल द्वरा)

इस प्रकार की शिकायत याचिका दायर कर सकते हैं, जबकि घरेलू हिंसा घटित हो चुकी हो, हो रही हो अथवा होने वाली हो ।

यदि पीड़ित घायल है तो उसे चिकित्सा सहायता प्रदान की जानी चाहिए फिर इसकी सूचना पुलिस स्टेशन या न्यायाधीश को पहुँचानी चाहिए ।

यौन शोषण और छेड़खानी

पिछले दिनों यौन उत्पीड़न और यौन शोषण की रोकथाम हेतु सुझावों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा न्यायाधिश जे.एस.वर्मा समिति का गठन किया गया था । 2 फरवरी 2013 को माननीय राष्ट्रपति ने उन सुझावों के आधार पर एक अध्यादेश जारी किया 3 अप्रैल 2013 को निर्भया अधिनियम जारी किया गया। इस अध्यादेश की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैः

- न्यूनतम 20 वर्ष कारावास का दंड
- प्रभावित महिला से शिकायत प्राप्त करने के लिए महिला पुलिस की नियुक्ति ।

SCERT TELANGANA

- पीड़ित महिला का व्यक्तिगत रुप से पुलिस अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होना अनिवार्य नहीं।
- स्त्री पर तेजाब द्वारा आक्रमण के दौरान और संघर्ष के समय अपराधी मर जाता है तो उसके लिए कोई दंड नही ।
- पीड़ित स्त्री के आग्रह पर शिकायत और न्यायप्राप्त क्रिया के अवसर पर वीडियो द्वारा चित्रांकन की संभावना है ।

लोक अदालत

कानून की दृष्टि से सब समान है। आर्थिक और अन्य निर्बलताओं के कारण अपने अधिकारों और न्याय से वंचित रह जाने वाले नागरिकों के लिए लोक अदालत की व्यवस्था है। 1976 में केद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 39 (अ) में संशोधन किया । यह राज्य सरकारों के न्यायिक सहयता के निर्देश देता है।

इस अधिनियम के अनुसार समाज में मुफ्त न्यायिक सहायता निम्न स्तर वालों को मिलता है। यह अधिनियम बनाया गया है ताकि समाज के सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, निर्धनता व अन्य कारणों की वजह से कोई भी न्याय से वंचित न हो। सभी को न्यायाधिकार मिलने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाना चाहिए।

न्यायिक सहायता पाने के योग्य कौन है?

- अनुसूचित जनजाति नागरिक
- अनैतिक मानव व्यापार के प्रभावित भिखारी, महिलाएं, बच्चे, मानसिक रोगी और शारीरिक विकलांग।
- प्राकृति आपदा से प्रभावित, कृषि और उद्योग श्रमिक
- ऐसे नागरिक जिनकी मासिक आय 50,000 रुपये से कम हो ।

इन्हें न्यायिक सेवा हाई कोर्ट द्वारा इस पते पर प्राप्त होसकती हैं :-

1. सेक्रटरी (सचिव)
   जिला स्तरीय सेवा अधिकारी
   प्रदेश कोर्ट सीमा
   .... जिला

2. सचिवालय सदस्य
   प्रदेशस्तीय सेवा अधिकारी
   हाई कोर्ट सीमा, हेदराबाद - 500 066

सहायता पाने के इच्छुक व्यक्ति जिला या उच्च न्यायालय में न्यायिक सेवा अधिकारी से प्रार्थना कर सकते हैं । शिकायतकर्ता और प्रतिवादी दोनों न्यायिक सहायता पाने के योग्य हैं, लड़किया, युवतियाँ, महिलाएँ भी उपयुक्त सुरक्षा पा सकते हैं ।

न्यायिक सहायता की विधि

- वकील द्वारा मुफ्त न्यायिक सुझाव दिया जाता है।
- याचिका की स्थिति की जाँच के बाद यदि आवश्यकता हो तो शिकायतकर्ता के बदले में वकील को नियुक्त किया जा सकता है , जो याचिका को न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।
- न्यायालय का खर्च और न्यायालय शुल्क वहन करना ।
- जो न्यायिक सहायता प्राप्त करते हैं, उन्हें निर्णय की प्रतिलिपि मुफ्त प्रदान की जाती है।

इस कार्य को उचित ढंग से लागू करने के लिए पूर्ण रूप से समझ और जागृति की आवश्यकता है। तब भी मानव अधिकार की उपयोगिता सिद्ध होगी और हम सब लाभान्वित होंगे ।

SCERT TELANGANA

मुख्य शब्द

1. दहेज
2. घरेलू हिंसा
3. लोक अदालत
4. यौन अपराध
5. बलपूर्वक वेश्यावृत्ति

शिक्षा में सुधार

1. बाल विवाह के क्या परिणाम हो सकते हैं ? (AS_1)
2. घरेलू हिंसा क्यों सामान्य क्रिया बन चुकी है ? इसके कारण बताइए । (AS_1)
3. बालिकाओं और महिलाओं की समस्याओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं। क्या आप के शहर या गाँव में भी एक ऐसी कोई समस्या है? यहि हाँ तो इसके समाधान के लिए क्या किया जाना चाहिए । (AS_4)
4. सरकार की ओर से कई प्रयास किए गए । उचित ढंग से लागू करने के लिए आपके सुझाव क्या है? (AS_4)
5. महिलाओं के सम्मुख जो सामान्य समस्याएं है उन पर एक लेख लीखिए । (AS_6)
6. कल्पना कीजिए कि आप तहसीलदार हैं, बाल विवाह की रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे ? (AS_4)
7. महिलाओं को किन-किन समस्याओं का सामना करना पढ रहा है। इसकी एक सूची बनाइए। (AS_6)
8. इस अध्याय में दिये गये विषय ''अत्याचार, यौन शोषणा'' का अध्ययन कर एक टिप्पणी कीजिए। (AS_2)

चर्चा

1. लडकी की आयु १८ वर्ष से कम, और लडके की आयु २१ वर्ष से कम वाले विवाह हो रहे हैं। ऐसा कोई बाल विवाह आप के प्रांत में, अगर हुआ हो तो, इस पर चर्चा दीजिए। इसका प्रभाव लड़कियों पर कैसा होता है। क्या आप बाल विवाह का समर्थन करेंगे? क्यों उपचारात्मक मार्ग सूचित कीजिए।
2. गृह हिंसा किन-किन प्रकारों से हो रही है? आप के प्रांत में ऐसी कोई घटना हुी हो तो, कक्षा-कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए। इसके क्या कारण हो सकते है। गृह हिंसा का प्रभाव परिवार पर, अन्य व्यक्तियों पर किसप प्रकार होगा। गृह हिंसा के रोक-थाम के लिए कुछ उपाय सूचित कीजिए।
3. आज के दौर में नशाबंदी एक व्यसन बना हुआ है। बहुत लोग नशबंदी के गुलाम हो रहे हैं। आप के प्रांत में किसी परिवार की स्थिति ऐसी हो तो, इस पर चर्चा कीजिए। नशाबंदी का प्रभाव उस परिवार के बच्चों और अन्य व्यक्तियों कैसा होगा। ऐसे परिवार के सदस्य अगर आप होंगे तो क्या करोगे?

परियोजना

सरकार द्वारा गरीब लोगों को व्यायायिक सहायता प्रदान की जाती है किसी न्यायविध (लायर) से प्राप्त करे ।

SCERT TELANGANA

अध्याय

22

आपदा प्रबंधन

मानव प्रेरित आपदा

कितना प्राकृतिक है प्राकृतिक संकट ?क्या तुमने कभी की कोशिश इस सवाल के विश्लेषण का? चलिए हम एक उदाहरण ले मुंबई में बाढ का । कितने अधिक मात्र में जीवन और संपत्ति की हानि हुई? इस अनिश्चित विनाश का कारण केवल भारी वर्षा है। उक्त अतिशय विध्वंस के अनेक अन्य कारण हैं। उनमें से कुछ की सूची हम देखें ।

a. नगर की अनियोजित वृद्धि b. जल निकास की उचित सुविधा का न होना ।

c. जनसंख्या वृद्धि का बढना ।

अगर हम इन कारणों को देखते हैं तो उनमें सभी मनुष्य द्वारा उत्प्रेरित है और अगर हम उनका ध्यान रखते हैं तो बहुत सी आपदा को रोक सकते हैं । इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संकट हमेशा प्राकृतिक नहीं होता है । लेकिन इनके होने में मानव की प्रमुख भूमिका है।

इस आपदा का कारण मनुष्य की उपेक्षा और व्यक्तिगत एवं समूहगत मानव समुदाय द्वारा निर्मित आपदा है, जिसमें मानवजाति अपनी जिंदगी तक खो देता है और देश की आर्थिक उत्पादन क्षमता भी क्षतिग्रस्त होती है।

चलिए हम देखें मनुष्य द्वारा आपदा का विस्तृत विवरण

दुर्घटना संबंधी आपदा

सड़क, रेल, वायु दुर्घटना आदि कुछ ऐसी आपदा है जिसे हम प्रत्येक दिन झेलते हैं । एक दूसरे को जोड़ने के लिए तीव्र गति से सड़को का जाल बनाया गया है । तत्कालीन कुछ वर्षों में सडक दुर्घटना और विनाशक मृत्यु में वृद्धि हुई है।

भारत में 80 हजार व्यक्ति सडक पर टकराकर कुचल कर प्रतिवर्ष मरते हैं जो पूरी दुनिया में विनाशक मृत्यु का 13 प्रतिशत है । उनमें से आधे जो 15-44 वर्ष के होते हैं । अक्सर अपने परिवार के लिए रोजी रोटी जुटाने वाले होते हैं, उनमें से आधे यातायात में कुचल कर मरते हैं । इनमें से ज्यादातर कुचलने की घटना लापरवाही ड्राइविंग, गाडियों का ठीक ढंग से रख-रखाव न होना और पैसेंजर और खराब मौसम की स्थितियाँ आदि की वजह से होती है। ये सभी दुर्घटनाएं विनाशक मृत्यु के बढ़ने में जोड़े जा सकते हैं । 2000 में किये गये आंकलन के अनुसार लगभग 3 प्रतिशत से अधिक Gross Domestic Product (GDP) में हानि अंकित की गयी इसलिये इन दुर्घटनाओं की हानि से बचने यातायात सुरक्षा शिक्षा अनिवार्य है सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिमाह जनवरी में पूरे देश में मनाया जाता है 2006 में सड़क सुरक्षा सप्ताह का विषय (प्रकरण) 'सड़क सुरक्षा व दुर्घटना रहित' ।

SCERT TELANGANA

यहाँ पाठशाला जाते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं, दिया गया है।
यह मायने नहीं रखता है कि आपकी आयु क्या है सुरक्षा नियम जानना आवश्यक है ।

करना	नही करना
ड्राइव तभी करो जब कानूनी लाइसेंस हो और उम्र 18 वर्ष हो ।	रोड पर हडबड़ाहट में नही रहो और दौड़ो मत।
हमेशा फुटपाथ पर चलो, जहाँ फुटपाथ नही हो वहाँ सड़क के बिल्कुल दायी तरफ चलो ।	कभी भी सड़क मोड या घुमाव से पार करने की कोशिश मत करो क्योंकि मोटर सवार टर्न लेते समय आपको देख नहीं पाएगा ।
केवल जेब्रा क्रासिंग से सड़क पार करो। जहाँ टैफिक सिग्नल और अन्य कोइ सुविधा नहीं हो तो सुरक्षित जगह सड़क के दोनों तरफ देखकर पार कीजिए ।	बस या रिक्शा पकड़ने के लिए दौड़िए मत, क्योंकि तुम गिर सकते हो । घर से सही समय में निकलो ।
रोड सिग्नल के बारे में जानकारी प्राप्त करो एवं उनका पालन करो ।	स्कूल बस के अलावा किसी अन्य बस में न सवार हों ।
बस पडाव पर 5 मिनट पहले पहुँचे और बस के रुकने के बाद ही उस पर चढे ।	बस में शोर न करे क्योंकि इससे चालक का ध्यान भंग हो सकता है।
अगर आपको खड़े रहकर सफर करना पड़ रहा हो तो बस की रेलिंग को अच्छी तरह पकड़ ले ।	बस के फुटबोर्ड पर न बैठे
साईकिल चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल करें ।	चलती गाडी के बाहर सिर या हाथ न निकाले।
यातायात नियमो का पालन करो ।	अगर बस के नीचे कुछ गिर गया हो तो चालक को कहकर उसे निकलवाएँ ।
बस से उतरते समय ध्यान रखें कि कपडों के खुले धागे व बैग के फीते दरवाजें में न फँसे ।	गाडी के सामने से पार न करें ।

लोगो को गाड़ी चलाने ने दे, अगर उन्होंने -

- शराब पी रखी हो ।
- थके हों, जिससे उनकी क्षमता प्रभावित होती है।
- बीमार या जख्मी हों ।
- नाराज या क्रोधित हो ।
- ड्रग्स या क्षमता प्रभावित करने वाली दवाओं का सेवन किया हो ।

SCERT TELANGANA

रेल दुर्घटना

1820 के अंत मे रेल यातायात की शुरुआत हुई । बाल्टीमोर एवं ओहायो रेलवे अमेरिका की प्रारंभिक रेल कंपनी थी । धीमी रफ्तार यातायात के कम घनत्व के कारण रेलवे उस समय काफी सुरक्षित माना गया था।

दुनिया के सबसे बडे रेल नेटवर्क के साथ हादसे भी कई गुणा बढे हैं । रेल हादसों में सबसे सामान्य आम गाडियों का पटरियों से उतर जाना है। रख-रखाव की कमी, पुराने पुर्जे या मानवीय त्रुटियाँ इसके मुख्या कारण है । इससे जान माल का काफी नुकसान होता है। भारी ज्वलनशील पदार्थो जैसे कोयला, पेट्रोलियम कारण भी कई हादसे होते हैं ।

बिहार में हुए एक रेल दुर्घटना में भागलपुर में 150 साल पुरानी अल्प पुल रख-रखाव की कमी के कारण हावड़ा जमालपुर सुपरफास्ट के ऊपर गिर गया । इससे 1 दिसम्बर 2006 को 35 लोग मारे गयें।

ऐसी दर्दनाक कहानियों के बारे में हम हमेशा सुनते रहते हैं । चलिए कुछ सुरक्षा इंतजामो को जाने जिससे इनमें कमी की जा सकती है।

चित्र. 22.1: रेल दुर्घटना

क्या करें	क्या न करें
रेलवे क्रासिंग पर सिग्नल व बैरियर पर ध्यान दें ।	सिग्नल बैरियर को नीचे से पार ना करें ।
मानव रहित क्रासिंग पर गाडी से उतर कर दोनों तरफ देखकर पटरी पार करें ।	गाडी को किसी ऐसे पुल या सुरंग में न रोके जहाँ से निकाष संभव न हो । ज्वलनशील पदार्थों को अपने साथ न ले जाएं ।
	चलती ट्रेन से दरवाजे के बाहर ने झाँके ।

SCERT TELANGANA

	ट्रेन में धूम्रपान न करे एवं अगर कोई और ऐसा करे तो उन्हे भी रोकिए ।
	प्लैटफार्म बदलने के लिए ऊपरी पैदल पुल का इस्तेमाल करें ।
	संवेदनशील वस्तुओं को न छुएं । पटरियों पर यार्ड में न खेले, गाड़ियों के अकस्मात आवाजाही से आप जख्मी हो सकते हैं ।
	ट्रेन के बाहर कुछ न फेकें, इससे किसी की जान जान जा सकती है।

हवाई दुर्घटना

23 जून1985 को बम फटने के कारण एयर इंडिया का 182 कनिष्क विमान हवा में ही विस्फोट हो गया जिसमें 307 यात्री एवं 22 क्रू की मौत हो गई । यह विमान मांट्रियल दिल्ली- बाम्बे के अपने चरण में था । जब आयरलैड के तट के पास इसमें विस्फोट हुआ । विमान अटलांटिक महासागर में गिर गया ।

Fig. 22.2: Air Accident.

विश्व व भारत मे हवाई दुर्घटनाएँ होती ही रहती है। कई मानदंड विमान में लोगो की सुरक्षा को ध्यान में रखते हैं । जैसे कि विमानों की संख्या में वृद्धि, तकनीकी खराबी, आगजनी, लैडिंग में दिक्कतें एवं हाइजैक के समय हवाई पत्तन की सुरक्षा ।

कुछ सुरक्षा मानदंड जिनका पालन करना चाहिए, नीचे दिए गए हैं ।

विमान में चढते वक्त इन बातो का ध्यान रखना चाहिए ।

- विमान क्रू के सुरक्षा पर ध्यान दें ।
- सीट की जेब में रखे गए सुरक्षा कार्ड को ध्यान से पढें ।
- सीट की जेब में रखे गए सुरक्षा कार्ड को ध्यान से पढें ।
- अपने नजदीकी आपातकालीन निकास की जानकारी रखें ।

अगर आप किसी दुर्घटना में फँस गए हो तो निम्नलिखित बातों को जरुर याद रखें ।

- शांति बनाए रखे । क्रू की बातों को ध्यान से सुने । क्रू के लिए सबसे जरुरी काम आपकी मदद कर सकता है ।
- आपातकालीन निकास खोलने के पहले बाहर देख ले, अगर बाहर आग लगी हो तो द्वार न खोंले।
- धुआं ऊपर की तरह उठता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में फर्श पर लगे आपातकालीन लाइट की तरफ चले, वे निकास की तरफ जाते हैं । एक कपड़े से अपने नाक व मुँह को ढक लें ।

आगजनी (Fire Accidents)

2004 में कुंबकोणम, तमिलनाडु के एक विद्यालय में लगी आग से विद्यालयों में आग से सुरक्षा पर सवाल उठे थे । 93 मासूम बच्चो को अपनी जान गँवानी पडी थी । इस आगजनी का मुख्य कारण बच्चों व शिक्षको में आपदा से निपटने के लिए जागरुकता की कमी, तैयारी की कमी व पाकठालाझी का कक्षाओं के समीप होना था परंतु इस तरह के हादसे नए नही थे ।

इन सभी हादसों में यह पता चलता है कि, जान-माल का यह नुकसान मानवीय अवहेलना व जागरूकता के कमी के कारण हैं ।

चित्र. 22.3: आग.

आगजनी के समय क्या करें और क्या ना करें (At the time of Fire Accidents)

क्या करें	**क्या ना करें**
अगर तुम धुँआ या आग देखते हो तो अलार्म बजाओ ।	बिल्डिंग में किसी खिलौने या पालतू जानवर के लिए पुनः मत जाओं अग्निशामक कर्मचारी ढूँढ सकते हैं शीघ्रताशीघ्र ।
अगर संभव हो तो भवन के बाहर चले जाईए अपने आप को ढक कर कारीडोर से निकलने. की कोशिश कीजिए ।	अलमारी या बिस्तर के नीचे छुपने की कोशिश. न करे एलार्म बजते ही आपको बाहर चले जाना चाहिए ।
101 नं पर फोन कीजिए और फायर ब्रिगेड वाले को अपना पता नम्रतापूर्वक और स्पस्ट बताइए ।	

अगर निकास अवरुद्ध हो तो कमरे के अंदर खिडकी से जाइए । दरवाजे के आस-पास वस्तुएँ रखे आग को रोकने के लिए तथा खिड़कियाँ खोल दें ताकि धुआँ बाहर निकले, फिर सहायता के लिए आवाज दें ।	
बंद दरवाजा आग को नीचे-नीचे फैला देता है आग को कम करने के लिए जरूरी है कि दरवाजे को बंद किया जाय ।	
सभी इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का स्विच ऑफ कर दे ।. सबसे अच्छा होगा कि कोई एक मुख्य स्विच बोर्ड को ऑफ कर दें ।	
कटे-फटे केबल आदि को जाँच ले । आप उन्हें बदल दीजिए क्योंकि वे खतरनाक है। अगर प्लग प्वाइंट बेहद नीचे है तो उस पर टेप चिपका दे, खासकर विद्यालय के प्राथमिक अनुभाग में जिससे बच्चे उंगली अंदर रखकर दुर्घटना को जन्म न दें ।	
	केबल, कारपेट या मैट्रस के अंदर ना रखे। नहीं तो वे कट -फट सकते हैं । अधिकतर यह विद्यालय के प्रबंधन इकाई में देखा जाता हैं ।
स्कूल में खतरनाक तारों को बदलवाएं एवं सीलनवाली दीवारों की मरम्मत करवाएं ।	ज्वलनशील चीजों के पास दीप न रखें । प्रयोगशाला में ज्वलनशील चीजे ताप स्रोत के पास न रखें एवं ध्यान दे, कि कमरे में पर्याप्त रोशनदान हो । ज्वलनशील चीजों को नियम से सही तरीके से नष्ट कर दें ।

SCERT TELANGANA

आतंकवाद का खतरा

एक शताब्दी पहले महात्मा गाँधी या हमारे प्यारे बापू ने परिस्थितियों से निपटने के लिए सत्य व अहिंसा की शिक्षा दी थी । जैसे -जैसे विज्ञान व तकनीकि विकसित होती गई वैसे-वैसे मानव में लालच बढता गया एवं विभिन्न दलों में मन मुटाव बढता गया । विकास के परिमाणस्वरूप वैश्विक सद्भावना के विरुद्ध युद्ध व गृह युद्ध फैलते गए जिससे लोगों को काफी तकलीफ हुई है। चित्र में हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले को दर्शाया गया है जिसमें ३००० लोगों की जान गई थी ।

क्रिया कलाप

अपने नजदीकी अग्निशमक केन्द्र से सुरक्षा मानदंड की सूची बनाइए । आपको क्या करना चाहिए क्या नही करना चाहिए, उसका पालन कीजिए।

आतंकवाद आज समस्त विश्व एवं भारत के कुछ हिस्सो में अब जीवन का अंग बन चुका है । इन क्षेत्रों में हिंसा व हमलों के डर से बच्चे हमेंशा सहमे रहते हैं। तथा सामान्य जीवन प्रभावित होता है।

चित्र. 22.4: मुंबई के ताज होटल पर आतंकी हमले

अगर आपके क्षेत्र में आतंकीवादी हमला हो तो इन बातों को ध्यान दें ।

- संयम व शांति बनाए रखें ।.
- स्थानीय आपातकाल अधिकारियों की सलाह को माने ।
- रेडियो व टीवी पर प्रकाशित किए गए निर्देश का पालन करे ।
- अगर आपके आस पास कोई दुर्घटना हुई हो तो घायलों की जाँच करे व गंभीर रूप से घायल लोगों की सहायता करें ।

SCERT TELANGANA

चित्र. 22.5: दिलसुख नगर में बम विस्फोट हैदराबाद -2013

क्रियाकलाप

भारत में हाल ही में हुए आतंकवादी कार्यों को पहचानिए और बच्चों पर होने वाले उसके प्रभावों के बारे मे चर्चा कीजिए।

- अपने पालतू जानवरों को सुरक्षित करें।
- अपने पड़ोसियों, बुजूर्गों व विकलांगों की स्थिति की जाँच कीजिए।

सावधान रहिए, जाँच कीजिए, और सुरक्षित रहिए .....

1. अगर आप कोई संदिग्ध वस्तु देखते हैं जैसे बैग, सुटकेस आदि तो तुरंत पुलिस को खबर कीजिए। सार्वजनिक स्थलों पर ये संदिग्ध वस्तुएँ विस्फोटक हो सकती हैं।
2. पुलिस कंट्रोल रूम को 100 पर फोन करें। यह आपका अधिकार है।
3. पुलिस को सूचित करने के बाद संदिग्ध वस्तु पर नजर रखे व लोगों को उससे दूर रखें।
4. किसी भी संदिग्ध गाडी व व्यवहार से सतर्क रहें।

नागरिक इन सभी सावधानियों द्वारा सुरक्षित रह सकते हैं। अलग-अलग एजेंसियों द्वारा सुरक्षा हेतु जागरुकता भिन्न-भिन्न मानक ग्रहण किए जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद के विरुदध लडने और सुरक्षित जीवन जीने के लिए पोस्टर जारी किए हैं। उन्हें ध्यान पूर्वक पढे और कोशिश करें उन निर्देशो का जीवन में पालन करे।

अभिभावकों के लिए

- प्रथम और प्रमुख विषय है कि डरावनी घटनाओं का बच्चों के संपूर्ण जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालना।
- कल्पना से वास्तविकता को अलग करने में बच्चों की सहायता करें।
- वयस्कों को चाहिए कि उनकी जिज्ञासा को शान्त करने के लिए उनके साथ चर्चा कीजिए।

मुख्य शब्द

1. विश्व समुदाय
2. आतंकवाद

शिक्षा में सुधार

1. प्राकृतिक आपदायें विनाश का कारण बनती हैं, समझाइए। (AS_1)
2. आंतकवाद क्या है? आतंकवाद विकास के तत्व क्या है। (AS_1)
3. आग दुर्घटनाओ से बचने के लिए कौन से सुरक्षा के कदम उठाए जाने चाहिए। (AS_1)
4. सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण क्या है? हम सड़क दुर्घटनाओं को कैसे कम कर सकते हैं। (AS_1)
5. आतंकवादी आक्रमण से हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं ? वे कैसे जीवन को प्रभावित करते है ? (AS_4)
6. रेल दुर्घटनाओं के कारणो को पहचानिए। (AS_1)
7. आपके घर, विद्यालय या गांव में हुई किन्ही खतरनाक घटनाओं की सूची बनाइए। (AS_4)
8. आतंकवादियों ने निम्न शहरों पर आक्रमण किया है। इन शहरों की पहचान भारत के मानचित्र में कीजिए। (AS_5)

   अ) मुंबाई आ) हैदराबाद इ) भागलपूर ई) कुंभकोण उ) बैंगलूर
9. आप किसी दुर्घटना के बारे में जानते हैं, तो उसके बारे में लिखिए। (AS_6)
10. इस अध्याय के पृष्ठ 274 पर 'आगजनी' अंश को पढ़ कर उस पर टिप्पणी कीजिए। (AS_2)

साक्षात्कार

आप के प्रांत में कोई सडक दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति हो, तो उस व्यक्ति को आपकी पाठशाला में आमंत्रित कीजिए। और उस व्यक्ति को किन दिक्कतों का सामना करना पड रहा है, पता लगाइए। निवारण हेतु मार्ग के बारे में साक्षात्कार कीजिए।

परियोजना

1. आपके प्रदेश मे गत वर्षों मे हुए मानव विनाशकारी कार्यो की सूची समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से एकत्रित कीजिए। भविष्य मे इन खतरों से बचने के लिए क्या उपाय किए गए।
2. आतंकवाद से होने वाली हानियों की सूची बनाइए।

SCERT TELANGANA

अध्याय
23

यातायात शिक्षा

चक्र के आविष्कार से यातायात के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए बढ़ती आबादी, औद्योगीकरण, शहरीकरण, वैश्वीकरण के द्वारा वाहनों की संख्या भी बढ़ गयी। इसलिये यातायात को सुलभ बनाने के लिए क्रमबद्ध करने की आवश्यकता है। क्रमबद्ध करने का अर्थ, सडक के नियमों का अनुसरण सभी अनिवार्य रूप से करना। सडक का उपयोग करने वाले हर व्यक्ति का यह दायित्व है।

ट्राफ़िक का अर्थ

एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को ही ट्राफिक कहते हैं। इसी प्रकार वाहन एक स्थल से दूसरे स्थल को सडक पर जाने को ही रोड ट्राफिक कहते हैं।

ट्राफ़िक नियमों का अर्थ

ट्राफ़िक नियमों के बारे में सरलता से, स्पष्ट रूप से (ज्ञान पाना) बताया जाना ही, ट्राफ़िक अध्ययन है। क्या आपने कभी सडक पर हुई दुर्घटना को देखा है? अगर देखा है तो उस दुर्घटना में लोग कैसे घायल हुए हैं? वह दुर्घटना क्यों हुई है, विचार करके बताइए।

दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति - आयु

आयु	दुर्घटनाएँ	आयु	दुर्घटनाएँ
00-05	24	50-55	207
05-10	58	55-60	138
10-15	40	60-65	113
15-20	152	65-70	57
20-25	345	70-75	49
25-30	380	75-80	13
30-35	254	80-85	12
35-40	294	85-90	0
40-45	226	90-95	0
45-50	215	95-100	0

- आपको किस आयुवर्ग में अधिक दुर्घटनाएँ दिखाई देती है? क्या आप बता सकते हैं? क्यों?
- २०-२५, एवं २५-३० की आयु वर्ग में कितनी दुर्घटनाएँ दिखाई देती है?

यातायात अध्यापन का महत्व और आवश्यकता

वैसे नौजवान लोग ज्यादा स्वतंत्र हो रहे हैं और बाहर खुले में इन पर संकट बढता जा रहा है। विशेषकर 15-20 वर्ष तक के बच्चे मुख्यतया सडक का अधिक उपयोग करते हैं। अधिकतर यातायात ज्ञान से अनजान होते हैं । सडक दुर्घटनाएं ही सबसे बडी कारण है मृत्यु की । इसलिए सभी को सड़क सुरक्षा नियमों की शिक्षा आवश्यक हो गई है जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके ।

SCERT TELANGANA

ट्रैफिक दिक्कतें

अगर आप स्कूल जा रहे है तथा ट्रैफिक जाम होने के कारण आप कक्षा में देर से पहुँचते हैं और आपके अध्यापक के द्वारा आपको दंड दिया जाता है तो आप क्या करेंगे ?

छात्र, नौकरीकर्ता, सेवक, शिक्षक, चिकित्सक, सभी यातायात जाम से प्रभावित होते हैं। फूटपाथ पैदल चलने के लिए होते हैं ऐसा माना जाता है। किन्तु कभी-कभी वाहन चालक इस पर वाहन चलाते हैं । सड़कों पर रहने वाले जानवर, फल और सब्जियाँ बेचने वाले , निजी वाहन जैसे कार, आटोरिक्शा, उन जगहों पर ठहराए जाते हैं जहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लिखा होता है। यही क्षेत्र यातायात जाम का मुख्य कारण होते हैं। जनसंख्या मे जैसे-जैसे बढोत्तरी हो रही है वाहनों का उपयोग भी बढता ही जा रहा है, जिससे बहुत तेजी से सड़कों पर यातायात बढ़ता जा रहा है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्रत्येक को निर्देशित किये गये नियमों की जानकारी होनी चाहिए।

Hyderabad City

Accidents: Accused vehicles

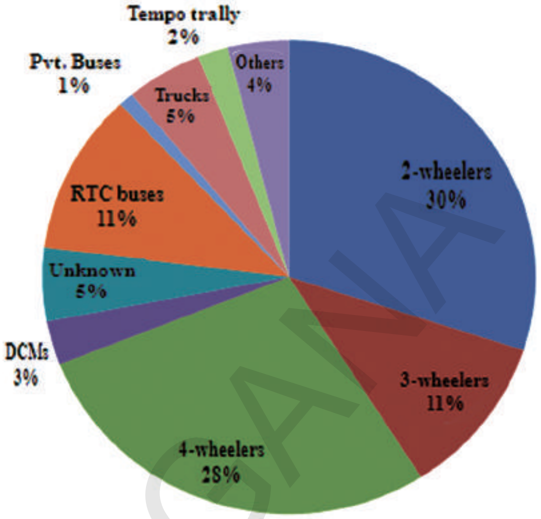

Total accidents - 2577

Accidents figures for the year 2012.

- Discuss the data relating to the accidents-accused vehicles in your classroom?
- Which type of vehicles are accused of more accidents? Can you think of the reason for this?
- What are Traffic Rules and regulations? Discuss in your class room.

वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता

किसी भी व्यक्ति को लाईसेंस के बिना वाहन नही चलाना चाहिए।

वाहन चालक लाइसेंस के प्रकार

1. वाहन चलाने सीखने का लाईसेंस : यह लाइसेंस अस्थाई होता है और केवल छः महीनो के लिए इसे वाहन सीखने के लिए दिया जाता है।

2. स्थाई लाईसेंस : वाहन चलाने सीखने के लाइसेंस दिये जाने के एक महीने के बाद ही हर कोई स्थाई लाइसेंस को लेने का अधिकारी हो जाता है।

1. अस्थाई लाईसेंस के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र

- निवास पहचान पत्र (निम्नलिखित पंजीकरण के साथ)
- राशन कार्ड
- इलेक्ट्रिसिटी बिल/ कर रसीद
- जीवन बीमा पॉलिसी
- मत पत्र पहचान कार्ड
- पासपोर्ट
- आधार कार्ड

2. आयु पहचान पत्र निम्नलिखित पंजीकरण के साथ

- विद्यालय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- जन्म प्रमाणपत्र
- स्वयं का पहचान पत्र
- पैन या आयकर प्रमाण पत्र

नियम के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान

- बिना ड्राइवरी लाइसेंस के वाहन चलाने पर

SCERT TELANGANA

- 50 सी.सी तथा उससे उपर की वाहन चलाने के लिए आयु सीमा 18 वर्ष होने चाहिए।
- यातायात वाहनों के लिए आयु सीमा 25 वर्ष होना चाहिए ।

जमा करने का फार्म : 1,1A,2 और 3 फार्मों के साथ निर्देशित विवरण पासपोर्ट फोटोस जमा करना चाहिए । सभी प्रमाण पत्रो की जाँच के बाद, सीखने के लिए परीक्षा, वर्णआंधता (colour blindness) परिक्षा ली जाती है । निर्देशित परिक्षाओं में योग्यता प्राप्त होने पर आवेदक को अस्थाई लाईसेंस दिया जाता है।

- वाहन चालक को क्यों अनिवार्य रूप से वाहन चालत का लाइसेंस लेना चाहिए?

स्थायी लाईसेंस: स्थाई लाइसेंस उन्हीं लोगो को दिया जाता है जिनके पास मान्य अस्थाई लाईसेंस होता है। अस्थाई लाइसेंस मिलने के 30 दिन के भीतर स्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन देना चाहिए। एक और मुख्य चीज ये है कि हर किसी को ट्रैफिक की व्यवस्था और नियमों की जानकारी होनी चाहिए।

मदिरा पीकर वाहन चलाना

पीकर वाहन चलाना: अट्ठाईस वर्षीय पी. किरण कुमार को दोस्तों के साथ सप्ताह के अंत में दावत के लिए बाहर जाना अच्छा लगता था । पर दावत के बाद देर रात को घर लौटने की चिंता होती थी। गली के किनारे पोलिस को देख कर वह कांप जाता था। यह घटना केवल पी. किरण कुमार ही नही, अपितु अधिकरतर मदिरापान करने वाले आजकल रात में दावत में जाने से पहले दो बार विचार करते हैं ।

Fig. 23.1 What are the policemen doing?

श्वास परीक्षा यंत्र किस प्रकार कार्य करता है : जब कोई व्यक्ति मदिरापान करता है तो वह रक्त में मिल जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। जैसे ही यह रक्त फेंफड़ों में पहुँचता है और श्वास के बाहर छोडते ही इसके उसे एक यंत्र द्वारा मापा जाता हैं । बाहर निकाली गई वायु में कार्बन-डाई-आक्साईड के साथ अल्कोहल की सूक्ष्म से सूक्ष्म में मात्रा को भी पकड़ लिया जाता है।

पीकर वाहन चलाने पर दंड

- शराबी का वाहन जब्त करने का अधीक्षक को अधिकार है ।
- चालक को अदालत में जाकर लागू किये जुर्माने की राशि भरना ।

ड्राइविंग लाइसेंस का रद्दीकरण

- क्षेत्रीय यातायात अधिकारी को यह अधिकार है कि वह उन लोगों के लाईसेंस अयोग्य घोषित करे या रद्द करे यदि व्यक्ति :

a) क्या वह पारंपरिक अपराधी या शराबी है ?

b) क्या वह किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का आदि है ?

c) क्या वह वाहन को कमीशन के लिए प्रयोग करता है ?

d) क्या वाहन खतरनाक ढंग से चलाता है ?

e) क्या वाहन बिना पंजीकरण का है?

f) क्या वह पुलिस को आवश्यक जानकारी देने में असमर्थ है?

g) क्या वह घायल को जो उसी के वाहन से दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो, निकट के अस्पताल नही ले जा रहा हो ।

h) क्या पुलिस के मांगने पर निम्न प्रमाण पत्र नही दे रहा हो । -

- बीमा प्रमाण पत्र
- पंजीकरण प्रमाण पत्र
- चालक लाईसेंस
- प्रदूषण प्रमाण पत्र

ट्रैफिक चिन्ह

1. आदेश सूचक चिन्ह 2. सूचना चिन्ह 3. सावधान चिन्ह

MANDATORY SIGNS- Red circle instructs what should not be done.

Straight Prohibitedor no entry | One way signs-vehicles prohibited in one direction | Vehicles prohibited in both direction | All vehicles prohibited

INFORMATION SIGNS - Signs in the Blue rectangle informs.

First aid post | Public telephone | Petrol pump | Hospital | Resting place

CAUTIONARY SIGNS - Signs in the Triangle is for cautions.

Right hand curve | Left hand curve | Right hair pin bend | Left hair pin bend | Right reverse bend

- कुछ अन्य ट्राफिक चिह्नों की जानकारी प्राप्त कीजिए। शिक्षक की सहायता से कक्षा में प्रदर्शन कीजिए।

SCERT TELANGANA

चालको को सलाह

- सड़के के बायी ओर से लगे-लगे चहिए और दाई ओर का भाग तेजी से आ रहे ट्रैफिक के लिए छोड़ दें ।
- किसी भी वाहन के बाई ओर से कभी भी नही निकलना चाहिए ।
- सुरक्षित यात्रा के लिए हेलमेट पहनिए ।
- कम कार्बन मोनोआक्साईड निकलने वाले वाहनों का उपयोग करे ।
- हार्न का उपयोग बिना जरुरत के न करें ।
- भारी और बडे वाहनो का उपयोग करना है तो सीट बेल्ट को अवश्य लगायें ।
- यातायात संकेतों को लांघना नही चाहिए ।
- अपने वाहन को हमेशा अच्छी अवस्था में रखिए ।

कुमारी एक छात्रा है जिसने इंटरमीडिएट की परीक्षा 95% अंकों से उत्तीर्ण की है। उसके पिताजी उसे दो पहिया वाहन उपहार मे देना चाहते हैं । वे उस क्षेत्र के सड़क यातायात अधीक्षक कार्यालय से वाहन पंजीकरण और चालक लाईसेंस के विषय में जानकारी प्राप्त करने गये । अधिकारियों की सलाह पर उन्होंने कुमारी को कार चालक स्कूल मे सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों, जिनके बारे में हम पहले जान चुके हैं, के साथ प्रवेश करवाया । उसे पहले अस्थाई लाईसेंस प्राप्त हुआ, तत्पश्चात स्थाई लाईसेंस मिला। सडक यातायात अधीक्षक अधिकारी ने उसके पिताजी को समझाया कि किस प्रकार वाहन का पहले अस्थाई पंजीकरण किया जाता है तथा बाद मे स्थाई लाईसेंस का पंजीकरण होता है।

पंजीकरण की आवश्यकता

किसी को भी बिना पंजीकृत वाहन को सार्वजनिक स्थानों तथा अन्य स्थानों पर नही चलाना चाहिए।

पंजीकरण कैसे कराना चाहिए?

अस्थायी पंजीकरण: नये वाहन खरीदने पर पंजीकरण के लिए निम्न प्रमाण पत्र आवश्यक हों

1. बिक्री प्रमाण पत्र की प्रति
2. सड़क टैक्स प्रमाण पत्र की प्रति
3. प्रामाणिक बीमा प्रमाण पत्र की प्रति
4. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की प्रति
5. स्थाई निवास पहचान पत्र

स्थाई पंजीकरण: वाहन के पंजीकरण के लिए अस्थाई पंजीकरण की तिथि के 7 दिन के बाद ही सभी प्रमाण पत्रों के साथ फिर से पंजीकरण अधीक्षक कार्यालय मे आवेदन पत्र देना चाहिए ।

सड़क निर्देशित चिन्ह

आप आपने शिक्षक की सहायता से सडक पर सूचित किये गये चिहनों को, RTA अधिकारी। ट्राफ़िक पुलीस से प्राप्त किये गये विविध चिहनों के द्वारा होने वाले लाभ के बारे में अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए।

सड़क सतही चिन्हो का उपयोग चालकों और पैदल लोगों के मार्ग दर्शन और सूचना के लिए सडकों पर लगाये जाते हैं। चिह्नों में इसलिये समानता रखी जाती है कि चालक की व्याकुलता व अनिश्चिता को दूर करे ।

SCERT TELANGANA

सड़को के भाग

1. फुटपाथ: पैदल चलने के लिए यह सड़क के दोनो ओर बनाये जाते हैं । यह लगभग दो-दो मीटर के बनाये जाते हैं ।

2. सड़क विभाजक: सड़क को सीमेंट की शिलाओं द्वारा दो भागों में बाँटा जाता है।

3. जिब्रा क्रासिंग: यह भीड़ वाले स्थानो पर बनाये जाते हैं जहाँ पैदल यात्री सड़क पार करते हैं।

यातायात संकेत

यातायात बत्ती, यातायात संकेत या रुकने वाली बत्ती एक ऐसा सूचक साधन है जो सड़क के चौराहे के बीच लगाया जाता है, जो यह दर्शाता है कि आप कब सुरक्षित जा सकते हैं। चौराहों पर हमेशा ट्रैफिक संकेतों का पालन करना चाहिए ।

लाल बत्ती - वाहन को रोकना

पीली बत्ती - वाहन चलाने के लिये तैयार

हरी बत्ती - वाहन चलाओ

सड़क सुरक्षा

विश्व में भारत एक ऐसा देश है जिसमें दूसरा सबसे बडा सड़क जाल फैला है। परंतु सडक का उपयोग करने वाले लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरुक नही है इसलिए दुर्घटनाग्रस्त मौत के पीड़ित संख्या में अधिक हैं।

सड़क सुरक्षा में बाधाएँ

1. आम जनता की लापरवाही
2. सड़कों की दयनीय अवस्था
3. वाहनों का असुरक्षित आकार
4. सडक सुरक्षा मानकों को लागू करने में कमी
5. कानून व्यवस्था लागू करने में कमी
6. आकस्मिक सेवाओं में कमी

Slogans

- जीयों और जीने दो सुरक्षा नियमों का पालन करो
- सडक पर सुरक्षित व आश्वस्त रहे यातायात नियमों का पालन करे ।

पैदल यात्रियो के लिए नियम

1. फुटपाथ पर पैदल चलिए और यदि फुटपाथ खाली नही है तो सड़क के दाहिने से सामने से आने वाली वाहनों को देखते हुए चलिए ।
2. रात के समय पैदल जाना हो तो अंधेरे में दिखाई देने वाले कपडे पहनें ।
3. रात के समय हमेशा टार्च साथ रखें ।
4. सुरक्षित स्थान से सड़क पार कीजिए । और अपने बाँये और दाँये ओर देखते हुए ट्रैफिक की आवाज सुनिए।
5. दोनों दिशाओं से आने वाली ट्रैफिक को जाने दीजिए।
6. सड़क पर तेजी से चलिए, जब सड़क खाली हो तो, देखते और सुनते हुए चलते रहिए ।
7. सड़क पार करने के लिए जिब्रा क्रांसिग का उपयोग करें ।
8. सड़क पर चलते समय व पार करते समय चरवाणी का उपयोग गाने सुनने या किसी तरह से भी न करे।

SCERT TELANGANA

Fig. 23.2 : Dangerous to drive with overload

9. सडक पर करते समय ट्राफिक पुलिस की सहायता लो।
10. नशे में दुत्त होकर सडक पर नहीं चलना चाहिए।

मोटर साईकिल चालकों के लिए नियम :

- वाहन चालक लाईसेंस (अनुमति पत्र) वर्तमानकालिक होना चाहिए ।
- सडक पर कार या मोटर साईकिल निकालने से पहले अपने बीमा पॉलिसी साथ में रखें ।
- मोटर साईकिल चालक सही तरह का हेलमेट पहने।
- पीछे एक ही आदमी को बैठायें, जो सही ढंग से बैठ सके।

मुख्य शब्द

1. वाहन पंजीकरण
2. श्वास परीक्षा उपकरण
3. मुख्य चिहन
4. यातायात शिक्षा
5. ड्रैविंग लैसेंस (चालक अनुज्ञापती)

शिक्षा में सुधार

1. गाड़ी चलाते समय चालक को अपने पास कौन-कौन से कागजात रखने चाहिए? (AS_1)
2. सिगनल जंप यानी बिना हरी बत्ती जले पार करना किस प्रकार खतरनाक हो सकता है? समझाइए। (AS_1)
3. समाज में सुरक्षित यातायात के लिए किस प्रकार की जागरूकता आवश्यक है? समझाइए। (AS_4)
4. यातायात के अनिवार्य नियमों, चेतावनियों और सूचनाओं व चिह्नों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। (AS_1)
5. कमला एक नयी गाड़ी खरीदना चाहती है, उसे वाहन पंजीकरण के समय कौन-कौन से कागजात प्रस्तुत करने होगें? (AS_1)
6. रामू अपनी गाड़ी दूसरे के साथ बदलना चाहता है। क्या यह सही है या गलत? कारण सहित बताइए। (AS_6)
7. सड़क सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में बताइए। (AS_1)
8. ''दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति - आयु'' तालिका का अध्ययन कर, सर्वधिक दुर्घटनाएँ किस आयु के लोगों में हुई हैं पहचान कर, इसका एक बार - आरेख चित्र बनाइए। (AS_3)
9. ''ट्राफ़िक दिक्कते'' वाला अंश पढ़कर, इस पर एक टिप्पणी कीजिए। (AS_2)

परियोजना

1. आप के आस-पास वाले प्रांत में ट्राफिक पुलीस/RTA अधिकारी है, तो उनसे निम्न विषयों का संग्रहण कीजिए।

माह : गाँव/शहर का नाम :

दर्ज किये गये केसों की संख्या :

बिना हेलमेट के चालक	बिना लाइसेंस के	बिना पंजीकरण के	सडक नियमों का पालन न करने वाले	दुर्घटना ग्रस्त वाहनों की संख्या

इस समाचार के आधार पर आप के प्रांत की ट्राफिक स्थिति के बारे में कक्षा-कक्ष में चर्चा कीजिए।

SCERT TELANGANA

Appendix

This additional information and the maps are to be used wherever necessary.

संसार का राजनीतिक चित्र

SCERT TELANGANA

ऐशिया का राजनीतिक चित्र

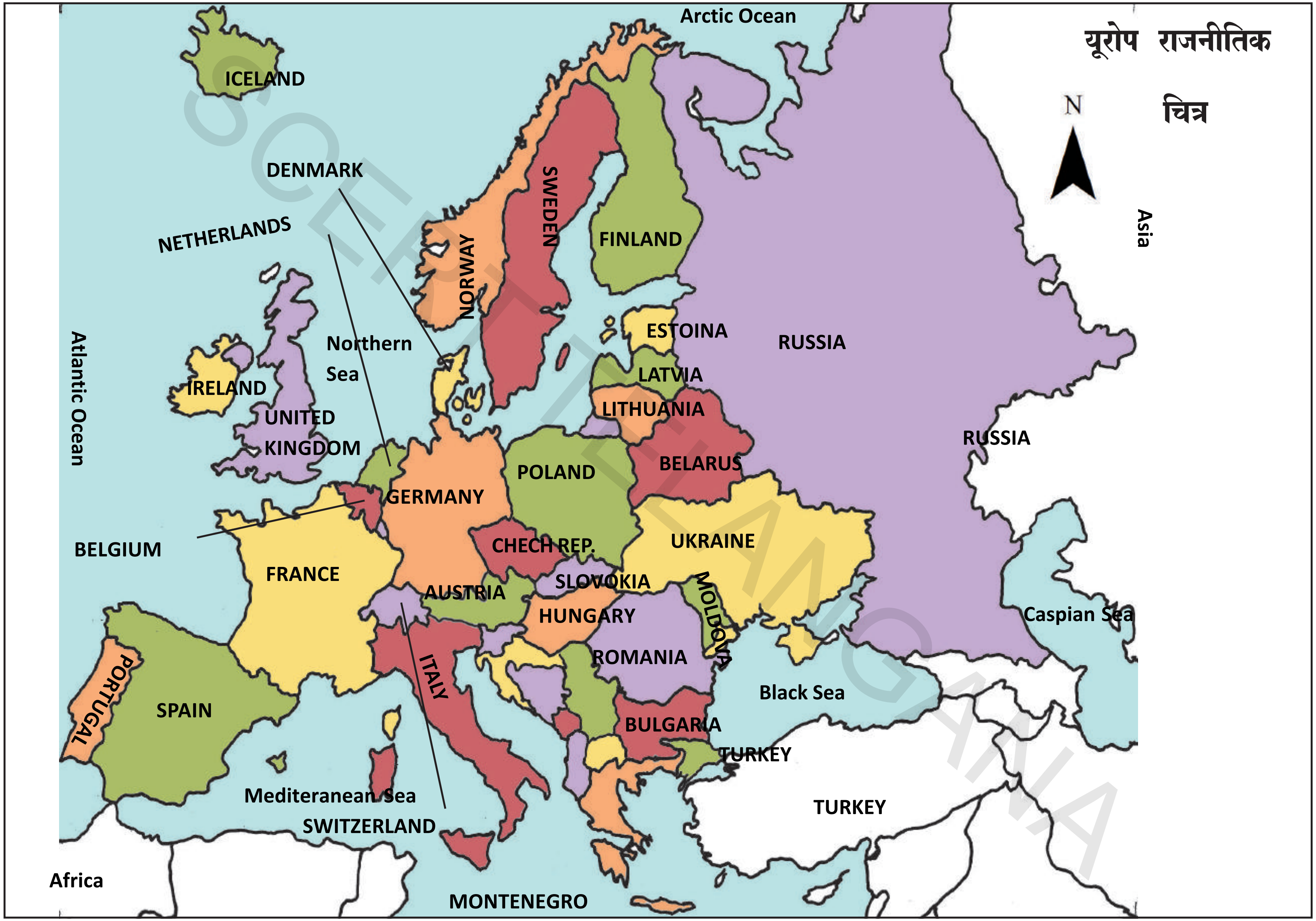
यूरोप राजनीतिक
चित्र
N
Asia
Arctic Ocean
ICELAND
DENMARK
NETHERLANDS
NORWAY
SWEDEN
FINLAND
ESTOINA
RUSSIA
LATVIA
LITHUANIA
Northern
Sea
IRELAND
UNITED
KINGDOM
Atlantic Ocean
RUSSIA
POLAND
BELARUS
GERMANY
BELGIUM
CHECH REP.
UKRAINE
FRANCE
SLOVOKIA
AUSTRIA
MOLDOVA
HUNGARY
Caspian Sea
ROMANIA
ITALY
PORTUGAL
SPAIN
Black Sea
BULGARIA
TURKEY
Mediteranean Sea
TURKEY
SWITZERLAND
Africa
MONTENEGRO
SCERT TELANGANA

आफ्रिका राजनीतिक चित्र

NORTH AMERICA
ARCTIC OCEAN
BEAUFORT SEA
66 ½° North Latitude
Arctic Circle
NORTH PACIFIC OCEAN
BERING STRAIT
ALASKA
CANADA
Hudsan Bay
BAFFIN BAY
Davis Strait
Greenland
LABRADOR SEA
NORTH ATLANTIC OCEAN
Ottawa
UNITED STATES OF AMERICA (USA)
Washington
MEXICO
GULF OF MEXICO
CUBA
WEST INDIES
JAMAICA
23 ½° NORTH LATITUDE
TROPIC OF CANCER
Guatemala
PANAMA CANAL
Caribbean Sea
N

South America
PANAMA CANAL
Caracas
VENEZULA
GUYANA
SURINAME
FRENCH GUINEA
COLUMBIA
NORTH ATLANTIC OCEAN
N
0° LATITUDE
EQUATOR
ECUADOR
PERU
Lima
BRAZIL
BOLIVIA
Lapaz
Brasilia
PARAGUAY
CHILE
23 ½° South Latitude
TROPIC OF CORPRICORN
Santiago
ARGENTINA
URUGUAY
Buenos Aires
SOUTH ATLANTIC OCEAN
PACIFIC OCEAN
MAGELLAN STRAIT
SOUTHERN OCEAN

विश्व बाह्य रेखा चित्र

SCERT TELANGANA

भारत का राजनैतिक मानचित्र

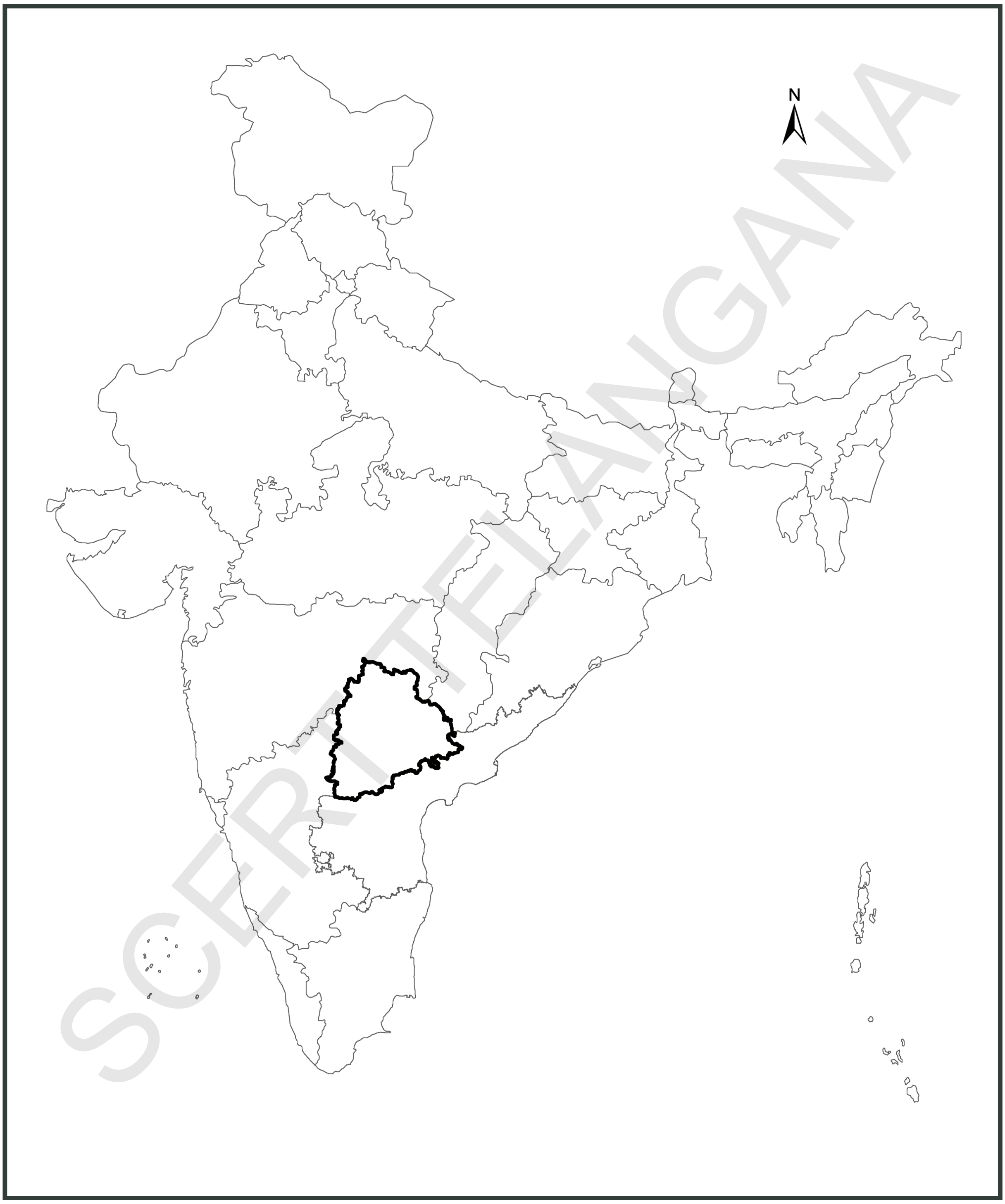

SCERT TELANGANA

तेलंगाणा का राजनैतिक मानचित्र

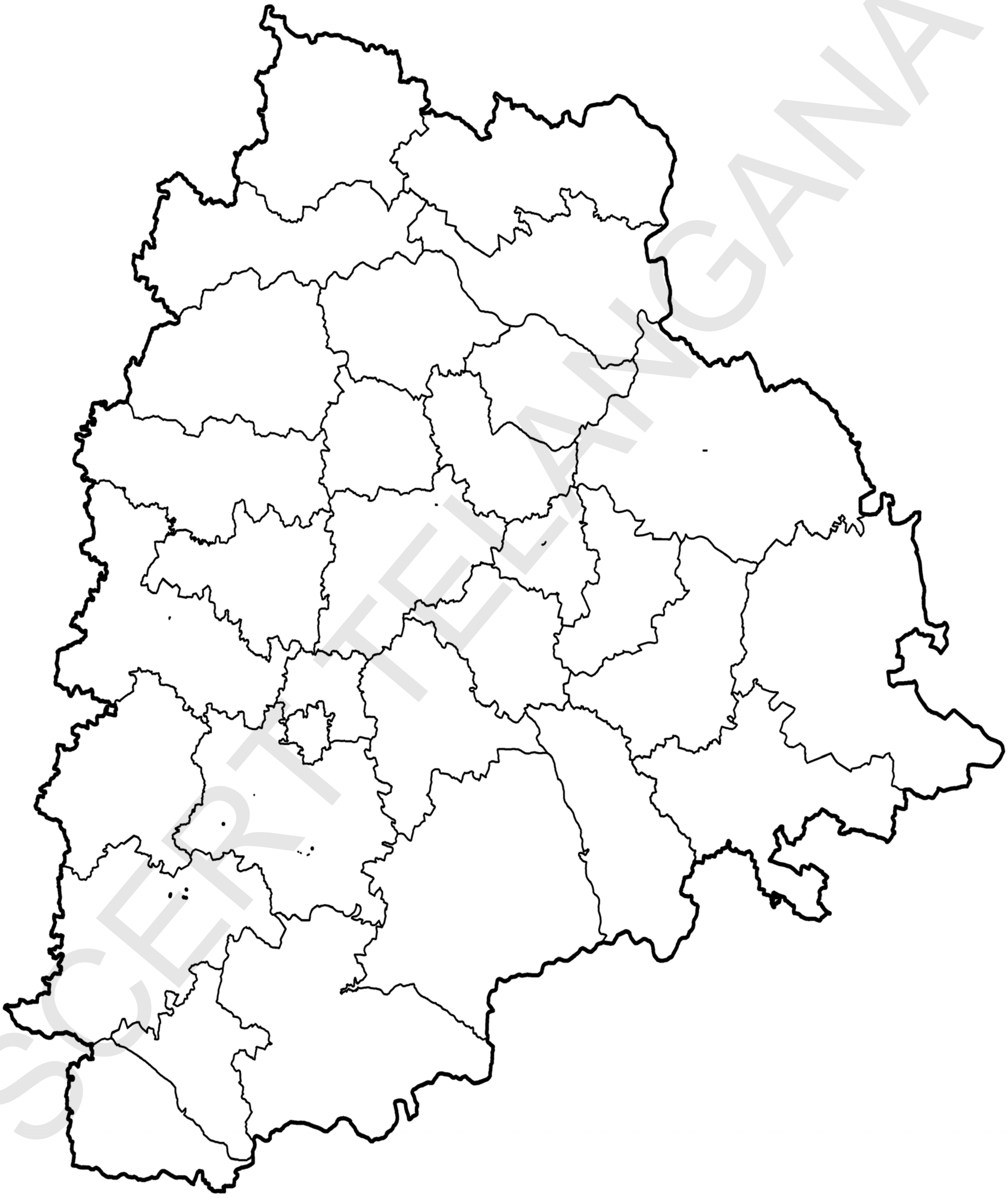

SCERT TELANGANA

The new 200 rupee note

Obverse (Front)

SPECIMEN 0031

Reverse (Back)

The Reserve Bank of India is introducing new design banknotes in the denomination of ₹ 200 as part of **Mahatma Gandhi(New) Series.** The new denomination has motif of the *Sanchi Stupa* on the reverse, representing the cultural diversity of India.

The base colour of the note is yellowish orange. The note has other designs, geometric patterns aligning with the overall colour scheme, both on the obverse and the reverse. The size of the new note is 66mm x 146mm.

भारतीय रिज़र्व बैंक

Reserve Bank of India

India's Central Bank

SCERT TELANGANA